मध्यप्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर-सूची

फरवरी-मार्च, 2015 सत्र

गुरुवार, दिनाँक 19 मार्च 2015

स्थायी आदेश 13-क के अनुसरण में अतारांकित प्रश्नोत्तर के रुप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर

<u>लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के लिए कम्प्यूटर भत्ते का प्रावधान</u>

1. (क्र. 102) श्री अरूण भीमावद : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के शासकीय कार्यालयों में कार्यरत लिपिक वर्ग के कर्मचारियों को कम्प्यूटर भत्ता दिए जाने हेतु क्या शासन के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन है? (ख) यदि हाँ, तो आदेश कब तक प्रसारित किए जावेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) जी नहीं। (ख) ''क'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>जिला शाजापुर में हवाई पट्टी का निर्माण</u>

2. (क्र. 103) श्री अरूण भीमावद : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्य प्रदेश शासन द्वारा जिला मुख्यालयों पर हवाई पट्टी के निर्माण के लिए क्या-क्या प्रावधान किये गये हैं? (ख) शाजापुर नगर के समीप हवाई पट्टी के निर्माण हेतु प्राकृतिक भौतिक संरचना उपलब्ध होने के कारण क्या शासन स्तर पर हवाई पट्टी निर्माण की कार्यवाही होगी? (ग) यदि कार्यवाही की जाती है तो कब तक होगी?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) हवाई पट्टी का निर्माण बजट की उपलब्धता के आधार पर प्रस्तावित किया जाता है। (ख) शाजापुर के समीप हवाई पट्टी के निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। (ग) उक्त भाग-''ख'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>उमरियापान व देवरीहटाई में महाविद्यालयों की स्थापना</u>

3. (क्र. 129) श्री मोती कश्यप : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सत्य है कि प्रश्नकर्ता के विधानसभा सत्र दिनाँक 01.03.2013 के तारांकित प्रश्न संख्या 11 (क्र.2175) के उत्तर में मा. मुख्यमंत्री जी की घोषणा से कहीं साइंस एवं वाणिज्य संकाय और नये महाविद्यालय खोले जाने तथा किन्हीं दिनाँक के आदेशों से किन्हीं महाविद्यालयों के खोले जाने की जानकारी दी गई है? (ख) क्या प्रश्नांश (क) में शासकीय महाविद्यालय बरही, स्लीमनाबाद, सिहोरा, मझौली, रांझी, कुण्डम, खमरिया, पनागर और जबलपुर नगर (कटनी नहीं दर्शित है) आदि से ग्रामों की

दर्शित दूरी वास्तविक है तथा इनमें कितनी दूरी के वन-पर्वतीय और बीहड़ ग्राम हैं? तथा क्या जिला कटनी व जबलपुर जिला मुख्यालयों से जुड़े सिलौंड़ी और उसके समीपवर्ती आदिवासी बाहुल्य ग्रामों की दूरी बनायी गई है? (ग) प्रश्नांश (क) (ख) में से किन ग्रामों में महाविद्यालयों तक आने-जाने के कौन से संसाधन है और कितने बार कहाँ संसाधनों को बदलकर छात्र-छात्रायों को ग्राम से महाविद्यालय तक आने-जाने में कितना श्रम, समय व धन का व्यय होगा और क्या इसके निदान हेतु कहीं बसें संचालित की गई हैं तथा किन ग्रामों हेतु विभागीय योजना बनायी गयी है? (घ) उमरियापान और देवरीहटाई की परस्पर और उनके समीपवर्ती हायर सेकण्डरी स्कूलों की दूरी कितनी है और महाविद्यालय खोले जाने से कितने ग्रामों के छात्र-छात्रायें लाभान्वित होंगे? (ड.) क्या प्रश्नांश (घ) में आगामी वर्ष 2015-16 में महाविद्यालय और शासकीय कला महाविद्यालय बड़वारा में साइंस एवं वाणिज्य संकाय खोल दिये जावेंगे?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। इनमें वनपर्वतों एवं बीहड़ ग्राम 100 कि.मी. की दूरी के दर्शित है। जी हाँ। (ग) स्थानीय आवागमन व्यवस्थानुसार छात्र/छात्रायें सुविधा एवं समयानुसार महाविद्यालय आते हैं, अतः शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (घ) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र "एक" एवं "दो" अनुसार** है। वर्तमान में महाविद्यालय खोलने की कोई योजना न होने से शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (ड.) प्रश्नांश "घ" के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

<u>परिशिष्ट - "एक"</u>

<u>विशेष भत्ता व नियमितीकरण</u>

4. (क्र. 130) श्री मोती कश्यप : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी संघ (शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय जबलपुर) के पत्र दिनाँक 25-01-2012 एवं 22-12-2013 द्वारा मा. मुख्यमंत्री जी व शासन से शासकीय महाविद्यालयों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य वर्गों के कर्मचारियों के संबंध में कोई मांग की है? (ख) क्या प्रश्नांश (क) अभ्यावेदन में दैनिक वेतनभोगी अस्थायी कर्मचारियों के नियमितीकरण संबंधी किसी आदेश का उल्लेख किया गया है और जिसमें किन्हीं निर्देशों का परिपालन करने हेतु किन्हीं को निर्देशित किया गया है? (ग) प्रश्नांश (ख) आदेश से कौन कर्मचारी/श्रमिक कितनी राशि के विशेष भत्ता के पात्र हैं, और उन्हें आदेश दिनाँक से कब से कितना विशेष भत्ता प्रदान कराया गया है? (घ) क्या प्रश्नांश (क) के जिन शासकीय महाविद्यालयों द्वारा प्रश्नांश (ख) के विभागीय आदेशों का पालन नहीं किया है, उन शासकीय महाविद्यालयों के विरूद्ध कोई कार्यवाही की गई है और कब तक प्रश्नांश (ख) के अधीन भत्ता प्रदान करा दिया जावेगा?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>झरनेश्वर महादेव मंदिर टोंकखुर्द को पर्यटन के नक्शे में लाना</u>

5. (क्र. 702) श्री राजेन्द्र फूलचन्द वर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र.पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन स्थल के विकास हेतु सोनकच्छ विधानसभा के किसी स्थान को योजना में सम्मिलित किया जा रहा है? यदि नहीं तो क्यों नहीं? (ख) क्या सोनकच्छ विधानसभा के झरनेश्वर महादेव मंदिर टोंकखुर्द को पर्यटन स्थल पर लाने की योजना है? नहीं तो क्यों नहीं? (ग)

क्या म.प्र. पर्यटन विभाग में सोनकच्छ विधानसभा के झरनेश्वर महादेव मंदिर टोंकखुर्द को पर्यटन स्थल के नक्शे पर लाने के लिये आगामी सत्र में कोई योजना बनाने का प्रस्ताव है? यदि नहीं तो क्यों नहीं?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) जी हाँ। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी हाँ। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। 13वें वित्त आयोग के अंतर्गत वर्ष 2014-15 में धार्मिक पर्यटन के विकास मद में झरनेश्वर महादेव मंदिर में पर्याप्त सुविधाओं के विकास हेतु राशि रूपये 30.00 लाख अनुमोदित है।

आबकारी विभाग द्वारा सागर जिले में की गई कार्यवाही

6. (क्र. 1023) इन्जी. प्रदीप लारिया : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सागर जिला अंतर्गत विगत तीन वर्षों में आबकारी विभाग द्वारा 25 पेटी/225 पी.एल. से अधिक अनाधिकृत रूप से विक्रय करते हुये कितने व्यक्तियों के खिलाफ प्रकरण बनाये गये? विस्तृत जानकारी देवें? (ख) क्या उपरोक्त व्यक्ति जिनके खिलाफ आवकारी प्रकरण बनाये गये है उनके नाम से सागर जिले में आबकारी विभाग की देशी/अंग्रेजी मदिरा दुकान संचालित हैं? जानकारी देवें? (ग) यदि हाँ तो क्या आबकारी एक्ट के तहत उन व्यक्तियों को देशी/अंग्रेजी दुकान संचालित करने का लायसेंस दिया जा सकता हैं? (घ) यदि नहीं तो क्या संबंधितों का लायसेंस निरस्त करने हेतु विभाग द्वारा कार्यवाही की जावेगी?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) सागर जिले में विगत तीन वर्षों के दौरान अर्थात् दिनाँक 01.01.2012 से 31.03.2015 तक आबकारी विभाग द्वारा 25 पेटी/225 पी.एल. से अधिक अनाधिकृत रूप से विक्रय करते हुऐ किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई प्रकरण कायम नहीं किया गया है। (ख) प्रश्नांश (क) के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) प्रश्नांश (क) के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

फीडर विभक्तिकरण का कार्य

7. (क्र. 1200) श्री दुर्गालाल विजय : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या श्योपुर जिले में फीडर विभक्तिकरण कार्य अंतर्गत ग्राम काशीपुर, बालापुरा, बंजारा बस्ती, बगदिया, कालीतलाई, सांड, नसीरपुरा-सेमल्दा बस्तियों में विद्युतीकरण किया जाना स्वीकृत किया गया था? यदि हाँ, तो कब स्वीकृत किया गया? वर्तमान तक क्या कार्य किया गया? (ख) क्या उक्त बस्तियों में लगभग 15 माह पूर्व पोल तो खड़े कर दिये गये, लेकिन तार-केबल-डिस्क आदि लगाने का कार्य वर्तमान तक पूर्ण नहीं किया गया? यदि हाँ, तो क्यों, इसका कारण बतावें? (ग) क्या दो वर्ष पूर्व आपके एवं केन्द्रीय मंत्री (तत्कालीन सांसद, मुरैना-श्योपुर) द्वारा श्योपुर जिले में ली गई विद्युत अधिकारियों की बैठक में उक्त बस्तियों के विद्युतीकरण कार्य को जनवरी, 2012 तक पूर्ण कर देने का निर्णय लिया गया था? यदि हाँ, तो क्यों पूर्ण नहीं किया गया? इसके क्या कारण हैं? अब कब तक पूर्ण करा दिये जावेगें?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जी हाँ, श्योपुर जिले में ग्राम काशीपुर, नसीरपुरा, सेमल्दा, बगदिया एवं कालीतलाई में फीडर विभक्तिकरण योजनान्तर्गत विद्युतीकरण के कार्य स्वीकृत हैं तथा

मजरा/टोला बालापुरा बंजारा बस्ती, सांड एवं नसीरपुरा-सेमल्दा की बस्तियों में विद्युतीकरण का कार्य 12वीं पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में सम्मिलित है। प्रश्नाधीन कार्यों की स्वीकृति दिनाँक एवं कार्य की वर्तमान स्थिति की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) जी हाँ, फीडर विभक्तिकरण योजना के अन्तर्गत उत्तरांश 'क' में दर्शाए गए कार्यों में लगभग 15 माह पूर्व पोल खडे कर दिये गये हैं परन्तु ठेकेदार एजेन्सी मेसर्स ज्योति स्ट्रेक्चर लिमिटेड मुम्बई के पास यथासमय पर्याप्त निर्माण सामग्री/लेबर उपलब्ध नहीं होने के कारण, शेष कार्य में विलम्ब हुआ है। (ग) जी हाँ। ठेकेदार एजेन्सी के पास निर्माण सामग्री/लेबर की पर्याप्त उपलब्धता नहीं होने के कारण कार्य समय से पूर्ण नहीं हो पाये, जिसके लिए संबंधित ठेकेदार एजेंसी के देयकों से नियमानुसार लिक्विडेटेड डैमेज के रूप में पेनल्टी स्वरूप राशि काटी जा रही है। फीडर विभक्तिकरण योजनान्तर्गत प्रश्नाधीन शेष कार्यों को मार्च 2015 तक पूर्ण कराने के प्रयास किये जा रहे है।

<u>परिशिष्ट - "दो"</u>

<u>सिंचाई परियोजनाओं की जानकारी</u>

8. (क्र. 1282) श्री आर.डी. प्रजापति : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जलसंसाधन विभाग, छतरपुर के अंतर्गत तहसील गौरिहर/चन्दला/ लवकुश नगर के अंतर्गत कैल नदी से कितनी सिंचाई परियोजनाएं प्रस्तावित है? (ख) यदि प्रस्तावित नहीं है, तो आगे भविष्य में परियोजनाएं संचालित करने हेतु कार्यवाही कब तक की जावेगी? (ग) बरियारपुर बायी नहर (उमरहा ब्रांच कैनाल) वर्ष, 2012-13 से 2013-14 तक कितने एकड़ भूमि की किसानों द्वारा सिंचाई की गई, तथा कितनी सिंचाई हेतु रकबा प्रस्तावित है? (घ) उक्त नहरें कब तक पूर्ण हो जायेगी, तथा वर्तमान में चन्दला विधान सभा क्षेत्र में क्षतिग्रस्त नहरें कब तक पूर्ण कर ली जायेगी?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) प्रश्नाधीन क्षेत्र में सिंचाई परियोजना का कोई प्रस्ताव स्वीकृति हेतु विचाराधीन नहीं है। (ख) उपलब्ध वित्तीय संसाधन विभाग द्वारा स्वीकृत एवं निर्माणाधीन परियोजनाओं के लिए आबद्ध होने से नई परियोजनाओं की स्वीकृति के संबंध में कार्यवाही हेतु समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है। (ग) वर्ष 2012-13 में 20,682 हेक्टर एवं वर्ष 2013-14 में 23,519 हेक्टर में रबी सिंचाई की गई। नहर की रूपांकित सिंचाई क्षमता 25,835 हेक्टर है। (घ) कार्य की पूर्णता भूमि की उपलब्धता और निर्माण एजेंसी की क्षमता पर निर्भर होने से समय-सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है। नहर निर्माण के दौरान नहर में होने वाली क्षति को प्रति वर्ष सिंचाई उपरांत दुरूस्त कराए जाने की व्यवस्था है।

<u>औसत बिल के द्वारा लाईनलॉस से अधिक बिल वसूली</u>

9. (क्र. 1283) श्री आर.डी. प्रजापति : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छतरपुर जिले में म.प्र.पू.क्षेत्र विद्युत वि.क. (विद्युत विभाग) छतरपुर द्वारा उपभोक्ताओं के लिये कितने मीटर लगाये गये, तथा कितने बंद पडे है? (ख) क्या बंद मीटर होने से उपभोक्ताओं को आंकलित बिल दिये जा रहे है? यदि हाँ, तो क्या यह वैद्यानिक है? यदि नहीं तो लापरवाह अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है? (ग) क्या इस प्रकार लाइनलॉस होने पर उपभोक्ताओं को अधिक राशि के औसत बिल दिया जाकर वसूली की प्रतिपूर्ति की जाती है? यदि हाँ,

तो ऐसे अवैध कार्य करने वाले अधिकारियों पर क्या कार्यवाही की गयी है? (घ) छतरपुर जिले में विद्युत चोरी के कितने प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किये गये उनका विवरण ब्यौरेवार प्रदाय करें?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) छतरपुर जिले के अन्तर्गत कुल मीटर्ड उपभोक्ताओं की संख्या 1,55,587 में से बंद/खराब मीटरों की संख्या 74146 है। (ख) जी हाँ, मीटर बंद होने की स्थिति में म.प्र.विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 के प्रावधानों के अन्तर्गत जारी की गई मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कंडिका 8.35 के प्रावधानों के अनुरूप उपभोक्ताओं को आंकलित खपत के बिल दिये जाते हैं जो कि वैधानिक है। अत: किसी के लापरवाह होने एवं कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता। (ग) जी नहीं, अत: प्रश्न नहीं उठता। (घ) छतरपुर जिले में दिनाँक 01.04.2014 से प्रश्न दिनाँक तक विद्युत चोरी के कुल 180 प्रकरण विशेष न्यायालय में प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है।

अनुकम्पा नियुक्ति के लंबित प्रकरण

10. (क्र. 2043) श्री चम्पालाल देवड़ा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) फरवरी, 2015 की स्थिति में शासकीय सेवक की सेवाकाल में मृत्यु होने पर अनुकम्पा नियुक्ति के संबंध में विभाग के क्या-क्या निर्देश हैं, उनकी प्रति दें? (ख) रायसेन एवं देवास जिले में फरवरी, 2015 की स्थिति में विभिन्न विभागों में किन-किनके आवेदन पत्र क्यों एवं कब से लंबित हैं, प्रकरणवार कारण बतावें? (ग) 1 जनवरी, 2013 से फरवरी, 2015 की अवधि में किन-किन के आवेदन पत्र निरस्त किये गये, तथा क्यों, प्रकरणवार कारण बतावें?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) अनुकंपा नियुक्ति के एकजाई निर्देश दिनाँक 29.09.2014 की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"एक" अनुसार** है। (ख) एवं (ग) रायसेन जिले की प्रश्नाधीन अवधि की जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"दो" अनुसार** है। देवास जिले की जानकारी एकत्रित की जा रही है।

नहरों का निर्माण

11. (क्र. 2074) श्री संजय शर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) तेंदूखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में रानी अवंतीबाई सागर परियोजना से कुल कितने ग्राम सिंचित हो रहे हैं? लाभांवित ग्रामों का कुल रकबा बतायें? (ख) तेंदूखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में कुल कितनी लंबाई की नहरों का निर्माण पूर्ण हो चुका है एवं कितनी लंबाई की नहरों का निर्माण प्रस्तावित है? (ग) तेंदूखेडा विधानसभा के कुल रकबे में से परियोजना द्वारा सिंचित कमाण्ड एरिया कितना है? कितने कमाण्ड एरिया में नहरों का निर्माण हो चुका है? शेष एरिया में नहरों का निर्माण कब तक किया जावेगा? (घ) तेंदूखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के उत्तरांचल में सिंचाई हेतु बांयी तट नहर से जल ले जाने हेतु क्या योजना बनाई गई है?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार** है। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार** है। (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार** है। (घ) इस परियोजना में प्रावधान व जल की उपलब्धता नहीं होने के कारण तेन्दूखेड़ा विधानसभा के उत्तरांचल में सिंचाई हेतु कोई योजना प्रस्तावित नहीं है।

चरनोई भूमि के संबंध में

12. (क्र. 2171) श्री रामपाल सिंह : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या ग्राम भन्नी, पटवारी हल्का भन्नी, रा.नि.म. ब्यौहारी तहसील ब्यौहारी, जिला-शहडोल, म.प्र. में स्थित आराजी खसरा नम्बर 337/3क, रकबा 5.50 एकड़ चरनोई के लिए आरक्षित है, तथा कभी भी उसकी नोडयस में परिवर्तन नहीं किया गया है? (ख) क्या उक्त चरनोई के लिए आरक्षित भूमि से गौण खनिज पत्थर की अवैध खुदाई किये जाने की शिकायत ग्राम पंचायत भन्नी, जनपद पंचायत ब्यौहारी, जिला शहडोल, म.प्र. के सरपंच व पंचों द्वारा कलेक्टर शहडोल व कमिश्नर शहडोल को की गयी थी? यदि हाँ, तो इस बात की जांच कराई गयी थी कि उक्त भूमि से कितने क्यूबिक मीटर पत्थर निकाला गया है और किसने यह किया है और ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी है?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) एवं (ख) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

गौण खनिज खदान घोषित किये जाने हेतु मापदण्ड

13. (क्र. 2173) श्री रामपाल सिंह : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या गौण खनिज रेत और पत्थर की खदान घोषित किये जाने हेतु कोई मापदण्ड निर्धारित किये गये है? यदि हाँ, तो क्या मापदण्ड है? (ख) क्या ऐसी खदानें घोषित करने के लिये और उनके निकासी के लिये संबंधित ग्राम पंचायत की ग्राम सभा द्वारा सहमति लिया जाना आवश्यक है? (ग) क्या जिला शहडोल के तहसील ब्यौहरी अंतर्गत ग्राम खामडाड़ के समधिन नदी से रेत उत्खनन की अनुज्ञप्ति वर्ष 2014-15 से वर्ष 2019-20 के लिये दिया गया है? यदि हाँ, तो अनुज्ञप्ति देने के पूर्व पंचायत खामडाड़ की ग्राम सभा से सहमति प्राप्त की गई है? यदि नहीं तो क्या बिना ग्राम सभा की सहमति के खदान उपयोग हेतु नीलामी अनुचित है यदि हाँ, तो क्या अनुज्ञप्ति निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी हाँ तो कब तक?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

गौण खनिज उत्खनन की अनुमति

14. (क्र. 2214) श्री संजय उइके : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बालाघाट जिले में गौण खनिज उत्खनन/परिवहन हेतु अस्थाई/स्थाई, अनुज्ञा/स्वीकृति, किन-किन ठेकेदारों/फर्मों/एजेंसी को कब कितनी-कितनी अवधि के लिए कितनी-कितनी मात्रा उपयोग करने की दी? वित्तीय वर्ष 2013-14, 2014-15 से प्रश्न दिनाँक तक की जानकारी देवें? (ख) क्या कुछ ठेकेदारों/फर्मों/एजेंसी द्वारा निर्माण कार्यों में प्रयुक्त खनिज की रॉयल्टी सीधे खनिज कार्यालय में जमा करा दी जाती है? (ग) यदि हाँ, तो बैहर विधानसभा क्षेत्र में प्रश्नांश (क) में वर्णित अवधि में किन-किन ठेकेदारों/फर्मों/एजेंसी द्वारा कितनी-कितनी राशि किन-किन गौण खनिज के लिये कब जमा कराई गई एवं कहाँ से गौण खनिज खरीदना दर्शाया गया जानकारी देवें?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

छात्र संख्या के मान से महाविद्यालयों में प्राध्यापक/सहा. प्राध्या. का समायोजन

15. (क्र. 2225) सुश्री उषा ठाकुर : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर विषयवार छात्र संख्या 10 दस से कम

किन-किन महाविद्यालयों में है? (ख) छात्र संख्या कम होने पर प्राध्यापकों/सहा. प्राध्यापकों का समायोजन अन्य महाविद्यालयों जहाँ छात्र संख्या अधिक है, वहाँ किये जाने की व्यवस्था है? यदि हाँ, तो कब तक समायोजित किये जावेंगे?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) जी नहीं, शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "तीन"

करंट चार्ज के नाम से वरीयता क्रम के विपरीत अधिकारियों की पदस्थी

16. (क्र. 2229) सुश्री उषा ठाकुर : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के पूर्व एवं पश्चिम विद्युत वितरण कंपनी में करंट चार्ज के नाम से किन-किन अधीक्षण यंत्री / कार्यपालन यंत्री / सहा. यंत्री की पदस्थी वरिष्ठ पदों पर वरीयता का उल्लंघन करते हुए की गई है? सूची देवें? (ख) पश्चिम क्षेत्र वि.वि. कंपनी इन्दौर में अधीक्षण यंत्री के कितने पद स्वीकृत है? इन्दौर में कितने पदस्थ है (फील्ड/ऑफिस अटैच) सूची देवें? नियमित अधीक्षण यंत्री होते हुए कितने कार्यपालन यंत्री को अधीक्षण यंत्री के पद पर करंट चार्ज के रूप में पदस्थ किया है? क्यों किया है? इसके लिये कौन जवाबदार है?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) म.प्र.पूर्व क्षेत्र वि.वि.कं.लि., जबलपुर एवं म.प्र.पश्चिम क्षेत्र वि.वि.कं.लि., इन्दौर के अन्तर्गत जिन अभियन्ताओं को वरिष्ठ पदों का करंट चार्ज दिया गया है उनकी सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के क्रमश: प्रपत्र-'अ' एवं 'ब' अनुसार** है। (ख) म.प्र.पश्चिम क्षेत्र वि.वि.कं.लि., इन्दौर के अन्तर्गत सभी संकायों के अधीक्षण यंत्रियों के कुल 38 पद स्वीकृत है। इन्दौर में कुल 18 अधीक्षण यंत्री पदस्थ हैं, जिनकी सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'स' अनुसार** है। म.प्र.पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के क्षेत्रान्तर्गत 12 कार्यपालन यंत्रियों को अधीक्षण यंत्री के पद पर करंट चार्ज दिया गया है। उक्तानुसार अधीक्षण यंत्री के पद का करंट चार्ज आवश्यक अनुमोदन उपरांत प्रशासनिक आधार पर दिया गया है, अत: किसी व्यक्ति विशेष के जिम्मेदार होने का प्रश्न नहीं उठता।

क्रेशरों हेतु काली गिट्टी की खदानों में ब्लॉस्टिंग से श्रमिकों की अकाल मृत्यु

17. (क्र. 2252) श्रीमती इमरती देवी : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला ग्वालियर स्थित बिलौआ के पास उदलपाडा, रफादपुर ग्राम के नजदीक क्रेशरों का संचालन होने से प्रदूषण फैलने इन ग्रामवासियों में टी.बी. मरीजों की संख्या में वृद्धि तथा अवैध रूप से संचालित खदानों में पत्थर हेतु ब्लॉस्टिंग से आए दिन श्रमिकों की मृत्यु होने से इनकी रोकथाम के लिये गत 5 वर्षों से क्या उपाय किये गये है, विस्तृत जानकारी देवें? (ख) बिलौआ स्थित रफादपुर, ऊदलपाडा ग्रामों के नजदीक लगी क्रेशरों हेतु अवैध रूप से अथवा वैध रूप से संचालित खदानों में ब्लॉस्टिंग करने से वर्ष 2010-11 से 2014-15 में प्रश्न दिनाँक तक वर्षवार किस-किस श्रमिक की मृत्यु हुई, इनमें से किस-किस श्रमिक को क्षतिपूर्ति की राशि किस क्रेशर मालिक द्वारा दी गई तथा किस श्रमिक की मृत्यु होने से प्रकरण पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया? श्रमिक का नाम, पिता का नाम, जाति, निवासी, मृत्यु दिनाँक की विस्तृत जानकारी देवें?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

गुना जिले का पर्यटन के क्षेत्र में विकास

18. (क्र. 2288) श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या गुना जिले के गत 5 वर्षों में पर्यटन के विकास हेतु कोई बजट आवंटित कराया है या कोई कार्य योजना बनाई है यदि नहीं तो क्यों कब तक गुना जिले को बजट या कार्य योजना उपलब्ध करायेंगे? (ख) क्या गुना जिले के बजरंगगढ़ किला क्षेत्र, बीस भुजा देवी, मॉ निहाल देवी, एवं संजय सागर बांध, गोपीकृष्ण सागर बांध, भैंसाटोर बांध, मकरावदा बांध, रामपुर बांध एवं नेशनल हाईवे आदि को पर्यटन के रूप में विकसित करने की कोई कार्य योजना है? (ग) क्या प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित स्थलों के अलावा कोई भी स्थल पर्यटन के क्षेत्र गत 5 वर्षों में विकसित किया है? या करने की कोई कार्य योजना है यदि नहीं तो इसका दोषी कौन है? कब तक कार्यवाही करेंगे? (घ) गुना जिले में अभी तक यदि पर्यटन के क्षेत्र में कोई स्थल विकसित नहीं किया या कोई बजट नहीं दिया तो बतायें कि पक्षपात क्यों किया यदि आगामी वर्षों में कोई ठोस योजना हो तो कब तक पूर्ण करेंगे जानकारी दें?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार**। वर्तमान में कोई कार्य योजना नहीं है। समय बताना संभव नहीं है। (ख) 13 वें वित्त आयोग के अतंर्गत बजरंगगढ़ हनुमान मंदिर गुना विकास कार्य हेतु राशि रू 20.00 लाख स्वीकृति है। शेष हेतु वर्तमान में कोई योजना नहीं है। (ग) गुना में मार्ग सुविधा केन्द्र का निर्माण कार्य कराया गया। वर्तमान में कोई प्रस्ताव नहीं। कोई दोषी नहीं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) गुना में मार्ग सुविधा केन्द्र का निर्माण कार्य तथा बजंरगगढ़ हनुमान मंदिर गुना में विकास कार्य हेतु बजट दिया गया है। पक्षपात का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। आगामी वर्षों में योजना नहीं है। अत: पूर्ण करने का समय बताना संभव नहीं।

देवरिया तालाब निर्माण से डूब में गई भूमि का मुआवजा

19. (क्र. 2362) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में देवरिया तालाब कब निर्माण किया गया एवं किन-किन किसानों को डूब में जाने वाली भूमि का मुआवजा दिया गया एवं कौन-कौन से किसान मुआवजे से वंचित रह गए हैं? (ख) जिन किसानों की भूमि डूब में जाने का मुआवजा नहीं मिला है, उनके नाम एवं अभी तक मुआवजा नहीं मिलने का कारण बतावें? (ग) जिन अधिकारियों की लापरवाही से मुआवजा गरीब किसानों को नहीं मिला उनके विरूद्ध अभी तक कोई कार्यवाही की गई है? यदि नहीं तो क्यों, कारण बतावें? (घ) वंचित किसानों को कब तक मुआवजा राशि मिल जावेगी?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) से (घ) देवरिया लघु सिंचाई परियोजना का निर्माण मार्च 2014 में पूर्ण किया गया है। 4 कृषक क्रमश: चंदन सिंह पिता गोविंद सिंह; मोहनलाल पिता पूरा; पिन्टूसिंह पिता तेजसिंह; एवं नाहरसिंह पिता जोरावर सिंह को उनकी निजी भूमि का मुआवजा दिया गया है। जलाशय के डूब से प्रभावित 11 और नहर से प्रभावित 6 कुल 17 कृषकों की भूमि शासकीय पट्टे की होने के कारण उन्हें मुआवजा नहीं दिया गया है। इन कृषकों की सूची **संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। निजी भूमि के बदले अन्य शासकीय भूमि के पट्टे दिए जाना अनुविभागीय अधिकारी, सीतामऊ, जिला मंदसौर के पास विचाराधीन होने के कारण शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होते है।

परिशिष्ट - "चार"

स्टाम ड्यूटी की चोरी

20. (क्र. 2398) श्री राजेन्द्र फूलचन्द वर्मा : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या देवास जिले में आये दिन शिकायत प्राप्त होती रहती है कि पंजीयन कार्यालय द्वारा सिंचित भूमि को असिंचित मानकर उसकी रजिस्ट्री कर दी जाती है, जिससे शासन को करोड़ों रूपये की स्टाम्प ड्यूटी चोरी होती है? (ख) क्या मुख्त्यार पत्र में बिक्री रजिस्ट्री हो जाती है? यदि हाँ, तो किस नियम से? यदि नहीं, तो क्यों?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) रजिस्टर्ड मुख्त्यार पत्र के आधार पर मुख्त्यारग्रहिता बिक्री रजिस्ट्री करवा सकता है। भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 188 एवं मुख्त्यारनामआम अधिनियम, 1882 के तहत मुख्त्यारग्रहिता मालिक की ओर से उक्त कार्य कर सकता है।

जनप्रतिनिधियों को सार्वजनिक कार्यक्रमों में आमंत्रित किए जाने के मापदण्ड

21. (क्र. 2415) डॉ. मोहन यादव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधायकों और सांसदों को शासकीय आयोजनों में आमंत्रित किये जाने हेतु शासन के क्या नियम एवं मापदण्ड हैं? जानकारी उपलब्ध करावें? (ख) उज्जैन संभाग में शासकीय आयोजनों में आमंत्रण न मिलने की किस-किस जनप्रतिनिधियों ने वर्ष जनवरी 2012 से प्रश्न दिनाँक तक कहाँ-कहाँ पर शिकायत दर्ज कराई एवं उस पर किस सक्षम अधिकारी द्वारा क्या कार्यवाही की गई, मय दस्तावेज के जानकारी प्रदान करें? (ग) गत 26 जनवरी को लेकर उज्जैन संभाग में कौन-कौन से शासकीय कार्यक्रम आयोजित किये गये एवं उक्त कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया था अथवा नहीं? (घ) क्या आचार संहित केवल ग्रामीण क्षेत्रों में लागू थी, तो शहरी क्षेत्रों में जनप्रतिनिधियों को ध्वजारोहण करने से एवं ध्वजारोहण के कार्यक्रमों में आतिथ्य नहीं करने दिया गया? इसके क्या कारण थे? इस संबंध में क्या-क्या शिकायतें प्राप्त हुई, दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) उज्जैन सम्भाग के अन्तर्गत उज्जैन जिले में शासकीय आयोजनों में आमंत्रण न मिलने पर जनप्रतिनिधियों की वर्ष 2012 से प्रश्न दिनाँक तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। (ग) गत 26 जनवरी को उज्जैन जिले में दशहरा मैदान में परेड, सांस्कृतिक कार्यक्रम, झांकियां, पीटी एवं मलखम्म आयोजन किया गया था जिसमें नियमानुसार जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया था। (घ) जी हाँ। शहरी क्षेत्रों में जनप्रतिनिधियों को शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार आमंत्रित किया गया था। इस संबंध में कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

बंधक विलेखों का सूची क्र. 2 में प्रविष्टी नहीं होना

22. (क्र. 2418) डॉ. मोहन यादव : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन जिले में प्राप्त होने वाले रजिस्ट्रीयों एवं बैंकों से प्राप्त होने वाले बंधक विलेखों (प्रारूप 05) की प्रविष्टी सूची क्र. 02 में किये जाने के संबंध में पंजीयन अधिनियम में क्या प्रावधान है? (ख) वर्तमान में उज्जैन संभाग के उप पंजीयक कार्यालयों में उपरोक्त प्रविष्टी किस दिनाँक तक की कर दी गई है उप पंजीयक कार्यालयवार जानकारी प्रस्तुत करें? (ग) क्या प्रश्नांश (ख) से संदर्भित

कार्यालयों में सूची क्र. 02 कटे फटे एवं छिन्न भिन्न स्थिति होकर अपठ्नीय होने के कारण एवं अध्यतन प्रविष्टियां नहीं होने से अभिभाषक द्वारा सर्च करने पर सही स्थिति प्राप्त नहीं होती है जिससे फर्जी रजिस्ट्रीयां एवं डबल फाईनेन्स के प्रकरण हो रहे है? उक्त प्रविष्टी अद्यतन नहीं होने के लिये कौन दोषी है दोषी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई यदि नहीं तो क्यों?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 54 तथा 55 में उक्त विषयक प्रावधान हैं, जो **संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार** है। (ख) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार** है। (ग) सूची क्रमांक-2 कुछ स्थानों पर कटे-फटे एवं छिन्न-भिन्न स्थिति में हैं, किंतु रजिस्ट्रियां अपठनीय नहीं हैं। फर्जी रजिस्ट्री एवं डबल फाईनेंस संबंधी कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है। उज्जैन जिले में "ई-पंजीयन" के पायलट कार्य के कारण सूचीकरण कार्य में कुछ विलंब हुआ है, जिसे पूर्ण किया जा रहा है। इसके लिये कोई दोषी नहीं है।

परिशिष्ट - "पांच"

बैराज एवं तालाबों का निर्माण

23. (क्र. 2468) श्री मुकेश पण्ड्या : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन जिले की बड़नगर विधानसभा क्षेत्र में जल संसाधन विभाग द्वारा 2012 से प्रश्न दिनाँक तक कितने बैराज एवं कितने तालाब निर्माण किये गये उनकी प्रशासकीय स्वीकृति कितनी थी? एवं कितनी राशि व्यय की गई? उक्त कार्य किन-किन एजेन्सियों द्वारा किया गया है? (ख) बैराज एवं तालाब निर्माण में जल संसाधन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कब-कब गुणवत्ता की जांच की गई? क्या कमियां पाई गई? पानी रिसाव के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा क्या कार्यवाही की गई? (ग) वर्तमान में उक्त बैराजों एवं तालाबों में से उक्त अवधि में किन-किन बैराजों एवं तालाबों से पानी का रिसाव हो रहा है? क्या चामलेश्वर बैराज एवं दोतरड़ी बैराज एवं तालाब से बड़ी मात्रा में पानी का रिसाव हो रहा है? (घ) पानी रिसाव से शासन को जो आर्थिक क्षति हुई है, इस प्रकार के गुणवत्ताहीन कार्य के लिये उत्तरदायी निर्माण एजेन्सी एवं अधिकारियों/कर्मचारियों पर शासन क्या कार्यवाही करेगा?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

परीक्षा/गोपनीय विभागों में स्थानांतरण एवं फार्म फारवर्ड करने के शुल्क की वसूली

24. (क्र. 2482) श्री सतीश मालवीय : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक 1811/1921/2013/38-3 भोपाल दिनाँक 20.08.2013 के परिपालन में विश्वविद्यालयों द्वारा अपने परीक्षा एवं गोपनीय विभाग में अधिकारियों/कर्मचारियों का स्थानांतरण किया है? यदि हाँ, तो कितने कर्मचारी 3 वर्षों से अधिक होने के बाद भी इन्हीं विभागों में पदस्थ हैं? सूची उपलब्ध करावें? (ख) उक्त आदेश के तहत विक्रम विश्वविद्यालय में परीक्षा एवं गोपनीय विभाग में अधिकारियों/कर्मचारियों का स्थानांतरण किया है? यदि हाँ, तो कितने कर्मचारी 3 वर्षों से अधिक होने के बाद भी इन्हीं विभागों में पदस्थ हैं? सूची उपलब्ध करावें? (ग) छात्रों के हित में आवेदन पत्र यथा परीक्षा, नामांकन आदि एम.पी. ऑनलाईन के माध्यम से कंप्यूटरीकृत किया गया है, जिसमें छात्र से फीस वसूली जाती है? इसके अतिरिक्त विक्रम विश्वविद्यालय एवं कॉलेज में भी

फार्म फारवर्ड करने के 150/- लिये जाते हैं? क्या फार्म फारवर्ड करने का यह शुल्क वैधानिक है? यदि नहीं, तो यह शुल्क क्यों लिया जा रहा है?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग) जी हाँ। जी नहीं। विश्वविद्यालय के अध्यादेश के प्रावधानानुसार फॉरवार्डिंग शुल्क रूपये 50/- लिया जाता है। शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

सुसनेर क्षेत्रान्तर्गत स्थित धार्मिक स्थलों का सौन्दर्यीकरण/ जीर्णोद्वार

25. (क्र. 2515) श्री मुरलीधर पाटीदार : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सुसनेर क्षेत्रान्तर्गत कुल कितने धार्मिक स्थल शासन द्वारा पंजीकृत हैं? इनमें से कितने ऐतिहासिक महत्व के अतिप्राचीन धार्मिक स्थल है? कृपया सूची उपलब्ध करावें? (ख) क्षेत्रान्तर्गत स्थापित धार्मिक स्थलों में से कौन-कौन से स्थल पर्यटन विभाग में सम्मिलित है? विभाग द्वारा विगत 2 वर्षों में इन धार्मिक स्थलों में क्या-क्या कार्य कराये गये है? (ग) धार्मिक स्थलों के पर्यटन विभाग में शामिल किए जाने के मापदण्ड एवं प्रक्रिया क्या है? विगत 01 वर्ष में क्षेत्रान्तर्गत स्थित धार्मिक स्थलों में से किन-किन के सौन्दर्यीकरण / जीर्णोद्धार के प्रस्ताव या मांग प्राप्त हुई है एवं उस पर क्या कार्यवाही की गई है? (घ) क्षेत्रान्तर्गत मां बगुलामुखी नलखेड़ा, ढोलाखेडी बालाजी, पंचदेहरिया महादेव मंदिर एवं ताखला में स्थित मंदिरों के सौन्दर्यीकरण संबंधी कोई मांग या प्रस्ताव प्राप्त हुआ है? यदि हाँ, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई या की जा रही है?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

क्षेत्रान्तर्गत अटल ज्योति योजना का क्रियान्वयन

26. (क्र. 2516) श्री मुरलीधर पाटीदार : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सुसनेर विधानसभा अन्तर्गत अटल ज्योति योजना के तहत फीडर सेपरेशन का कार्य कितने ग्रामों में किया जाना है? कृपया सूची उपलब्ध करावे? इन ग्रामों में से कितने फीडर सेपरेशन का कार्य पूर्ण हो चुका है एवं किनमें होना शेष है? (ख) क्या अटल ज्योति योजनान्तर्गत प्रत्येक ग्राम में ट्रान्सफार्मर लगाये जाने है? यदि हाँ, तो सुसनेर क्षेत्रान्तर्गत प्रत्येक ग्रामों में ट्रान्सफार्मर क्यों नहीं लगाए गए? यदि प्रक्रियाधीन हैं तो कार्य कब तक पूर्ण होगा? (ग) क्या सुसनेर क्षेत्रान्तर्गत में नवीन डिवीजनल कार्यालय प्रस्तावित है? यदि हाँ तो कार्यवाही किस स्तर पर प्रचलित हैं एवं नवीन डिवीजनल कार्यालय कब तक स्थापित होगा? (घ) सुसनेर क्षेत्रान्तर्गत कहाँ-कहाँ नवीन ग्रिड बनाये जाना प्रस्तावित है? विवरण देवें? प्रस्तावित ग्रिड कब तक बनकर पूर्ण हो जावेंगे?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) अटल ज्योति योजना नहीं वरन् एक अभियान था, जिसमें कोई कार्य किया जाना प्रावधानित नहीं था, अपितु इस अभियान का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू उपयोग हेतु 24 घण्टे विद्युत प्रदाय उपलब्ध कराया जाना था। प्रदेश में कृषि एवं गैर कृषि फीडरों को पृथक किये जाने का कार्य फीडर विभक्तिकरण योजना के अन्तर्गत किया जा रहा है जिसके तहत् सुसनेर विधानसभा क्षेत्र के 204 ग्रामों हेतु फीडर विभक्तिकरण का कार्य किया जाना प्रस्तावित था। उक्त प्रस्तावित कार्य में से 106 ग्रामों के 11 के.व्ही. फीडरों के विभक्तिकरण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा 98 ग्रामों के 11 के.व्ही. फीडरों के विभक्तिकरण का कार्य शेष है। साथ ही उक्त प्रस्तावित कार्य में से 71 ग्रामों में केबलीकरण एवं मीटरीकरण का कार्य भी पूर्ण किया जा चुका है

एवं 133 ग्रामों में केबलीकरण एवं मीटरीकरण का कार्य शेष है। उक्तानुसार प्रस्तावित, पूर्ण किये गये एवं शेष कार्यों की ग्रामवार सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार** है। (ख) जी नहीं, उत्तरांश 'क' में दर्शाए अनुसार अटल ज्योति योजना में कोई कार्य किया जाना प्रावधानित नहीं था, अपितु फीडर विभक्तिकरण योजना में ग्रामों में वितरण ट्रांसफार्मर स्थापित किये जाना थे। ट्रांसफार्मर लगाने का उक्त कार्य क्रमश: किया जा रहा है तथा शेष कार्य प्रक्रियाधीन है जिसे प्रश्नाधीन फीडर विभक्तिकरण के शेष कार्य के साथ पूर्ण करने की संभावित तिथि **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-'अ' अनुसार** है। (ग) जी नहीं, अत: प्रश्न नहीं उठता। (घ) सुसनेर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत जिन स्थानों पर नवीन 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र बनाना प्रस्तावित है उनके पूर्ण होने की संभावित तिथि सहित विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब' में दर्शाए अनुसार** है।

साहित्य व कला क्षेत्र के लोगों को आर्थिक सहायता

27. (क्र. 2523) श्री जितेन्द्र गेहलोत : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन संभाग में कला साहित्य जगत में योगदान करने वाले किन-किन साहित्यकारों व कलाकारों को मासिक आर्थिक सहायता वर्ष 2012 से दिसम्बर 2014 तक प्रदान की गई? जिलेवार, राशिवार ब्यौरा क्या है? (ख) संस्कृति विभाग द्वारा कलाकारों, साहित्यकारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के मापदण्ड क्या है? (ग) क्या कला व साहित्य जगत में बड़ा योगदान देने वालों के लिए निर्धारित वर्तमान राशि शासन पर्याप्त मानता है? यदि वर्तमान समय में नहीं तो इन हस्तियों की सहायता राशि बढ़ाने पर शासन विचार करेगा?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) **"जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-क के 1 से 15 अनुसार** है. (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ख के 1 से 5** अनुसार है. (ग) वर्तमान में साहित्यकारों/कलाकारों को न्यूनतम राशि रूपये 1200/- एवं अधिकतम राशि रूपये 1500/- प्रतिमाह के मान से प्रदाय की जा रही है. पर्याप्त मानने या न मानने का प्रश्न हमेशा विभिन्न व्याख्याओं पर निर्भर करता है।

औद्योगिक प्रयोजनार्थ उपयोग हो रहे जल की जलकर वसूली

28. (क्र. 2524) श्री जितेन्द्र गेहलोत : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश की कितनी एवं कौन-कौन सी नदियों, तालाबों का जल औद्योगिक प्रयोजनार्थ उपयोग हेतु किन-किन उद्योगों को शासन ने अनुमति दी है? (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित किन-किन उद्योगों से जलकर राशि वसूल की जा रही है, किस दर पर? वर्ष 2013-14 का वसूली ब्यौरा क्या है? (ग) किन-किन उद्योगों से अब तक जलकर वसूला नहीं जाता है, किस कारण? क्या उक्त उद्योगों पर सिंचाई अधिनियम लागू नहीं है? (घ) क्या करोड़ों रूपये कमाने वाले ग्रेसिम उद्योग को चंबल नदी पर पांच डेम बनाकर भारी मात्रा में जल उपयोग को कर मुक्त किया गया है? यदि हाँ तो किन प्रावधानुरूप? व किस मापदण्ड अनुसार?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के संबंध में

29. (क्र. 2550) कुमारी निर्मला भूरिया : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना अंतर्गत झाबुआ जिले में विद्युतीकरण के संबंध में कौन-कौन से

कार्य किये जा रहे हैं? (ख) ग्रामीण क्षेत्रों में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजनांतर्गत कौन-कौन से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, प्राप्त प्रस्तावों पर क्या कार्यवाही की गई? (ग) विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा प्राप्त प्रस्तावों की स्वीकृति कब तक जारी कर कार्य पूर्ण करावेगी? (घ) जिले में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजनांतर्गत कहाँ-कहाँ नवीन डी.पी. लगाए जाने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं? प्राप्त प्रस्तावों पर क्या कार्यवाही की गई? नवीन डी.पी. कब तक लगा दी जावेगी?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) झाबुआ जिले में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य संपादित किये जा रहे है :- (अ) 11 के.व्ही.लाईन का निर्माण कार्य। (ब) विद्युत वितरण ट्रांसफार्मर स्थापित करना। (स) निम्न दाब लाईनों का निर्माण कार्य। (द) सभी श्रेणी के बी.पी.एल. हितग्राहियों को नि:शुल्क विद्युत कनेक्शन प्रदान करना। (ख) झाबुआ जिले में फलियों के विद्युतीकरण हेतु प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत अविद्युतीकृत फलियों/मजरों/टोलों के विद्युतीकरण का कार्य, योजना के प्रावधानों के अनुरूप सम्मिलित कर, योजना ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली को स्वीकृति हेतु प्रेषित की गई थी तथा ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से योजना की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। (ग) झाबुआ जिले में बारहवीं पंचवर्षीय योजना में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की स्वीकृति ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से दिनाँक 03.03.2014 को प्राप्त हो चुकी है। निविदा प्रक्रिया के माध्यम से टर्न-की आधार पर कार्य करने हेतु कार्यादेश जारी किया जा चुका है। टर्न-की ठेकेदार द्वारा सर्वे कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। कार्यादेश के तहत् ठेकेदार द्वारा उक्त कार्य अनुबंध की दिनाँक 28 फरवरी 2015 से 24 माह अर्थात 27 फरवरी 2017 तक पूर्ण किया जाना है। (घ) झाबुआ जिले मे बारहवीं पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत टर्न-की ठेकेदार को दिये गये कार्यादेश के प्रावधानों के अनुसार 1139 विद्युत वितरण ट्रांसफार्मर लगाये जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में सर्वे का कार्य प्रगति पर है। सर्वे कार्य पूर्ण होने के उपरांत ही विद्युत वितरण ट्रांसफार्मर की लोकेशन अंतिम रूप से बताया जाना संभव होगा। टर्न-की ठेकेदार द्वारा उक्त समस्त कार्य दिनाँक 27 फरवरी 2017 तक पूर्ण किया जाना है।

वाहनों का अटैचमेंट

30. (क्र. 2642) श्री विजय सिंह सोलंकी : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खरगौन जिले में आबकारी विभागांतर्गत वर्ष, 2000 से 2015 तक अटैच वाहनों की सूची उनके रजिस्ट्रेशन नंबर सहित देवें? अटैच वाहन किस अधिकारी के अधीनस्थ रहे, सूची देवें? (ख) वर्ष, 2000 से 2015 तक खरगौन जिले में आबकारी विभाग में निरीक्षक पद एवं इससे वरिष्ठ पदों पर कौन-कौन अधिकारी की पोस्टिंग कब से कब तक रही, सूची देवें? यह सभी अधिकारी वर्तमान में कहाँ पदस्थ हैं, यह भी बतावें? (ग) खरगौन जिले में आबकारी विभाग में पदस्थ कर्मचारियों/ अधिकारियों की सूची उनकी ज्वाईनिंग दिनाँक सहित बतावें? यह भी बतावें कि कर्मचारी/अधिकारी अधिकतम कितने समय एक स्थान पर रह सकता है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

विद्युत बिलों का भुगतान

31. (क्र. 2755) श्री शान्तिलाल बिलवाल : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) झाबुआ जिले के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत बिलों का वितरण किस माध्यम से किया जाता है

एवं ग्रामीण जनों को विद्युत बिलों को जमा कराने हेतु विभाग द्वारा क्या सुविधा दी जाती है? (ख) यदि विद्युत बिलों का समय पर वितरण किया जाता है, तो एक ग्रामीण द्वारा बिल का भुगतान नहीं किया जाता है, तो पूरे ग्राम/फलिये की विद्युत काटे जाने का कोई प्रावधान है? यदि हाँ, तो शासनादेश की प्रति उपलब्ध करावें? (ग) यदि नहीं, तो झाबुआ जिले के ग्रामीणों के साथ ऐसा क्यों किया जाता है? (घ) यदि किया जाता है, तो उक्त अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) झाबुआ जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत बिलों का वितरण म.प्र.पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के लाईन कर्मचारियों एवं आउट सोर्सिंग के माध्यम से नियोजित कर्मचारियों के द्वारा किया जाता है। विद्युत देयकों का भुगतान कंपनी के वितरण केन्द्र कार्यालय, पोस्ट ऑफिस एवं मेसर्स एन.आई.सी.टी. के कलेक्शन काउण्टरों पर करने की सुविधा के साथ-साथ कंपनी की वेबसाईट के माध्यम से ऑनलाईन भुगतान करने की सुविधा भी उपभोक्ताओं को प्रदान की गई है। (ख) जी नहीं। (ग) झाबुआ जिले में एक ग्रामीण उपभोक्ता द्वारा बिल भुगतान नहीं करने पर पूरे ग्राम/फलिये का विद्युत प्रदाय बंद नहीं किया गया है। (घ) उत्तरांश 'ग' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता।

नवीन महाविद्यालय की स्वीकृति

32. (क्र. 2792) श्री कमलेश शाह : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासन द्वारा नवीन महाविद्यालय प्रारंभ करने के क्या मापदंड है? पूर्ण विवरण देवें? (ख) क्या अमरवाड़ा वि.स. क्षेत्र में सिंगोड़ी व सुरलाखापा में नवीन महाविद्यालय स्वीकृत करने का कोई प्रस्ताव शासन के पास विचाराधीन है? (ग) यदि नहीं तो कब तक इस पर योजना बनाकर प्रश्नांश (ख) अनुसार नवीन महाविद्यालय प्रारंभ किए जाएंगे?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) शासन द्वारा नवीन महाविद्यालय प्रारंभ करने के मापदंड नहीं हैं। (ख) जी नहीं। (ग) वर्तमान में शासन द्वारा पूर्व से संचालित महाविद्यालयों में गुणवत्ता विकास एवं सुदृढ़ीकरण किये जाने का कार्य किया जा रहा है अतः अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में सिंगोंडी व सुरलाखापा में नवीन महाविद्यालय खोले जाने में कठिनाई है।

विद्युत कंपनियों द्वारा विद्युत दरों के बढ़ाने के प्रस्ताव से उत्पन्न स्थिति

33. (क्र. 2832) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश की पूर्व क्षेत्र, मध्य क्षेत्र एवं पश्चिम क्षेत्र विघुत वितरण कंपनी लिमि. लगातार घाटे में चल रही है? यदि हाँ, तो कौन-कौन सी कंपनियाँ कितने घाटे में किन-किन कारणों से चल रही है? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित कंपनियों का प्रदेश के किस-किस उद्योगों एवं निगम मण्डलों पर पांच लाख रूपये से अधिक बकाया राशि वसूली हेतु जनवरी, 2015 माह की स्थिति में शेष है? कारण सहित बताएं? (ग) क्या उक्त विद्युत कंपनियों के द्वारा विद्युत दरों में वृद्धि किये जाने के प्रस्ताव म.प्र.विद्युत नियामक आयोग को दिये है? यदि हाँ, तो किन-किन कारणों से विद्युत की दरें बढ़ाये जाने के प्रस्ताव कंपनी के द्वारा दिये गये है तथा वर्ष 2004 से प्रश्न दिनाँक तक विद्युत की दरें कब-कब, कितनी-कितनी बढ़ाई गई विवरण दें? (घ) क्या विद्युत वितरण कंपनियों के कुप्रबंधन एवं उद्योगपतियों से बकाया राशि की वसूली नहीं किये जाने का भार, पूर्व से महंगाई की मार झेल रहे विद्युत उपभोक्ताओं पर अनावश्यक थोंपा जा रहा है? (ड.) क्या उक्त कंपनियां विद्युत की दरें बढ़ाने

के प्रस्ताव की बजाय उद्योगपतियों पर बकाया विद्युत देयकों की वसूली एवं कुप्रबंधन में सुधार लाकर घाटे की भरपाई करेगी? यदि नहीं तो क्यों? यदि हाँ, तो कब बतायें?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जी हाँ। कंपनीवार वर्षवार राजस्व घाटे की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार** है। घाटे में रहने के मुख्य कारण विद्युत वितरण में होने वाली तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियाँ है। (ख) पूर्व क्षेत्र, मध्य क्षेत्र एवं पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनियों में उद्योगों एवं निगम मंडलों पर जनवरी 2015 की स्थिति में 5 लाख रूपये से अधिक वसूली हेतु बकाया राशि वाले विद्युत कनेक्शनों की कारणवार सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब-1, ब-2, ब-3' अनुसार** है। (ग) जी हाँ। वर्तमान विद्युत की दरों में वृद्धि के प्रस्ताव का प्रमुख कारण सकल राजस्व आवश्यकताओं एवं प्राप्त राजस्व के अंतर की भरपाई करना है। वाणिज्यिक एवं तकनीकी दक्षता बढ़ाने के सभी संभव प्रयासों के बावजूद भी वितरण कंपनियाँ विद्यमान विद्युत दरों से प्राप्त हो रहे राजस्व से लागत की भरपाई नहीं कर पा रही है। साथ ही विद्युत उत्पादक कंपनियों द्वारा प्रदाय की जा रही विद्युत की दरों में समय-समय पर हो रही बढ़ोतरी की भरपाई करने हेतु दरों में वृद्धि प्रस्तावित की गई है। विद्युत वितरण कंपनियों के स्थापना वर्ष 2006 से प्रश्न दिनाँक तक विद्युत की दरों में की गई वृद्धि का विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'स' अनुसार** है। (घ) जी नहीं। अपितु बिजली की दरें वित्तीय वर्ष में होने वाले संभावित व्यय तथा विद्यमान दरों पर 100 प्रतिशत संग्रहण दक्षता को मानते हुये आय की गणना कर संभावित राजस्व के अंतर की राशि को निकाल कर दरों का पुनरीक्षण म.प्र.विद्युत नियामक आयोग द्वारा किया जाता है। अत: बकाया राशि वसूली का विद्युत दरों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। (ड.) उत्तरांश (घ) के परिप्रेक्ष्य में विद्युत दर परिवर्तन का बकाया राशि की वसूली से संबंध नहीं है। तथापि वाणिज्यिक एवं तकनीकी दक्षता बढ़ाने एवं बकाया राशि वसूली हेतु हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं।

<u>नियमों का राजपत्र में प्रकाशन</u>

34. (क्र. 2833) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश राजपत्र में व्यवसायिक परीक्षा मंडल के संबंध में दिनाँक 4 अक्टूबर 2013 को क्या-क्या नियम प्रकाशित कर कौन-कौन से अधिकार व्यापमं को प्रदान किए गए हैं? (ख) 4 अक्टूबर 2013 को राजपत्र में प्रकाशित नियमों के पूर्व व्यापम द्वारा किस नियम के तहत शासकीय नौकरियों में भर्ती की परीक्षा का आयोजन किया जा रहा था, किस नियम के तहत परीक्षा शुल्क का निर्धारण कर वसूली की जा रही थी? (ग) राजपत्र में दिनाँक 4 अक्टूबर 2013 को व्यापमं को परीक्षा शुल्क की वसूली, नौकरी की भर्ती परीक्षा का अधिकार दिए जाने का नियम प्रकाशित करने का क्या कारण रहा हैं? (घ) 4 अक्टूबर 2013 को राजपत्र में प्रकाशित नियम के पूर्व व्यापम में किस परीक्षा का आयोजन किया, तथा किस दर से, कितना परीक्षा शुल्क वसूल किया? वर्ष 2010 से 2013 तक की जानकारी दें।

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही हैं।

<u>स्टाप डैम निर्माण में हुई अनियमितताओं की जांच</u>

35. (क्र. 2891) श्री महेन्द्र सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गुनौर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बुन्देलखण्ड पैकेज के तहत व अन्य मदों से स्टाप डैमों का निर्माण कार्य स्वीकृत किया गया है स्थानवार, राशिवार बतावें? (ख) स्टाप डैमों में कितना कार्य टेंडर

व विभाग द्वारा कराया गया या राशि व स्थानवार जानकारी दें? (ग) उक्त बांधों से रबी फसलों की वर्ष 2013 एवं 2014 में कितनी सिंचाई की गई, बांधवार जानकारी व सिंचित रकबावार कितने हैक्टेयर की सिंचाई की गई है? (घ) क्या यह सही नहीं है जो स्टाप डैम बनाये गये है या बनाये जा रहे है उनका मौके पर घटिया व अधूरा निर्माण कार्य है साथ ही अधिकतर डैमों में गेट भी नहीं लगाये गये है? ऐसे अनियमितता करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध जांच मौके पर संयुक्त दल से निरीक्षण कराकर दोषी के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) से (घ) प्रश्नाधीन विधानसभा क्षेत्र में विगत 3 वर्षों में स्टापडेम की स्वीकृति नहीं दी गई है। अत: शेष प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होते है।

<u>नहरों का निर्माण व रखरखाव</u>

36. (क्र. 2947) श्रीमती प्रतिभा सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रा.अ. बाई लोधी सागर परि. बॉयी तट नहर सम्भाग क्र.2 बरगी हिल्स के अंतर्गत आने वाली मुख्य नहर, माइनर एवं डिस्ट्रीब्यूटरी नहरों के निर्माण, रखरखाव, सफाई एवं लाइनिंग रिपेयर कार्यों हेतु वर्ष 2012-13 से अब तक कितनी एवं कितनी-कितनी राशि का निविदाएं, पीस वर्क एवं सप्लाई आर्डर जारी किये गये? (ख) उक्त रिपेयरिंग/निर्माण कार्यादेशों से नहरवार क्या-क्या कार्य कराये गये? कराये गये कार्यों का आयटमवार मात्रावार विवरण दें? कार्यों का मापन, मूल्याकंन एवं सत्यापन किन-किन अधि./कर्म. द्वारा किया गया? (ग) उपरोक्त अवधि नहरों में झाड-झंकार उगने एवं सिल्ड जमा होने के कारण नहर टूटने की कितनी घटनाएं हुयी?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1, 2, 3 अनुसार** है। (ख) उत्तरांश "क" के अंतर्गत रिपेयरिंग/निर्माण कार्यादेशों से नहरवार एवं आयटमवार तथा मात्रावार विवरण के साथ कार्यों के मापन, मूल्याकंन एवं सत्यापन की पदवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4, 5 एवं 6 अनुसार** है। (ग) उपरोक्त अवधि में वर्ष 2014-15 में बांयी तट मुख्य नहर की आर.डी. 36.160 कि.मी. एवं आर.डी. 5.14 कि.मी. पर नहर ब्रीच होने की दो घटनाएं घटित हुई है। उक्त स्थानों पर त्वरित कार्यवाही करते हुये सुरक्षित सुधार करा दिया गया है।

<u>नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की बरगी से बरगी नगर सड़क निर्माण बावत्</u>

37. (क्र. 2948) श्रीमती प्रतिभा सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नर्मदा घाटी विकास प्राधि. के स्वामित्व की रा.रा. मार्ग-7, बरगी से रानी अवंती बाई सागर परि. बांध तक जाने वाली सड़क निर्माण की स्वीकृति विभाग द्वारा कब प्रदान की गयी? (ख) उपरोक्त सड़क का निर्माण अब तक प्रारंभ क्यों नहीं हो सका? उक्त सड़क निर्माण कब तक पूर्ण होगा?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) रानी अंवती बाई सागर परियोजना बांध तक जाने वाली सड़क निर्माण की स्वीकृति दिनाँक 30/08/2013 को प्रदान की गई है। (ख) उपरोक्त सड़क के नवीनीकरण हेतु पूर्व में पांच बार निविदा का आमंत्रण किया जा चुका है। प्रत्येक बार निविदा उचित रूप से प्राप्त न होने के कारण निरस्त की गई। पुन: छठवीं बार निविदा मुख्य अभियंता रानी अवंती बाई लोधी सागर परियोजना द्वारा दिनाँक 27/02/2015 को आमंत्रित की गई है। कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने के कारण समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़े वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदाय

38. (क्र. 2973) श्री प्रहलाद भारती : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पोहरी के द्वारा वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 सत्र में कितने-कितने व किस-किस ट्रेड के अनुसूचित जाति-जनजाति एवं अन्य पिछड़ावर्ग के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदाय किये जाने हेतु कब-कब प्रस्ताव आदिम जाति कल्याण विभाग को प्रेषित किये गये? वर्षवार, छात्र-छात्राओं के नाम सहित जानकारी उपलब्ध करावें यदि नहीं तो कारण स्पष्ट करें? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार क्या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पोहरी द्वारा छात्रवृत्ति हेतु प्रस्ताव नहीं भेजे जाने के कारण प्रशिक्षण पूर्ण कर चुके छात्र-छात्राएं छात्रवृत्ति से वंचित रहे? यदि हाँ, तो इसके क्या कारण है व इसके लिये कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी है व उन पर क्या कार्यवाही की जावेगी? क्या उक्त छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति का लाभ दिया जावेगा? (ग) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में वर्तमान सत्र में प्रशिक्षणरत छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति दिलाये जाने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है? यदि हाँ, तो उन्हें छात्रवृत्ति का लाभ कब तक दे दिया जावेगा?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

कम्प्यूटर टायपिंग दक्षता प्रमाण पत्र परीक्षा का आयोजन

39. (क्र. 3028) श्री रामकिशन पटेल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा प्रमाण पत्र के स्थान पर अब मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल से 30 शब्द प्रतिमिनिट की गति से कम्प्यूटर टायपिंग दक्षता प्रमाण पत्र अनिवार्य हेतु शासन के निर्देश हैं? यदि हाँ तो म.प्र. शासन द्वारा जारी ज्ञापन क्र. सी 3-8/2013/1/3, दिनाँक 01 जुलाई 2013 का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है? उक्त परीक्षा कब तक आयोजित की जावेगी? निश्चित समय-सीमा बताएं? (ख) क्या अप्रैल 2013 के बाद हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा व कम्प्यूटर टायपिंग दक्षता न होने के कारण अनेक परीक्षार्थी सहायक ग्रेड-3, स्टेनो टायपिस्ट, तथा स्टेनोग्राफर के पदों की परीक्षा देने से वंचित रह गये हैं? क्या मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल को कम्प्यूटर टायपिंग दक्षता प्रमाण पत्र की परीक्षा आयोजित करने हेतु अधिकृत किया गया है? एवं प्रत्येक 6 माह में परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया गया है? यदि हाँ, तो परीक्षा क्यों आयोजित नहीं की जा रही?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) एवं (ख) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनाँक 01.07.2013 द्वारा हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा की अनिवार्यता को समाप्त करते हुए व्यावसायिक परीक्षा मण्डल से 30 शब्द प्रतिमिनिट की गति से कम्प्यूटर टायपिंग दक्षता प्रमाण-पत्र को अनिवार्य किया गया था। उक्त प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में समय लगने के कारण दिनाँक 31.12.2014 तक पूर्व निर्धारित टायपिंग योग्यता को भी मान्य रखा गया था। उक्त कम्प्यूटर टायपिंग दक्षता परीक्षा व्यापमं द्वारा आयोजित न करने के कारण व्यापमं को इस कार्य से मुक्त करते हुए उसके स्थान पर परिपत्र दिनाँक 26.02.2015 द्वारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (CPCT) प्रमाण-पत्र को मान्य किये जाने के प्रावधान किया गया है। उक्त मैप-आई.टी. द्वारा प्रत्येक 06 माह में परीक्षा आयोजन हेतु विस्तृत निर्देश परिपत्र दिनाँक 20.10.2014 द्वारा जारी किये गये है जिसकी प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर** है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

इंदौर जिले में ऊर्जा विभाग द्वारा कार्यों को ठेके पर दिया जाना

40. (क्र. 3049) श्री राजेश सोनकर : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विद्युत विभाग द्वारा सामग्री क्रय के नियम क्या है मापदंड बतावें? (ख) क्या इन्दौर जिले में विद्युत वितरण कंपनी द्वारा फीडर सेपरेशन योजना के अंतर्गत मीटर लगाने एवं लाईने बदलने इत्यादि कार्यों हेतु ठेके दिये गये हैं? यदि हाँ तो किन-किन संस्थाओं को उक्त योजना में कब-कब ठेके दिये गये जानकारी देवें? (ग) इन्दौर जिले में फीडर सेपरेश्न योजना के अन्तर्गत कितने 11 के.व्ही. फीडर का कार्य पूर्ण किया गया है एवं इस योजनान्तर्गत कितने किलोमीटर 11 के.व्ही. लाईन का निर्माण किया गया, कितने वितरण ट्रांसफार्मर लगाये गये एवं कितने घरेलू विद्युत मीटर लगाये गये हैं। कार्यादेश से लेकर जनवरी 2015 तक कितना व्यय किया गया है। (घ) क्या प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित योजना के निर्माण कार्यों में लापरवाही बरतने के प्रकरण इन्दौर जिले में प्राप्त हुए हैं? यदि हाँ तो जानकारी देवें एवं दिनाँक 31.01.2015 तक उन प्रकरणों में क्या कार्यवाही की गई? नहीं तो क्यों नहीं?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) म.प्र.पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इन्दौर के अन्तर्गत कंपनी द्वारा सामग्री क्रय करने के नियम एवं मापदण्डों की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) जी हाँ, इन्दौर जिले में म.प्र.पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड द्वारा फीडर सेपरेशन योजना के अन्तर्गत जिन ठेकेदार एजेंसियों को ठेके दिये गये हैं, उनके नाम एवं ठेके दिये जाने की तिथि की जानकारी निम्नानुसार है :- (1) मेसर्स हिथ्रो पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, गुडगांव दिनाँक 30.11.2010 को। (2) मेसर्स सी.सी.पी.एल. ए.एम.आर.एल. (जेव्ही) हैदराबाद, दिनाँक 31.11.2010 को। (ग) इन्दौर जिले में फीडर सेपरेशन योजना के अन्तर्गत कुल 150 फीडरों का कार्य पूर्ण किया गया है तथा योजनान्तर्गत 573 किलोमीटर 11 के.व्ही. लाईन का निर्माण किया गया है, 798 वितरण ट्रांसफार्मर लगाये गये हैं तथा 24920 मीटर्ड घरेलू कनेक्शन दिये गये हैं। कार्यादेश से लेकर जनवरी 2015 तक उक्त कार्य पर रूपये 33.90 करोड़ की राशि व्यय की गई है। (घ) जी नहीं, अत: प्रश्न नहीं उठता।

परिशिष्ट - "छ:"

दतिया जिले की कुल नहरें माइनर

41. (क्र. 3081) श्री प्रदीप अग्रवाल : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दतिया जिले में कुल कितने किलोमीटर नहरें/माइनर/सब माइनर/केनाल हैं? इनमें से कितनी पक्की तथा कितनी कच्ची है? (ख) क्या समस्त नहरें पक्की एवं पूर्ण है या कच्ची (बीच-बीच में) एवं अपूर्ण है जिससे ग्रामवासियों के खेतों में रिसाव का पानी या नहर कच्ची होने के कारण कट जाने से जलभराव की स्थिति पैदा हो जाती है और फसलों को नुकसान होता है? (ग) यदि नहरें अधूरी हैं, कच्ची हैं तो उन्हें पूर्ण एवं पक्की करने के क्या-क्या प्रयास किये गये हैं, (घ) क्या इस प्रकार के जल भराव या रिसाव से जिन किसानों की फसलों को नुकसान होता है उन्हें शासन की ओर से मुआवजे का कोई प्रावधान है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) से (घ) नहरों एवं उप नहरों की लंबाई एवं उनके पक्के अथवा कच्चे होने संबंधी जानकारी जिलेवार अथवा विकासखण्डवार संधारित नहीं की जाती है।

दतिया जिले में नहरों से जल रिसाव से फसलों को नुकसान होने संबंधी कोई प्रकरण शासन के ध्यान में नहीं आया है। शेष प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होते है।

सिवनी जिले के संजय सरोवर की नहरों का सीमेंटीकरण

42. (क्र. 3095) श्री रजनीश हरवंश सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी जिले की संजय सरोवर परियोजना नहरों का सीमेंटीकरण कब से प्रारंभ हुआ? वर्तमान में कहाँ-कहाँ काम चल रहा है तथा कार्य कब तक समाप्त कर दिया जावेगा? अनुबंध के अनुसार समय सीमा कब तक थी? (ख) उक्त नहरों के सीमेंटीकरण पूर्व में कहाँ-कहाँ किया गया है? यदि सीमेंटीकरण नहीं किया गया तो क्यों कारण सहित स्पष्ट बतावें?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) विगत 3 वर्षों में संजय सरोवर परियोजना में नहरों की लाईनिंग का कार्य नहीं किया गया है। शेष प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होते है। (ख) वर्ष 1995 से 2000 के मध्य भीमगढ़ दांयी तट नहर प्रणाली एवं तिलवारा बांयी तट नहर प्रणाली के चुनिन्दा हिस्सों में लाईनिंग की गई है जिसका विवरण **संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र -"अ एवं ब" अनुसार** है। प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होता है।

परिशिष्ट - "सात"

शा. तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास संस्थान में कार्यरत स्टाफ

43. (क्र. 3096) श्री रजनीश हरवंश सिंह : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) केवलारी, छपारा, धनौरा के शासकीय तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास संस्थान में प्राचार्य, अध्यापकों एवं स्टाफ के कितने पद स्वीकृत हैं तथा कितने पद रिक्त हैं? (ख) रिक्त पदों की पूर्ति हेतु शासन द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की जा रही है तथा इन रिक्त पदों की पूर्ति कब तक की जाएगी?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) एवं (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। रिक्त पदों की पूर्ति हेतु समय सीमा बताई जाना संभव नहीं है।

वित्त वर्ष 2008-09 में विधायक विकास निधि से अनुशंसित कार्य

44. (क्र. 3163) श्री अजय सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या 12 नलकूप खनन/स्थापना हेतु रूपये 31.352 लाख के कार्यों की विधायक निधि से प्रश्नकर्ता द्वारा अनुशंसा उपरान्त संबंधित क्रियान्वयन विभाग कार्यपालन यंत्री महान परियोजना ई.एण्ड एम, लाइट मशीनरी ट्यूबवेल एवं गेट डिवीजन सीधी द्वारा कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया? (ख) प्रश्नांश (क) के अंतर्गत कार्य प्रारम्भ न होने की दशा में प्रश्नकर्ता द्वारा पुन: अनुशंसा पत्र क्रमांक 1786 दिनाँक 14.04.2014 एवं पत्र क्रमांक 80 दिनाँक 11.01.2014 के द्वारा आंशिक संशोधन कर संशोधित सूची प्रेषित करने के उपरांत कलेक्टर सीधी द्वारा उक्त कार्यों की स्वीकृति नहीं प्रदान की गई? (ग) निर्माण एजेन्सी कार्यपालन यंत्री महान परियोजना ई.एण्ड एम लाइट मशीनरी ट्यूबवेल एवं गेट डिवीजन सीधी/रीवा के पास अनुपयोगी जमा राशि रूपये 31.352 लाख मय ब्याज सहित वापस लेकर संशोधित कार्यों की सूची (31 हैण्डपम्प एवं 09 विकास कार्य) अनुसार स्वीकृति प्रदान

की जायेगी? (घ) विधान सभा क्षेत्र चुरहट में वित्त वर्ष 2004-05 से 2012-13 तक वर्षवार पूर्ण/अपूर्ण कार्यों की राशि सहित जानकारी दी जाये?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) जी हाँ। (ख) जी नहीं। उक्त निर्माण कार्यों में ग्राम पंचायत बारिगवां बाउन्ड्रीवाल निर्माण राशि 1.00 लाख ग्राम पंचायत कुश्परी गोदाम भवन निर्माण राशि 3.00 लाख स्वीकृत की गई। शेष कार्यों की क्रियान्वयन एजेन्सी द्वारा प्राकलन तकनीकी स्वीकृति प्रस्तुत न करने से प्रशासकीय स्वीकृति जारी नहीं हो सकी। (ग) महान परियोजना लाईट मशीनरी सीधी द्वारा वर्क आई.डी. नहीं बनाये जाने के कारण प्रश्नाधीन राशि उनके डी.डी.ओ. कोड में जमा नहीं हुई है, बल्कि राशि शासन के खाते में जमा है। उक्त राशि का पूरक बजट में प्रावधान किया जाकर अनुशंसित कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जावेगी। (घ) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है।

अचल सम्पत्ति क्रय में शासन की अनुमति

45. (क्र. 3172) इन्जी. प्रदीप लारिया : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) तकनीकी शिक्षा में पदस्थ शासकीय सेवकों/अधिकारियों को स्वंय अथवा अपने परिजनों के नाम से अचल सम्पत्ति क्रय करते समय शासन से अनुमति प्राप्त करनी पड़ती है? हाँ या नहीं? (ख) यदि हाँ, तो विभाग द्वारा तकनीकी संचालनालय भोपाल/आ.जी.पी.व्ही./व्यावसायिक परीक्षा मंडल/क्रिस्प में कार्यरत शासकीय सेवक/अधिकारियों को विगत 04 वर्ष में प्रदान की गई अनुमति की जानकारी नाम व पद सहित प्रदान करें? (ग) यदि विभाग की अनुमति के बिना अचल सम्पत्ति का क्रय शासकीय सेवकों/अधिकारियों ने किया है और विभाग को इसकी जानकारी अखबारों या अन्य माध्यम से प्राप्त हुई है, तो विभाग द्वारा ऐसे अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है? नाम व पद सहित जानकारी देवें?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

म.प्र. बिजली उत्पादन के संबंध में

46. (क्र. 3208) श्री सचिन यादव : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वित्तीय वर्ष 2010 से वित्तीय वर्ष 2014 तक मध्यप्रदेश में बिजली उत्पादन हेतु केन्द्र सरकार से म.प्र. पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड को कोयला मांग के अनुसार प्राप्त हुआ है? हाँ, तो बतायें नहीं, तो कितनी मात्रा में कम प्राप्त हुआ? वित्तीय वर्षवार मांग से अधिक व कम के अन्तर सहित जानकारी दें? (ख) क्या बिजली उत्पादन करने के लिए म.प्र. पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड को कोयला की खदान आवंटित थी? हाँ, तो उससे कितनी मेगावाट बिजली उत्पादित की जा रही है? (ग) क्या कोयले की खदान के संबंध में कोई प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है? हाँ, तो किस के खिलाफ और किस कार्यवाही के तहत और उसकी जांच किस ऐजेंसी से कराई जा रही है एवं प्रश्न दिनाँक तक उस पर क्या कार्यवाही की गई?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) वित्तीय वर्ष 2010 से वित्तीय वर्ष 2014 तक मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड को, केन्द्र सरकार से बिजली उत्पादन हेतु मांग के विरूद्ध प्राप्त कोयले की मात्रा का विवरण वर्षवार [अधिक अथवा कम के अंतर सहित] निम्न तालिका अनुसार उल्लेखित है:-

(मात्रा लाख मी.टन में)

क्रं.	वित्तीय वर्ष	कोयले की मांग/आवंटन	प्राप्त कोयले की मात्रा	अन्तर	मांग से कम/अधिक
1	2010-11	150	134.75	15.25	कम
2	2011-12	150	131.28	18.72	कम
3	2012-13	150	139.70	10.30	कम
4	2013-14	159.09	128.22	30.87	कम
5	2014-15 (दिसम्बर 2014 तक)	136.61	98.02	38.59	कम

(ख) भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड को श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना, खण्डवा के दूसरे चरण की 2x660 मेगावॉट इकाईयों एवं सतपुड़ा ताप विद्युत गृह, सारणी में प्रस्तावित 660 मेगावॉट की इकाई से बिजली उत्पादन हेतु, मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में गोंदबहेरा-उझैनी कोल ब्लाक का आवंटन दिनाँक 05 अगस्त, 2013 को किया गया है, किन्तु उक्त खदान का अभी तक विधिवत हस्तांतरण म.प्र.पा.जं.कं.लि. को नहीं किया गया है। इस कोल ब्लाक से अभी कोयले का उत्पादन प्रारंभ नहीं हुआ है। (ग) मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड को आवंटित, प्रश्नांश 'ख' में वर्णित कोयले की खदान का अभी तक कम्पनी को विधिवत हस्तांतरण नहीं हुआ है। अत: प्रश्नांश में चाही गई ''प्रकरण पंजीबद्ध'' किये जाने संबंधी कोई भी जानकारी, कम्पनी के संज्ञान में न होने के कारण, दिया जाना संभव नहीं है।

प्रदेश के महाविद्यालयों में रैगिंग के विरूद्ध कार्यवाही

47. (क्र. 3252) श्री जयभान सिंह पवैया : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश के महाविद्यालयों में विगत तीन वर्ष से अभी तक रैगिंग के विरूद्ध कितने छात्रों पर कार्यवाही की गई है? (ख) प्रदेश के महाविद्यालयों में योग शिक्षा से संबंधित कोई कार्य योजना है?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) पांच छात्रों पर कार्यवाही की गई। (ख) जी नहीं।

फीडर सेपरेशन कार्य में लापरवाही

48. (क्र. 3302) श्री रणजीतसिंह गुणवान : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या आष्टा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत विद्युत फीडर सेपरेशन का कार्य समयावधि में नहीं किया गया है? क्या कारण है? (ख) समय पर कार्य पूर्ण नहीं करने पर ठेका लेने वाली कम्पनी के विरूद्ध अभी तक शासन ने क्या कार्यवाही की, तथा कम्पनी पर कितना जुर्माना किया गया? (ग) इस लापरवाही के लिये ऊर्जा विभाग के कौन-कौन से अधिकारी जिम्मेदार है? शासन उन पर क्या कार्यवाही करेगा? (घ) जनता को कब तक फीडर सेपरेशन का लाभ मिलेगा?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जी हाँ। आष्टा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत फीडर सेपरेशन के कार्य हेतु टर्न-की ठेकेदार मेसर्स पी. एस.आर.-ए.एम.आर.सी.एल हैदराबाद को कार्यादेश जारी किया गया था। ठेकेदार एजेंसी द्वारा समय पर पर्याप्त संख्या में लेबर एवं सामग्री की व्यवस्था नहीं कर पाने के कारण प्रश्नाधीन फीडर सेपरेशन के कार्य समय पर पूर्ण नहीं हो पाये हैं। (ख) समय से कार्य पूर्ण नहीं करने के कारण ठेकेदार एजेंसी मेसर्स पी.एस.आर.-ए.एम. आर.सी.एल. हैदराबाद के बिलों से लिक्विडेटड डैमेज के रूप में पेनल्टी स्वरूप रू. 59.08. लाख की राशि काटी गई है तथा ठेकेदार एजेंसी को दिया गया कार्यादेश निरस्त कर दिया गया है एवं ठेकेदार एजेंसी द्वारा जमा बैंक गारण्टी (राशि रू. 12,73,63,177/-) राजसात की जा चुकी है। (ग) उत्तरांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता। (घ) आष्टा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत फीडर सेपरेशन का शेष कार्य पूर्ण करने हेतु नवीन ठेकेदार एजेंसी मेसर्स बोल्टास लिमिटेड मुम्बई को दिनाँक 22.01.2015 को कार्यादेश जारी किया गया है। उक्त ठेकेदार एजेंसी द्वारा प्रश्नाधीन शेष कार्य 18 माह की अवधि में पूर्ण कराया जाना है।

जनभागीदारी समितियों का गठन

49. (क्र. 3347) श्री अनिल फिरोजिया : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महाविद्यालयों में जनभागीदारी समिति निर्माण का उद्देश्य क्या है? (ख) मध्यप्रदेश के महाविद्यालयों में नवीन जनभागीदारी समितियों का गठन कब से लंबित है? इतनी समयावधि बीत जाने का क्या कारण है? (ग) क्या जनभागीदारी समितियों द्वारा शिक्षण व्यवस्था के सुचारू संचालन हेतु जनभागीदारी मद से रिक्त पद भरे जाते हैं? यदि हाँ तो क्या सभी महाविद्यालयों में जनभागीदारी कर्मचारियों को समान रूप से शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन भुगतान किया जाता है? यदि नहीं तो समान रूप से निर्धारित वेतन न दिये जाने का क्या कारण है?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) जनभागीदारी समिति का उद्देश्य जनसहयोग से महाविद्यालय का विकास करना है। (ख) विभागीय आदेश दिनाँक 26.07.2014 द्वारा अध्यक्षों का कार्यकाल समाप्त किया गया है, परन्तु जिले के कलेक्टर समिति के पदेन उपाध्यक्ष है, जिनकी अध्यक्षता में समिति की बैठकें आयोजित होती हैं। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है।

अनुकम्पा नियुक्ति के लंबित प्रकरण

50. (क्र. 3401) श्री संजय शर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति के संबंध में क्या-क्या निर्देश प्रसारित किये गये हैं? उक्त नियमों में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा क्या-क्या संशोधन किसकी सहमति से क्यों किये हैं? (ख) सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों में कंडिका 5.3 में क्या-क्या प्रावधान है? उक्त प्रावधानों का स्कूल शिक्षा/राजस्व विभाग द्वारा पालन क्यों नहीं किया जा रहा है? (ग) रायसेन एवं नरसिंहपुर जिले में विभिन्न विभागों में फरवरी 2015 की स्थिति में कितने अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरण लंबित हैं? (घ) उक्त लंबित अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों का निराकरण कब तक होगा, निश्चित समयावधि बतायें?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) एवं (ख) अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में इस विभाग के परिपत्र क्रमांक सी 3-12/2013/1/3 दिनाँक 29 सितम्बर, 2014 द्वारा एकजाई निर्देश प्रसारित किये

गये हैं। जिसकी प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। शेष जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग) रायसेन जिले में कुल 14 एवं नरसिंहपुर जिले में 01 प्रकरण लंबित है। (घ) जो प्रकरण कार्यालयों में प्रक्रियाधीन है उनका निराकरण शीघ्र किया जावेगा तथा जिन प्रकरणों में आवेदकों से जानकारी प्राप्त करना है ऐसे प्रकरणों में पूर्ण जानकारी उपलब्ध होने पर निराकरण किया जा सकेगा।

<u>छात्र - छात्राओं को प्रदत्त सुविधायें</u>

51. (क्र. 3419) श्री चम्पालाल देवड़ा : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) फरवरी 2015 की स्थिति में शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को शासन द्वारा क्या-क्या सुविधायें उपलब्ध कराई जा रही हैं, तथा इस हेतु क्या-क्या मापदण्ड हैं? (ख) वर्ष 2012-13, 2013-14 तथा 2014-15 में देवास जिले में किस-किस योजना में कितने-कितने छात्र-छात्रायें लाभान्वित हुए? महाविद्यालयवार संख्या बतायें? (ग) क्या देवास जिले के महाविद्यालयों में सभी पात्र छात्र-छात्राओं को उक्त योजनाओं का लाभ नहीं मिला? यदि हाँ, तो क्यों? (घ) सभी पात्र छात्र - छात्राओं को उक्त योजनाओं में लाभ प्राप्त हो, इस हेतु विभाग क्या-क्या कार्यवाही करेगा?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"अ" एवं "ब" अनुसार** है। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"स" अनुसार** है। (ग) पात्र छात्र-छात्राओं को नियमानुसार लाभ दिया जा रहा है। (घ) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>गुना जिले में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में किये गये भ्रष्टाचार पर कार्यवाही</u>

52. (क्र. 3453) श्रीमती ममता मीना : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या गुना जिले में केन्द्र शासन की राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की स्वीकृति एवं आवंटन तथा निर्माण एवं भौतिक सत्यापन में जिले की चारों विधानसभाओं में पक्षपात और भ्रष्टाचार हुआ है यदि हाँ तो बतायें? (ख) क्या योजना की स्वीकृति एवं आवंटन दो चरणों में हुआ है यदि हाँ तो कौन सी वि.सभा में अधिक कौन सी में कम आवंटन हुआ बतायें? यह भी बतायें की योजना का कार्य कौन-कौन सी एजेंसी ने किया है उनका भौतिक सत्यापन कर कौन से अधिग्रहण किया है? कारणों सहित जानकारी दें? (ग) क्या प्रश्नांश (क) और (ख) में स्वीकृत प्रोजेक्ट की विद्युत लाईन आदि अधिग्रहण से पूर्व चोरी हुई है या बाद में या अभी तक अपूर्ण है? क्या उक्त योजना की विद्युत लाईनें पुन: लगाने की कार्य योजना है? यदि हाँ तो इन परिस्थितियों का कौन दोषी है, क्या कार्यवाही करेंगे? (घ) क्या प्रश्नांश (क) (ख) में स्वीकृत योजना गुना एवं बमौरी वि.सभा क्षेत्र में अधिक स्वीकृत हुई है तो राघौगढ़ एवं चांचौड़ा वि.सभा में उक्त योजना में सबस्टेशन कम स्वीकृत क्यों हुए कारण बतायें? यह भी बतायें कि उक्त योजना अभी तक अपूर्ण क्यों है? संपूर्ण योजना का भौतिक सत्यापन एवं सी.ए.जी. से मूल्यांकन कराकर की गई अनियमितता और भ्रष्टाचार के दोषियों पर विभाग क्या और कब कार्यवाही करेगा?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जी नहीं। गुना जिले में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की स्वीकृति भारत सरकार के उपक्रम ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा प्रदान की गई थी। योजना प्रस्ताव ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के दिशा-निर्देशों के अनुसार

तैयार किए गए थे। उल्लेखनीय है कि योजना प्रस्ताव विधानसभावार न होकर पूरे जिले के लिए बनाए गए थे। गुना जिले के लिए राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की प्रस्तावित विस्तृत कार्य योजना का मूल्यांकन करने के उपरांत ही ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा स्वीकृति जारी की गई थी एवं तदनुसार प्राप्त राशि से योजनान्तर्गत निर्माण कार्य टर्न-की आधार पर करवाकर योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार उसका भौतिक सत्यापन किया गया है। योजना में किसी प्रकार का पक्षपात अथवा अनियमितता नहीं हुई है। (ख) गुना जिले में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की स्वीकृति एवं आवंटन दसवीं एवं बारहवीं पंचवर्षीय योजना के तहत् हुआ है। दसवीं पंचवर्षीय योजना में गुना जिले के लिए राजीव गांधी ग्रमीण विद्युतीकरण योजना का क्रियान्वयन, मूल्यांकन तथा भौतिक सत्यापन एन.टी.पी.सी.लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी मेसर्स एन.ई.एस.सी.एल., नोएडा द्वारा किया गया है। पूर्ण किए गए कार्यों का उक्त निर्माण एजेंसी मेसर्स एन.ई.एस.सी.एल. द्वारा मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के संबंधित संचालन/संधारण संभागों को हस्तान्तरण किया गया। दसवीं पंचवर्षीय योजना के उक्त योजनान्तर्गत कार्यों के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा सीधे ही क्रियान्वयन एजेंसी मेसर्स एन.ई.एस.सी.एल., नोएडा को आवंटन जारी किया गया। बारहवीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से गुना जिले के लिए राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिसके क्रियान्वयन हेतु ठेकेदार एजेंसी मेसर्स श्याम इंडस पॉवर सॉल्युशन कंपनी लिमिटेड, दिल्ली को दिनाँक 12.02.2015 को कार्यादेश जारी किया गया है। उक्त ठेकेदार एजेंसी द्वारा अनुबंध पश्चात् कार्य आरंभ किया जावेगा। साथ ही उक्त योजनान्तर्गत ठेकेदार एजेंसी मेसर्स सावन एसोसिएट, नागपुर को 6 नये 33/11 के.व्ही. सबस्टेशनों के निर्माण का कार्य दिनाँक 25.09.2014 को दिया गया है तथा सर्वे कार्य प्रगति पर है। उक्त योजनान्तर्गत कार्यों को करने की अवधि अनुबंध दिनाँक पश्चात 24 माह रखी गई है। उक्त योजनान्तर्गत आवंटन जिलेवार किया गया है, विधानसभा क्षेत्रवार नहीं। (ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के कार्यों का गुना जिले में वितरण कंपनी द्वारा अधिग्रहण करने के बाद कुल 166 चोरी की घटनाएं हुई थी, जिसमें 109 वितरण ट्रांसफार्मर तथा 477.36 कि.मी. तार चोरी हुआ था। उक्त चोरी के प्रकरणों से प्रभावित लाईनों को चालू कर दिया गया है। योजना के क्रियान्वयन के दौरान हस्तान्तरण के पूर्व की क्षति/चोरी की घटनाओं का दायित्व संबंधित ठेकेदार एजेंसी पर था एवं उक्त एजेंसी द्वारा ही क्षति/चोरी प्रभावित कार्यों को पुन: संधारित कर चालू करने के उपरांत ही अधिग्रहित किया गया था। उक्त परिप्रेक्ष्य में किसी के दोषी होने अथवा कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता। (घ) योजना में सबस्टेशनों के प्रस्ताव, जिले में विद्यमान अधोसंरचना पर वर्तमान भार एवं आगामी वर्षों में संभावित भार वृद्धि के आंकलन अनुसार ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में तकनीकी आवश्यकता तथा साध्यता के आधार पर तैयार किए गए थे। विधानसभा क्षेत्र वार कार्यों के प्रस्ताव नहीं बनाए गए थे। दसवीं पंचवर्षीय योजना के तहत् गुना जिले के लिए स्वीकृत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का कार्य पूर्ण हो गया है तथा क्रियान्वयन एजेंसी मेसर्स एन.ई.एस.सी.एल., नोएडा द्वारा क्लोजर प्रस्ताव ग्रामीण विद्युतीकरण निगम सहित सभी संबंधितों को सौंप दिए गए हैं। क्रियान्वयन एजेंसी को भारत सरकार की नोडल एजेंसी ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से सीधे ही योजना राशि आवंटित की गई थी इसलिए इस योजना का सी.ए.जी. मूल्यांकन

संबंधित एजेंसी द्वारा ही कराया गया है। योजना में कोई अनियमितता नहीं हुई है। अत: किसी के दोषी होने/कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

खनिज खदानों के अवैध उत्खनन के संबंध में

53. (क्र. 3542) श्री सतीश मालवीय : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन जिले में विगत दो वर्षों में कितनी खदानों (रेत, मुरम, गिट्टी, पत्थर आदि) की नीलामी की गई, एवं कितना राजस्व प्राप्त किया गया? कितनी खदानों का सीमांकन किया गया? खदानों के नाम तथा किन व्यक्तियों द्वारा खदान ली गई उनके नाम सहित सूची उपलब्ध करावें? (ख) क्या नीलाम की गई खदानों में से उत्खनन का कार्य नीलामी के निर्धारित रकवे व सर्वे नंबर से अधिक दूसरे सर्वे नंबर एवं रकवे में अवैध उत्खनन जिला खनिज अधिकारियों की सांठ-गांठ से किया जा रहा हैं? शासन इस पर क्या कार्यवाही करेगा? (ग) क्या नीलाम की गई खदानों को आवास एवं पर्यावरण विभाग से बगैर एन.ओ.सी. के ही भारी मात्रा में अवैध उत्खनन किया जा रहा है? बगैर एन.ओ.सी. प्राप्त किये खदानों के अवैध उत्खनन के लिये कौन-कौन से अधिकारी/कर्मचारी दोषी है? शासन इन पर क्या कार्यवाही करेगा?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) उज्जैन जिले में विगत दो वर्षों (2012-13) में रेत खनिज की 49, पत्थर/ मुरूम खनिज की 08, मुरूम खनिज की 02 एवं पत्थर खनिज की 03 खदानों की नीलामी की गई। वर्ष (2013-14) में नीलाम की गई खदानों की जानकारी निरंक है। वर्ष 2012-13 में इन खदानों से रूपये 6270775/- राजस्व प्राप्त किया गया है। नीलाम की गई खदानों के लिये ठेकेदारों द्वारा सिया से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त कर प्रस्तुत न करने के कारण खदानों का सीमांकन व कब्जे की कार्यवाही नहीं की गई है। खदानों के नाम एवं जिन व्यक्तियों के द्वारा खदान ली गई है, उनकी सूची संलग्न **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ पर** है। (ख) उज्जैन जिले में नीलाम की गई खदानों के निर्धारित रकबे व सर्वे नंबर में अवैध उत्खनन का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है। जिले में खदान क्षेत्र के बाहर जिन-जिन ग्रामों में अवैध उत्खनन के प्रकरण प्रकाश में आये हैं, उन अवैध उत्खननकर्ताओं के विरूद्ध कुल 37 प्रकरण खनिज विभाग द्वारा रूपये 45,74,57,568/- प्रस्तावित अर्थदण्ड राशि के दर्ज किये जाकर सक्षम न्यायालय में प्रेषित किये गये हैं। अत: अवैध उत्खननकर्ताओं से जिला खनिज अधिकारियों की सांठ-गांठ नहीं होने से कार्यवाही का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। अवैध उत्खननकर्ताओं की सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब पर** है। (ग) उज्जैन जिले में नीलाम की गई खदानों में से बगैर पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किये अवैध उत्खनन किया जाना नहीं पाया गया है। अत: कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी न होने से कार्यवाही किये जाने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

छात्रवृत्ति में अनियमितता की जांच

54. (क्र. 3564) कुँवर विक्रम सिंह : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में उच्च शिक्षा विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग एवं श्रम विभाग में छात्रवृत्ति में हुए करीब दो करोड़ रूपये के घोटाले में राज्य स्तर पर जांच हेतु टीम गठित की गई? यदि नहीं, तो क्यों? (ख) जिला स्तर पर जांचकर्ता अधिकारियों ने अब तक क्या कार्यवाही की विवरण दें? (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार कितने अधिकारी/कर्मचारी दोषी है,

जिन्होंने गड़बड़ी की उनकी सूची दें? (घ) सामान्य प्रशासन विभाग की गाइड लाईन के अनुसार शासन की राशि का दुरूपयोग करने वालों के विरूद्ध कितनी समय-सीमा में कार्यवाही की जावेगी?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

उपभोक्ताओं के विद्युत बिलों में अनियमितता

55. (क्र. 3578) कुँवर विक्रम सिंह : क्या ऊर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छतरपुर जिले में दिनाँक 01.04.2014 से प्रश्न दिनाँक तक कुल कितने आवेदन पत्र विभाग को प्राप्त हुए जिनके विद्युत घरेलू बिल अधिक राशि के दिये गये? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित प्राप्त आवेदनों में कितने देयकों का सुधार विभाग द्वारा किया गया उनकी कितनी संख्या है? (ग) मीटर बदलने हेतु आवेदन उपभोक्ताओं द्वारा दिये जाते हैं? उन आवेदनों पर कितनी समय-सीमा में मीटर बदलने की कार्यवाही की जाती है, नियमावली दें? (घ) अधिक राशि के उपभोक्ताओं को बिल दिये जाने के क्या कारण हैं, तथा कौन अधिकारी कर्मचारी दोषी हैं?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) छतरपुर जिले में दिनाँक 01.04.14 से जनवरी 2015 तक घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं से विद्युत बिल अधिक होने की शिकायत के आधार पर सुधार हेतु कुल 4664 आवेदन पत्र म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के संबंधित कार्यालय में प्राप्त हुए। (ख) उत्तरांश (क) अनुसार प्राप्त कुल 4664 आवेदन पत्रों में से 3265 प्रकरणों में देयकों को सुधार योग्य पाये जाने पर म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा बिजली के बिल में आवश्यक सुधार किया गया। शेष देयक सुधार योग्य नहीं पाये गये। (ग) मीटर बदलने हेतु जिन निम्नदाब उपभोक्ताओं द्वारा आवेदन दिये जाते हैं उनके आवेदनों पर वर्तमान में लागू "लोक सेवा गांरटी अधिनियम 2010" के ऊर्जा विभाग से संबंधित अध्याय की कंडिका 1.6 के अनुसार आवेदन प्राप्ति दिनाँक से 22 कार्य दिवस के अन्दर शहरी क्षेत्र में एवं 37 कार्य दिवस के अन्दर ग्रामीण क्षेत्र में मीटर बदलने का प्रावधान है। सामान्यत: उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, उपलब्धता के आधार पर मीटर बदलने की कार्यवाही की जाती है। (घ) उपभोक्ताओं को म.प्र. विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी टैरिफ आदेश के प्रावधानों के अनुसार ही देयक दिए जाते हैं, तथापि कतिपय प्रकरणों में मानवीय त्रुटि यथा-बिलिंग सिस्टम में त्रुटिवश गलत रीडिंग पंच होना अथवा त्रुटिवश मीटर रीडर द्वारा गलत रीडिंग अंकित करने के कारण अधिक खपत के बिल जारी हो जाते हैं जिन्हें शिकायत प्राप्त होने पर तत्काल सुधार दिया जाता है। सामान्यत: इसके लिए किसी अधिकारी/कर्मचारी के दोषी होने का प्रश्न नहीं उठता।

गाडरवारा विधानसभा क्षेत्र में संचालित महाविद्यालय

56. (क्र. 3612) श्री गोविन्द सिंह पटेल : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गाडरवारा विधानसभा क्षेत्र में कितने महाविद्यालय संचालित है? (ख) क्या विकासखंड सांईखेड़ा एवं उससे लगे 40-50 ग्रामों के हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्ड्री के हजारो छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा अध्ययन के लिये पचास से सौ किलोमीटर दूर बड़े शहरों में जाना पड़ता है? (ग) क्या विकासखण्ड सांई खेड़ा तथा सालीचौका में जनसंख्या एवं मापदण्ड के मान से महाविद्यालय खोले जाने हेतु विभाग विचार करेगा, अगर नहीं तो क्यों?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) गाडरवारा विधानसभा क्षेत्र में एक शासकीय महाविद्यालय गाडरवारा एवं एक अशासकीय विनायक महाविद्यालय गाडरवारा संचालित है। (ख) जी नहीं। 26 कि.मी. की दूरी पर शासकीय महाविद्यालय गाडरवारा, 20 कि.मी. की दूरी पर शासकीय महाविद्यालय उदयपुरा, 36 कि.मी. की दूरी पर शासकीय महाविद्यालय सिलवानी, 42 कि.मी. की दूरी पर शासकीय महाविद्यालय तेंदूखेड़ा एवं 26 कि.मी. की दूरी पर एक अशासकीय विनायक महाविद्यालय गाडरवारा संचालित है; जहाँ छात्र-छात्रायें अध्ययन कर सकते हैं। (ग) जी नहीं। वर्तमान में शासन द्वारा पूर्व से संचालित महाविद्यालयों में गुणवत्ता विकास एवं सुदृढ़ीकरण किये जाने का कार्य किया जा रहा है अतः विकासखण्ड साईखेड़ा तथा सालीचौका में नवीन महाविद्यालय खोले जाने में कठिनाई है।

वर्ष में 2 बार पदोन्नति समिति की बैठक

57. (क्र. 3684) कुंवर सौरभ सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेशों के अनुसार समस्त विभागों में पदोन्नति हेतु वर्ष में 2 बार डी.पी.सी. करने के निर्देश है? यदि हाँ तो कब-कब? क्या कटनी जिले में इसका पालन हो रहा है? यदि हाँ तो 2014-15 में कितनी पदोन्नतियां विभागवार, हुई बतायें? यदि नहीं तो क्यों? (ख) क्या स्थानीय स्तर के निर्वाचन एवं उप निर्वाचन के दौरान पदोन्नति प्रक्रिया रोके जाने के निर्देश है? यदि हाँ तो बतावें? यदि नहीं तो क्या कटनी जिले में निर्वाचन के कारण पदोन्नति प्रक्रिया को रोका गया है? यदि हाँ तो किन निर्देशों के अंतर्गत, निर्देश संलग्न करें? यदि नहीं तो कटनी जिले में शिक्षा विभाग सहित विभिन्न विभागों की पदोन्नतियों की वर्तमान स्थिति क्या है? (ग) क्या प्रश्नांश (क) अनुसार पदोन्नति नियमों का पालन न होने पर इसकी जवाबदारी तय करते हुए कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ तो कब तक यदि नहीं तो क्यों? अगस्त 2014 से फरवरी 2015 तक कटनी जिले में कौन-कौन से विभागों में कितने संवर्गों की पदोन्नतियां संपन्न की गई या प्रचलन में रही एवं किन-किन की प्रक्रिया रोकी गई एवं क्यों?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दो बार आयोजित करने के निर्देश दिनाँक २४ अप्रैल २०१३ को जारी किये गये है शेष प्रश्नांश की जानकारी एकत्रित की जा रही है। परिपत्र की प्रति **संलग्न परिशिष्ट पर** है। (ख) एवं (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

परिशिष्ट - "आठ"

विभागीय पदों की जानकारी

58. (क्र. 3727) श्री मुकेश नायक : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग में वित्तीय लेखा/अभिलेखों को सुरक्षित रखा जाता है, तथा क्या वह सुरक्षित है? यदि हाँ, तो बतायें कि विभाग में वर्ष 2007, 2012 तथा 2014 में कितने डी.डी.ओ. (आहरण वितरण अधिकारी) थे तथा कितने उपयंत्री (सिविल) सहायक यंत्री (सिविल) सहायक वर्ग-3 के पदों की निरंतरता शासन से प्राप्त की गई? (ख) उक्त अवधि में 2007, 2012 तथा 2014 में उक्त पदों की संख्या में वृद्धि, नवीन पद स्वीकृति या पद समाप्त करने या उनकी संख्या में कमी करने के लिये कोई आदेश शासन ने जारी किये थे? (ग) उपरोक्त वर्ष (अवधि) 2007, 2012 तथा 2014 में कुल

कितने उपयंत्री (सिविल) सेवानिवृत्त हुए तथा अन्य कारणों से विभाग छोड़ा, प्रत्येक वर्ष की अलग-अलग संख्या बताएं?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) जी हाँ। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-"अ" अनुसार** है। (ख) जी हाँ। (ग) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-"ब" अनुसार** है।

परिशिष्ट - "नौ"

अवैध कोयला खनन

59. (क्र. 3755) श्री सज्जन सिंह उईके : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बैतूल जिले के ढोढरामोहार, कोटमी, टेमरू खुर्द, डुल्हारा ग्रामों में चल रही अवैध कोयला खदानों से गत तीन वर्षों में कितना कोयला जप्त किया गया, कितने लोगों को अवैध कोयला खनन का अभियुक्त बनाया गया? (ख) लगातार हो रहे कोयला के अवैध खनन को रोके जाने के संबंध में विभाग के द्वारा क्या कार्यवाही की गई यदि स्थाई प्रबन्ध न किए गए हों तो उसका कारण बतावें?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जिले में ढोढरामोहार में अवैध कोयले की कोई खदान नहीं है, और ना ही कोयला जप्त किया गया। ग्राम कोटमी, टेमरूखुर्द, डुल्हारा, तावाकाटी, गोल्हईबुजुर्ग एवं गुरगुन्दा में गत तीन वर्षों में अवैध रूप से कोयले का उत्खनन करने पर कुल 119 टन कोयला लावारिस रूप से जप्त किया गया, किसी व्यक्ति को अभियुक्त नहीं बनाया गया। (ख) कोयले के अवैध उत्खनन को रोके जाने के संबंध में विभाग एवं जिला प्रशासन द्वारा नियमित रूप से लगातार कार्यवाही की जा रही है। अवैध खनन के गढ्ढों को मशीनों के माध्यम से मिट्टी आदि का भराव कर बंद कराया गया है।

थांवर जलाशय की जल संग्रहण क्षमता

60. (क्र. 3810) प्रो. संजीव छोटेलाल उइके : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मण्डला जिले में नैनपुर में निर्मित थांवर जलाश्य की जल संग्रहण क्षमता कितनी है, वर्ष 2014-15 में माह जून से अक्टूबर तक कितना जल भराव हुआ, माहवार बतायें? (ख) थांवर परियोजना की रूपांकित सिंचाई क्षमता कितनी है, क्या रूपांकित सिंचाई क्षमता प्राप्त की जा सकी? यदि नहीं, तो विभाग द्वारा क्षमता प्राप्त करने के लिये क्या प्रयास किये गये? (ग) क्या बालाघाट जिला भी रूपांकित सिंचाई क्षमता के अंतर्गत आता है, यदि नहीं, तो बालाघाट जिले में पानी क्यों छोड़ा गया? थांवर बांध का पानी दूसरे जिले में छोड़ने के लिये संभागीय आयुक्त जल समिति से प्रस्ताव पारित किया गया? यदि नहीं, तो किसके आदेश से पानी छोड़ा गया? (घ) मण्डला से बालाघाट पानी छोड़ने के करण मण्डला के किसानों को पानी नहीं मिला किसानों की फसल की क्षति के लिये जिम्मेदार अधिकारी पर कब तक और क्या कार्यवाही की जायेगी?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) थांवर जलाशय की जीवित जल संग्रहण क्षमता 123.50 एमसीएम है। वर्ष 2014 के जून अंत तक 31.52 एमसीएम, जुलाई अंत तक 68.67 एमसीएम,अगस्त अंत तक 105.32 एमसीएम, सिंतबर अंत तक 112.80 एमसीएम एवं अक्टूबर अंत तक 94.17 एमसीएम जल संग्रहित था। (ख) एवं (घ) थांवर परियोजना के रूपांकित सैच्य क्षेत्र 11,105 हेक्टर के विरूद्ध वर्ष 2014-15 में 12,200 हेक्टर में रबी सिंचाई की गई है। शेष प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होते है। (ग) थांवर परियोजना के जलाशय में बालाघाट जिले की परियोजनाओं से

सिंचाई के लिए भी जल संग्रहण किया जाता है। जी नहीं,आवश्यक नहीं होने से। विभाग के प्रमुख सचिव एवं प्रमुख अभियंता द्वारा राज्य के कृषकों के हित में अधिकाधिक सिंचाई के उद्देश्य से सिंचाई जल का नियमन किया गया है।

संजय ड्राइव एवं बाघराज मंदिर एवं बावड़ियों का जीर्णोद्धार

61. (क्र. 3831) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सागर तालाब के तट स्थित संजय ड्राइव को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है? यदि हाँ तो इस योजना की लागत कितनी है एवं उसका स्वरूप क्या है? यह योजना कब तक स्वीकृत हो जायेगी? (ख) क्या सागर नगर स्थित तीर्थ क्षेत्र बाघराज मंदिर एवं प्राचीन बावड़ियों के जीर्णोद्धार तथा उनके उन्नयन हेतु कार्य योजना की निविदाएँ आमंत्रित की जा चुकी है? यदि हाँ तो यह कार्य कब तक शुरू हो पायेंगे?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) जी हाँ। भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय नई दिल्ली की स्वीकृति क्रमांक 5-पीएनसी (65) 2012 दिनाँक 30.03.2013 द्वारा मेगा सर्किट बुन्देलखंड के अंतर्गत संजय ड्राइव चकराघाट सागर में घाट के उन्नयन एवं सौन्दर्यीकरण, गजीबो, पार्किंग, पाथवे, लैंडस्केपिंग कार्य हेतु राशि रू. 123.62 लाख स्वीकृत किये गये है। (ख) जी नहीं। शेष का प्रश्न उपस्थित ही नहीं होता।

नहरों के क्षतिग्रस्त एक्वेडक्ट की दुरूस्ती

62. (क्र. 3877) डॉ. रामकिशोर दोगने : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) हरदा जिले के विकास खण्ड टिमरनी अतंर्गत ग्राम भाईगांव एवं नवल गांव में नहरों के एक्वेडक्ट काफी क्षतिग्रस्त हो गये है जिसमें लगभग 20-25 प्रतिशत नहर का पानी सीवेज होता है एवं कभी भी टूट सकते है टूटने की स्थिति में हरदा जिला सिंचाई से पूर्णत: प्रभावित होगा? प्रभावित होने पर कोई वैकल्पिक योजना बनाई गई है? (ख) यदि हाँ तो उक्त क्षतिग्रस्त कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा? (ग) क्या दुरूस्ती कार्य से नहरों से फसल की सिंचाई प्रभावित होगी? (घ) यदि हाँ तो उसका क्या कारण है व उससे कितना क्षेत्र प्रभावित होगा?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) से (घ) जी नहीं, तवा परियोजना की नहरों के एक्वाडक्ट में वार्षिक संधारण एवं मरम्मत ग्रीष्मकाल में की जाने की तैयारी की गई है। समय रहते एतियाती एवं कार्यवाही से हरदा जिले में सिंचाई सुविधा प्रभावित होने की आशंका नहीं है।

नहरों की लाईनिंग पर व्यय

63. (क्र. 3878) डॉ. रामकिशोर दोगने : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वित्तीय वर्ष 2014-15 में हरदा जिले में नहरों की लाईनिंग पर कितना व्यय किया जाना प्रस्तावित था व लाईनिंग का कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा? (ख) वर्तमान में नहरों की लाईनिंग की क्या स्थिति है? वर्ष 2015-16 के वित्तीय वर्ष में विभाग ने कुल कितनी राशि का प्रावधान प्रस्तावित किया है? (ग) क्या नहरों का लाईनिंग कार्य होने से फसलों की सिंचाई प्रभावित होगी? (घ) यदि हाँ तो उसका क्या कारण है व कितना क्षेत्र प्रभावित होगा?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में हरदा जिले में आमाखाल लघु सिंचाई परियोजना की नहरों की लाईनिंग रू.109.39 लाख के निवेश से पूर्ण की गई है। (ख)

आमाखाल लघु सिंचाई परियोजना की नहर की लाईनिंग की स्थिति अच्छी है। वर्ष 2015-16 में किसी परियोजना के लिए लाईनिंग की स्वीकृति विचाराधीन नहीं है। (ग) एवं (घ) रूपांकित सैच्य क्षेत्र में पूर्ण सिंचाई होने से विपरीत प्रभाव की स्थिति नहीं है। प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होता है।

<u>गाडरवारा में आई.टी.आई. भवन निर्माण</u>

64. (क्र. 3911) श्री गोविन्द सिंह पटेल : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गाडरवारा विधान सभा क्षेत्र में कितने आई.टी.आई. तथा कितने कौशल विकास केन्द्र संचालित है? (ख) क्या यह सभी अपने स्वयं के भवन में संचालित है? यदि नहीं तो भवन बनाये जाने के लिये विभाग में कोई योजना विचाराधीन है? (ग) क्या गाडरवारा में आई.टी.आई. भवन हेतु जगह का चयन किया गया है? यदि हाँ, तो उस पर विभाग कब तक अपना भवन निर्माण करेगा?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) एक शासकीय आई.टी.आई. गाडरवारा में तथा दो कौशल विकास केन्द्र बाबई चीचली तथा सांईखेड़ा में संचालित है। (ख) एवं (ग) जी नहीं। आई.टी.आई. गाडरवारा के भवन निर्माण हेतु भूमि चयनित है तथा उस पर भवन निर्माणाधीन है। परियोजना क्रियान्वयन इकाई लोक निर्माण विभाग नरसिंहपुर द्वारा निर्माण पूर्ण होने की तिथि जून 2016 निर्धारित की गई है। कौशल विकास केन्द्रों के भवन निर्माण की कोई योजना नहीं है।

<u>गोटेगांव विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत कार्यों का विवरण</u>

65. (क्र. 3974) डॉ. कैलाश जाटव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वाटर कोर्स फिल्ड चैनल का कितना कार्य स्वीकृत है? कितना शेष है? कितना पूर्ण हो चुका है और कितना चल रहा है? (ख) नहरों के रख रखाव हेतु प्रति वर्ष कितनी राशि स्वीकृत होती है? वर्ष 2012 से 2015 फरवरी तक गोटेगांव विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत राशि जारी की गई? (ग) जिन नहरों में इस राशि का उपयोग किया गया उसकी सूची देवे? (घ) गोटेगांव विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत कितनी नहरे कच्ची है, व कितनी नहरों को पक्का करने का काम किया जा रहा है?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) गोटेगाँव विधानसभा क्षेत्र में वाटर कोर्स, फील्ड चैनल का 111861.622 हेक्टेयर का कार्य स्वीकृत है, जिसमें से 7679.75 हेक्टेयर में कार्य पूर्ण हो चुका है, 3149.465 हेक्टेयर कार्य चल रहा हैं एवं 1032.402 हेक्टेयर में कार्य अप्रारंभ है। (ख) नहरों के रखरखाव हेतु संथा अध्यक्षों को प्रति वर्ष संथा के क्षेत्र अनुसार रूपयें 60/- प्रति हेक्टेयर की दर से राशि जारी की गई है। (ग) जिन नहरों में संथा को जारी की गई राशि का उपयोग किया गया उसकी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार** है। (घ) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है।**

<u>गोटेगांव विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नहरों के पानी की वितरीका समिति का गठन</u>

66. (क्र. 3975) डॉ. कैलाश जाटव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गोटेगांव विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत समस्त नहरों के पानी वितरीका समिति का गठन कब से नहीं हुआ? इसका क्या कारण है? अगर नहीं हुआ है, तो कब तक करवा दिया जावेगा? (ख) वर्तमान में गोटेगांव विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वितरण प्रणाली का क्या नियम है? (ग) क्या पानी वितरण से संबंधित विवरण किसानों को दिया जाता है या नहीं? इसके लिए शासन द्वारा कोई बजट दिया जाता

है या नहीं? अगर दिया गया है, तो वर्ष 01 जनवरी 2012 से 31 दिसम्बर 2014 की बीच कितनी राशि दी गई?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) गोटेगांव विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत समस्त नहरों के पानी वितरिका समिति का गठन जल उपभोक्ता संथाओं के प्रभावशील होने के बाद से ही नहीं हुआ है। वितरिका समिति के गठन विभाग द्वारा दिनाँक 29/09/2011 को अधिसूचना जारी की गई थी "**जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है।** इस अधिसूचना की प्रति मुख्य अभियंता, रानी अवंती बाई लोधी सागर परियोजना जबलपुर के ज्ञाप क्रमांक 1850/3/कार्य-1/2012 जबलपुर दिनाँक 01/02/2012 "**जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है।** द्वारा सभी कार्यालयों को दी गई थी एवं प्रतिलिपि वितरिका समिति के गठन हेतु कलेक्टर नरसिंहपुर, जबलपुर को प्रेषित की गई थी। विभिन्न निर्वाचनों के कारण वितरिका समिति के गठन हेतु प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो पाई। वर्तमान मे लोक सभा, विधानसभा, नगरपालिका, जिला, जनपद, ग्राम पंचायत के चुनाव सम्पन्न हो चुके है। अतएव वितरिका समिति के चुनाव सम्पन्न कराने हेतु कलेक्टर जबलपुर/नरसिंहपुर से चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ करने का अनुरोध किया जा रहा है। (ख) वर्तमान में गोटेगाँव विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वितरण प्रणाली के नियम म.प्र. सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम 1999 अद्यतन संशोधन सहित प्रभावशील है। (ग) पानी वितरण कार्य जल उपभोक्ता संथाओं द्वारा ही किया जाता है। इस हेतु शासन द्वारा संथा को रूपांकित सिंचाई क्षमता के आधार पर नहरों के रखरखाव हेतु रूपयें 60/- प्रति हेक्टेयर की दर से अनुदान दिया जाता है। वर्ष जनवरी 2012 से दिसम्बर 2014 के बीच रूपयें 28.54 लाख की राशि गोटेगाँव संभाग की 10 संस्थाओं को एवं रूपयें 29.59 लाख राशि डिस्नेट संभाग नरसिंहपुर की 24 संथाओं को दी गई है।

सिंचाई परियोजना की जानकारी

67. (क्र. 3986) श्री मधु भगत : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बालाघाट जिले अतंर्गत जो भी सिंचाई योजनाएं हैं बांध, तालाब, जलाशय, नदी उनका सिंचाई हेतु डिजाइन रकबा डीपीआर के अनुसार कितना है प्रत्येक का अलग-अलग बताये? (ख) उपरोक्त जलाशयों, तालाब बांध नदी इत्यादि से 1 जनवरी 2010 से 31 जनवरी 2015 तक कितनी सिंचाई किस योजना से हुई? योजना का नाम, तालाब का नाम, जलाशय, बांध का नाम एवं प्रत्येक की सिंचित रकबा अलग-अलग बताये? (ग) किसानों के खेत में सिंचाई करने से उनसे सिंचाई शुल्क या अन्य शुल्क वसूल करने का प्रावधान है? यदि हाँ तो किस नियम की किस धारा के अतंर्गत एवं जिले में उपरोक्त संरचनाओं से सिंचित रकबे में से कुल कितने रकबे की सिंचाई शुल्क उक्त अवधि में वसूला गया? प्रत्येक वित्तीय वर्ष का अलग-अलग बताये?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) एवं (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"अ" अनुसार** है। (ग) जी हाँ। म.प्र.सिंचाई नियम 1974 की धारा 173 के तहत। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"ब" अनुसार** है।

रीवा जिले के विधान सभा क्षेत्र मऊगंज अतंर्गत निकाले गए ट्रासफार्मर को पुन: लगाया जाना

68. (क्र. 4024) श्री सुखेन्द्र सिंह (बन्ना) : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या रीवा जिले के विधान सभा क्षेत्र मऊगंज अतंर्गत सलैया, देवरी (गोपला), पहाड़ी लटियार,

कन्हैया (बेलहा पंचायत) बरौंही, पैपखार, बिझौली, पैपखार, खूटा, कोलहा, देवरा में चतुर्भज धाम के पास एवं देवरा छुर्रिहा टोला, खटखरी में दो नग, गेंदुरहट एवं हर्दिहाई इत्यादि ग्रामों का ट्रासंफार्मर विभाग द्वारा निकाल लिया गया है? (ख) प्रश्नांश (क) का उत्तर यदि जी हाँ तो इन्हें कब तक लगा दिया जावेगा? समय सीमा बतावे? एवं किसानों के विद्युत देयक जमा करने के बाद भी विभाग द्वारा ट्रासफार्मर न लगाकर उल्टे उसी अवधि में मनमानी बिल जारी कर परेशान क्यों किया जा रहा है? इसके लिये कौन जिम्मेदार है? (ग) प्रश्नांश ''क'' एवं ''ख'' के संदर्भ में ट्रांसफार्मर लगने के बाद जिस अवधि में विद्युत कनेक्शन कटा था, उस अवधि को घटाकर विद्युत प्रवाह की दिनाँक से ही आगे का बिल जारी किया जावेगा? यदि नहीं तो क्यों?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जी नहीं, प्रश्नांश 'क' में उल्लेखित ग्रामों में विद्यमान वितरण ट्रांसफार्मर फेल/खराब हो गये हैं निकाले नहीं गये हैं। (ख) प्रश्नांश 'क' में उल्लेखित ग्रामों में से ग्राम सलैया, पहाड़ी, कोलहा, देवरा छुर्रिहा टोला, गेंदुरहट, हर्दिहाई, पेपखार में नियमानुसार बकाया राशि का भुगतान होने के पश्चात वितरण ट्रांसफार्मर बदल दिये गये है। प्रश्न में उल्लेखित शेष ग्रामों में वितरण ट्रांसफार्मरों से संबद्ध उपभोक्ताओं द्वारा नियमानुसार बकाया राशि जमा नहीं करने के कारण ट्रांसफार्मर नहीं बदले गये हैं। ग्रामवार विवरण **संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। संबद्ध उपभोक्ताओं से नियमानुसार बकाया राशि का भुगतान किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। नियमानुसार बकाया राशि जमा होने के उपरांत उक्त शेष फेल/खराब वितरण ट्रांसफार्मरों को बदला जा सकेगा, वर्तमान में समय-सीमा बताना संभव नहीं है। संबंधित उपभोक्ताओं को अनुबंध के अनुसार न्यूनतम प्रभार का देयक भेजा जा रहा है, इसके लिये किसी के जिम्मेदार होने का प्रश्न नहीं उठता। (ग) जी नहीं उत्तरां 'ख' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता। प्रश्नाधीन फेल/खराब वितरण ट्रांसफार्मर संबद्ध उपभोक्ताओं द्वारा नियमानुसार बकाया राशि जमा नहीं करने के कारण बदले नहीं जा सके हैं एवं नियमानुसार न्यूनतम चार्ज का बिल जारी किया गया है।

<u>परिशिष्ट - ''दस</u>''

<u>फर्जी प्रकरण समाप्त करने बावत्</u>

69. (क्र. 4025) श्री सुखेन्द्र सिंह (बन्ना) : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. पूर्व क्षे.वि.वि. कं.लि. अतंर्गत यदि एक बत्ती कनेक्शन धारी अपने संपूर्ण बकाया देयकों को जमाकर कनेक्शन विच्छेद किये जाने का शपथ पत्र देता है तो क्या उसका कनेक्शन विच्छेद किया जायेगा? (ख) प्रश्न (क) का उत्तर यदि जी हाँ, तो क्या म.प्र. पूर्व क्षे. वि. वि. कं. लि.मऊगंज उत्तर संभाग रीवा उत्तर के हितग्राही श्री पुसई कुशवाहा आ. मूडी काछी ग्राम मुदरिया चौबान के सर्विस क्रमांक 71-6-55-165 द्वारा दिनाँक 20.07.2007 को बिल अदा कर दिनाँक 25.07.2007 को कनेक्शन विच्छेद करने हेतु आवेदन किया गया था? यदि हाँ तो क्या संबंधित ग्राम के लाइनमैन श्री इन्द्रमणि मिश्रा द्वारा दिनाँक 25.07.2007 को कनेक्शन विच्छेद कर दिया गया था? यदि हाँ तो म.प्र. पूर्व क्षे. वि.वि.कं.लि. मऊगंज उत्तर संभाग रीवा का /कनिष्ठ यंत्री/मऊगंज/06दिनाँक 24.01.2005 द्वारा बकाया राशि रूपये 35,163/- का कुर्की जब्ती गिरफ्तरी वांरट जारी किया गया है? यदि हाँ तो इसके लिये कौन दोषी है? क्या दोषी के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी? (ग) क्या म.प्र. पूर्व क्षे.वि.वि.कं.लि. के पास उपरोक्त सभी दस्तावेज है यदि नहीं तो क्या संबंधित हितग्राही से सभी

कागजात प्राप्त कर प्रकरण का निराकरण किया जायेगा? यदि हाँ तो कब तक? समय सीमा बतावें? यदि नहीं तो क्यों?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जी हाँ। (ख) श्री पुसई कुशवाहा (पूशी काछी) आत्मज मूडी काछी ग्राम मुदरिया कछियान (मुदरिया चौबान नहीं) द्वारा विद्युत सर्विस कनेक्शन क्रमांक 71-6-55165 का विद्युत देयक राशि रू. 230/- दिनाँक 20.7.2007 को जमा कर दिनाँक 25.07.2007 को विद्युत कनेक्शन स्थायी रूप से विच्छेदित करने का आवेदन दिया गया था। उक्त आवेदन के अनुसार श्री इंद्रमणि मिश्रा, मुख्यालय लाइनमैन द्वारा उक्त कनेक्शन विच्छेदित कर सूचना वितरण केन्द्र कार्यालय को दे दी गई थी परंतु त्रुटि के कारण उक्त कनेक्शन रिकार्ड/बिलिंग प्रणाली में स्थाई विच्छेदित नहीं हो सका एवं कनेक्शन की बिलिंग जारी रही। बकाया राशि रू. 35,163/- की वसूली के लिए दिनाँक 24.01.2015 को कनिष्ठ अभियंता, मऊगंज द्वारा श्री पूशी वल्द मूड़ी काछी ग्राम मुदरिया कछियान को विद्युत अधिनियम 2003, विद्युत प्रदाय संहिता 2013 तथा मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता के तहत कार्यवाही के प्रावधानों की जानकारी देते हुए बकाया राशि जमा करने बाबत् सामान्य नोटिस जारी किया गया। कोई कुर्की, जब्ती, गिरफ्तारी वारंट जारी नहीं किया गया। अत: इस संबंध में किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं है। तथापि प्रकरण में दोषी कर्मचारी/अधिकारी को चिन्हित कर आवश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं। (ग) प्रकरण संज्ञान में आने के पश्चात स्थाई विच्छेदन के उपरांत बिल की गई राशि को निरस्त कर दिया गया है।

JEE परीक्षा के लिए कोचिंग व्यवस्था

70. (क्र. 4060) श्री कमलेश्वर पटेल : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या इस बार विद्यार्थियों को JEE परीक्षा अनिवार्य की गई है? (ख) यदि हाँ तो क्या राज्य के विद्यार्थियों के लिए अलग से कोचिंग की व्यवस्था की गई है? यदि नहीं तो क्यों?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) जी हाँ। (ख) जी नहीं। विभाग में ऐसी कोई योजना नहीं है।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के कार्य

71. (क्र. 4121) श्री दुर्गालाल विजय : क्या ऊर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) श्योपुर जिले में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनान्तर्गत योजना के प्रांरभ दिनाँक से क्लोजर तक कौन-कौन से 479 ग्रामों में विद्युतीकरण कार्य स्वीकृत किये गये थे में से कौन-कौन से 133 ग्रामों में कार्य पूर्ण/332 ग्रामों में अपूर्ण रह गया था जिन्हें फीडर सेपरेशन योजना में शामिल किया गया उनके नाम बतावे? (ख) क्या 332 अपूर्ण ग्रामों के कार्य मार्च 2015 तक पूर्ण करना सम्भावित हैं क्या इन सभी ग्रामों में कार्य पूर्ण हो चुके है यदि नहीं तो कौन-कौन से ग्रामों में पूर्ण/अपूर्ण रह गये हैं व क्यों इस हेतु कौन उत्तरदायी है के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी? (ग) क्या उक्त योजना पुन: प्रारंभ हो चुकी है यदि हाँ तो योजनान्तर्गत कितनी राशि शासन/श्योपुर जिले को प्रदाय की गई इससे कौन-कौन से ग्रामों में विद्युतीकरण कार्य प्रस्तावित/स्वीकृत किये गये है इन्हें कब तक स्वीकृत /प्रारंभ करा दिये जावेंगे? (घ) उक्त योजना के क्लोजर तक विद्युत कंपनी द्वारा पूर्ण बताये गये कार्यो में से कई कार्य वर्तमान में भी अपूर्ण पड़े है कार्य भी घटिया कराया गया है क्या शासन अपूर्ण/घटिया कार्य की जांच करायेगा? यदि नहीं तो क्यों?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) श्योपुर जिले में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनांतर्गत 479 ग्रामों में विद्युतीकरण के कार्य स्वीकृत किये गये थे, जिनमें से 04 ग्राम विभिन्न कारणों यथा- पूर्व से विद्युतीकृत होना अथवा अन्य योजना में स्वीकृत होना आदि कारणों से राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में विद्युतीकरण हेतु चयनित नहीं किए गए। शेष 475 ग्रामों में से 143 ग्रामों के विद्युतीकरण का कार्य राजीव गाँधी विद्युतीकरण योजना में स्वीकृत राशि के आधार पर पूर्ण किया जा चुका है तथा 332 ग्रामों का अपूर्ण कार्य एवं उपरोक्त 04 ग्रामों के सघन विद्युतीकरण के कार्य इस प्रकार कुल 336 ग्रामों का कार्य फीडर सेपरेशन योजना में शामिल किया गया है। राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में कार्य पूर्ण वाले तथा फीडर विभक्तिकरण योजना में सम्मिलित शेष ग्रामों की ग्रामवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"अ" अनुसार** है। (ख) 336 अपूर्ण ग्रामों के कार्य फीडर विभक्तिकरण योजना के अंतर्गत मे. ज्योति स्ट्रेक्चर लि. मुम्बई द्वारा किये जा रहे है जिन्हें जून 2015 तक पूर्ण कराने का प्रयास किया जा रहा है। उक्त 336 ग्रामों के कार्यों में से 66 ग्रामों का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा 270 ग्रामों का कार्य अपूर्ण है। पूर्ण/अपूर्ण ग्रामों की सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"ब" अनुसार** है। ठेकेदार एजेंसी द्वारा समय-समय पर सामग्री/लेबर की पर्याप्त व्यवस्था नहीं करने के कारण कार्य समय से पूर्ण नहीं हो पाए हैं जिसके लिए वर्तमान तक ठेकेदार एजेंसी के देयकों से लिक्विडेटेड डैमेज के रूप में पेनल्टी स्वरूप रू. 45.19 लाख की राशि काटी जा चुकी है। (ग) जी हाँ, श्योपुर जिले के लिए बारहवीं पंचवर्षीय योजना में रू. 2821.89 लाख लागत राशि की राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की स्वीकृति ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से दिनाँक 16.08.2013 को प्राप्त हुई है, उक्त योजना में किसी भी ग्राम के विद्युतीकरण का कार्य स्वीकृत नहीं हुआ है तथापि योजना में 252 विद्युत विहिन मजरों/टोलों के विद्युतीकरण का कार्य स्वीकृत है। उक्त योजना का कार्य टर्न-की आधार पर कराए जाने हेतु निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर दिनाँक 26 फरवरी 2015 को मेसर्स सिमेकल इलेक्ट्रिकल मुंबई को कार्यादेश जारी कर दिया गया है। उक्त ठेकेदार एजेंसी द्वारा सर्वे उपरांत कार्य आरंभ किया जायेगा, जिस हेतु वर्तमान में निश्चित समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) उत्तरांश (क) के अनुसार योजना के क्लोजर तक 143 ग्रामों के कार्यों में प्रावधानानुसार कोई कार्य अपूर्ण नहीं हैं। कार्यों की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप सुनिश्चित करने के लिये थर्ड पार्टी निरीक्षण एजेंसी मेसर्स वेपकॉस लिमिटेड गुडगांव को अनुबंधित किया गया था, जिसके साईट इंजीनियरों द्वारा कार्यो की गुणवत्ता सुनिश्चित की गई है। साथ ही मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी द्वारा भी कार्यों का निरीक्षण कर, कार्य गुणवत्ता के अनुरूप होना सुनिश्चित किया गया है। उक्त परिप्रेक्ष्य में अन्य कोई जाँच कराया जाना आवश्यक नहीं है।

सीहोर वि.स. क्षेत्र में सिंचाई सुविधा

72. (क्र. 4163) श्री सुदेश राय : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सीहोर विधान सभा अंतर्गत 40 हैक्टेयर से 2000 हैक्टेयर तक के मध्य सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना एवं सिंचाई क्षमता के तालाब उद्वहन सिंचाई एवं बैराजों का निर्माण अतंर्गत किन-किन स्थानों का चयन किया गया है? (ख) वर्ष 2014-15 में योजना की क्या प्रगति है कितने प्रकरण स्वीकृत है तथा कितने लंबित है? (ग) शेष प्रकरणों की स्वीकृति कब तक प्रदान की जावेगी?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) से (ग) प्रश्नाधीन विधान सभा क्षेत्र में सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण की स्वीकृति का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं होने से स्थल चयन की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। शेष प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होते हैं।

ग्राम घुटेही की चौहदी में संचालित मार्बल खदान

73. (क्र. 4194) श्री नीलेश अवस्थी : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पाटन विधान सभा क्षेत्र अतंर्गत आने वाले ग्राम घुटेही विकास खंड मझौली से एक किलोमीटर की परिधि (चौहद्दी) अतंर्गत कहाँ-कहाँ पर कौन-कौन सी मार्बल खदाने उत्खन्न हेतु प्रस्तावित है एवं कौन-कौन सी कब से क्रियाशील है, दूरी सहित सूची देवे? (ख) प्रश्नांक "क" में उल्लेखित खदानों की शासकीय प्राथमिक शाला भवन घुटेही एवं शासकीय आम रास्तों से दूरी बतलावे? एवं इन खदानों की 500 मीटर की परिधि में क्या कोई प्राचीन मंदिर शासकीय अभिलेखों में दर्ज है? यदि हाँ, तो दूरी सहित जानकारी देवे? संरक्षित वन से दूरी बतलावे? (ग) प्रश्नांक (क) में उल्लेखित क्रियाशील खदानों का वेस्ट मटेरियल कहाँ-कहाँ किन-किन खसरा नम्बरों पर कब से किसकी अनुमति से संग्रहित किया जा रहा है? (घ) प्रश्नांक (क) में उल्लेखित क्रियाशील खदानों में से किन-किन खदानों को किस नियम के तहत किन-किन शर्तो पर ब्लासटिंग की अनुमति प्रदान की गई है? अनुमति की प्रति देवे?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) प्रश्नाधीन ग्राम में तथा एक किलोमीटर की परिधि में स्वीकृत एवं कार्यशील मार्बल उत्खनिपट्टों का विवरण एवं प्रश्नांश अनुसार वांछित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ'** में दर्शित है। (ख) प्रश्नांश में उल्लेखित भवन, मंदिर तथा संरक्षित वन से दूरी का विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब'** में दर्शित है। (ग) कार्यशील खदानों का वेस्ट मटेरियल स्वीकृत क्षेत्र के अंतर्गत ही संग्रहित किया जा रहा है। (घ) क्रियाशील खदानों में किसी को भी ब्लास्टिंग की अनुमति नहीं प्रदान की गई है। अत: प्रश्नांश के शेष भाग का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

बरगी बाई तट नहर निर्माण योजना में भ्रष्टाचार

74. (क्र. 4195) श्री नीलेश अवस्थी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बरगी बांई तट नहर निर्माण योजना अतंर्गत पाटन तहसील के ग्राम मुर्रई से ग्राम खजरी तक नहर निर्माण हेतु किन-किन कृषकों की कितनी-कितनी जमीन कब-कब कितना मुआवजा देकर शासन द्वारा अधिग्रहित की गई? सूची देवे? (ख) प्रश्नांक "ग" में वर्णित अधिकृत भूमि पर क्या नहर का निर्माण किया जा चुका है? उत्तर में यदि न तो अभी तक मुर्रई से खजरी नहर निर्माण न होने के क्या कारण है एवं इसका निर्माण कब तक किया जावेगा? यदि नहीं किया जावेगा तो क्यों नहीं? (ग) बरगी बांई तट नहर निर्माण योजना अंतर्गत पाटन तहसील में लमेटा माइनर नहर का निर्माण कब कितनी लागत से किया गया? एवं वर्तमान समय में उक्त नहर किस स्थिति में है? योजना अंतर्गत लमेटा माइनर से किस-किस ग्राम की कितनी कृषि भूमि सिंचित होना थी? सूची देवे? (घ) प्रश्नांक (ग) में उल्लेखित करारी, खिरवा, छपरी, पटोरी धाना एवं लम्हेटा ग्रामों में नहर निर्माण के पश्चात आज दिनाँक तक सिंचाई का पानी न पहुंचने के क्या कारण है, एवं कब तक उक्त नहर में सुधार कर पानी पहुंचाया जावेगा? क्या शासन उक्त नहरों के निर्माण में हुई भ्रष्टाचार एवं घटिया निर्माण कार्य की जांच कराकर दोषियों पर कार्यवाही करेगा? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों नहीं?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) बरगी बांई तट नहर निर्माण योजना अंतर्गत पाटन तहसील के ग्राम मुर्रई से ग्राम खजूरी तक नहर निर्माण हेतु ग्राम गनियारी की 4.37 हेक्टेयर ग्राम दौनी की 5.33 हेक्टेयर एवं ग्राम मुर्रई की 17.04 हेक्टेयर भूमि अर्जित की गई थी। अर्जित की गई भूमि का ग्रामवार एवं कृषकों को दी गई मुआवजा राशि की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अनुसार** है। (ख) वर्ष 1997-98 में खजूरी माईनर की आर.डी. 21.90 कि.मी. तक नहर का निर्माण हुआ था। तत्समय आर.डी. 21.90 से आर.डी. 24.40 कि.मी. तक भूमि का अधिग्रहण नहीं हो पाने से नहर निर्माण नहीं हो सका था। ग्राम गनियारी, दौनी एवं मुर्रई ग्रामों की प्रभावित भूमि का अधिग्रहण वर्ष 2000 एवं वर्ष 2001 में हुआ किन्तु राशि प्राप्त न होने के कारण निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो सका। इसे वर्ष 2015-16 में पूर्ण करने का लक्ष्य है। (ग) बरगी बाई तट नहर निर्माण योजना अंतर्गत पाटन तहसील में लमेटा माईनर नहर का निर्माण वर्ष 1997-98 में राशि रूपयें 31.11 लाख की लागत से किया गया था। वर्तमान समय में लमेटा माईनर की लाईनिंग नहीं है, जिससे रूपांकित क्षमता से जल प्रवाह नहीं हो पाता है। लमेटा माईनर से ग्राम नुनसर, सहसन, लमेटा, करारी, छपरी एवं खटोलीढाना ग्रामों की 761.60 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई प्रस्तावित थी। ग्रामवार प्रस्तावित सिंचाई की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-8 अनुसार** है। (घ) उक्त नहर में लाइनिंग की जाकर पानी पहुंचाया जा सकेगा। कार्य वर्ष 2015-16 में पूर्ण करने का लक्ष्य है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

प्रबंध संचालक, म.प्र. पॉवर जनरेटिंग जबलपुर से मांगी गई जानकारी

75. (क्र. 4218) श्री लोकेन्द्र सिंह तोमर : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना से संबंधित जानकारी मांगने हेतु प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी जबलपुर को भारतीय डाक से भेजा प्रश्नकर्ता का पत्र क्रं. 501/2014 किस दिनाँक को प्राप्त हुआ है? (ख) क्या प्रबंध संचालक, म.प्र. पॉवर जनरेटिंग कंपनी, जबलपुर ने उस पत्र के तारतम्य में सभी बिन्दुओं की जानकारी तैयार कराई है? निर्वाचित जनप्रतिनिधि के द्वारा जनरेटिंग कंपनी से जानकारी मांगने पर कितने दिवस में उपलब्ध कराई जाती है? पत्र के अनुसार परियोजना स्थल पर क्या कार्यवाही की गई है? (ग) पत्र प्राप्ति के बाद भी 13 फरवरी 2015 तक जानकारी उपलब्ध नहीं कराने का क्या कारण है? (घ) प्रबंध संचालक, म.प्र. पॉवर जनरेटिंग कंपनी, जबलपुर से मांगी जानकारी कब तक उपलब्ध करा दी जाएगी?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) प्रश्नाधीन पत्र म.प्र. पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड में दिनाँक 25.11.2014 को प्राप्त हुआ। (ख) जी हाँ, उपरोक्त पत्र के तारतम्य में सभी बिन्दुओं की जानकारी संकलित कर तैयार कर ली गई है। कंपनी द्वारा, निर्वाचित जनप्रतिनिधि द्वारा मांगी गई जानकारी यथाशीघ्र उपलब्ध कराई जाती है। परियोजना स्थल पर पत्र में उठाई गई समस्याओं पर यथावश्यक नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। (ग) प्रश्नांश "क" में उल्लेखित पत्र में उठाये गये विभिन्न बिन्दु - श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना में अधिकारियों एवं कार्मिकों की पदस्थापना का विवरण, वाहनों की उपलब्धता एवं आवंटन का विवरण, कार्मिकों का स्थानांतरण एवं स्थानांतरण पश्चात कार्यमुक्ति का विवरण, चिकित्सकीय सुविधाएँ एवं अस्पतालों की सुविधाएँ, आपातकालीन परिस्थितियों में एम्बूलेंस आदि की व्यवस्था, उच्च प्रभार की व्यवस्था, कोयला, तेल एवं पानी की खपत की जानकारी, अधिकारियों के अवकाश संबंधी जानकारी, आवासीय परिसर में लाईट की

व्यवस्था, बजट एवं व्यय संबंधी जानकारी व राखड़ चोरी इत्यादि से संबंधित है। इन जानकारियों के वृहद स्वरूप एवं कुछ बिन्दुओं पर कार्यवाही आवश्यक होने के दृष्टिगत, परियोजना एवं कंपनी मुख्यालय की विभिन्न शाखाओं से वांछित जानकारी जुटाये जाने में किंचित समय आवश्यक था। समग्र जानकारी एकत्रित की जा चुकी है जिसे माननीय विधायक महोदय को पृथक से प्रेषित किया जा रहा है। (घ) प्रश्नाधीन चाही गई बिन्दुवार जानकारी म.प्र. पावर जनरेटिंग कंपनी द्वारा माननीय प्रश्नकर्ता विधायक महोदय को पृथक से प्रेषित की जा रही है।

खारक परियोजना के कार्य

76. (क्र. 4252) श्री विजय सिंह सोलंकी : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जल संसाधन विभाग द्वारा बनाई जा रही खारक परियोजना के किन-किन कार्यो के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई? इस परियोजना के किसी कार्य को विभाग द्वारा किया जा रहा है? क्या विभाग द्वारा पहले उसकी निविदा बुलाई गई थी? यदि हाँ तो कब-कब बुलाई गई? (ख) खारक परियोजना की नहरों एवं डेम का स्वरूप पूर्व में स्वीकृत के समय अनुसार ही है या अलग हो गया है? यदि अलग है तो बदलाव का कारण क्या रहा? (ग) खारक परियोजना अतंर्गत 2014-15 के दौरान प्राप्त शिकायतों की सूची उनके निराकरण सहित बताएं? (घ) इस परियोजना संबंधी जानकारी हेतु प्रश्नकर्ता द्वारा पूर्व में कोई पत्र लिखा गया है? यदि हाँ तो उसके जवाब की कॉपी देवें? यदि नहीं तो कारण बताए?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट** अनुसार है। नहर निर्माण के लिए खुदाई एवं मिट्टी का कार्य विभाग की विद्युत एवं यांत्रिकी इकाई को दिया गया है। जी हाँ, जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) पूर्व स्वीकृति के अनुसार है। प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होता है। (ग) शासन को परियोजना के निर्माण से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। (घ) मान. प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित पत्रों की जानकारी शासन संधारित नहीं करता है। शासन स्तर पर कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "ग्यारह"

तकनीकी महाविद्यालयों द्वारा छात्रों की काशन मनी वापिस की जानी

77. (क्र. 4311) श्री हर्ष यादव : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भोपाल व सागर संभाग में कितने तकनीकी व इंजीनियरिंग महाविद्यालय शासकीय व निजी संचालित है? इनमें प्रवेशित छात्रों से काशन मनी जमा कराये जाने के क्या प्रावधान है? (ख) उक्त जमा काशन मनी को वापिस किये जाने हेतु क्या नियम व प्रावधान है? सागर संभाग के महाविद्यालयों द्वारा कितने छात्रों की काशन मनी नियमानुसार वापिस नहीं की है, क्यों? (ग) क्या विभाग निजी महाविद्यालयों द्वारा स्वेच्छाचारिता कर काशन मनी वापिस न किये जाने के मामलों की विस्तृत जांच कराकर काशन मनी की राशि छात्रों को वापिस करायेगा?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

शासकीय कर्मचारियों के 6वें वेतनमान में विसंगती

78. (क्र. 4335) श्री मनोज निर्भय सिंह पटेल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. में शासकीय कर्मचारियों के (6 वें वेतनमान) में विसंगती दूर करने के लिए गठित समिति की रिपोर्ट कब प्राप्त हुई है? (ख) रिपोर्ट के अनुसार क्या शासन ने विभागों का वेतन विसंगति दूर करने के निर्देश प्रसारित किये गये? (ग) नहीं तो समिति/आयोग की रिपोर्ट अनुसार कर्मचारियों के वेतन में सुधार कब तक किया जायेगा?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-सी-2 (1) -2008-एक-3, दिनाँक 23 फरवरी, 2008 द्वारा श्री ए.के. अग्रवाल सेवा निवृत्त आई.ए.एस. की अध्यक्षता में एकल सदस्यीय राज्य वेतन आयोग का गठन किया गया था। राज्य वेतन आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनाँक 30.03.2010 को राज्य शासन को सोंप दी है। (ख) एवं (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

कटी-फटी रजिस्ट्रियों के कारण अनियमिततायें

79. (क्र. 4347) श्री यशपालसिंह सिसौदिया : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन संभाग में पंजीयन कार्यालयों में प्राप्त होने वाली रजिस्ट्रीयों एवं बैंकों से प्राप्त होने वाले बंधक विलेखों की प्रविष्टि सूची क्रमांक 2 में किये जाने के संबंध में पंजीयन अधिनियम के क्या प्रावधान है? (ख) वर्तमान में उज्जैन संभाग में उप पंजीयक कार्यालयों में उक्त रजिस्ट्रीयों की प्रविष्टि किस दिनाँक तक की गई है, उक्त संभाग की तहसीलवार जानकारी देवें? (ग) क्या प्रश्नांश (ख) से संदर्भित कार्यालयों में सूची क्रमांक 2 कटे-फटे एवं छिन्न-भिन्न स्थिति में होकर रजिस्ट्रियां अपठनीय होने के कारण अद्यतन प्रविष्टियां नहीं की गई है? यदि हाँ तो इस संबंध में ऐसे कितने प्रकरण प्रकाश में आए जिससे फर्जी रजिस्ट्री एवं डबल फाईनेंस हुए, प्रकरणवार जानकारी देवें? (घ) प्रश्नांश (ग) के संबंध में ऐसी कितनी रजिस्ट्रियां जिनकी सूची क्रमांक 2 में प्रविष्टि नहीं होने के कारण अनियमितता सामने आई है, इसमें कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी पाए गए है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 54 तथा 55 में उक्त विषयक प्रावधान है, जो **संलग्न परिशिष्ट-"अ" अनुसार** है। (ख) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट-"ब" अनुसार** है। (ग) सूची क्रमांक-2 कुछ स्थानों पर कटे-फटे एवं छिन्न-भिन्न स्थिति में हैं, किंतु रजिस्ट्रीयां अपठनीय नहीं हैं। फर्जी रजिस्ट्री एवं डबल फाईनेंस संबंधी कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है। अत: शेष उपस्थित नहीं होता है। (घ) कोई अनियमितता प्रकाश में नहीं आई है। अत: किसी अधिकारी/कर्मचारी के दोषी पाये जाने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "बारह"

MPPSC परीक्षा फीस में वृद्धि

80. (क्र. 4348) श्री यशपालसिंह सिसौदिया : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या एम.पी.पी.एस.सी. अपनी सभी परीक्षाओं को आन लाईन परीक्षा करने जा रही है? क्या यह भी सही है कि आगामी असिस्टेंट इंजिनियर की भर्ती परीक्षा भी ऑनलाईन होगी? यदि हाँ तो एम.पी.पी.एस.सी. के सदस्यों की किस बैठक में परीक्षाएं ऑनलाईन कराने का निर्णय लिया गया है? (ख) प्रश्नांश (क) में संदर्भित क्या उक्त परीक्षा हेतु 1640 रूपये की राशि परीक्षा शुल्क के रूप में निर्धारित कर वसूली जा रही है? यदि हाँ तो कुल राशि 1640/- तय करने के कौन-कौन से मापदण्ड

तय किए गए? (ग) क्या 1640/- रू. राशि प्राप्त कर ऑनलाईन परीक्षा किस निजी कंपनी को ठेके पर दी है? यदि हाँ तो इसके टेण्डर कब जारी हुए? किन-किन एजेंसियों ने परीक्षा संचालन हेतु आवेदन किया, जानकारी देवें? (घ) क्या परीक्षा छत्तीसगढ़ एवं अन्य राज्यों में आयोजित करने हेतु एजेंसियां मात्र 400/- रूपये फीस प्रति छात्र वसूली जा रही है? म.प्र. में 1200/- रूपये अधिक फीस वसूलने के क्या कारण है?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) जी हाँ। केवल राज्य सेवा परीक्षा को छोड़कर शेष सभी परीक्षाएं ऑनलाईन कराई जावेगी। आयोग की बैठक दिनाँक 10-07-2014 में निर्णय लिया गया। (ख) जी हाँ। मापदण्ड निम्नानुसार तय किये गये है-

1	ऑनलाईन एजेंसी का संभावित व्यय- रूपये 600 प्रति प्रश्न पत्र- 600•2	1200/-
2	पेपर सेटिंग/वीक्षण/सुपरविजन/अन्य प्रशासनिक व्यय	400/-
3	पोर्टल व्यय	40/-
	कुल	1640/-

(ग) एजेंसी का चयन प्रक्रियाधीन है। टेण्डर दिनाँक 12-12-2014 को जारी हुए। एजेंसियों की जानकारी निम्नानुसार है :-

1- टी.सी.एस. एजेंसी
2- वायम एजेंसी
3- एपटेक
4- बिरला श्लोका
5- मनीपाल

(घ) प्रत्येक राज्य में आयोजित परीक्षाओं की फीस निर्धारण की सीमा भिन्न भिन्न होना संभावित है। ऑनलाईन परीक्षा आयोजन में एक प्रश्न पत्र का व्यय रूपये 600/- है। राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा में 02 प्रश्न पत्र होने से आयोग द्वारा अधिक फीस नहीं वसूली जा रही है। अत: निर्धारित शुल्क से प्राप्त राशि संभावित व्यय से अत्यंत कम है।

राज्य की आय में बढ़ोत्तरी एवं घाटे की स्थिति

81. (क्र. 4359) श्री सचिन यादव : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2008 से आज तक मध्यप्रदेश सरकार की आय में बढ़ोतरी किये जाने के लिए कौन-कौन सी चीजों पर कितना-कितना वैट कब-कब लगाया गया और इससे प्रतिवर्ष कुल कितनी-कितनी बढ़ोतरी आय में हुई, वर्षवार जानकारी दें? (ख) वर्षवार बतायें कि प्रश्नांश (क) में दर्शित समयावधि में केन्द्र सरकार द्वारा कब-कब, कितनी-कितनी कुल राशि राज्य सरकार को किस-किस कार्य हेतु प्राप्त हुई? (ग) अप्रैल से अक्टूबर, 2014 के अंतराल में क्या आय में बढ़ोतरी हुई थी हाँ तो कितनी कुल राशि बतायें नहीं तो कितना घाटा था? (घ) क्या प्रदेश सरकार ने माह दिसम्बर, 2014 में बजट घाटे

की पूर्ति किये जाने हेतु पेट्रोल, डीजल एवं अन्य वस्तुओं पर वैट बढ़ाये थे? हाँ तो कितने घाटे की पूर्ति हेतु या फिर कोई ओर कारण थे? (ड.) प्रश्नांश (ग) अनुसार वैट से कुल कितनी अतिरिक्त आय प्राप्त हुई? क्या सरकार जीएसटी की मंशा हेतु रैवेन्यू प्राप्त करना चाहती थी? हाँ तो स्पष्ट करें?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) प्रश्नाधीन अवधि की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-''ए'' अनुसार** है। वेट बढ़ाये जाने के पश्चात आय में हुई बढ़ोतरी की जानकारी पृथक से वस्तुवार संधारित नहीं की जाती है। (ख) केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2008 से मार्च, 2015 तक वाणिज्यिक कर विभाग (कार्यालय आयुक्त, वाणिज्यिक कर कर मध्यप्रदेश इन्दौर) को कुल राशि रूपये 42.48 करोड़ प्राप्त हुई है। प्राप्त राशि की विस्तृत **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-''बी'' अनुसार** है। (ग) प्रश्नांश ''क'' अनुसार वेट बढ़ाये जाने के पश्चात आय में हुई बढ़ोतरी की जानकारी पृथक से वस्तुवार संधारित नहीं की जाती है। (घ) प्रदेश में विकास कार्य के लिए वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए पेट्रोल एवं डीजल पर वेट बढ़ाया गया। (ड.) प्रश्नांश ''ग'' अनुसार वेट बढ़ाये जाने के पश्चात् आय में हुई बढ़ोतरी की जानकारी पृथक से वस्तुवार संधारित नहीं की जाती है।

<u>परिशिष्ट - ''तेरह''</u>

<u>विधायकों द्वारा चाही गई जानकारी</u>

82. (क्र. 4375) श्री निशंक कुमार जैन : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं गंजबासोदा जिला विदिशा से किन-किन विषयों पर कौन-कौन सी जानकारी चाही गई थी उनमें से कौन-कौन सी जानकारी क्या-क्या कारण बताया जाकर उपलब्ध नहीं करवाई गई? (ख) विभाग एवं शासन के निर्देशानुसार प्रश्नकर्ता द्वारा अनुविभागीय अधिकारी से चाही गई कौन-कौन सी जानकारी प्रश्नकर्ता को उपलब्ध करवाई जानी चाहिए थी ऐसा न किए जाने पर अनुविभागीय अधिकारी के विरूद्ध किन प्रावधानों के तहत क्या-क्या कार्यवाही किस अधिकारी के द्वारा की जा सकती हैं? (ग) प्रश्नकर्ता को चाही गई जानकारी उपलब्ध करवाई जाकर अनुविभागीय अधिकारी के विरूद्ध कब तक क्या कार्यवाही की जावेगी?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) एवं (ग) उत्तरांश ''क'' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>परिशिष्ट - ''चौदह''</u>

<u>विदिशा जिले के बघरू बांध (त्यौहा) का संयुक्त निरीक्षण</u>

83. (क्र. 4376) श्री निशंक कुमार जैन : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के साथ दिनाँक 22.09.2014 को (बघई) बघरू बांध क्षेत्र के संयुक्त निरीक्षण में किस विभाग के कौन-कौन अधिकारी उपस्थित रहे, निरीक्षण दल के समक्ष ग्रामवासियों के द्वारा किन-किन समस्याओं का जिक्र किया/ ज्ञापन दिया या उल्लेख किया गया उनमें से किस समस्या को लेकर एस.डी.ओ. एवं कार्यपालन यंत्री एवं अधीक्षण यंत्री ने संयुक्त प्रतिवेदन बनाकर हस्ताक्षर किए? (ख) स्थल निरीक्षण के संबंध में प्राप्त किस-किस विषय को लेकर अधीक्षण यंत्री द्वारा किस दिनाँक को मुख्य अभियंता को पत्र लिखा गया किस-किस विषय पर किन कारणों से अधीक्षण यंत्री के द्वारा प्रश्नांकित दिनाँक तक मुख्य अभियंता को पत्र नहीं लिखा गया? (ग) बघरू जलाशय से

पीड़ित ग्रामवासियों एवं प्रभावितों के संबंध में अधीक्षण यंत्री द्वारा मुख्य अभियंता को दिनाँक 15.10.2014 को प्रेषित पत्र पर मुख्य अभियंता ने किस दिनाँक को क्या-क्या कार्यवाही की हैं कौन-कौन से निर्देश अधीक्षण यंत्री एवं कार्यपालन यंत्री को दिए गए? (घ) संयुक्त निरीक्षण के प्रतिवेदन के अनुसार कब तक प्रभावितों एवं पीड़ितों की समस्या का हल किया जावेगा?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) से (घ) मा. प्रश्नकर्ता विधायक के निरीक्षण से संबंधित जानकारी शासन द्वारा संधारित नहीं की जाती है। बघरूं मध्यम परियोजना के भू-अर्जन एवं पुनर्वास संबंधी कार्यो के लिए परियोजना की पुन: पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति आवश्यक है। पुन: पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति के प्रस्ताव में कमियां होने से प्रस्ताव मुख्य अभियंता, चंबल बेतवा कछार, भोपाल को लौटाया गया है।

सिंचाई जलाशय की कच्ची नहरों को पक्का किया जाना

84. (क्र. 4419) श्री जतन उईके : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पांढुर्णा तहसील की कितने जलाशयों की नहरों का पक्का (सीमेंटीकृत) कर दिया गया है तथा कितनी नहरों का कार्य होना शेष है? इसे कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा? क्या इसके लिये किसी अधिकारी कर्मचारी की जिम्मेदारी भी नियत की जाती है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) पांढुरना तहसील में 20 लघु सिंचाई परियोजनाएं निर्मित है जिनमें से तीन परियोजनाओं में नहरें नहीं है। तीन परियोजनाओं में नहरों की लाईनिंग का सुदृढ़ीकरण कार्य कराया गया है। एक परियोजना में नहर सुदृढ़ीकरण कार्य पूर्णता पर है। शेष परियोजनाओं की नहरों के सुदृढ़ीकरण के प्रस्ताव स्वीकृति हेतु लंबित नहीं है। निर्माणाधीन कार्य स्वीकृति के वर्ष को छोड़कर 2 वर्ष में पूर्ण करने की नीति है। अनियमितता नहीं होने से किसी अधिकारी/कर्मचारी की जिम्मेदारी नियत करने की स्थिति नहीं है।

ग्राम करहा में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना अंतर्गत कार्य

85. (क्र. 4472) श्री माधो सिंह डावर : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जोबट विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जनपद कट्ठीवाड़ा के ग्राम करहा में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना अन्तर्गत कार्य किया गया था? (ख) यदि हाँ तो उक्त कार्य पूर्ण किया गया या नहीं? (ग) यदि नहीं तो क्यों? यदि हाँ तो क्या विद्युत प्रवाह प्रारंभ कर दिया गया है? (घ) यदि नहीं तो क्यों? अभी तक विद्युत प्रवाह प्रारंभ नहीं किये जाने का क्या कारण है? क्या दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी? विद्युत प्रवाह कब तक प्रारंभ किया जावेगा?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जी हाँ, जोबट विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत जनपद कट्ठीवाड़ा के ग्राम करहा में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत 16 के.व्ही.ए. क्षमता के एक विद्युत वितरण ट्रांसफार्मर की स्थापना एवं 1.90 किलोमीटर निम्नदाब लाईन डालने का कार्य किया गया था। (ख) जी हाँ, उक्त कार्य पूर्ण किया जा चुका है। (ग) प्रश्नाधीन लाईन एवं विद्युत वितरण ट्रांसफार्मर को ऊर्जीकृत कर विद्युत प्रवाह प्रारंभ कर दिया गया है। (घ) उत्तरांश "ग" के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम कट्ठीवाड़ा एवं बड़ी खट्टाली में 33 KVA ग्रीड की स्वीकृति

86. (क्र. 4474) श्री माधो सिंह डावर : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र जोबट के अंतर्गत ग्राम कट्ठीवाड़ा, बड़ी खट्टाली में 33 के.वी.ए. का ग्रीड स्वीकृत किया गया था? (ख) यदि हाँ तो क्या जिले के प्रभारी मंत्री माननीय अन्तर सिंह आर्य द्वारा उक्त दोनों ग्रीडों का भूमि पूजन किया गया था? (ग) उक्त दोनों ग्रिडों का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है या नहीं? (घ) ग्रीड निर्माण का कार्य कब तक प्रारंभ किया जावेगा?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जी हाँ, जोबट विधानसभा क्षेत्र के ग्राम कटठीवाडा एवं ग्राम बडी खट्टाली में 33/11 के.व्ही. विद्युत उपकेन्द्रों के निर्माण का कार्य स्वीकृत है। (ख) जी नहीं, केवल ग्राम बडी खट्टाली में प्रस्तावित 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र भूमिपूजन माननीय प्रभारी मंत्री श्री अंतरसिंह आर्य द्वारा किया गया था। (ग) कट्ठीवाड़ा उपकेन्द्र का कार्य प्रारंभ किया जा चुका है तथा बड़ी खट्टाली उपकेन्द्र का कार्य अभी प्रारंभ नहीं किया गया है। (घ) 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र कट्ठीवाड़ा का कार्य पूर्व से ही आरंभ किया जा चुका है तथा 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र बड़ी खट्टाली का निर्माण कार्य माह अप्रैल-2015 से प्रारंभ कर दिया जायेगा।

<u>प्रयोगशाला तकनीशियन को अध्ययन की अनुमति</u>

87. (क्र. 4476) श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक पद के विरूद्ध अतिथि विद्वानों की नियुक्ति के लिए शासन ने क्या मापदण्ड निर्धारित किए गए है? छायाप्रति सहित जानकारी दें। (ख) क्या अतिथि विद्वानों की नियुक्ति का आधार शैक्षणिक योग्यता है? यदि हाँ तो महाविद्यालय में पदस्थ प्रयोगशाला तकनीशियन (शिक्षक संवर्ग) की शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अध्ययन की अनुमति दी जा सकती है? यदि नहीं तो क्यों? (ग) क्या प्रयोगशाला तकनीशियन, सहायक प्राध्यापक के समकक्ष योग्यताधारी को अध्यापन की स्वीकृति देकर शासन के धन की बचत ओर समय की बचत, छात्रों के हितों के प्रति शासनादेश जारी किया जा सकता है? यदि हाँ तो कब तक जानकारी दें। (घ) मध्यप्रदेश शासन में प्रयोगशाला तकनीशियन कहाँ-कहाँ पर सहायक प्राध्यापक के समकक्ष योग्यताधारी पदस्थ हैं?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) जी हाँ। जी नहीं। (ग) एवं (घ) प्रश्नांश "क" और "ख" के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।

<u>ओंकारेश्वर परियोजना की भूमि पर अतिक्रमण</u>

88. (क्र. 4488) श्री हितेन्द्र सिंह सोलंकी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या बड़वाहा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ओंकारेश्वर नहर परियोजना के लिये भूमि अधिग्रहण की गई थी? यदि हाँ तो उक्त परियोजना में ग्राम डेहरिया में किसी शासकीय एवं निजी भूमियों का अधिग्रहण किया गया है? (ख) ओंकारेश्वर नहर परियोजना के अंतर्गत ग्राम डेहरिया में इस भूमियों में किन व्यक्तियों द्वारा कितनी-कितनी भूमि पर किन-किन व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण किया गया है? उसकी जानकारी दी जावें? (ग) प्रश्नांश (ख) के अनुसार अतिक्रमंक के विरूद्ध विभाग द्वारा वर्तमान तक क्या कार्यवाही की गई है? विभाग द्वारा उक्त अतिक्रमण हटाने के लिये कहाँ-कहाँ पत्र व्यवहार किया गया है एवं संबंधित विभाग द्वारा प्रश्न दिनाँक तक कितना अतिक्रमण हटाया गया

है एवं कितना हटाया जाना शेष हैं, अतिक्रमण न हटाने के क्या कारण रहे हैं एवं कितने समय में शेष अतिक्रमण हटाया जावेगा? क्या अतिक्रमण करने वाले के विरूद्ध सिव्हिल जेल का प्रावधान है यदि हाँ तो क्या नियमानुसार जेल की कार्यवाही की जावेगी?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) जी हाँ ओंकारेश्वर नहर परियोजना चरण-1 में दॉयी तट नहर के अंतर्गत ग्राम डेहरिया के हितग्राहियों की 8.373 हेक्टेयर निजी भूमि का अधिग्रहण किया गया। इस ग्राम में शासकीय भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया है। (ख) ओंकारेश्वर नहर परियोजना प्रथम चरण अंतर्गत दॉयी तट नहर किनारे पर ग्राम डेहरिया में श्री देवेश पिता श्री सुरेश सिंह ठाकुर द्वारा खसरा नम्बर 4 पर लभगभ 0.54 हेक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। (ग) अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही हेतु तहसीलदार (राजस्व) तहसील बडवाह को विभाग द्वारा दिनाँक 08/12/2014 को पत्र लिखा गया था तदानुसार दिनाँक 15/12/2014 को तहसीलदार, संबंधित पटवारी एवं विभाग के संबंधित सहायक यंत्री/उपयंत्री द्वारा संयुक्त स्थल निरीक्षण किया गया है। अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही प्रचलन में है।

मीसाबंदियों को पेंशन

89. (क्र. 4489) श्री प्रदीप अग्रवाल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दतिया जिले में कुल कितने मीसाबंदियों को पेंशन प्रदाय की जा रही है? क्या यह सत्य है कि श्री गुलाब चन्द्र अग्रवाल पूर्व विधायक को मीसाबंदियों की जो पेंशन दी जा रही थी उसमें लगभग आधी गत 10 माह से कम की गई है, वह किस आधार पर की गई, जानकारी उपलब्ध कराई जावें? (ख) क्या इस प्रकार की घटनायें अन्य मीसाबंदियों के साथ भी हो रही हैं, क्या माननीय मंत्री जी जांच कर कार्यवाही करेंगे?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) कुल 22 मीसाबंदियों को पेंशन प्रदाय की जा रही है। जिला कोषालय अधिकारी दतिया द्वारा श्री गुलाबचन्द्र अग्रवाल पूर्व विधायक को दिनाँक 04/01/2012 से पेंशन राशि प्रतिमाह पुनरीक्षित कर भुगतान करने हेतु शाखा प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक म्यूनिसियल चौक दतिया को दिनाँक 09/03/2015 को लिखा गया है। (ख) जी नहीं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

वित्तीय अनियमितता

90. (क्र. 4517) श्रीमती ममता मीना : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या श्री सुरेन्द्र सचदेवा तत्कालीन अधीक्षण यंत्री मध्यप्रदेश वि.वि.क.लि.वृत गुना, गुना से पूर्व मुरैना जिले में पदस्थ थे यदि हाँ तो क्या उनके विरूद्ध ई.ओ.डब्ल्यू. में प्रकरण दर्ज है था विवरण दें? (ख) क्या आर.जी.व्ही.व्ही.वाय परियोजना जिला मुरैना में कार्यरत के दौरान सुरेन्द्र सचदेवा के विरूद्ध फर्जी बिलों के भुगतान के प्रकरण की जांच हुई थी क्या कार्यवाही हुई? (ग) क्या सुरेन्द्र सचदेवा के विरूद्ध जांच में दोषी पाया क्या कार्यवाही कर वसूली होगी संपूर्ण जानकारी दें? (घ) क्या सुरेन्द्र सचदेवा अधीक्षण यंत्री गुना वृत में पदस्थगी के दौरान किये गये कार्यों व भुगतानों में भौतिक सत्यापन कराया है यदि हाँ तो क्या अनियमितता हुई है क्या कार्यवाही की है?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) श्री सुरेन्द्र सचदेवा, अधीक्षण यंत्री गुना संचालन/संधारण वृत से पूर्व मुरैना जिले में दिनाँक 03.08.2009 से 07.01.2012 तक पदस्थ थे। श्री सचदेवा के विरूद्ध

कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार ई.ओ.डब्ल्यु. में प्रकरण दर्ज होने की जानकारी म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के संज्ञान में नहीं है। (ख) जी हाँ, श्री सुरेन्द्र सचदेवा तत्कालीन महाप्रबंधक (संचा.संधा.) वृत, मुरैना की उक्त पदस्थापना के दौरान, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत मेसर्स के.ई.सी. इन्टरनेशनल को सौंपे गये अवार्ड में कार्य के पर्यवेक्षण, निरीक्षण एवं बिलों के भुगतान में उनके द्वारा बरती गई लापरवाही के लिए म.प्र.सिविल सेवा (आचरण) नियम-1965 के अन्तर्गत, प्रबंध संचालक कार्यालय के पत्र क्रमांक 1660 दिनाँक 23.11.2013 के माध्यम से श्री सचदेवा को आरोप पत्र जारी किया गया था। इसके अतिरिक्त अन्य चार अधिकारियों को भी इसी प्रकरण में आरोप पत्र जारी किये गये थे। तदोपरांत नियमानुसार विभागीय जांच संस्थित की गई। (ग) उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में जांचोपरांत जांचकर्ता अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच निष्कर्ष में श्री सुरेन्द्र सचदेवा के विरूद्ध मात्र एक आरोप आंशिक रूप से सिद्ध पाये जाने का उल्लेख किये जाने पर जांच प्रतिवेदन के आधार पर मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के आदेश दिनाँक 26.02.2015 से श्री एस.के.सचदेवा. महाप्रबंधक (संचा.संधा.) वृत, भोपाल को परिनिंदा (censure) लघुशास्ति के दण्ड से दण्डित किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य राशि ठेकेदार एजेंसी मेसर्स के.ई.सी. इन्टरनेशनल गुड़गांव से वसूल कर ली गई है। (घ) श्री सुरेन्द्र सचदेवा, अधीक्षण यंत्री की गुना संचालन/संधारण वृत, में पदस्थी के दौरान किसी प्रकार की अनियमितता की शिकायत प्राप्त नहीं हुई, अत: उक्त अवधि में किये गये कार्यों व भुगतान के पृथक से भौतिक सत्यापन कराये जाने की आवश्यकता नहीं है।

निजी विश्वविद्यालयों द्वारा अन्य महाविद्यालयों की संबद्धता

91. (क्र. 4547) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता वि.वि. को अन्य महा वि. को संबद्धता देने का अधिकार है? यदि हाँ तो यू.जी.सी. के किस नियम के तहत यह अधिकार है? यदि यह अधिकार नहीं है तो प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर संचालित ऐसे सभी संस्थान जो इस विश्व विद्यालय में संबद्धता पर संचालित हो रहे है, शासन क्या कार्यवाही करेगा? (ख) क्या कोई भी निजी वि.वि. अन्य महा.वि. को संबद्धता नहीं दे सकता? यदि दे सकता है तो किन नियमों के तहत दे सकता है और यदि नहीं दे सकता तो प्रदेश में विभिन्न निजी वि.वि. से संबद्धता प्राप्त कर संचालित किये जा रहे संस्थाओं पर शासन क्या कार्यवाही करेगा?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क½ हाँ। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय को अन्य महाविद्यालयों को सम्बद्वता देने का अधिकार है। यह अधिकार मध्यप्रदेश विधानसभा द्वारा पारित विश्वविद्यालय के अधिनियम क्रमांक 15 सन् 1990 की धारा 5 (चौदह½ के तहत् विश्वविद्यालय को प्राप्त है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख½ माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से संबंधित नहीं है।

NCVT से मान्यता प्राप्त प्राइवेट ITI

92. (क्र. 4548) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बालाघाट जिले में NCVT से मान्यता प्राप्त कुल कितने प्राइवेट ITI हैं? स्थान तथा उनमें संचालित ट्रेड तथा स्टाफ की जानकारी दें? (ख) बालाघाट जिले में शासकीय ITI में ऐसे कितने ट्रेड हैं जिन्हें NCVT से मान्यता है तथा ऐसे कितने ट्रेड हैं जिन्हें NCVT से मान्यता नहीं हैं? कृपया ITI

अनुसार जानकारी दें? (ग) जिले में जिन ट्रेडों को NCVT से मान्यता नहीं है उन्हें NCVT से मान्यता देने हेतु क्या कार्यवाही की गयी है?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार** है। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार** है। (ग) एनसीव्हीटी के निर्धारित मापदण्डों के अनुसार व्यवस्था बनाने हेतु कार्यवाही की जा रही है। शेष **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-तीन अनुसार** है।

जाति प्रमाण पत्र जारी करने में अनियमितता

93. (क्र. 4608) श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या निर्धारित प्रारूप सहित जाति, निवास, आय एवं घोषणा पत्र प्रस्तुत करने पर जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है? यदि हाँ तो एस.डी.एम. कटनी / रीठी एवं लोक सेवा केंद्र कटनी द्वारा पार्षद्/सरपंच, पटवारी प्रतिवेदन, पंचनामा एवं अन्य दस्तावेंजो की मांग किन नियमों के तहत की जाती है? (ख) जाति प्रमाण पत्र के आवेदन, पदाभिहित अधिकारी कार्यालय में सीधे जमा किये जा सकते है अथवा नहीं? यदि हाँ तो जनवरी 2014 से कटनी जिले में पदाभिहित अधिकारी/एस.डी.एम. कार्यालयों एवं लोक सेवा केन्द्रों में अभियान के अलावा प्राप्त आवेदनों का विवरण बतायें साथ ही बताये कि सेवा प्रदाय करने हेतु लोक सेवा केन्द्रों द्वारा आवेदकों से क्या कोई शुल्क लिया जाता है? यदि हाँ तो क्या यह सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रं. एफ./7-42/2012/आ.प्र./एक, भोपाल दिनाँक 13/01/2014 के बिन्दु क्रं. 8.11 (v.i) का उल्लंघन नहीं हैं? (ग) क्या अधूरे भरे आवेदन अथवा दस्तावेजो की कमी को सुधारा जा सकता है या आवेदनों को सीधे निरस्त किया जा सकता है? यदि हाँ तो नियम बतायें। यदि नहीं तो जनवरी 2014 से ए.एस.डी.एम. (रा.) कटनी/रीठी इसी आधार पर कितने आवेदनों को निरस्त किया गया है? आवेदनों के नियम विपरीत निराकरण एवं प्रश्नांश (क) एवं (ख) के अनुसार इनके विरूद्ध क्या कार्यवाही, कब तक की जायेगी। यदि नहीं तो क्यों?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही हैं।

फीडर सेपरेशन के कार्य

94. (क्र. 4611) श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कटनी जिले में फीडर सेपरेशन का कार्य कितने फीडरों में किया जा रहा है? जिले में कितने कितने के.व्ही.ए. क्षमता के कितने ट्रांसफार्मर स्वीकृत थे? योजना प्रारंभ से प्रश्न दिनाँक तक कितनी-कितनी क्षमता के कितने ट्रांसफार्मर लगा दिये गये है? फीडरवार जानकारी देवें? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में विद्युत कंपनी द्वारा किस अनुबंधित एजेंसी को कितनी समयावधि में कितनी लागत से फीडर सेपरेशन कार्य करने हेतु कार्य आदेश दिया था एवं ट्रांसफार्मर स्थापित होने अथवा आपरेशनल एक्सेप्टेशन जारी होने के दिनाँक से तीन वर्ष के भीतर ट्रांसफार्मर खराब होने पर एजेंसी द्वारा कितनी समयावधि में बदले जाने का प्रावधान है? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में बताये कि क्या कटनी जिले में फीडर सेपरेशन के समस्त कार्य संबंधित एजेंसी द्वारा अनुबंधित समयावधि में पूर्ण कर दिये गये है एवं खराब/बंद ट्रांसफार्मर नियत अवधि में बदले जा रहे है? यदि नहीं तो कार्य में विलंब के चलते क्या कार्यवाही की गई? उपरोक्त संबंध में अनदेखी करने के जिम्मेदारों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) कटनी जिले में फीडर सेपरेशन योजना अन्तर्गत 72 फीडरों के विभक्तिकरण का कार्य किया जा रहा है। कटनी जिले में उक्त योजनान्तर्गत 25 के.व्ही.ए. क्षमता के 1433 वितरण ट्रांसफार्मर स्वीकृत थे। योजना प्रारंभ दिनाँक से दिनाँक 28.02.2015 तक 25 के.व्ही.ए. क्षमता के कुल 944 वितरण ट्रांसफार्मर स्थापित किये जा चुके हैं एवं स्थापित किये गये वितरण ट्रांसफार्मरों की फीडरवार **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) प्रश्नाधीन कार्य हेतु मेसर्स के.एम.जी. ए टू जेड सिस्टम प्रा.लिमि., नोयडा को 18 माह की अवधि में कार्य पूर्ण करने के लिये रूपये 75.34 करोड़ (पुनरीक्षित) लागत राशि का कार्यादेश जारी किया गया था। अनुबंधानुसार गारण्टी अवधि में ट्रांसफार्मर खराब होने पर ठेकेदार को सूचना की तिथि से 15 दिनों में ट्रांसफार्मर बदले जाने का प्रावधान है। (ग) जी नहीं, ठेकेदार एजेंसी द्वारा प्रश्नाधीन कार्य अनुबंधित समयावधि में पूर्ण नहीं किये गये हैं तथापि योजनान्तर्गत स्थापित वितरण ट्रांसफार्मरों में से खराब/बंद ट्रांसफार्मर निर्धारित अवधि में बदले जा रहे हैं। प्रश्नाधीन कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण नहीं करने पर ठेकेदार के देयकों से अनुबंधानुसार लिक्विडेटेड डैमेज के रूप में पेनल्टी स्वरूप रू. 1.48 करोड़ की राशि काटी जा चुकी है। ठेकेदार से अनुबंध के प्रावधानों एवं शर्तों के अनुसार ही कार्य कराया जा रहा है, अत: किसी के विरूद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

परिशिष्ट - ''पंद्रह''

पंजीयन में स्टाम्प शुल्क की गणना

95. (क्र. 4619) श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कटनी जिले में वर्ष 2011-2012 में किसी भवन/भूखण्ड/कृषि भूमि के विक्रय पंजीयन में स्टाम्प राशि की गणना हेतु बाजार मूल्य का निर्धारण करने के लिए किसी भी संपत्ति के निश्चित क्षेत्रफल तक अलग दर से और उक्त निश्चित क्षेत्रफल के बाद के शेष क्षेत्र की अलग दर से की जाती थी? (ख) यदि हाँ तो प्रश्नांश (क) के संदर्भ में बतायें कि प्रथम कितने क्षेत्रफल तक की गणना अलग दर से की जाती थी? (ग) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में यह भी बतायें कि उक्त अलग-अलग क्षेत्रफल पर अलग-अलग दर की गणना सभी विक्रयों पर लागू थी या एक निश्चित क्षेत्रफल से ज्यादा के क्षेत्र में?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) जी हाँ। (ख) प्रश्नाधीन अवधि में भवन, भूखण्ड तथा कृषि भूमि के भूखण्डों के मूल्यांकन संबंधी जानकारी क्रमश: **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ, ब एवं स अनुसार** है। (ग) सभी विक्रयों पर प्रश्नांश ''ख'' के उत्तर में दर्शाये गये अनुबंधों अनुसार मूल्य की गणना की जाती थी।

जनभागीदारी योजना से राशि आवंटन

96. (क्र. 4628) श्री प्रहलाद भारती : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. शासन, योजना आर्थिक सांख्यिकी विभाग भोपाल के पत्र क्र./1029/703/2013/23/ यो.आ.सं., भोपाल दिनाँक 20.05.2013 द्वारा शासकीय पी.जी. महाविद्यालय भवन/अतिरिक्त कक्ष बनाये जाने हेतु राशि 1,81,24,000/- की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गयी थी उक्त राशि में से 50 प्रतिशत 92,62,000/- जनभागीदारी योजना से स्वीकृति थी? (ख) प्रश्नांक (क) अनुसार क्या कलेक्टर शिवपुरी को उक्त राशि का आवंटन जारी किया गया है? यदि नहीं तो स्वीकृति के पश्चात् भी आवंटन जारी क्यों नहीं किया गया कारण स्पष्ट करें व इसके लिए कौन-कौन जिम्मेदार है? (ग) क्या

उक्त राशि का आवंटन वर्ष 2014-15 के प्रथम त्रैमास में जनभागीदारी योजना के अंतर्गत 65 लाख रूपये मांग संख्या 60 में जिला योजना एवं आर्थिक सांख्यिकी विभाग शिवपुरी को प्राप्त हुआ है? यदि हाँ तो क्या उक्त राशि निर्माण एजेन्सी को प्रदाय कर दी गयी है? यदि नहीं तो कारण स्पष्ट करें? (घ) पी.जी. महाविद्यायल शिवपुरी में उपरोक्तानुसार कार्य हेतु राशि कब तक निर्माण एजेन्सी को प्रदाय कर निर्माण कार्य कब तक प्रारंभ कर दिया जावेगा?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। शिवपुरी जिले को जनभागीदारी योजना अन्तर्गत मांग संख्या 60 में वर्ष 2013-14 में 110 लाख रूपये तथा वर्ष 2014-15 में कुल 230 लाख रूपये आवंटन प्रदान किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हॉ। शेष कार्यवाही प्रचलित है। (घ) निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

सिवनी जिले में की गई घोषणाओं को पूर्ण किया जाना

97. (क्र. 4642) श्री दिनेश राय (मुनमुन) : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी जिले की सिवनी विधानसभा क्षेत्र में विगत पांच वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री महो. जी का कितने बार आगमन हुआ? वर्षवार जानकारी दें? (ख) प्रश्नांश (क) विधान सभा क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्यप्रदेश शासन ने कौन-कौन सी घोषणाएं की हैं? क्या माननीय सी.एम. महोदय द्वारा की गई घोषणाएं पूर्ण हो गयी हैं? यदि हाँ, तो कौन सी नहीं, तो क्यों? जिन घोषणाओं को पूर्ण नहीं किया गया है, उन पर प्रश्न दिवस तक क्या-क्या प्रशासनिक स्तर से कार्यवाही की गई है? (ग) सिवनी जिले की सिवनी विधानसभा क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा की गई अपूर्ण घोषणाएं कब तक पूर्ण हो जावेंगी?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) सिवनी जिले की सिवनी विधानसभा क्षेत्र में विगत पांच वर्षों में 07 बार आगमन हुआ। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-"अ" अनुसार** है। (ख) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-"ब" अनुसार** है। (ग) माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं का क्रियान्वयन एक सतत प्रक्रिया है घोषणाओं की पूर्ति की निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "सोलह"

नहरों के माध्यम से सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जाना

98. (क्र. 4643) श्री दिनेश राय (मुनमुन) : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी जिले के विधान सभ क्षेत्र सिवनी के अंतर्गत माचा गोरा पेंच नहर सिंचाई परियोजना के माध्यम से कितने ग्राम की कितनी भूमि सिंचित होगी? (ख) क्या प्रश्नांश (क) परियोजना के माध्यम से सिंचाई की सुविधा से ग्राम पौड़ी, ज्वनारा, मेहलौन, बीझावाड़ी, गोरखपुर, परासिया, भांजीपानी, खमरिया, थांवरी, सालीवाड़ा, बांदरा, बजरवाड़ा, कलारबांकी क्षेत्र सहित सिवनी विधान सभा क्षेत्र के लगभग 70-80 ग्राम वंचित हो रहे हैं? क्या इन ग्रामों के कृषकों को सिंचाई सुविधा का लाभ दिये जाने हेतु शासन स्तर से सर्वे किया जाकर क्षेत्र में निर्मित तालाबों में माचा गोरा पेंच नहर का पानी चीजबांध, सागर बांध, गौशाला बांध, बोरी बांध आदि में डाल कर सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जावेगी, ताकि क्षेत्र के किसानों को सिंचाई हेतु उक्त परियोजना का लाभ प्राप्त हो सकें। (ग) क्या प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित ग्रामों को पूर्व में तैयार प्राक्कलन में जोड़ा जाकर सर्वे भी किया जा चुका

है, जिसे बाद में संशोधित प्राक्कलन तैयार कर उक्त ग्रामों को छोड़ दिया गया है? यदि हाँ तो कारण बतावें।

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) से (ग) लगभग 39,000 हेक्टर आंकलित है। लाभान्वित ग्रामों की सूची **संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। परियोजना में उपलब्ध जल की सीमा में अधिकाधिक ग्रामों में सिंचाई सुविधा देने के भरसक प्रयास किए गए है। प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होते है।

<u>परिशिष्ट - "सत्रह"</u>

<u>विधायक निधि से स्वीकृत निर्माण कार्य</u>

99. (क्र. 4662) श्री सुशील कुमार तिवारी (इंदू भैया) : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधायक निधि से स्वीकृत निर्माण कार्यों का बजट पूर्णकालिक है? यदि नहीं है तो निर्माण कार्यों का भुगतान समय पर कैसे सम्भव है? (ख) क्या निर्माण कार्यों की गुणवत्ता बनाये रखने हेतु ठेकेदार के भुगतान से अमानत एवं सुरक्षा निधि काटी जाने का प्रावधान है? यदि नहीं है तो दोषपूर्ण गुणवत्ता (डिफेक्ट लायविल्टी) की स्थिति में पूर्ति कैसे की जावेंगी? (ग) क्या प्रश्नांश (क), (ख) के कारण वर्तमान भुगतान प्रक्रिया जटिल एवं दोषपूर्ण नहीं हैं? (घ) क्या विधायक निधि के अंतर्गत स्वीकृत निर्माण कार्यों में विलम्ब एवं दोष न हो, ऐसी सरल प्रकियां अपनाई जा सकती है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) जी हाँ। बजट पूर्ण कालिक (वार्षिक) है। (ख) निर्माण कार्यों की गुणवत्ता बनाए रखने हेतु ठेकेदार से अमानत एवं सुरक्षा निधि काटी जाने के संबंध में संबंधित क्रियान्वयन एजेन्सी के विभागीय प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। (घ) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र योजना मार्गदर्शिका 2013 में स्वीकृत निर्माण कार्यों में विलम्ब एवं दोष न हो ऐसी सरल प्रक्रिया पूर्व से ही प्रावधानित है।

<u>त्वरित ट्रांसफार्मर की स्थापना</u>

100. (क्र. 4689) श्रीमती रेखा यादव : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छतरपुर एवं टीकमगढ़ जिले में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत कितनी लागत के किए जा रहे विद्युतीकरण कार्य में गत तीन वर्ष में कितनी क्षमता के कितने ट्रांसफार्मर स्थापित किए गए इनमें से कितनों में एन.ए.बी.एल. लैब से टेस्ट रिपोर्ट प्राप्त हुई? (ख) लगाए गए ट्रांसफार्मर की गुणवत्ता एवं मानक और टेस्ट रिपोर्ट का सत्यापन विभाग या ऊर्जा कपंनी के किस अधिकारी के द्वारा किया गया? कितने ट्रांसफार्मर का सत्यापन नहीं किया गया कितने ट्रासंफार्मर को सत्यापन के दौरान प्रतिवेदित स्तर का नहीं पाया पृथक-पृथक बतावें? (ग) छतरपुर जिले में ट्रांसफार्मर को क्रय किए जाने का भुगतान किसके द्वारा किया गया ठेकेदार द्वारा क्रय की गई सामग्री के बिल विभाग या ऊर्जा कंपनी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए हों तो कारण बतावें?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) छतरपुर एवं टीकमगढ़ जिले में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनान्तर्गत कराए जा रहे कार्यों की लागत राशि, विगत तीन वर्षों में स्थापित किए गए ट्रांसफार्मरों की क्षमतावार संख्या तथा एन.ए.बी.एल. से प्रमाणित लैब से प्राप्त टेस्ट रिपोर्ट संबंधी जिलेवार **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) जी हाँ। राजीव गांधी ग्रामीण

विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत जो भी ट्रांसफार्मर ठेकेदार द्वारा क्रय किये जाते हैं, उनका भौतिक सत्यापन नोडल अधिकारी (रा.गॉ.ग्रा.वि.यो.) छतरपुर एवं टीकमगढ़ द्वारा किया जाता है। ऐसे ट्रांसफार्मरों की संख्या निरंक है जिनका भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है। ठेकेदार द्वारा लाए गए कुल ट्रांसफार्मरों में से 10 प्रतिशत परीक्षण हेतु एम.टी.आर.यू. जबलपुर भेजे जाते हैं जहाँ पर थर्ड पार्टी एजेंसी मेसर्स ऐरेडा, बड़ोदरा द्वारा ट्रांसफार्मर टेस्ट किए जाते हैं। टेस्ट उपरांत ऐरेड़ा, वडोदरा द्वारा टेस्ट रिपोर्ट दी जाती है। योजना अन्तर्गत टीकमगढ़ जिले में ठेकेदार द्वारा विगत तीन वर्षों में लगाये गये ट्रांसफार्मरों में से 10 प्रतिशत का सत्यापन कराया जा चुका है जिसमें से ठेकेदार मेसर्स रोहिनी इन्डस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का एक ट्रांसफार्मर टेस्टिंग के दौरान सही नहीं पाया गया जिसके कारण ठेकेदार मेसर्स रोहिनी इन्डस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा लाये गये 10 ट्रांसफार्मरों के लॉट का उपयोग नहीं किया गया एवं न ही उनके विरूद्ध कोई भुगतान किया गया है। इसी प्रकार छतरपुर जिले में ठेकेदार द्वारा लाए गये सभी ट्रांसफार्मरों में से 10 प्रतिशत का सत्यापन कराया जा चुका है, जिसमें से ठेकेदार मेसर्स जी.व्ही.पी.आर. का एक ट्रांसफार्मर टेस्टिंग के दौरान सही नहीं पाया गया, जिसके कारण 10 ट्रांसफार्मरों के लॉट को बदलने हेतु ठेकेदार कंपनी को निर्देशित किया गया, परन्तु उनके द्वारा ट्रांसफार्मरों को बदले नहीं जाने पर ठेकेदार के बिल से राशि रूपये 7.33 लाख काटी गई है। (ग) छतरपुर जिले में योजना अन्तर्गत टर्न-की कान्ट्रेक्टर द्वारा जो ट्रांसफार्मर लगाये जा रहे हैं उनके क्रय के विरूद्ध भुगतान टर्न-की कान्ट्रेक्टर द्वारा अपने स्तर पर किया जाता है। ठेकेदार द्वारा क्रय की गई सामग्री के बिल वितरण कंपनी को प्रस्तुत नहीं किये जाते। वितरण कंपनी द्वारा कार्य को मानक स्तर का पाये जाने पर ठेके की शर्तों के अनुसार किये गये कार्यों के बिलों का भुगतान नियमानुसार किया जाता है। क्रय की गई सामग्री का बिल वितरण कंपनी को प्रस्तुत करने का प्रावधान ठेके की शर्तों में शामिल नहीं है।

<u>परिशिष्ट - "अठारह</u>"

<u>कोलारस विधानसभा क्षेत्र के ग्रामों का विद्युतीकरण</u>

101. (क्र. 4711) श्री रामसिंह यादव : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोलारस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विकासखण्ड कोलारस एवं बदरवास में 31 दिसम्बर 2014 तक कौन-कौन से ग्राम कब से क्यों प्रकाश/उजाला विहीन थे? ग्रामवार, वितरण केन्द्रवार जानकारी दें कि इन ग्रामों में विद्युत का उजाला कब तक हो जाएगा? (ख) कोलारस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत किन-किन ग्रामों में एच.टी. एव एल.टी. लाईन के तार दिसम्बर 2014 की स्थिति में कहाँ से कहाँ तक नहीं हैं? एवं किन-किन ग्रामों में किस-किस योजना के कौन-कौन से ट्रांसफार्मर कब से फेल हैं? उक्त फेल ट्रांसफार्मर कब तक बदले जाएगें? (ग) कोलारस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना एवं फीडर सेपरेशन योजना सहित अन्य प्रचलित योजनाओं के तहत् जनवरी 2015 तक क्या-क्या कार्य योजना प्रारंभ की दिनाँक से कराए गए हैं? इनमें कौन-कौन से कार्य गुणवत्ताविहीन/घटिया है? (घ) कोलारस विधानसभा क्षेत्र के ग्राम ठाटी, गागौनी, लगदा, लालपुर, टपरियन, बामौरकलां, संगेश्वर, अटारई, टोरिया आदि में से ट्रांसफार्मर कब निकाले गए हैं? इन ग्रामों में प्रकाश एवं पंखे हेतु विद्युत कब से उपलब्ध नहीं है? उक्त ग्रामों में विद्युत कब तक उपलब्ध करा दी जावेगी?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) कोलारस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विकास खण्ड कोलारस एवं बदरवास में 31 दिसम्बर 2014 तक 13 ग्राम विद्युत विहिन थे जिनकी प्रश्नाधीन चाही गई ग्रामवार वितरण केन्द्रवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार** है। उक्त ग्रामों के विद्युतीकरण का कार्य राजीव गॉधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना एवं फीडर विभक्तिकरण योजना में सम्मिलित है तथा उक्त कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। (ख) कोलारस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत उत्तरांश 'क' में दर्शाए गए 13 ग्रामों में एच.टी. एवं एल.टी. लाईन के तार दिसम्बर 2014 की स्थिति में नहीं है, जिसकी ग्रामवार सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब' अनुसार** है। प्रश्नाधीन क्षेत्र में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत ग्रामवार फेल ट्रांसफार्मरों की प्रश्नाधीन चाही गई जानकारी सहित सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'स' अनुसार** है। योजनांतर्गत फेल ट्रांसफार्मरों से संबद्ध उपभोक्ताओं की वैकल्पिक व्यवस्था से विद्युत प्रदाय किया गया है तथा उक्त ट्रांसफार्मरों को संबंधित ठेकेदार एजेंसी द्वारा नहीं बदलने पर रू. 14,11,560/- की राशि की लाइबिलिटी कॉन्ट्रेक्टर के विरूद्ध निर्धारित की गयी है। (ग) कोलारस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना एवं फीडर सेपरेशन योजना सहित अन्य प्रचलित योजनाओं के तहत जनवरी 2015 तक कराये गये कार्य की प्रश्नाधीन चाही गई **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'द'-1 से प्रपत्र-'6' अनुसार** है। उक्त योजनाओं के अंतर्गत कार्य गुणवत्तापूर्ण एवं मानक स्तर के अनुरूप ही कराये गये है। (घ) कोलारस विधानसभा क्षेत्र के ग्राम ठाटी, गागौनी, लगदा, लालपुर, टपरियन, बामोरकलां, संगेश्वर, अटारई, टोरिया आदि में विद्युत बिलों की बकाया राशि होने के कारण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'य'** में दर्शाए अनुसार वर्षों में ट्रांसफार्मर निकाले गये हैं। संबद्ध उपभोक्ताओं द्वारा नियमानुसार बकाया राशि का 50 प्रतिशत जमा करने के उपरांत प्रश्नाधीन ग्रामों का विद्युत प्रदाय चालू कर दिया जावेगा।

<u>कोलारस विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत प्रचलित कार्यों की जानकारी</u>

102. (क्र. 4712) श्री रामसिंह यादव : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोलारस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 31 दिसम्बर 2014 की स्थिति में कौन-कौन सी योजनाएं स्वीकृत होकर लागू थीं? लागत स्वीकृत दिनाँक, योजना का नाम सहित जानकारी दें?। (ख) उक्त योजनाओं में कौन-कौन से कार्य पूर्ण हो चुके हैं एवं कौन-कौन से अपूर्ण कार्य कब तक पूर्ण हो जाएगें? (ग) उक्त स्वीकृत कार्यो में से कौन-कौन से कार्य कब से बंद है? कार्य पुन:कब शुरू होंगे? इसकी निश्चित समयावधि बतायें? (घ) उक्त पूर्ण किए गए कार्यों में से किन-किन कार्यों में विद्युत लाईन/सामग्री/ट्रांसफार्मर लगाए जाने के उपरांत खराब होने की शिकायत प्राप्त हुई? जैसे-ट्रांसफार्मर आदि फेल हो गए? उक्त ट्रांसफार्मर कब तक लगाकर विद्युत प्रदाय चालू कर दिया जाएगा?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) कोलारस विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत 31 दिसम्बर 2014 की स्थिति में स्वीकृत विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत किये जा रहे कार्य सहित प्रश्नाधीन चाही गई **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार** है। (ख) उक्त कार्यों में से पूर्ण किये गये कार्यों की सूची एवं अपूर्ण कार्यों की कार्य पूर्णता की संभावित दिनाँक सहित सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के क्रमश: प्रपत्र-'ब' एवं 'स' अनुसार** है। (ग) उक्त स्वीकृत सभी शेष कार्य वर्तमान में प्रगति पर हैं। (घ) उक्त पूर्ण किये गये कार्यों में से विद्युत लाईन/सामग्री/ट्रांसफार्मर लगाये जाने के उपरांत

39 ग्रामों के 42 ट्रांसफार्मर खराब होने की शिकायत प्राप्त हुई है जिसकी ग्रामवार सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'द' अनुसार** है। उक्त सभी खराब ट्रांसफार्मर मार्च 2015 तक बदलने के प्रयास किये जा रहे हैं।

रानी अवंती बाई सागर परियोजना की नहरों का निर्माण

103. (क्र. 4743) श्री अंचल सोनकर : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रानी अवंती बाई सागर परियोजना बरगी दायी तट नर्मदा विकास सम्भाग क्र. 2, 3 एवं 4 को किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई एवं कितनी-कितनी राशि किन-किन कार्यों में व्यय हुई? वर्ष 2011-12 से 2014-15 की जानकारी दें? (ख) प्रश्नांश (क) में मुख्य नहर वितरण नहरों व माइनर नहरों का निर्माण रीच क्र. से रीच क्र. कहाँ-कहाँ तक का निर्माण कब किस एजेन्सी से कितनी-कितनी राशि में कराया गया? इसके लिए कब कितनी राशि की प्रशासकीय एवं तकनीकी स्वीकृति दी गई? संभागवार पृथक-पृथक जानकारी दें? (ग) प्रश्नांश (क) में नहरों का पुनर्निर्माण संधारण, सुधार व मरम्मत कार्य पर कितनी-कितनी राशि व्यय हुई है? उक्त कार्य कब किसने कितनी-कितनी राशि में कराया है तथा इसकी गुणवत्ता की जॉच कब किसने की है? यह भी बताया जाये कि कहाँ-कहाँ की वितरण नहरें व माइनर नहरें टूटी-फूटी पड़ी है एवं क्यों? कारण बतावें? (घ) प्रश्नांश (क) में किन-किन संभागों में कहाँ-कहाँ की कब-कब वितरण नहरें, सवमाईनर नहरों के फटने से कितने गांवों में कितने किसानों की कितने हेक्टेयर फसल खराब हुई? इसकी जांच कब किसने की है? इसके लिये दोषी अधिकारियों पर कब क्या कार्यवाही की गई? पूर्ण विवरण दें?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) बरगी व्यपवर्तन परियोजना की दांयी तट मुख्य नहर अंतर्गत नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-2, पनागर क्रमांक-3, कटनी क्रमांक-4, जबलपुर एवं क्रमांक-4 सिहोरा का विवरण **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- अ अनुसार** है। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार** है। (ग) नहर पुर्ननिर्माण, संधारण आदि की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार** है। निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जॉच हेतु गुणवत्ता नियंत्रण संभाग क्रमांक-29 बरगी हिल्स, जबलपुर की इकाई कार्यरत है। इस इकाई द्वारा समय-समय पर निर्माण कार्यों की जॉच की जाती है। वर्तमान में मुख्य नहर के कि.मी. 0.00 से कि.मी. 102.00 तक सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। इस नहर प्रणाली में आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त स्थलों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-द अनुसार** है। (घ) किसी भी संभाग के अंतर्गत नहरें नहीं फूटी है अत: शेष प्रश्नांश की जानकारी निरंक है।

औसत बिल जारी करने की परम्परा

104. (क्र. 4755) श्री अनिल जैन : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन द्वारा अथवा क्षेत्रीय विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा क्षेत्रीय इंजीनियरों को घरेलू विद्युत के उपभोक्ताओं के यहाँ लगे मानक मीटरों की रीडिंग लिये बिना भी स्वेच्छा से निरंतर औसत बिल जारी कराने का एकाधिकार प्रदत्त है? यदि हाँ तो कितने प्रतिशत उपभोक्ताओं को उनके द्वारा कितने माह तक औसत बिल दिया जा सकता है और क्या इस प्रावधान या अधिकार को लागू करते समय अथवा औसत बिल देते समय उपभोक्ताओं को इसका कारण बताना आवश्यक है अथवा नहीं? इस बावत् जारी और आज की तिथि में लागू आदेशों की प्रति उपलब्ध कराई जावे। (ख) यदि ऐसा अधिकार है तो विधानसभा क्षेत्र निवाड़ी में वित्तीय वर्ष 2013-14 में कितने प्रतिशत उपभोक्ताओं के

साथ इस अधिकार का प्रयोग किया गया है और क्या उन्हें इसका कारण बताया गया है अथवा नहीं? साथ ही यह बताया जाये कि जब इंजीनियर्स निरंतर बिजली खपत का आंकलन करने में सक्षम हैं तो मीटर लगवाने में राशि क्यों व्यय की जा रही है यदि ऐसा अधिकार नहीं है तो विधानसभा क्षेत्र निवाड़ी में जानबूझकर बिना रीडिंग लिए बडे पैमाने पर उपभोक्ताओं को लगातार औसत बिल बिना कारण बताये क्यों दिये जा रहे हैं? (ग) प्रश्नांश (क) का उत्तर यदि नहीं है तो क्या चालू वित्तीय वर्ष में क्षेत्रीय इंजीनियरों द्वारा विधानसभा क्षेत्र निवाड़ी में जानबूझकर बिना रीडिंग लिए, बिना कारण बताये, कितने उपभोक्ताओं को लगातार औसत बिल दिये गए हैं? जानकारी देवें तथा बताया जाये कि अनाधिकृत बिलिंग के लिए दोषी कर्मचारियों के विरूद्ध क्या कोई कार्यवाही की जा रही है??

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जी नहीं। (ख) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता। प्रश्नाधीन क्षेत्र में मीटर्ड उपभोक्ताओं को नियमानुसार ही विद्युत बिल जारी किये जा रहे हैं। (ग) विधानसभा क्षेत्र निवाड़ी में चालू वित्तीय वर्ष में जानबूझकर बिना रीडिंग लिए, बिना कारण बताएं किसी भी उपभोक्ता को लगातार औसत बिल नहीं दिये गये हैं। मीटरयुक्त उपभोक्ताओं को मीटर की कार्यप्रणाली ठीक होने की स्थिति में मीटर में दर्ज खपत के आधार पर एवं मीटर बंद/खराब होने की स्थिति में मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कंडिका 8.35 के प्रावधानों के अनुसार आंकलित खपत के आधार पर नियमानुसार देयक प्रेषित किये गये हैं, अत: किसी के विरूद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

<u>नवीन अंशदायी पेंशन योजना</u>

105. (क्र. 4782) श्रीमती ऊषा चौधरी : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राज्य शासन के नियंत्राधीन विभागों में नियुक्त सिविल सेवा व सिविल पदों पर दिनाँक 01/01/2005 से नियुक्त होने वाले सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए नवीन परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना लागू है? (ख) यदि हाँ तो नवीन परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना में शामिल होने वाले कर्मचारियों के सेवा निवृत्त होने पर उसके जीवनकाल तक कितनी राशि मासिक पेंशन के रूप में प्रदान की जावेगी तथा एक मुश्त प्रदान की जाने वाली राशि कितने प्रतिशत होगी? (ग) यदि प्रश्नांश (क) का उत्तर हाँ तो यह भी बताया जाये कि अंशदायी पेंशन योजना में शामिल होने पर अधिकारी/कर्मचारी की सेवा के दौरान अथवा सेवानिवृत्त के बाद मृत्यु हो जाने पर नाम निर्देशित आश्रित को जीवन पर्यन्त तक कितनी राशि मासिक पेंशन के रूप में प्रदान की जायेगी? (घ) वर्तमान समय में जिन अधिकारी/कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो गई है उनके आश्रित परिवार को शासन द्वारा सुविधा देने हेतु क्या रणनीति बनाई गई है? क्या इनके आश्रित परिवार को मासिक पेंशन दिए जाने की योजना है बतावें?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) जी हाँ। (ख) नवीन अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने पर उसके जमा अंशदान के कुल राशि का 60 प्रतिशत एकमुश्त नगद भुगतान किया जाएगा तथा शेष 40 प्रतिशत राशि से पी.एफ.आर.डी.ए. द्वारा निर्धारित एन्यूटी सर्विस प्रोवाइडर से एन्यूटी खरीदने पर उसके अनुसार मासिक पेंशन भुगतान किया जाएगा। (ग) नवीन अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत अधिकारी/कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु होने पर उसके कुल जमा अंशदान राशि का 100 प्रतिशत एकमुश्त भुगतान किया जाने से मासिक पेंशन की पात्रता

नहीं है। सेवानिवृत्ति पश्चात मृत्यु पर 40 प्रतिशत राशि से एन्यूटी आधारित मासिक पेंशन देय है। (घ) प्रश्नांश (ग) के उत्तर के तारतम्य में मासिक पेंशन की पात्रता नहीं आती है।

व्यापम में रिक्त पदों पर नियुक्ति

106. (क्र. 4815) श्रीमती इमरती देवी : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2006 से 2014 तक व्यापमं में किस-किस पद पर कौन-कौन अधिकारी नियुक्त थे, तथा किस-किस वर्ष में कौन-कौन से पद खाली रहे? खाली पदों पर अधिकारियों की नियुक्ति क्यों नहीं की गई? (ख) क्या व्यापमं में यह ज्ञात था कि वर्ष 2000 से PMT परीक्षाओं में फर्जीवाड़ा हो रहा है? यदि हाँ तो बतायें कि विभाग द्वारा वर्ष 2009 से 2014 तक किस वर्ष में विभागीय जॉच आयोजित की गई? (ग) PMT परीक्षा 2006 तथा 2007 के दस्तावेजों को रद्दी घोषित कर नष्ट किये जाने संबंधी सारे आदेशों की प्रतिलिपियां उपलब्ध करावें तथा बतावें कि उक्त वर्षों की जांच लम्बित होने के बाद उन्हें नष्ट क्यों किया गया?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

सम्राट अशोक सागर बांध जिला रायसेन में पानी भराव के संबंध में

107. (क्र. 4837) श्री सूर्यप्रकाश मीना : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला रायसेन अंतर्गत निर्मित सम्राट अशोक सागर बांध को भरने हेतु कौन-कौन सी नदियों, नालों या अन्य जल स्त्रोतों के माध्यम से पानी उक्त बांध में भराता है? जानकारी उपलब्ध कराये? (ख) क्या उक्त बांध के लिये भराव हेतु वर्तमान में जो स्त्रोत हैं वे पर्याप्त न होने से विदिशा एवं रायसेन जिले के हजारों किसानों को सिचांई सुविधा के लिये निर्मित उक्त बांध पूर्णरूप से नहीं भर पाता है? (ग) क्या शासन सम्राट अशोक सागर बांध शीघ्रता से एवं पूर्ण रूप से भरा सकें, इस बाबत् बांध से ही 30 कि.मी. दूर सीहोर जिले में स्थित पार्वती नदी से नहर बनाई जाकर उक्त बांध में पानी लाने के संबंध में कार्यवाही करेगा? यदि हाँ तो कब तक? नहीं तो क्यों?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) हलाली नदी से (ख) जी नहीं। (ग) जी नहीं, आवश्यक नहीं होने से।

प्रायवेट कंपनियों द्वारा स्थापित ट्रांसफार्मर

108. (क्र. 4838) श्री सूर्यप्रकाश मीना : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला विदिशा अंतर्गत फीडर विभक्तिकरण योजना के तहत प्रायवेट कंपनी द्वारा स्थापित ट्राँसफार्मरो में से कितने ग्रामों के ट्रांसफार्मर 31.1.2015 की स्थिति में खराब अथवा जले पड़े है? विधान सभा क्षेत्रवार जानकारी उपलब्ध करायें? (ख) क्या ग्रामीण क्षेत्र में म.प्र.वि.वि.कं.लि. के नियमानुसार 7 दिन में खराब अथवा जले ट्रांसफार्मर बदले जाने के नियम हैं? यदि हाँ तो प्रायवेट कंपनी द्वारा स्थापित खराब एवं जले ट्रांसफार्मर कितने दिन में बदले जाने के निर्देश है? (ग) क्या शासन शीघ्र ही प्रायवेट कंपनी द्वारा स्थापित खराब एवं जले ट्रांसफार्मरों को अनिवार्य रूप से 7 दिवस के भीतर बदले जाने की अनिवार्यता के निर्देश देगा? यदि हाँ तो कब तक? नहीं तो क्यों?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) विदिशा जिले में फीडर विभक्तिकरण योजनान्तर्गत ठेकेदार एजेंसी द्वारा स्थापित वितरण ट्रांसफार्मरों में से 132 ग्रामों के 174 जले/खराब ट्रांसफार्मर बदले जाने शेष हैं, जिनका विधानसभा क्षेत्रवार विवरण निम्नानुसार है :-

क्रमांक	विधानसभा क्षेत्र का नाम	जले/खराब ट्रांसफार्मर वाले ग्रामों की संख्या	जले/खराब ट्रांसफार्मरों की संख्या
1	विदिशा	9	13
2	बासौदा	20	30
3	कुरवाई	50	64
4	सिरोंज	34	44
5	शमशाबाद	19	23
कुल योग		**132**	**174**

(ख) एवं (ग) म.प्र. विद्युत नियामक आयोग द्वारा वितरण अनुपालन मापदंड (पुनरीक्षित) में ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रांसफार्मर बदले जाने की अवधि शुष्क मौसम के दौरान 72 घंटे के अंदर तथा मानसून के मौसम (माह जुलाई से सितम्बर तक) के दौरान सात दिवस के अंदर निर्धारित की गई है। तदानुसार मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा जले/खराब ट्रांसफारमर बदलने की कार्यावाही की जाती है, जिसमें विभिन्न योजनांतर्गत टर्न-की कॉन्ट्रेक्टर द्वारा लगाए गए ट्रांसफारमर भी शामिल हैं। बकाया राशि होने की स्थिति में ग्रामों के जले/खराब ट्रांसफार्मरों को संबद्ध उपभोक्ताओं द्वारा नियमानुसार बकाया राशि जमा करने पर बदला जाता है। विभिन्न योजनान्तर्गत टर्न-की कांट्रेक्टर द्वारा जले/खराब ट्रांसफार्मरों को अनुबंध के अनुसार डिफेक्ट लायबिलिटी की समय-सीमा में 15 दिन में बदलने का प्रावधान है। ठेकेदार एजेंसी द्वारा समय-सीमा में ट्रांसफार्मर नहीं बदलने पर वितरण कंपनी द्वारा नियमानुसार ट्रांसफार्मर बदलकर व्यय की गई राशि संबंधित ठेकेदार एजेंसी से वसूल की जाती है। अत: अन्य कोई कार्यवाही किया जाना वर्तमान में आवश्यक नहीं है।

मुरैना नगर में विद्युतीकरण कार्यो में अनियमितता

109. (क्र. 4889) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मुरैना नगर में विद्युतीकरण का कार्य ए.टू जेड. कंपनी को दिया गया है कार्यो की राशि, कार्य की समय सीमा क्या थी, कितनी राशि का भुगतान व कितना कार्य किया गया है? (ख) क्या निर्धारित समय सीमा में कार्य नहीं करने पर कंपनी के विरूद्ध कार्यवाही करने, पेनल्टी करने की शर्ते रखी गई थी? अपूर्ण कार्यो पर अभी तक क्या कार्यवाही की गई? (ग) क्या कंपनी द्वारा स्थानीय ठेकेदारों को कार्य पेटी पर दिया गया है क्या पेटी पर कार्य देने की नीति है पेटी ठेकेदारों द्वारा चिहिन्त कार्यो के विपरीत भी क्यों कार्य किये गये है? निर्माण कार्यो के संबंध में वर्ष 2013, 2014, 2015 तक कितनी शिकायतें प्राप्त हुई उन पर क्या कार्यवाही की गई?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जी हाँ, मुरैना नगर में अधोसंरचना के सुदृढीकरण एवं नवीन उपकेन्द्र की स्थापना के लिये आर.ए.पी.डी.आर.पी. योजनांतर्गत कार्य हेतु मेसर्स ए.टू.जेड मेंटनेंस एंड

इंजीनियरिंग सविर्सेस लिमिटेड गुडगांव को दिनाँक 16.05.11 को अवार्ड जारी किया गया था। उक्त अवार्ड की समय-सीमा 18 माह निर्धारित थी, जिसे दिनाँक 12.06.14 तक बढाया गया है। अवार्ड की राशि, पूर्ण किया गया कार्य तथा किये गये भुगतान की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार** है। (ख) जी हाँ। अपूर्ण कार्यो को शीघ्र पूर्ण कराने हेतु ठेकेदार एजेंसी के भुगतान हेतु पारित देयकों में से रू. 46 लाख की राशि पेनाल्टी स्वरूप काटी जा चुकी है। (ग) जी नहीं, अत: प्रश्न नहीं उठता। निर्माण कार्यो के संबंध में प्रश्नांश में दर्शाये गये वर्षो के दौरान कुल 08 शिकायतें प्राप्त हुई जिनकी प्रश्नाधीन चाही गई **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब' अनुसार** है।

परिशिष्ट - "उन्नीस"

विद्युतीकरण के अपूर्ण कार्यों को पूर्ण किया जाना

110. (क्र. 4894) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मुरैना जिले में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के शेष कार्यो को पूर्ण करने बाबत् एस.पी.डी. सम्भाग स्थापित किया गया है? यदि हाँ तो स्थापना का वर्ष, अधिकारी, कर्मचारियों की संख्या, पदनाम संख्या सहित पूर्ण जानकारी दी जावे? (ख) उक्त अधिकारियों, कर्मचारियों को कितने वाहन प्रदाय किये गये? कितने विभाग के हैं? कितने किराये से लिये हैं? वाहनों के नम्बर, प्रतिमाह किराये सहित पूर्ण जानकारी दी जावे? (ग) एस.पी.डी. सम्भाग द्वारा अभी तक कितने लेबर अवार्ड जारी किये गये? कितने पूर्ण है? कितने निरस्त किये गये? अवार्ड का नाम, ठेकेदारों के नाम सहित पूर्ण जानकारी दी जावे? (घ) के.ई.सी. कम्पनी द्वारा जौरा ब्लाक के गाँवों के नाम जहाँ कार्य कराये गये थे उनमें कितने कार्य अपूर्ण, कितने विद्युत तार चोरी हुई? कितनों में पुलिस रिपोर्ट हुई? कितने गाँवों में खम्बे खड़े किये है गाँवों के नाम सहित जानकारी दी जावे?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जी हाँ। एस.पी.डी. संभाग की स्थापना वर्ष 2014 में की गई है। उक्त संभाग में पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या/पदनाम सहित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार** है। (ख) प्रश्नाधीन संभाग को 1 विभागीय (म.प्र.मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का) एवं 2 किराये के वाहन प्रदाय किये गये हैं, जिनका प्रश्नाधीन चाहा गया विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	वाहन का प्रकार	वाहन का क्रमांक	वाहन विभागीय/ किराये का	मासिक किराया
1	पोल केरियर	CPH 7322	विभागीय (मध्य क्षेत्र वि.वि.कंपनी का)	-
2	टाटा 407 पिकअप	MPO6-GA2113	किराये का	रू.26000/-प्रतिमाह
3	बुलेरो मिनी पिकअप	MPO6-GA 2051	किराये का	रू.22500/-प्रतिमाह

(ग) विशेष प्रोजेक्ट संभाग (एसपीडी) द्वारा प्रश्न दिनाँक तक कोई भी लेबर अवार्ड जारी नहीं किया गया है, अत: प्रश्न नहीं उठता। (घ) ठेकेदार एजेंसी मेसर्स के.ई.सी. द्वारा जौरा ब्लाक के अन्तर्गत कुल 103 ग्रामों का कार्य कराया जाना था, जिसकी ग्रामवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब' अनुसार** है। मेसर्स के.ई.सी. द्वारा उक्त में से 61 ग्रामों का कार्य पूर्ण कर दिया गया है, जिसकी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'स' अनुसार** है, 35 ग्रामों में केवल पोल खड़े

किये गये हैं तथा कार्य अपूर्ण है, जिसकी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'द' अनुसार** है तथा 7 ग्रामों में कार्य आरंभ नहीं किया गया है। मेसर्स के.ई.सी. द्वारा किये गये कार्यों में से जौरा ब्लाक के 13 ग्रामों में विद्युत तार चोरी की घटना घटित हुई है, जिनकी पुलिस रिपोर्ट मेसर्स के.ई.सी. द्वारा की गई थी, उक्त ग्रामों की ग्रामवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'य' अनुसार** है।

अमरकंटक थर्मल पावर प्लांट में मशीनें क्षतिग्रस्त होना

111. (क्र. 4898) श्री रामलाल रौतेल : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अमरकंटक थर्मल पावर में विगत माह किसी प्रकार की मशीनों की टूट-फूट हुई थी? यदि हाँ तो क्षतिग्रस्त मशीनों का विवरण प्रदान करें? (ख) क्षतिग्रस्त मशीनों की कीमत क्या रही होगी तथा क्षतिग्रस्त होने का कारण क्या है? (ग) क्या उक्त उपकरण का मरम्मत विगत वर्ष किया गया था? यदि हाँ तो मरम्मत की लागत क्या थी? अधिकारी की लापरवाही के कारण उपकरण का नुकसान हुआ है? यदि हाँ तो दोषी अधिकारी को दण्डित करेंगे?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जी हाँ, अमरकंटक ताप विद्युत गृह, म.प्र.पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड चचाई की120 मेगावाट क्षमता की इकाई क्रमांक-3 को दिनाँक 12.01.2015 को 00.20 बजे टरबाईन के बाइब्रेशन एवं एक्सेनट्रिसिटी अचानक बढ़ने के कारण बंद किया गया था। इकाई में प्रथम दृष्टया मुख्यत: निम्नलिखित उपकरण क्षतिग्रस्त पाये गये:- ''बारिंग गियर मेकेनिज्म, एल.पी.टरबाईन से जनरेटर की सेमी फ्लेक्जिबल कपलिंग बेलोज, एल.पी.टरबाईन की स्टेज क्रमांक 5 व 6 की ब्लेड एवं डायफ्राम, मेन आईल पंप फाउंडेशन फ्लेंज, बियरिंग क्रमांक 1, 3 एवं 5 की बाटम हाउजिंग तथा बियरिंग क्रमांक 2 का टॉप सेल एवं एच.पी. एवं आई.पी.रोटर में हायर रनआउट''। (ख) क्षतिग्रस्त मशीन के क्षतिग्रस्त हिस्सों की छरित (Depreciated) कीमत लगभग 2.86 करोड़ रूपये आंकी गई है। मशीनों के क्षतिग्रस्त होने का कारण/एल.पी.टरबाईन से जनरेटर को जोड़ने वाली सेमी फ्लेक्जिबल कपलिंग का क्षतिग्रस्त होना/ एल.पी.टरबाईन की ब्लेड/डायफ्राम का क्षतिग्रस्त होना है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि क्षतिग्रस्त मशीन विगत 37 वर्षों से क्रियाशील थी एवं उक्त मशीन अपना जीवनकाल (सामान्यत: 25 वर्ष) पूर्ण कर चुकी है। (ग) जी नहीं, विगत वर्ष इस इकाई के उक्त उपकरणों की मरम्मत नहीं कराई गई थी। उल्लेखित है कि प्रारंभिक जाँच अनुसार उक्त दुर्घटना या उपकरण का नुकसान किसी अधिकारी के द्वारा लापरवाही के कारण नहीं हुआ है तथा यह एक असामान्य दुर्घटना थी, अत: प्रश्न ही नहीं उठता।

माननीय मुख्यमंत्री की स्वेच्छानुदान निधि का समय पर लाभ नहीं मिल पाना

112. (क्र. 4922) श्री आरिफ अकील : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या माननीय मुख्यमंत्री के स्वेच्छानुदान निधि, राज्य बीमारी सहायता निधि व अन्य निधियों से निर्धन, असहाय और मजबूर लोगों को मध्यप्रदेश सरकार की महत्वकांक्षी योजना के तहत इलाज व अन्य परेशानियों में सहयोगार्थ आर्थिक सहायता दिये जाने का प्रावधान है? (ख) यदि हाँ तो क्या यह भी सही है कि जिला कलेक्टर भोपाल कार्यालय के संबंधित आधिकारियों/कर्मचारियों की लापरवाही के कारण वर्ष 2014 से प्रश्न दिनाँक की स्थिति में स्वीकृत राशि का वितरण 6 माह व्यतीत हो जाने के पश्चात भी नहीं किया गया है? यदि हाँ तो किन-किन लोगों को समय पर सहायता राशि वितरण नहीं करने के लिए कौन-कौन दोषी है उनके विरूद्ध शासन द्वारा क्या तथा कब तक कार्यवाही की

जावेगी? (ग) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में यह अवगत करावें कि मुख्यमंत्री सचिवालय के पत्र/आदेश क्रमांक एफ-ए-7-226/2014/एक (1) दिनाँक 20.11.2014 और एफ-ए-7-215/2014/एक (1) दिनाँक 18.11.2014 को जारी की गई सहायता राशि का जिला नाजिर शाखा भोपाल द्वारा प्रश्न दिनाँक की स्थिति में लगभग 4 माह व्यतीत हो जाने के पश्चात भी दोनों पैरों से विकलांग एवं गरीब लोगों को वितरित नहीं की गई है? यदि हाँ तो क्या यह माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों की अवेहलना नहीं है? यदि हाँ तो इस लापरवाही के लिए शासन द्वारा किन-किन के विरूद्ध क्या तथा कब तक कार्यवाही की जावेगी?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) जी हाँ। (ख) माननीय मुख्यमंत्री के स्वेच्छानुदान निधि से स्वीकृत राशि का भुगतान तत्काल संबंधित संस्थान/हितग्राहियों को उनके बैंक खातों में ई-पेमेंट के माध्यम से किये जाने के निर्देश हैं। अत: भोपाल जिले में वर्ष 2014 से प्रश्न दिनाँक तक की स्थिति में जिन संस्था/हितग्राहियों के बैक खातों की जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, उनके मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि का भुगतान लंबित है। साथ ही यह भी स्पष्ट है कि जिन संस्था/हितग्राहियों के द्वारा बैंक खातों की जानकारी उपलब्ध कराई जा चुकी है, उन संस्था/हितग्राहियों को भुगतान किया जा चुका है। (ग) शासन का आदेश क्रमांक एफ ए 7-1/226/2014/1 (एक) दिनाँक 20-11-2014 के सरल क्रमांक 01 से 06 तक में उल्लेखित व्यक्तियों/संस्थाओं को उनके नाम के समक्ष अंकित राशि प्राप्त करने हेतु दिनाँक 21-11-2014 को सूचना पत्र जारी किये गये। सूचना पत्र जारी करने के उपरांत हितग्राहियों द्वारा बैंक खाता उपलब्ध कराये जाने पर तत्काल उन्हें ई-पेमेंट के माध्यम से भुगतान किया जा चुका है। इसी प्रकार शासन का आदेश क्रमांक एफ ए 7-215/2014/1 (एक) दिनाँक 18-11-2014 में उल्लेखित 02 से 06 तक में उल्लेखित व्यक्तियों/संस्थाओं को बैक खाते उपलब्ध कराये जाने हेतु दिनाँक 21-11-2014 को सूचना पत्र जारी किये। सरल क्रमांक 04 से 06 द्वारा बैंक खाता की जानकारी उपलब्ध कराये जाने पर तत्काल संबंधित को ई-पेमेंट के माध्यम से भुगतान कर दिया गया है। परंतु सूचना उपरांत भी सरल क्रमांक 2 श्री अशोक दांडगी निवास ई-2 दुर्गा जी का मंदिर पानी टंकी के पास जिला भोपाल, सरल क्रमांक 3 श्रीमती नीलम गौर पत्नी श्री नर्बदाप्रसाद नि म नं0 130/3 मुहल्ला बडली ग्राम बरखेड़ानाथू विख-फंदा भोपाल एवं सरल क्रमांक 5 श्रीमती जमुनाबाई पत्नी स्व0 श्री भरतसिंह तोमर निवास ग्राम मेंडोरा जिला भोपाल द्वारा बैंक खाते की जानकारी आज दिनाँक तक उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण भुगतान की कार्यवाही लंबित है। इसमें कोई कर्मचारी दोषी नहीं है। कार्यवाही करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

लिपिक संवर्ग की वेतन विसंगति

113. (क्र. 4935) श्री गोपाल परमार : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र.शासन के द्वारा मंत्रालय/संचालनालय/राज्य के अधीन कार्यालयों में लिपिक वर्ग को पाण्डे वेतनमान से क्या-क्या वेतनमान दिया जा रहा है? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार किस केडर (पद) के कर्मचारियों को प्रथम/द्वितीय/तृतीय समयमान वेतनमान शासन द्वारा स्वीकृत किया गया है? क्या एक ही पद के वेतनमानों में अन्तर किया गया है? यदि हाँ तो क्या विसंगतिपूर्ण वेतनमान के अन्तर को शासन कब तक खत्म करके समान वेतनमान देने की कार्यवाही करेगा? (ग) क्या सहायक ग्रेड-3

प्रथम/द्वितीय/तृतीय समयमान वेतनमान प्राप्त करने के बाद मुख्यलिपिक से अधिक वेतनमान प्राप्त कर रहा है? यदि हाँ तो मुख्य लिपिक एवं सहायक ग्रेड-3 के पद दायित्वों में क्या अन्तर है?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) से (ग) की जानकारी एकत्रित की जा रही है।

ग्रामीण विद्युतीकरण योजना अंतर्गत कराये गये कार्य

114. (क्र. 4959) श्री के.पी. सिंह : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सत्य है कि शिवपुरी, ग्वालियर, श्योपुर, भिण्ड, मुरैना वृतों में मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कंपनी में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना एडीबी, आरएपीडीआरपी, व एसएसटीडी योजना के अंतर्गत कंपनियों को ठेके जारी किये गये हैं? यदि हाँ, तो वृतवार योजनाओं का ब्यौरा, फर्म, पैकेज, लागत आदि का ब्यौरा दें? (ख) उपरोक्त सभी वृतों में इन योजनाओं में कार्यादेश के क्रियान्वयन की अद्यतन स्थिति क्या है? वृतवार परियोजनाओं के तहत कुल कितनी धनराशि का भुगतान ठेकेदारों को किया जा चुका है?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) शिवपुरी, ग्वालियर, श्योपुर, भिण्ड एवं मुरैना वृत्तों में मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, एडीबी योजना एवं आरएपीडीआरपी योजना के अंतर्गत टर्न-की के आधार पर विद्युतीकरण कार्य किये जाने हेतु अवार्ड जारी किये गये हैं तथा एसएसटीडी योजना अंतर्गत किसी भी कंपनी को टर्न-की के आधार पर कार्य करने हेतु कार्यादेश नहीं दिया गया है। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, आरएपीडीआरपी योजना एवं एडीबी योजना के अंतर्गत योजनावार एवं वृत्तवार चाही गई प्रश्नाधीन **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ', 'ब' एवं 'स' अनुसार** है। (ख) उपरोक्त सभी वृत्तों में इन योजनाओं में कार्यादेश के क्रियान्वयन की अद्यतन स्थिति तथा ठेकेदार एजेंसी को भुगतान की गई राशि का योजनावार विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ', 'ब' एवं 'स' अनुसार** है।

डोलोमाईट की स्वीकृत खदानें

115. (क्र. 4981) प्रो. संजीव छोटेलाल उइके : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मण्डला जिले में डोलोमाईट की कितनी खदानें कहाँ-कहाँ स्वीकृत हैं? खदान का क्षेत्रफल एवं खदान संचालक का नाम पता सहित बतायें? (ख) मण्डला जिले में 2014-15 में कौन-कौन सी नवीन डोलोमाईट की खदान स्वीकृत की गयी है? खदान संचालक का नाम पता सहित बतायें तथा यह भी बतायें कि वन विभाग से अनापत्ति प्राप्त कर पर्यावरण संबंधी सभी प्रक्रिया पूर्ण कर खनन की अनुमति दी गयी है? (ग) क्या डोलोमाईट खदान संचालक स्वीकृत रकबे से ज्यादा में खनन कर रहे हैं? यदि हाँ तो खदानवार स्वीकृत भूमि एवं वास्तव में काबिज भूमि बतायें? (घ) उक्त अवैध तरीके के खनन करने वाले खदान संचालकों पर कब तक और क्या कार्यवाही की जायेगी?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) मण्डला जिले में वर्ष 2014-15 में डोलोमाइट की कोई भी खदान स्वीकृत नहीं हुई है अत: जानकारी निरंक है। (ग) डोलोमाइट खदान संचालक स्वीकृत रकबे से ज्यादा में खनन नहीं कर रहे हैं, किन्तु एक खनिपट्टाधारी श्री धर्मेन्द्र मोदी द्वारा खसरा क्र 89/2, 89/3 स्वीकृत रकबा 0.86 हेक्टेयर से बाहर खसरा क्र 87 रकबा 0.32 हेक्टेयर क्षेत्र में लगभग 2003 मेट्रिक टन खनिज डोलोमाइट खनन किया गया। तदनुसार प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही अनुविभागीय अधिकारी बिछिया के न्यायालय में

प्रचलन में है। (घ) प्रश्नांश 'ग' अनुसार अवैध तरीके से खनन करने वाले खदान संचालक पर प्रकरण न्यायालयीन कार्यवाही के तहत प्रिक्रयाधीन है। न्यायालयीन निर्णय पारित होने के उपरांत पारित निर्णय के अनुक्रम में कार्यवाही की जायेगी।

कान्हा पार्क के होटल एवं रिसोर्ट संबंधी

116. (क्र. 4982) प्रो. संजीव छोटेलाल उइके : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मण्डला जिले के राष्ट्रीय उद्यान कान्हा से सटे ग्राम खटिया एवं मोचा में कितने होटल एवं रिसोर्ट हैं? क्या उक्त भूमि का नियम प्रक्रिया के तहत डायवर्सन हुआ है और क्या उक्त ग्राम कान्हा रिजर्व फारेस्ट के बफर जोन में आते हैं तो भूमि संबंधी मामले में वन विभाग की क्या भूमिका है? (ख) क्या उक्त होटल एवं रिसोर्ट जितनी की रजिस्ट्री है उतने पर ही काबिज है या अधिक शासकीय भूमि पर कब्जा है? कितनी शासकीय भूमि पर अनाधिकृत कब्जा है रिसोर्टवार बताये? इन होटल एवं रिसोर्ट से शासकीय भूमि का कब्जा हटाने के लिये विभाग द्वारा कब-कब, क्या-क्या कार्यवाही की गयी? (ग) उक्त होटल एवं रिसोर्ट से निकलने वाले वेस्ट (Waste) जैसे बचा हुआ खाना, प्लाटिक के कप गिलास कागज की प्लेट इत्यादि के निपटान की क्या प्रक्रिया एवं संसाधन है होटल एवं रिसोर्ट वार बताये क्या वह पर्यावरण नियमों के अनुरूप है यदि नहीं तो जिम्मेदार कौन-कौन है उन पर कब तक और क्या कार्यवाही की जायेगी? (घ) क्या समय-समय पर विभाग के अधिकारियों द्वारा वेस्ट के निपटान संबंधी कार्यों की समीक्षा/जांच पड़ताल की गयी यदि नहीं तो इस घोर लापरवाही के लिये शासन क्या कार्यवाही करेगा?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

उपभोक्ताओं को विद्युत नियामक आयोग के निर्देशानुसार मासिक किराये में छूट

117. (क्र. 5003) श्री दिलीप सिंह शेखावत : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन जिले के अतंर्गत 31.12.2014 की स्थिति में कितने विद्युत उपभोक्ताओं के मीटर बंद/खराब स्थिति में हैं? कंपनी की संभागवार संख्या बतावें? उक्त उपभोक्ताओं में से कितने उपभोक्ताओं को विद्युत नियामक आयोग के निर्देशानुसार मासिक किराये में छूट प्रदान की गई है, प्राप्त छूट की कुल राशि संभागवार बतावें? (ख) कितने उपभोक्ताओं को मीटर किराये में छूट प्रदान की जाना शेष है एवं बकाया छूट की जानकारी संभागवार बतावें? (ग) संभागवार मीटर किराये में छूट की बकाया राशि उपभोक्ताओं के खाते में कब तक समायोजित कर दी जावेगी? वित्तीय वर्ष 2014-15 में जनवरी,2015 तक कुल कितने खराब/बंद मीटर बदले गये, वितरण केन्द्रवार संख्या बतायें?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) उज्जैन जिले में दिनाँक 31.12.2014 की स्थिति में कुल 2867 विद्युत उपभोक्ताओं के मीटर बंद/खराब थे, जिनकी म.प्र.पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के संचालन/संधारण संभागवार संख्या की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार** है। म.प्र.विद्युत नियामक आयोग के द्वारा जारी विद्युत प्रदाय संहिता 2013 के प्रावधानानुसार किसी भी उपभोक्ता को मीटर किराये में छूट प्रदान नहीं की गई है। (ख) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता। (ग) उत्तरांश (क) में दर्शाए अनुसार किसी भी उपभोक्ता को मीटर किराये से छूट

प्रदान नहीं की गई है, अत: प्रश्न नहीं उठता। वित्तीय वर्ष 2014-15 में जनवरी 2015 तक उज्जैन जिले में कुल 16449 खराब/बंद मीटर बदले गए हैं, जिनकी वितरण केन्द्रवार संख्या की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब' अनुसार** है।

परिशिष्ट - "बीस"

वाणिज्य उत्कृष्टता महाविद्यालय की स्थापना

118. (क्र. 5004) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. के सभी संभागों में वाणिज्य उत्कृष्टता महाविद्यालय खोले जाने बाबत् कोई कार्यवाही प्रचलन में है? यदि हाँ, तो क्या सागर में भी वाणिज्य उत्कृष्टता महाविद्यालय खोला जाना प्रस्तावित है तथा उक्त विद्यालय कब तक शुरू कर दिये जावेंगे? (ख) क्या उक्त विद्यालयों के नवीन भवन भी बनाये जाने प्रस्तावित हैं? हाँ या नहीं? यदि हाँ तो उक्त भवन कब तक तैयार कर लिये जावेंगे? (ग) यदि नहीं, तो क्या पूर्व के महाविद्यालय का उन्नयन कर महाविद्यालय के ही भवनों में वाणिज्य उत्कृष्टता महाविद्यालय संचालित किये जावेंगे?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) जी हाँ, जी हाँ, समय-सीमा बताना संभव नहीं। (ख) जी नहीं, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी नहीं।

देशी व विदेशी शराब की दुकान

119. (क्र. 5008) श्री सुदर्शन गुप्ता (आर्य) : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में देशी व विदेशी शराब दुकानों को खोलने हेतु निश्चित दूरी व उस क्षेत्रफल की जनसंख्या का आंकलन किया जाता है? यदि हाँ तो इंदौर जिले में वर्तमान में कितनी देशी व विदेशी शराब दुकाने संचालित हैं व कितनी-कितनी दूरी व जनसंख्या का आंकलन कर इन्हें खोला गया है, (दूरी/जनसंख्यावार) सूची उपलब्ध करावें? (ख) क्या प्रदेश में देशी व विदेशी शराब दुकानों को शैक्षणिक संस्था, धार्मिक स्थल व रहवासी क्षेत्र से निश्चित दूरी पर खोला जाता है? यदि हाँ तो कितनी दूरी पर इसे खोलने हेतु शासन द्वारा निर्धारित मापदण्ड तैयार किए गए हैं? स्पष्ट करें? (ग) क्या प्रश्नांश (ख) अनुसार इंदौर जिले में कई शराब दुकाने (जैसे राजामोहल्ला चौराहा, कालानी नगर, महू नाका लालबाग के सामने, राजेन्द्र नगर एक्सटेंशन आदि) मन्दिर, शैक्षणिक संस्थान व रहवासी क्षेत्र से निर्धारित दूरी के अंदर संचालित हो रही हैं? यदि हाँ तो सूची उपलब्ध करावें व इसके लिए प्रशासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) मध्यप्रदेश आबकारी विभाग में देशी व विदेशी शराब दुकानों को खोलने हेतु निश्चित दूरी व उस क्षेत्रफल की जनसंख्या का आंकलन किये जाने का कोई नियम/प्रावधान नहीं है। इन्दौर जिले में संचालित देशी/विदेशी मदिरा दुकानों की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) यह सही है, कि प्रदेश में देशी व विदेशी शराब दुकानों को शैक्षणिक संस्था व धार्मिक स्थल से निश्चित दूरी पर खोला जाता है। लेकिन रहवासी क्षेत्र से दूरी के संबंध में कोई नियम/प्रावधान मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम में नहीं है। मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915

की धारा 62 के अंतर्गत निर्मित सामान्य प्रयोग के नियम-1 (1) (ख) के अनुसार परिसर में मदिरा उपभोग के लिये फुटकर विक्रय की मदिरा दुकानें इस प्रयोजन हेतु परिभाषित किसी धार्मिक या शैक्षणिक संस्था से 50 मीटर या अधिक दूरी पर स्थित हो, यह प्रावधानित है। (ग) इन्दौर जिले की कोई भी मदिरा दुकान मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 62 के अंतर्गत निर्मित सामान्य प्रयोग के नियम-1, (1) (ख) के अनुसार परिसर में मदिरा उपभोग के लिये फुटकर विक्रय की मदिरा दुकानें इस प्रयोजन हेतु परिभाषित मंदिर, शैक्षणिक संस्थान से नियमानुसार निर्धारित दूरी के अंदर संचालित नहीं हो रही है। रहवासी क्षेत्र से दूरी के संबंध में कोई नियम/प्रावधान मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम में नहीं है।

परिशिष्ट - "इक्कीस"

जले ट्रान्सफार्मर को बदलना

120. (क्र. 5013) श्री दिनेश कुमार अहिरवार : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जतारा विधानसभा क्षेत्र के कितने ग्रामों में ट्रान्सफार्मर लगे हुए हैं? वर्तमान में इनकी क्या स्थिति है? (ख) आज दिनाँक तक कई ग्रामों के ट्रान्सफार्मर जले हुए हैं? ग्राम - खुरमपुर मड़ोरी, परा, कपासी, रतवास, बीरऊ, कंजना, गंधर्वगंज, बम्हौरी कलां, निवोरा जैसे कई ग्राम अंधेरे में डूबे हुए हैं? (ग) जले हुए ट्रान्सफार्मर इन ग्रामों के कब तक बदले जाएंगे, जिससे अंधेरे में डूबे हुए ग्रामों को रोशनी नसीब हो सके? क्या दोषी कर्मचारियों पर कार्यवाही होगी?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) टीकमगढ़ जिले के जतारा विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत कुल 181 ग्रामों में 1418 ट्रांसफार्मर स्थापित है, जिनमें से 1394 ट्रांसफार्मर चालू स्थिति में हैं एवं 24 ट्रांसफार्मर बंद/खराब हैं, जिन्हें इन ट्रांसफार्मरों से संबद्ध उपभोक्ताओं द्वारा नियमानुसार विद्युत बिल की बकाया राशि जमा नहीं करने के कारण बदला नहीं जा सका है। उपभोक्ताओं द्वारा नियमानुसार बकाया राशि जमा करने पर उक्त ट्रांसफार्मर बदल दिये जायेंगे। (ख) टीकमगढ़ जिले के जतारा विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत उत्तरांश (क) में दर्शाये अनुसार कुल 24 ट्रांसफार्मर खराब/बंद हैं, जिन्हें संबद्ध उपभोक्ताओं द्वारा नियमानुसार विद्युत बिल की बकाया राशि जमा नहीं करने के कारण बदला नहीं जा सका है। प्रश्नांश में उल्लेखित ग्राम खुरमपुर, बीरऊ एवं कंजना के ट्रांसफार्मर चालू हैं। ग्राम रतवास में कुल 39 उपभोक्ताओं पर रू. 3.17 लाख की राशि बकाया होने तथा बार-बार समझाइश देने एवं अनुरोध करने के बाद भी किसी उपभोक्ता द्वारा बकाया राशि जमा नहीं करने के कारण उक्त सभी उपभोक्ताओं के कनेक्शन स्थायी रूप से विच्छेदित कर दिये गये हैं एवं वर्तमान में ग्राम रतवास में कोई उपभोक्ता नहीं है। प्रश्न में उल्लेखित शेष ग्रामों में स्थापित कुल 11 ट्रांसफार्मरों का विवरण निम्नानुसार है, जिन्हें संबद्ध उपभोक्ताओं द्वारा नियमानुसार विद्युत बिल की बकाया राशि जमा नहीं करने के कारण बदला नहीं जा सका है :-

क्र.	ग्राम का नाम	कुल स्थापित	फेल/जले ट्रांसफार्मर	क्षमता (के.व्ही.)	ट्रांसफार्मर स्थापित	ट्रांसफार्मर फेल होने	लंबित बकाया राशि का विवरण

		ट्रांसफार्मर		में	होने का स्थान	की तिथि	उपभोक्ता संख्या	बकाया राशि (लाख रू. में)
1	मड़ोरी	05	03	25	सरपंच वाला	31.1.15	30	2.26
				25	बसीर वाला	3.2.15	39	1.69
				25	कुरयाना	7.2.15	36	1.86
2	परा	06	01	63	हरिजन बस्ती	27.1.15	86	7.12
3	कपासी	04	01	63	बस्ती वाला	17.1.15	35	4.53
4	गंधर्व गंज	03	01	25	बस्ती वाला	17.1.15	19	2.53
5	बम्हौरीकलां	32	02	25	हरिजन बस्ती	25.1.15	27	3.19
				25	खाई वाला	28.1.15	36	2.11
6	निबौरा	07	03	25	पाल मुहल्ला	20.1.15	26	1.11
				25	पण्डित वाला	18.1.15	27	2.30
				100	कृषि वाला	16.2.15	16	1.13

(ग) प्रश्नांश 'ख' में उल्लेखित ग्रामों के बंद/जले हुये ट्रांसफार्मर संबद्ध उपभोक्ताओं द्वारा नियमानुसार बकाया राशि का भुगतान होने पर तत्काल बदलने की कार्यवाही की जावेगी। उक्त परिप्रेक्ष्य में किसी के दोषी होने अथवा कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

<u>सबलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में विद्युतीकरण</u>

121. (क्र. 5021) श्री मेहरबान सिंह रावत : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सबलगढ़ विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत अब तक कितने गांवों में विद्युतीकरण किया गया है? सूचीवार ग्रामों के नाम बतावें? एवं किन-किन एजेंसी के द्वारा किया गया है? (ख) क्या विद्युतीकरण कार्य अत्यंत घटिया स्तर एवं निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं किए जाने से विद्युत पोल उखड़ गए हैं? लाईन गिर गई है? उक्त विद्युतीकरण हुए

ग्रामों के भौतिक सत्यापन करने वाले अधिकारी/कर्मचारी का नाम बतावें? (ग) क्या भौतिक सत्यापन करने वाले अधिकारी/कर्मचारी के खिलाफ क्या कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी? समयावधि बतावें?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) सबलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में 39 ग्रामों के विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण किया गया है। जिनकी ग्रामवार एवं क्रियान्वयन एजेंसीवार सूची **संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) जी नहीं। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत प्रश्नाधीन कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप ही किया गया है। उक्त योजनांतर्गत किये गये कार्य की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप सुनिश्चित करने के लिये कार्य के निरीक्षण/भौतिक सत्यापन हेतु थर्ड पार्टी निरीक्षण एजेंसी मे. बैप्कोस को अनुबंधित किया गया है जो कि भारत सरकार का उपक्रम है। इसके साथ-साथ मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के नोडल अधिकारी श्री यशपाल सचदेवा, सहायक यंत्री द्वारा भी टर्न-की ठेकेदार द्वारा किये गये कार्यों का समय-समय पर निरीक्षण किया गया है। उक्त निरीक्षणों के दौरान कार्य में पाई गई त्रुटियों/कमियों का निराकरण ठेकेदार एजेंसी से कराने के पश्चात ही उसके बिलों का भुगतान किया गया है। तथापि प्रश्नाधीन क्षेत्र में आंधी-तूफान के कारण कुछ स्थानों पर पोल उखड़ने की शिकायतें मिली थीं, जिनके तारतम्य में पोलों को दुरूस्त कराने की कार्यवाही की जा रही है। (ग) उत्तरांश (ख) में दर्शाए अनुसार प्रश्नाधीन कार्य निर्धारित मानकों के अनुसार ही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया गया है, अत: कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

<u>परिशिष्ट - "बाईस"</u>

<u>सिंध परियोजना जिला ग्वालियर एवं भिण्ड के ग्रामों की सिंचाई</u>

122. (क्र. 5041) श्री भारत सिंह कुशवाह : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सिंध परियोजना द्वितीय चरण की रिपोर्ट के अनुसार हरसी उच्च स्तरीय नहर से जिला ग्वालियर एवं भिण्ड के 238 ग्रामों की सिंचाई प्रस्तावित है? (ख) क्या यह सत्य है कि सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अतंर्गत हरसी उच्च स्तरीय नहर को पूर्ण करने हेतु नाबार्ड द्वारा लोन स्वीकृत किया गया था एवं समस्त निर्माण कार्य मार्च 2011 तक पूर्ण करना प्रस्तावित था? (ग) क्या अभी तक नहर का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हुआ है यदि हाँ तो हरसी उच्च स्तरीय नहर का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा एवं नहर से 238 ग्रामों में सिंचाई सुविधा पूर्ण हो सकेगी?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) सिंध परियोजना द्वितीय चरण परियोजना का रूपांकित सैच्य क्षेत्र 1,62,100 हेक्टर प्रावधानित है जिसमें हर्सी उच्च स्तरीय नहर का रूपांकित सैच्य क्षेत्र 45,245 हेक्टर शामिल है। मुख्य अभियंता द्वारा भेजे गए प्रतिवेदन में हर्सी उच्च स्तरीय नहर का रूपांकित सैच्य क्षेत्र 238 ग्रामों में दर्शाया गया था जो कार्यालय मुख्य अभियंता, बोधी द्वारा परीक्षण में 165 ग्रामों में पाया गया। (ख) जी हाँ। (ग) जी हाँ। निर्माण कार्य भूमि की उपलब्धता, निर्माण के लिए खनिज पदार्थ की उपलब्धता, निर्माण एजेंसी की क्षमता और वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर होने से निर्माण कार्य पूरा होने का समय बताया जाना संभव नहीं है। प्रश्नाधीन परियोजना का रूपांकित सैच्य क्षेत्र 45,245 हेक्टर कुल 165 ग्रामों में आता है।

<u>म.प्र. में प्रतियोगी परिक्षाओं में निर्धारित आयु सीमा</u>

123. (क्र. 5047) श्री गिरीश भंडारी, श्री रामनिवास रावत : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में शासकीय सेवा के लिए सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मध्यप्रदेश के मूल निवासियों के लिए 40 वर्ष की उम्र तक प्रतियोगी परिक्षाओं में शामिल होने के आदेश है? आदेश की प्रति उपलब्ध करावें? (ख) क्या प्रदेश के बाहर के प्रतिभागियों को भी ऐसी प्रतियोगी परिक्षाओं में भाग लेने के लिए आयु सीमा 40 वर्ष का लाभ लेने की पात्रता है? जबकि प्रदेश के पड़ोस के राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान में यह उम्र सीमा 35 वर्ष तक है? जानकारी देवें? (ग) क्या मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग एवं राज्य सेवा परीक्षा में सिर्फ मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को ही 40 वर्ष उम्र का लाभ दिये जाने हेतु विचार किया जावेगा जिससे प्रदेश के अधिक से अधिक लोग लोक सेवाओं में आ सकें एवं अन्य राज्यों के प्रतिभागियों को आयु सीमा में छूट का लाभ नहीं दिये जाने हेतु विचार किया जावेगा?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) एवं (ख) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनाँक ०३ नवम्बर २०१२ द्वारा राज्य शासन की सेवाओं में सीधी भरती के लिये अधिकतम सामान्य आयु सीमा ४० वर्ष निर्धारित की गई है। इसमें म.प्र. के मूल निवासी या प्रदेश के बाहर के आवेदकों में भिन्नता नहीं रखी गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। परिपत्र की प्रति **संलग्न परिशिष्ट** पर है। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के परिपेक्ष में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>परिशिष्ट - "तेईस</u>"

<u>नरसिंहगढ विधान सभा क्षेत्र में फीडर सेफरेशन का कार्य</u>

124. (क्र. 5049) श्री गिरीश भंडारी : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नरसिंहगढ़ विधानसभा क्षेत्र में फीडर सेफरेशन का कार्य कितने ग्राम में पूर्ण हो चुका है व कितने ग्राम में अपूर्ण है? उक्त कार्यों की समय अवधि क्या थी? (ख) प्रश्न की कंडिका (क) की उपलब्ध जानकारी अनुसार जिन ग्रामों में फीडर सेफरेशन का कार्य अपूर्ण है वहा पर कार्य कब तक पूर्ण किया जायेगा? समय अवधि बतावें? ठेकेदारों द्वारा अगर समय अवधि में कार्य पूर्ण नहीं किया गया? तो क्या कार्यवाही की जावेगी? समय सीमा बतावे?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) नरसिंहगढ़ विधानसभा क्षेत्र में फीडर सेपरेशन योजनांतर्गत 126 ग्रामों में से 18 ग्रामों में कार्य पूर्ण हो चुका है एवं 108 ग्रामों का कार्य शेष हैं। उक्त कार्यों को पूर्ण करने की निर्धारित समय अवधि दिनाँक 19.11.13 थी। (ख) उत्तरांश 'क' अनुसार शेष 108 ग्रामों का कार्य अक्टूबर 2015 तक पूर्ण कराने के प्रयास किये जा रहे हैं। उक्त कार्य समयावधि में पूर्ण नहीं किये जाने के कारण मेसर्स ज्योति स्ट्रक्चर लिमिटेड मुंबई के बिलों से लिक्विडेटेड डैमेज के रूप में पेनाल्टी स्वरूप रू. 86.6 लाख की राशि काटी जा चुकी है।

<u>मानवेन्द्र कंस्ट्रक्शन कंपनी को टिन नम्बर जारी करने में अनियमितता</u>

125. (क्र. 5066) डॉ. योगेन्द्र निर्मल : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अता.प्रश्न संख्या-13 (क्र. 2678 दिनाँक) 22-7-2014 के उत्तर के बताए अनुसार मानवेन्द्र कंस्ट्रक्शन कंपनी एक भागीदार फर्म है उसमें दो पार्टनर हैं, तो क्या उक्त फर्म का टिन नं. 2334902724 प्रोप्राइटर की हैसियत से एक भागीदार को वाणिज्य कर विभाग दतिया द्वारा गलत तरीके से जारी किया गया है? (ख) यदि हाँ, तो क्या प्रश्नांश (क) में वर्णित टिन नंबर को बंद करने

हेतु दूसरे भागीदार द्वारा पत्रादि लिखे गए एवं आरटीआई के तहत जानकारी मांगी गई? यदि हाँ, तो विभाग द्वारा क्या जानकारी दी गई? (ग) टिन नम्बर एवं प्रस्तुत रिटर्न के अनुसार मानवेन्द्र कंस्ट्रक्शन कम्पनी क्या-क्या कार्य करती है? वर्ष 2012 से प्रश्न दिनाँक तक रिटर्न की प्रति दें? (घ) क्या गलत तरीके से जारी किए गए टिन नम्बर को निरस्त कर टिन नम्बर जारी करने वाले अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी? यदि नहीं तो क्यों?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) प्रश्नांश में उल्लेखित टिन 2334902724 वाणिज्यिक कर कार्यालय दतिया के व्यवसायी का नहीं है, और न ही किसी अन्य व्यवसायी को यह टिन जारी किया गया है। मेसर्स मानवेन्द्र कन्स्ट्रक्शन कम्पनी टिन 23374902724 एक एकल स्वामित्व वाली फर्म है। आवेदक श्री संजय यादव पुत्र स्व. रघुवीर सिंह यादव द्वारा प्रारूप-6 में एकल स्वामित्व होने का आवेदन दिनाँक 06.11.2009 को विभाग में प्रस्तुत किया गया एवं टिन, विभाग व्दारा आवेदन अनुसार एकल स्वामित्व में जारी किया गया। अतः वाणिज्यिक कर विभाग दतिया द्वारा टिन गलत तरीके से जारी नहीं किया गया है। (ख) श्री अजय कुमार जैन पुत्र स्व. श्री दयाचंद भंडारी द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें मानवेन्द्र कन्स्ट्रक्शन कम्पनी का भागीदार होने का दावा किया गया व भागीदारी विलेख व भागीदारी विघटन विलेख की प्रति प्रस्तुत की गई। भागीदारी विलेख दिनाँक 03.03.2004 को बनाया गया एवं विघटन विलेख दिनाँक 11.09.2009 को लिखा गया। चूँकि पंजीयन एकल स्वामित्व का है। अतः अजय कुमार जैन का फर्म से किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं होने से आवेदन खारिज किया गया तथा आरटीआई के तहत दतिया वृत्त कार्यालय के पत्र क्रमांक 1776, दिनाँक 30.09.2014 से सूचित किया गया। (ग) कार्यालय में दर्ज पंजीयन अभिलेखानुसार मेसर्स मानवेन्द्र कन्स्ट्रक्शन कम्पनी सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क्स (संकर्म संविदा) का कार्य करती है। वर्ष 2012 से प्रस्तुत विवरण-पत्रों (रिटर्न्स) की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। (घ) पंजीयन जारीकर्ता अधिकारी व्दारा गलत तरीके से टिन (पंजीयन) जारी नहीं किया गया है। अतः टिन (पंजीयन) निरस्त करने तथा टिन (पंजीयन) जारीकर्ता अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

ट्रांसफार्मरों की मरम्मत प्रदेश से बाहर की फर्मों से करवाया जाना

126. (क्र. 5084) श्री रामेश्वर शर्मा : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. के पास ऐसे ट्रांसफार्मर हैं जो नए खरीदे गए थे लेकिन जिनकी गारंटी अवधि स्टोर में रखे ही समाप्त हो गई है? यदि हाँ तो ऐसे ट्रांसफार्मरों की संख्या बताएं और बताएं कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है और जिम्मेदारों पर क्या कार्यवाही की जाएगी? (ख) क्या ट्रांसफार्मरों की मरम्मत का कार्य प्रदेश की बाहर की फर्मो से करवाया जाता है? यदि हाँ तो इसका कारण क्या है? ऐसी फर्मों से पिछले तीन वर्षों में सुधरवाए गए ट्रांसफार्मरों की संख्या, किऐ गए भुगतान की जानकारी दें? (ग) विभागीय स्तर पर एम.टी. आर.यू. और एस.टी. आर.यू. द्वारा वर्ष 2011-12 से अब तक कितने ट्रांसफार्मर सुधरवाए गए हैं और लागत सहित वर्षवार बतायें? (घ) एम.टी.आर.यू और एस.टी. आर.यू. द्वारा सुधारे गए ट्रांसफार्मर की गारंटी अवधि कितनी होती है और, गारंटी अवधि में खराब होने पर उसकी मटेरियल लागत कौन वहन करता है?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमिटेड के स्टोरों में ऐसे कोई भी ट्रांसफार्मर नहीं हैं, जो नये खरीदे गये थे एवं उनकी गारंटी अवधि स्टोर में रखे-रखे ही समाप्त हो

गई है, अत: प्रश्न नहीं उठता। (ख) जी हाँ, म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमिटेड के अन्तर्गत ट्रांसफार्मरों की मरमम्त का कार्य मध्य प्रदेश की रिपेयरिंग फर्मों के अलावा प्रदेश के बाहर की फर्मों से भी करवाया जाता है। मध्य प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के बाहर की वे सभी फर्में जो मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा गारण्टी अवधि के पश्चात फेल हुए ट्रांसफार्मरों की मरम्मत हेतु जारी की गई निविदा की शर्तों के अनुरूप योग्य पाई जाती है को अवार्ड जारी कर कार्य कराया जाता है। मध्य प्रदेश के बाहर की फर्मों से म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमिटेड क्षेत्रान्तर्गत पिछले 3 वर्षों में कुल 6617 ट्रांसफार्मर सुधरवाये गये हैं तथा इस हेतु रू. 763.93 लाख की राशि का भुगतान किया गया है। (ग) म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कंपनी स्तर पर एम.टी.आर.यू. और एस.टी.आर.यू. में वर्ष 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 में सुधारे गये ट्रांसफार्मरों की संख्या एवं सुधार कार्य की लागत की जानकारी निम्नानुसर है:-

वित्तीय वर्ष	सुधारे गये ट्रांसफार्मरों की संख्या	लागत (रू.लाख में)
2011-12	2139	190.31
2012-13	2934	372.53
2013-14	5055	718.46

(घ) म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी क्षेत्रांतर्गत एम.टी.आर.यू और एस.टी.आर.यू. में सुधारे गये ट्रांसफार्मरों की गारण्टी अवधि 6 माह होती है और गारण्टी अवधि में खराब होने पर उसकी मटेरियल लागत मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी वहन करती है।

इंदिरा सागर परियोजना की नहरों का निर्माण

127. (क्र. 5091) श्री दीवानसिंह विट्ठल पटेल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इंदिरा सागर परियोजना की नहरों का सर्वप्रथम सर्वे कहाँ से हुआ था एवं प्रथम सर्वे अनुसार कुल कितनी भूमि सिंचित होनी थी? प्रथम सर्वे अनुसार स्वीकृत नक्शे की प्रति उपलब्ध करावें? (ख) वर्तमान में इंदिरा सागर की नहरों को कुल कितने कि.मी. तक बनाने का प्रस्ताव है तथा इनकी कुल कितनी लागत है? वर्तमान तक कुल कितने कि.मी. नहरे निर्मित हो चुकी है? (ग) क्या नहरों से कोई लिफ्ट इरिगेशन की भी योजनाएं हैं या स्वीकृत हुई हैं? यदि हाँ तो क्या व कहाँ-कहाँ? वर्तमान में खरगोन एवं बड़वानी जिले कि कौन-कौन सी तहसीलें नर्मदा की नहरों से वंचित रह गई हैं। (घ) क्या भीकनगांव, झिरन्या, भगवानपुरा, सेंगांव राजपुर के ग्रामों में यह योजना लाये जाने का कोई प्रस्ताव है? उक्त तहसीलों के कौन-कौन से ग्रामों में यह योजना नहीं पहुंचेगी? ग्रामों के नाम सहित बतावें? कसरावद, गोगांवा, खरगोन के योजना से वंचित ग्रामों की जानकारी प्रदाय करें?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) इंदिरा सागर परियोजना का सर्वप्रथम सर्वे चांदेल ग्राम (तह. पुनासा जिला खंडवा) में वर्ष 1982 में हुआ एवं विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार 123000 हेक्टेयर में सिंचाई किया जाना प्रस्तावित था। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार** है। (ख) वर्तमान में इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर एवं वितरण नहरों को 243.895 कि.मी. तक बनाना प्रस्तावित है, इसकी कुल लागत वर्तमान में रूपये 4604.52 करोड़ है आज दिनाँक तक मुख्य नहर 187 कि.मी. तक लगभग पूर्ण हो चुकी है एवं मुख्य नहर की आर.डी.

155 कि.मी. तक वितरण प्रणाली का लगभग 95 प्रतिशत कार्य पूर्ण चुका है। (ग) इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 79.79 कि.मी. से खरगोन उद्ववहन नहर द्वारा पानी लिफ्ट कर 152 ग्रामों के 33140 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की जाना प्रस्तावित है। यह उद्वहन नहर इंदिरा सागर परियोजना का ही एक अंश है एवं परियोजना में सम्मिलित है। इंदिरा सागर परियोजना से खरगोन जिले की तहसीले झिरन्या, सेगांव, महेश्वर, भगवानपुरा एवं बड़वानी जिले की तहसीलें पानसेमल, सेंधवा पाटी एवं बरला इंदिरा सागर परियोजना से सिंचाई से वंचित हैं, क्योंकि ये तहसीले इंदिरा सागर परियोजना के कमाण्ड क्षेत्र के बाहर हैं एवं उच्च लेवल पर स्थित हैं। (घ) प्रश्नांश में उल्लेखित तहसीलों में से इंदिरा सागर परियोजना की नहरों एवं खरगोन उद्वहन नहर सिंचाई योजना में मात्र भीकनगाँव एवं राजपुर तहसील के कमाण्ड में आने वाले ग्रामों में सिंचाई किया जाना पूर्व से परियोजना में प्रस्तावित है। इंदिरा सागर परियोजना की बहाव नहर एवं खरगोन उद्वहन सिंचाई नहर से लाभान्वित भीकनगाँव एवं राजपुर तहसील के ग्रामों तथ शेष रहें ग्रामों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार** है। शेष रही तहसीलें झिरन्या, भगवानपुरा, सेगाँव में यह योजना लाये जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। परियोजना से कसरावद, गोगॉवा एवं खरगोन के लाभान्वित ग्रामों तथा वंचित रहे ग्रामों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार** है।

सिंचाई परियोजनाओं की स्वीकृति

128. (क्र. 5092) श्री दीवानसिंह विट्ठल पटेल : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बड़वानी जिले में विभाग की कौन-कौन सी नवीन सिंचाई योजनाओं के प्रस्ताव विभाग स्तर पर लंबित हैं? क्या बड़वानी जिले के निवाली विकासखण्ड में नानीसिरी, काजलमाता, मोगरी नदी पर तालाब परियोजनाओं की स्वीकृति के प्रस्ताव शासन स्तर पर लंबित हैं? यदि हाँ तो किस स्तर पर लंबित हैं तथा शीघ्र स्वीकृति में क्या वैधानिक परेशानी है? यदि कोई परेशानी नहीं है तो कब तक उक्त तालाबों का कार्य प्रारम्भ कर दिया जावेगा? (ख) क्या इन योजनाओं की साध्यता भी हो गई है? यदि हाँ तो उक्त तालाबों की अलग-अलग कितने रूपयों की स्वीकृति होना है? उक्त तालाब निर्माण हो जाने से कितने हेक्टेयर भूमि में सिंचाई होगी? सिंचाई योजनानुसार बतायें?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) जी नहीं, बड़वानी जिले में सिंचाई परियोजना की स्वीकृति हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। (ख) जी नहीं। उपलब्ध वित्तीय संसाधन निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए आबद्ध होने से नई सिंचाई परियोजनाओं की स्वीकृति संबंधी कार्रवाई की जाना संभव नहीं है। परियोजनाओं की डीपीआर नहीं बनाई गई होने से सिंचाई और लागत संबंधी जानकारी दी जाना संभव नहीं है।

बादल डोह जलाशय की नहर का निर्माण

129. (क्र. 5118) श्री चैतराम मानेकर : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आमला विकासखण्ड में बादलडोह जलाशय के निर्माणाधीन नहर की क्या लागत है? (ख) क्या नहर का निर्माण कार्य निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप हो रहा है या नहीं इसके लिए कौन-कौन अधिकारी ने कब-कब निरीक्षण किया? पूर्ण जानकारी देवें? (ग) क्या निरीक्षणकर्ता अधिकारी नहर निर्माण के कार्य से पूर्णत: संतुष्ट हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) बादलडोह लघु सिंचाई परियोजना की स्वीकृति दिनाँक 11.05.2012 को रू. 3690.35 लाख की प्रदाय की गई है। नहर निर्माण का अनुबंध निर्माण एजेंसी से राशि रू. 842.23 लाख का किया गया है। नहर निर्माण में भू-अर्जन में रू.90.47 लाख का निवेश आकलित है। (ख) जी हाँ। मुख्य अभियंता द्वारा दिनाँक 04 अप्रैल,23 मई, 01 नवम्बर एवं 28 नवम्बर 2014 को अधीक्षण यंत्री द्वारा दिनाँक 04 अप्रैल, 13 मई, 23 मई, 17 सिंतबर, 01 नवम्बर, 14 नवम्बर, 20 नवम्बर, 28 नवम्बर 2014 एवं 22 जनवरी 2015; मुख्य तकनीकी परीक्षक के मुख्य अभियंता द्वारा 10 मई 2014 को एवं संभागीय कार्यपालन यंत्री द्वारा प्रतिमाह 4 या अधिक बार निरीक्षण किया गया। (ग) जी हाँ।

<u>देवरी विधानसभा अंतर्गत जुनिया जलाशय का नहर निर्माण</u>

130. (क्र. 5123) श्री हर्ष यादव : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सागर जिले की देवरी विधानसभा क्षेत्र केसली विकासखंड में जलसंसाधन विभाग द्वारा जुनिया जलाशय व नहर का निर्माण कराया गया था? यदि हाँ तो निर्माण कब पूर्ण हुआ? जलाशय एवं नहर निर्माण पर कितनी राशि व्यय की गई, रूपांकित सिंचित क्षेत्र कितना था वास्तविक कितना है? (ख) क्या उक्त जलाशय की नहर से खेरीकला एवं कई और गांव तक सिंचाई हेतु नहर निर्माण में गडबड़ी के कारण पानी किसानों के खेतों तक नहीं पहुंच पा रहा है? क्या यह भी सही है कि खेरीकलां एवं अन्य गांवो के किसानों ने कलेक्टर सागर की जन-सुनवाई में इसकी शिकायत भी की थी? यदि हाँ तो क्या सुधार किये गये? (ग) उक्त नहर की लंबाई एवं चौड़ाई एवं गहराई कितनी है? नहर में पानी अन्य गांव तक बहकर क्यों नहीं जा रहा है इसकी जांच करके निर्माण कराने वाले यंत्री पर क्या कार्यवाही की गई है? (घ) क्या शासन अनुपयोगी निर्मित नहर को उपयोगी बनाने हेतु राशि व्यय करेगा यदि हाँ तो कितनी राशि? क्या यह राशि गलत नहर निर्माण कराने वाले यंत्री से वसूली जावेगी यदि नहीं तो क्यों? क्या यह जन-धन की हानि नहीं है? और इसकी भरपाई क्यों नहीं कराई जावेगी?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) जी हाँ, जुनिया जलाशय का निर्माण वर्ष 2010 और नहर का निर्माण वर्ष 2013 में पूर्ण किया गया। परियोजना के निर्माण में रूपये 344.85 लाख का निवेश किया गया। परियोजना का रूपांकित सैच्य क्षेत्र 363 हेक्टर है। वर्ष 2014-15 में परियोजना से 400 हेक्टर में रबी सिंचाई की गयी। (ख) जी नहीं, नहर के अंतिम छोर तक पानी पहुंचाया गया है। कलेक्टर की जन सुनवाई में प्राप्त शिकायतों की जानकारी विभाग द्वारा संधारित एवं संकलित नहीं की जाती है। प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होता है। (ग) एवं (घ) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। नहर के अंतिम छोर तक पानी जाने से शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता हैं।

<u>परिशिष्ट - "चौबीस</u>"

<u>अर्थदण्ड के नाम पर अवैध वसूली की जांच</u>

131. (क्र. 5140) श्री के.डी. देशमुख : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या गणेश नीलकण्ठ पटेल जाति पंवार ग्राम कोड़मी एवं दिलीप नागेश्वर ग्राम नहलेसरा तह. कटंगी जिला बालाघाट ने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कटंगी जिला बालाघाट के विरूद्ध अर्थदण्ड के नाम पर अवैध वसूली किये जाने संबंधी शिकायत माननीय मुख्य मंत्री जी को दिनाँक 09.1.2015 को

की है? (ख) यदि हाँ तो इस शिकायत की जांच किस अधिकारी द्वारा किस दिनाँक को की गई? शिकायत जांच के बाद क्या कार्यवाही की गई?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही हैं।

<u>देशी/विदेशी मदिरा का अवैध विक्रय</u>

132. (क्र. 5150) श्री मेव राजकुमार : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खरगोन जिले में विधानसभा क्षेत्रवार किन-किन ठेकेदारों को कहाँ-कहाँ पर देशी/विदेशी अंग्रेजी मंदिरा दुकाने खोलने हेतु किन नियमों, शर्तों के तहत लाइसेंस जारी किये गये? नियम, शर्तों व स्थान सहित लाईसेंसी ठेकेदारों के नाम सहित जानकारी देवें? (ख) क्या ठेकेदारों के द्वारा निर्धारित शर्तों का उल्लंघन करते हुये लाईसेंसी स्थान के अलावा भी शहरों के एवं ग्रामों के गलीकूचों में अपने बिचौलियों के द्वारा खुले आम देशी/विदेशी मंदिरा बेचे जाने संबंधित पुलिस थाना क्षेत्रों एवं जिला कलेक्टर खरगोन को कब-कब शिकायतें प्राप्त हुई? (ग) उक्त शिकायतों के आधार पर दोषियों के विरूद्ध कब-कब, क्या-क्या कार्यवाही की गई? क्या निर्धारित दुकानों के अलावा अन्य स्थानों पर भी शराब/मदिरा बेचने वालो के विरूद्ध विभाग कार्यवाही करेगा और क्या अवैध मदिरा बिकवाने वाले लाईसेंसी ठेकेदार के विरूद्ध कार्यवाही करते हुये उनके लाईसेंस समाप्ति की कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक? (घ) क्या पवित्र नगरी महेश्वर, मण्डलेश्वर एवं विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बरझर में शासकीय स्कूल के सामने भी अवैध रूप से मदिरा का विक्रय किया जा रहा है? यदि हाँ, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) खरगौन जिले में विधानसभा क्षेत्रवार देशी मदिरा दुकानें/विदेशी मदिरा दुकानों के लिये क्रमश: देशी मदिरा नियम, 1995 तथा विदेशी मदिरा नियम 1996 के अंतर्गत लायसेंस में उल्लेखित स्थानों पर वर्ष 2014-15 हेतु मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनाँक 09 जनवरी 2014 में प्रकाशित विज्ञप्ति क्रमांक -सात/ठेका/2014-15/6 अनुसार लायसेंस जारी किये गये है। ठेकेदारों के नाम एवं संचालित मदिरा दुकानों के स्थान की सूची **संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) जी नहीं। ठेकेदरों द्वारा निर्धारित शर्तो का उल्लंघन करते हुये लायसेंसी स्थान के अलावा भी शहरों एवं ग्रामों के गलीकूचों में अपने बिचौलियों के द्वारा खुलेआम देशी/विदेशी मदिरा नहीं बेची जा रही है। ऐसी शिकायतें पुलिस थाना क्षेत्रों में भी प्राप्त नहीं हुई हैं। (ग) लायसेंसियों के विरूद्ध निर्धारित स्थान/दुकान के अलावा अन्य स्थानों पर मदिरा विक्रय की शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं। निर्धारित दुकानों के अलावा अन्यत्र स्थानों पर अवैध मदिरा विक्रय/परिवहन/संग्रहण के प्रकरण प्रकाश में आने पर विभाग द्वारा त्वरित कार्यवाही की जाती है। शिकायतें प्राप्त होने पर लायसेंसी द्वारा सामान्य निरीक्षण अथवा कोई गंभीर अनियमितता किया जाना पाया जाता है तो मदिरा दुकान के लायसेंस निरस्त करने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी। (घ) पवित्र नगरी महेश्वर, मण्डलेश्वर एवं विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बरझर में शासकीय स्कूल के सामने अवैध रूप से मदिरा के विक्रय किये जाने के संबंध में दिनाँक 01.04.2014 से 28.02.2015 तक वृत्त बड़वाह के ग्राम बरझर में शासकीय स्कूल के पीछे सड़क के किनारे अवैध मदिरा विक्रय का एक प्रकरण क्रमांक 1131 दिनाँक 14.12.2014 को कायम किया जाकर माननीय सी.जे.एम. बड़वाह द्वारा आरोपी को फो.ज.मु. क्रं. 1421 दिनाँक 23.12.2014 से रूपये 1000/- का अर्थदण्ड एवं न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया गया है।

परिशिष्ट - "पच्चीस"

तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराया जाना

133. (क्र. 5152) श्री मेव राजकुमार : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास केन्द्र खोलने के क्या नियम हैं एवं यह केन्द्र कहाँ-कहाँ खाले गये हैं एवं इनका संचालन किसके माध्यम से किया जा रहा है? (ख) तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास केन्द्र के माध्यम से वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में कितने आवेदन प्राप्त हुये कितनों का चयन किया गया एवं कितनों को प्रशिक्षित उपरांत उन्हें रोगार में स्थापित करने हेतु क्या कार्यवाही की गई? (ग) इंदौर संभाग के कौन-कौन से जिलों में कौन-कौन सी जनपद पंचायतों में कहाँ-कहाँ तकनीकी शिक्षा एवं विकास केन्द्र कब से संचालित किये जा रहे हैं एवं इनका संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है? (घ) प्रश्न (ग) के संदर्भ में कौशल विकास केन्द्रों के माध्यम से 2013-14 एवं 2014-15 में कितने प्रशिक्षणार्थियों को चयन किया जाकर किस-किस ट्रेड में कितन-कितने प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण उपरांत कितने प्रशिक्षणार्थी स्वयं के साधनों से रोजगार में स्थापित हो गये एवं कितने प्रशिक्षणार्थियों को बैंक के माध्यम से रोजगार स्थापित कराने का कार्य किया गया है? सूची उपलब्ध कराई जावे?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

तहसील पिपलौदा अतंर्गत स्टापडेम का निर्माण

134. (क्र. 5174) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या तहसील पिपलौदा अतंर्गत ग्राम सुखेड़ा एवं धामेड़ी के मध्य स्थित नदी/बडे नाले पर स्टाप डेम बनाये जाने की कार्य योजना तैयार की गई थी? (ख) यदि हाँ तो कार्य योजना किस प्रकार की बनाई जाकर उस पर क्या-क्या कार्य विगत वर्षों में किये जाकर वर्तमान में धामेड़ी स्टाप डेम कार्य योजना की क्या स्थिति हैं? (ग) क्या उपरोक्त कार्य योजना विगत वर्षों में पूर्ण सर्वे कार्य करवाये जाने के बाद स्वीकृत होकर बजट राशि की प्रत्याशा में लंबित होकर अवरूद्ध रही? यदि हाँ तो वर्ष 2010-11 से लेकर प्रश्न दिनाँक तक की शासन विभाग द्वारा कार्य योजना के संबंध में किये गये समस्त कार्यो से अवगत कराये?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) से (ग) जी नहीं, स्टापडेम बनाए जाने की कोई योजना तैयार नहीं की गई है। धामेड़ी जलाशय परियोजना बनाने के लिए सर्वेक्षण कराया गया था जिसमें परियोजना तकनीकी आधार पर साध्य नहीं पाई गई है। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होते है।

जल संसाधन विभाग में परफोर्मेन्स ग्रांट राशि का भुगतान

135. (क्र. 5185) श्री रामनिवास रावत : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग की नहरों के सुधार एवं आधुनिकरण के कितने कार्य विगत तीन वर्षों में स्वीकृत किये जाकर प्रारंभ कराए गये? कार्यवार स्वीकृत राशि एवं भुगतान राशि का विवरण दें? (ख) इन स्वीकृत, प्रचलित एवं पूर्ण कार्यों में से किन-किन प्रकरणों में डिसप्यूट रिव्यू एक्सपर्ट आर्बीट्रेशन ट्रियब्यूनल तथा जिला न्यायालय में प्रकरण प्रचलित होकर निराकृत किये गये एवं कितनी राशि संबंधितों को वापिस की गई? यदि नहीं तो वर्तमान में इन प्रकरणों की क्या स्थिति है? (ग) क्या यह भी सही है कि इसी क्षेत्र के किसी प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के

द्वारा संबंधित निर्माणकर्ता को परफारमेन्स बैंक गारंटी की राशि भुगतान के निर्देश दिये गये थे एवं उक्त भुगतान नहीं होने पर विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के वाहन आदि के भी कुर्क करने के आदेश जारी किये गये हैं? (घ) माननीय उच्च न्यायालय के पारित आदेशों का पालन कब तक किया जावेगा?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) से (घ) जी नहीं, प्रश्नाधीन अवधि में स्वीकृत कार्यो से संबंधित आर्बीटेशन के कोई प्रकरण प्रश्नाधीन टिब्यूनल अथवा न्यायालय द्वारा निराकृत नहीं किए गए हैं। प्रश्नाधीन अवधि के पूर्व स्वीकृत एवं प्रारंभ कराए गए कार्य चंबल दाहिनी मुख्य नहर किमी. 0 से 60 के जीर्णोद्धार को लेकर मा. उच्च न्यायालय द्वारा शासन पक्ष में स्थगन दिया गया है। इस प्रकरण में जिला न्यायालय द्वारा दिनाँक 29.01.2015 को जारी कुर्की आदेश में भी जिला न्यायालय ने दिनाँक 05.03.2015 को स्थगन आदेश जारी किया है। इस प्रकरण में मा. उच्च न्यायालय में अपील करने हेतु अभिभाषक को कोई फीस का भुगतान नहीं किया गया है। मा. उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना की स्थिति नहीं है।

शासन द्वारा प्राइवेट विद्युत कंपनियों से किए गए अनुबंध

136. (क्र. 5186) श्री रामनिवास रावत : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. शासन द्वारा वर्ष 2004 से प्रश्न दिनाँक कितनी प्राइवेट कंपनियों से ताप विद्युत परियोजना हेतु एम.ओ.यू. कब-कब, कहाँ-कहाँ के किए गए? क्षमतावार बतावें? इनमें से कितनों में कार्य प्रारंभ हो चुका है? कितनों में उत्पादन प्रारंभ हो चुका है? किन-किन इकाईयों में अभी तक कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है? कंपनियों के नाम एवं स्थान सहित जानकारी दें? (ख) प्रश्नांश (क) के अंतर्गत किन-किन परियोजनाओं से विद्युत क्रय करने हेतु अनुबंध हुआ? कुल विद्युत उत्पादन में कितने प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार को सस्ते दाम एवं कितने प्रतिशत हिस्सा कुल दाम पर प्राप्त होगा? किये गये क्रय का ब्यौरा वर्षवार परियोजनावार बतायें?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) म.प्र.शासन द्वारा वर्ष 2004 से प्रश्न दिनाँक तक कुल 75 प्राइवेट कम्पनियों से ताप विद्युत परियोजनाओं की स्थापना हेतु एम.ओ.यू. किए गए है जिनका तिथिवार, स्थानवार एवं क्षमतावार विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र अ-1 अनुसार** है। उक्त में से 4 ताप विद्युत परियोजनाओं में उत्पादन प्रारंभ हो चुका है, जिनकी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र अ-2 अनुसार** है, 2 परियोजनाओं का कार्य निर्माणधीन है, जिनकी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र अ-3 अनुसार** है तथा शेष परियोजनाओं की अद्यतन स्थिति की प्रश्नाधीन चाही गई **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र अ-4 अनुसार** है। (ख) प्रश्नांश (क) के अन्तर्गत जिन परियोजनाओं से विद्युत क्रय हेतु अनुबंध किये गये हैं, उनके नाम तथा उनसे राज्य सरकार को वैरियबल एवं कुल दाम पर प्राप्त होने वाली विद्युत का प्रतिशत **पुस्तकायल में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ब-1 अनुसार** है। उपरोक्त परियोजनाओं से किये गये विद्युत क्रय का वर्षवार, परियोजनावार ब्यौरा **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र अ-2 अनुसार** है।

योजनावार प्राप्त आर्थिक राशि

137. (क्र. 5215) श्री जितू पटवारी : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वित्तीय वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 में केन्द्र सरकार से कितनी राशि प्राप्त हुई है? (ख) क्या वित्तीय वर्ष 2014-15 में केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजकर राशि की मांग की गई थी? (ग) राशि के अभाव में क्या अधूरी पड़ी योजनायें पूर्ण की जावेंगी? (घ) प्रश्नांक (ग) के संदर्भ में ऐसी योजनाओं हेतु केन्द्र सरकार से कितनी राशि प्राप्त होनी थी कितनी प्राप्त हुई है एवं कितनी राशि प्राप्त होना बाकी है? (ड.) राशि के अभाव में क्या अधूरी पड़ी योजनायें पूर्ण की जावेंगी? यदि हाँ तो कब तक?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) केन्द्र सरकार से वर्षवार प्राप्त राशि का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा	केन्द्रीय सहायता
2012-13	20805.16	12040.20
2013-14	22715.28	11776.82
2014-15	वर्ष 2014-15 के वित्तीय लेखे अभी अंतिम नहीं हुये है।	वर्ष 2014-15 के लेखे अभी अंतिम नहीं हुये है।

(ख) योजनाओं में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पूर्व जारी राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र भेजकर अगली किश्त की राशि की मांग की जाती है। (ग) तथा (ड.) योजनाओं को पूर्ण करने के लिए आवश्यक राशि उपलब्ध कराई जाएगी। समय-सीमा दिया जाना संभव नहीं है। (घ) केन्द्र सरकार से योजनाओं में व्यय की प्रगति के आधार पर राशि प्राप्त होती है, अत: राशि के बाकी रहने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण

138. (क्र. 5216) श्री जितू पटवारी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में कितने दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी कार्यरत है दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित करने के क्या प्रावधान है? (ख) कितने पात्र दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हैं जिन्हें शासन द्वारा नियमित किया जाना शेष है? (ग) प्रदेश में पिछले 3 वर्षों में कितने दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित वेतन प्रदान किया गया है? (घ) क्या प्रदेश में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित किये जाने की कार्यवाही चल रही है? यदि हाँ तो कब तक आदेश जारी किये जावेगें? (ड.) कर्मचारियों को नियमित किये जाने के कारण शासन का कितना वित्तीय भार बढ़ने की संभावना है?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क), (ख) एवं (ग) माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनाँक 10.04.2006 में प्रदत्त निर्देशों के पालन में शासन द्वारा नीतिगत निर्णय लेकर परिपत्र दिनाँक 16.05.2007 द्वारा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण किये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं, जो **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। शेष जानकारी एकत्रित की जा रही है। (घ) जी हाँ। **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट** में दिये गये मापदण्डों के आधार पर छानबीन समितियों द्वारा तैयार की गई पात्रता/उपयुक्तता सूची के अनुसार रिक्त पदों पर नियमितीकरण की कार्यवाही की जा रही है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

अवैध रूप से गिट्टी व रेत का उत्खनन कर बांध व नहर निर्माण में उपयोग

139. (क्र. 5242) पं. रमेश दुबे : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पेंच व्यपवर्तन परियोजना के मुख्य बांध का कार्य कर रही एजेंसी ए.सी.डब्ल्यू एवं पक्की नहर का निर्माण कर रही एजेंसी मास के द्वारा मार्च 2014 से प्रश्न दिनाँक तक लगभग कितने क्यूबिक मीटर गिट्टी व कितने क्यूबिक मीटर रेत का उपयोग बांध व नहर निर्माण में की गयी है तथा यह गिट्टी और रेत किससे कहाँ से प्राप्त की गयी है? (ख) क्या उक्त दोनों एजेंसी के पास पत्थर और रेत खनन की लीज नहीं है और दोनों एजेंसीज के द्वारा अवैध रूप से पत्थर और रेत खनन करने वालों से गिट्टी और रेत प्राप्त कर अवैध रूप से परिवहन किया जा कर उपयोग में लाया जा रहा है? (ग) क्या यह भी सही है कि उक्त के संबंध में बांध निर्माण कार्य के कार्यपालन यंत्री श्री गुप्ता एवं नहर निर्माण का कार्य देख रहे कार्यपालन यंत्री के ध्यान में प्रश्नकर्ता के द्वारा उक्त तथ्य लाये जाने पर भी प्रश्नकर्ता की बातों को नजर अंदाज करते हुए संबंधित अधिकारियों द्वारा इस संबंध में कोई कार्यवाही न करते हुए अवैध खनन व परिवहन को बढ़ावा दिया जा रहा है? (घ) क्या शासन उक्त अवैध खनन एवं परिवहन कर बांध एवं नहर निर्माण में किये गये उपयोग की प्रश्नकर्ता की उपस्थिति में जांच करवाकर दोषियों को दण्डित करने तथा संबंधित एजेंसीज व जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के विरूद्ध अवैध गिट्टी व रेत खनन व परिवहन को बढ़ावा देने की प्राथमिकी स्थानीय थाने में दर्ज कराने का आदेश देगा यदि नहीं तो क्यों?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) से (घ) प्रश्नाधीन अवधि में किए गये निर्माण में 1,30,970 घनमीटर मिट्टी एवं 62,200 घनमीटर रेत की खपत होना आंकलित है। निर्माण के लिए गिट्टी एवं रेत परियोजना के डूब क्षेत्र एवं निर्माणाधीन नहर क्षेत्र से प्राप्त की जाना प्रतिवेदित है। परियोजना के डूब क्षेत्र और परियोजना के नहर क्षेत्र से परियोजना निर्माण के लिए खनन पदार्थ निकालने के लिए लीज की आवश्यकता नहीं होती है। अनुबंध के प्रावधानों के मुताबिक निर्माण कार्य के माप के आधार पर गणित खनन पदार्थ के लिए निर्माण एजेन्सी से रायल्टी काटी जाती है। अवैध खनन की स्थिति नहीं है। शेष प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होते हैं।

अवैध खनिज उत्खनन की जांच व कार्यवाही

140. (क्र. 5243) पं. रमेश दुबे : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छिन्दवाड़ा जिले के विधानसभा क्षेत्र चौरई के विकास खण्ड चौरई एवं बिछुवा में वर्ष 2010 से प्रश्न दिनाँक तक किस ग्राम की कितनी रकबे पर कौन सी खनिज उत्खनन की लीज कब-कब प्रदान की गई हैं? लीज धारक का नाम व पूर्ण पता सहित जानकारी दें? (ख) प्रश्नांश (क) के प्रकाश में ऐसे कितने लीज धारक हैं जिन्हें लीज तो वर्ष 2010 के पूर्व प्रदान की गयी थी, किन्तु उनकी लीज की अवधि वर्ष 2010 के पश्चात समाप्त हुई अथवा लीज जीवित हैं? ऐसे लीज धारकों का नाम व लीज अवधि की जानकारी देवें? (ग) क्या खनिज विभाग व जिला प्रशासन को यह पता है कि चौरई के पेंच व्यपवर्तन परियोजना के कार्यों में लगे एजेंसीज ए.सी.डब्ल्यू. एवं मॉस के द्वारा भारी पैमाने पर पत्थर और रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन कराया जाकर बांध निर्माण व नहर निर्माण के उपयोग में लाया जा रहा है? (घ) क्या प्रश्नकर्ता ने विकासखण्ड चौरई में पेंच व्यपवर्तन परियोजना के ठेकेदारों द्वारा विभागीय एवं खनिज विभाग के अधिकारियों से सांठगांठ कर भारी पैमाने पर किये जा रहे अवैध पत्थर व रेत उत्खनन तथा उनका परिवहन कर अनाधिकृत उपयोग में लाये जाने

के संबंध में कलेक्टर छिन्दवाड़ा एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व चौरई को पत्र प्रेषित किया है? क्या शासन उक्त पूरे प्रकरण की जांच करवाकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करने का आदेश देगा?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

ग्राम सनगा खेड़ी में स्टॉप डेम का निर्माण

141. (क्र. 5251) श्री कल्याण सिंह ठाकुर : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता ने दिनाँक 20.10.2014 पत्र क्र. 270 एवं दिनाँक 28.10.2014 पत्र क्र. 282 के माध्यम से कार्यपालन यंत्री जल-संसाधन विदिशा को पत्र लिखकर विदिशा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सनगा खेड़ी तहसील विदिशा में नदी पर निर्माणाधीन स्टॉप डेम निर्माण कार्य की शिकायत की थी? (ख) यदि प्रश्नांश (क) के क्रम में हाँ तो क्या उक्त पत्रों के क्रम में कार्यावही की गई? यदि हाँ तो क्या? नहीं तो क्यों? (ग) क्या शासन प्रश्नांश (क) के क्रम में निर्माणाधीन स्टापडेम निर्माण कार्य की निष्पक्ष रूप से जांच कर दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करेगा? यदि हाँ तो कब तक एवं स्टापडेम निर्माण कार्य गुणवत्ता से हो इस बावत् निर्देश देगा? यदि हाँ तो कब तक?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) जी हाँ। (ख) एवं (ग) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, विदिशा द्वारा जांच दल गठित कर जांच कराई गई। जांच में निर्माण कार्य निर्धारित मापदण्ड एवं गुणवत्ता का पाया गया। शेष प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होते है।

ओझर नाला तालाब निर्माण में अनियमितता

142. (क्र. 5262) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कुक्षी विधानसभा क्षेत्र में निर्माणाधीन ओझर नाला तालाब को पूर्ण करने की क्या समय सीमा तय की गयी थी? तकनीकी स्वीकृति, प्रशासकीय स्वीकृति, वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र, आदि अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों सहित जानकारी प्रदान करें? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में निर्माण का निरीक्षण किस-किस अधिकारी द्वारा कब-कब किया गया? निरीक्षणकर्ता अधिकारी की टीप सहित जानकारी प्रदान करें? (ग) क्या ओझर नाला तालाब का निर्माण निर्धारित तकनीकी स्वीकृति के आधार पर नहीं किया जा रहा है? यदि हाँ, तो इसके लिए दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर प्रश्न दिनाँक तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि कोई कार्यवाही नहीं की गयी तो क्यों कारण स्पष्ट करें?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) ओझरनाला परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति दिनाँक 23.08.2011 को राशि रू.14.49 करोड़ की 950 हेक्टर सैच्य क्षेत्र के लिए दी गई। पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दिनाँक 30.09.2013 को राशि रू.17.65 करोड़ की दी गई। परियोजना की तकनीकी स्वीकृति अधीक्षण यंत्री,जल संसाधन मण्डल,धार द्वारा दिनाँक 05.11.2013 को यूनिट-1 के बांध कार्य हेतु एवं यूनिट-2 नहर कार्य हेतु क्रमंश: रू.355.85 लाख एवं 107.79 लाख की दी गई। परियोजना के बांध कार्य की पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति रू.366.91 लाख की अधीक्षण यंत्री, जल संसाधन मण्डल, धार द्वारा दिनाँक 20.01.2015 को दी गई। परियोजना से प्रभावित वन भूमि 108 हेक्टर के उपयोग के लिए भारत सरकार के पत्र दिनाँक 20.08.2014 से द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त हुई। परियोजना के निर्माण हेतु निर्माण एजेंसी से अनुबंध दिनाँक 16.06.2014 को किया जाकर निर्माण कार्य दिसंबर 2015 में प्रारंभ किया गया। वन भूमि के

उपयोग की अनुमति प्राप्त होने के उपरांत परियोजना दो वर्ष में पूरा करने की समय-सीमा निर्धारित है। दस्तावेजों की छायाप्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"अ", "ब", "स" अनुसार** है। (ख) निर्माण कार्य का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मनावर एवं अधीक्षण यंत्री, जल संसाधन मण्डल, धार द्वारा किया गया। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"द" अनुसार** है। निरीक्षण के दौरान कार्य की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए और निर्देशों का पालन कराकर गुणवत्ता सुनिश्चित की गई। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होते है।

वाणिज्य कर कर्मचारियों द्वारा अवैध वसूली

143. (क्र. 5263) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कृषकों को अन्य राज्यों की मण्डी में फसल बेचने के लिए किसी प्रकार के वाणिज्य कर के भुगतान का प्रावधान है? यदि नहीं, तो किन नियमों के आधार पर कुक्षी विधानसभा क्षेत्र के कृषकों से नयागांव टोल बैरियर पर वाणिज्य कर भुगतान के लिए दबाव बनाया गया? (ख) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा नयागांव टोल बैरियर पर वाणिज्य कर अधिकारियों द्वारा कृषि ऊपज का अंर्तराज्यीय परिवहन करने वाले किसानों से की जा रही अवैध वसूली के संबंध में शासन को अवगत कराया गया था? यदि हाँ, तो शासन द्वारा इसके लिए दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी? यदि कोई कार्यवाही नहीं की गयी तो क्यों कारण स्पष्ट करें?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) जी नहीं। कुक्षी विधान सभा क्षेत्र के कृषकों से नयागांव एकीकृत जांच चौकी पर वाणिज्यिक कर भुगतान के लिए वाणिज्यिक कर विभाग व्दारा किसी प्रकार का दबाव नहीं बनाया गया। (ख) जी हाँ, प्रश्नकर्ता द्वारा नयागांव एकीकृत जांच चौकी पर वाणिज्यिक कर अधिकारियों द्वारा उपज का अंर्तराज्यीय परिवहन करने वाले किसानों से की जा रही अवैध वसूली के संबंध में एक शिकायत व्दारा शासन को अवगत कराया गया था। उक्त शिकायत की जांच हेतु संभागीय उपायुक्त, वाणिज्यिक कर उज्जैन संभाग को नामांकित कर उनसे जांच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। उनके व्दारा जांच के दौरान अवैध वसूली किये जाने सम्बन्धी किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध साक्ष्य नहीं पाये जाने से कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

डूब प्रभावितों का पुनर्वास

144. (क्र. 5264) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कुक्षी विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत सरदार सरोवर डूब प्रभावित 9,615 परिवारों का संपूर्ण पुनर्वास कर दिया गया है? यदि हाँ, तो प्रत्येक परिवार के पुनर्वास की तिथि, स्थान, मुआवजा राशि, प्रदत्त, कृषि भूमि सहित जानकारी प्रदान करें? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में, डूब प्रभावित क्षेत्रों में वर्तमान में निवास कर रही आबादी को कौन-कौन सी मूलभूत सुविधायें प्राप्त करने का अधिकार है? (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में क्या यह सुविधायें प्रदान की जा रही हैं? यदि नहीं तो क्यों, कारण स्पष्ट करें?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) जी हाँ। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 एवं 2 अनुसार है।** (ख) कुक्षी विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत डूब प्रभावित क्षेत्र के अधिकांश भाग में अभी वास्तविक रूप से डूब क्षेत्र निर्मित नहीं हुआ है। अत: विस्थापित परिवार पूर्ववत निवास कर रहे हैं। प्रभावित ग्रामों में जो मूलभूत सुविधाएं पूर्व में विद्यमान थीं, वे डूब क्षेत्र से नहीं हटाई गई हैं।

इन सुविधाओं का उपयोग डूब क्षेत्र में रहने वाले विस्थापित परिवारों द्वारा पूर्ववत किया जा रहा है। (ग) उत्तरांश "ख" अनुसार।

शासकीय महाविद्यालय ब्यावरा में सेमीनार हॉल व अतिरिक्त कक्ष की स्वीकृति

145. (क्र. 5276) श्री नारायण सिंह पँवार : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिले के ब्यावरा नगर स्थित नेताजी सुभाषचंद्र बोस शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में किन-किन संकायों की कक्षाएं संचालित की जा रही हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्या संचालित कक्षाओं में छात्र संख्या के मान में अध्यापन कार्य हेतु पर्याप्त कक्षों की व्यवस्था है, तथा क्या समय-समय पर विद्यार्थियों के मार्गदर्शन हेतु विभिन्न संगोष्ठियों व सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होता रहता हैं, किन्तु उसके लिये महाविद्यालय में छात्र-छात्राओं की संख्या के मान से सेमीनार हॉल नहीं होने से खुले मैदान में ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करना पड़ता है? (ग) क्या शासन उक्त महाविद्यालय में सेमीनार हॉल का भवन एवं अध्यापन कार्य हेतु अतिरिक्त कक्ष निर्माण की स्वीकृति प्रदान करेगा? यदि हाँ, तो कब तक?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) राजगढ़ जिले के ब्यावरा नगर स्थित नेताजी सुभाषचन्द्र बोस स्नातकोत्तर महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर कला, वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय तथा स्नातकोत्तर स्तर पर एम.ए. (समाजशास्त्र, राजनीति, अर्थशास्त्र), एम.कॉम. एवं एम.एस.सी. (गणित) की कक्षायें संचालित की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त बी.सी.ए, बी.एससी. (कम्प्यूटर साइंस, माइक्रोबॉयोलोजी, बॉयोटेक्नोलॉजी) तथा बी.कॉम. (कंप्यूटर एप्लीकेशन) की कक्षायें स्नातक स्तर पर स्ववित्तीय आधार पर संचालित हैं। (ख) जी नहीं, महाविद्यालय में छात्र संख्या के मान से पर्याप्त अध्यापन कक्ष उपलब्ध नहीं होने से महाविद्यालय दो पाली में संचालित किया जाता है। जी हाँ। महाविद्यालय में विद्यार्थियों के मार्गदर्शन हेतु संगोष्ठियां एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहते हैं। वर्तमान में विद्यार्थियों की संख्या अधिक होने के कारण कार्यक्रम टेन्ट लगाकर आयोजित किये जाते हैं। (ग) सेमीनार हॉल एवं अध्यापन कक्ष निर्माण हेतु महाविद्यालय से विधिवत प्रस्ताव प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जायेगी। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

महाविद्यालय में रिक्त पदों की पूर्ति

146. (क्र. 5277) श्री नारायण सिंह पँवार : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिले के ब्यावरा नगर स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय किस वर्ष में शासनाधीन हुआ था तथा उस समय महाविद्यालय में क्या कार्मिक संरचना स्वीकृत थी? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्या उक्त कार्मिक संरचना अनुरूप स्वीकृत सभी पद भरे हुये हैं? यदि नहीं तो कौन-कौन से पद कब से किन कारणों से रिक्त हैं तथा क्या शासकीय महाविद्यालय में एक हजार से अधिक छात्र संख्या दर्ज होने पर रजिस्ट्रार पद होना आवश्यक है? यदि हाँ तो क्या उक्त महाविद्यालय में विगत 15 वर्षों से एक हजार से अधिक छात्र संख्या है? यदि हाँ, तो क्या शासन द्वारा रजिस्ट्रार की नियुक्ति की जावेगी? यदि हाँ,तो कब तक? (ग) उपरोक्तानुसार क्या उक्त महाविद्यालय विगत 30-35 वर्षों से संचालित होकर प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक/ ग्रंथपाल/सहायक ग्रंथपाल व अन्य कार्यालयीन कर्मचारियों के पद वर्षों से रिक्त हैं, जिससे छात्र-छात्राओं का अध्ययन कार्य प्रभावित हो रहा है? यदि हाँ, तो क्या शासन यथाशीघ्र रिक्त पदों की पूर्ति हेतु कार्यवाही करेगा?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) महाविद्यालय 26 जून 1981 को शासनाधीन हुआ था। उस समय महाविद्यालय में कार्मिक संरचना जो स्वीकृत थी उसकी **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-"अ" अनुसार** है। (ख) प्रश्नांश "क" के परिप्रेक्ष्य में कार्मिक संरचना अनुरूप स्वीकृत पदों में से रिक्त पदों एवं पद रिक्त रहने की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-"ब" अनुसार** है। जी नहीं, शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी नहीं। रिक्त पदों के विरूद्व आवश्यकतानुसार अतिथि विद्ववानों को आमंत्रित कर अध्यापन कार्य सम्पादित कराया जाता है। रिक्त पदों की पूर्ति हेतु लोक सेवा आयोग द्वारा दिनाँक 09.07.2014 को विज्ञापन जारी किया जा चुका है, निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "छब्बीस"

सिंहस्थ 2016 को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने की योजना

147. (क्र. 5304) श्री इन्दर सिंह परमार : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सिंहस्थ को अन्तराष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने की कोई योजना प्रस्तावित है यदि हाँ, तो क्या है? (ख) सांस्कृतिक मूल्यों पर आधारित कौन-कौन से नाट्य एवं चल चित्र तैयार किये जा रहे हैं अथवा योजना में हैं? (ग) क्या कवि कालिदास, राजा विक्रमादित्य, राजा भोज पर आधारित कोई नाट्य प्रदर्शित करने की योजना है? (घ) सिंहस्थ 2016 सामाजिक एवं धार्मिक आयोजन है क्या धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाओं के सुझाव व समाज की सहभागिता की कोई योजना बनाई है यदि हाँ, तो क्या?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) जी नहीं. (ख) भारत की सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय एकता के प्रतीक सिंहस्थ-कुम्भ 2016 में सिंहस्थ का इतिहास,पौराणिक और सांस्कृतिक मान्यता तथा महत्व को रेखांकित करते वृत्त चित्र,राजा विक्रमादित्य की सिंहासन बत्तीसी,बेताल पच्चीसी तथा विक्रमादित्य के ही काल से नवरत्नों के साथ ही प्राचीन अवन्तिका का तंत्र विद्या पर आधारित वृत्त चित्र निर्माण और महाकवि कलिदास के नाटकों के मंचन तथा सम्पूर्ण राष्ट्र से आदिवासी, लोक शास्त्रीय, उपशास्त्रीय, नर्तन, गायन एवं वादन केन्द्रित कार्यक्रमों की प्रस्तुति की योजना विचाराधीन है. (ग) अभी कोई योजना अन्तिम नहीं है. (घ) जी हाँ. धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाओं के सुझाव व समाज की सहभागिता सतत रूप से प्राप्त की जा रही है.

खान नदी के प्रदूषित जल को शिप्रा नदी से अलग किया जाना

148. (क्र. 5305) श्री इन्दर सिंह परमार : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या खान नदी के जल को उज्जैन में शिप्रा नदी में न मिलने देने हेतु जल के लिये परिवर्तित मार्ग बनाने का प्रस्ताव है? यदि हाँ, तो पाईप लाईन से अथवा ओपन केनाल द्वारा? (ख) खान नदी के जल को परिवर्तित मार्ग से ले जाने में किन-किन किसानों की निजी भूमि आयेगी? क्या भूमि का अधिग्रहण किया जाकर किसानों को मुआवजा प्रदान किया जावेगा? यदि हाँ, कितना मुआवजा दिया जावेगा? (ग) खान नदी के जल को पाईप लाईन द्वारा परिवर्तित मार्ग से निकालने की यदि योजना है तो किसानो को कृषि हेतु पानी कैस उपलब्ध होगा तथा कैसे व्यवहारिक होगा जिसमें किसानों को कम खर्च आये? (घ) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित प्रस्ताव में योजना पर कुल कितना खर्च आयेगा? क्या ओपन केनाला से परिवर्तित करने पर ज्यादा खर्च आयेगा? ओपन केनाल व पाईप लाईन के व्यय का अन्तर बताये?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) वर्षा ऋतु को छोड़कर शेष अवधि में खान नदी के प्रदूषित जल को व्यपवर्तित करने की परियोजना निर्माणाधीन है। भूमिगत पाईप लाईन द्वारा। (ख) परियोजना की भूमिगत पाईप लाईन 13 ग्रामों की निजी भूमि स्वामियों की भूमि से निकलेगी जिसमें से 12 ग्रामों के कृषकों की सूची अंतिम करते हुए राजपत्र में अधिसूचनाएं प्रकाशित की गयी है। प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। जी हाँ। म.प्र.भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) नियम 2013, के प्रावधानों के तहत। (ग) भूमिगत पाईप लाईन में उचित स्थानों पर कुंओं का प्रावधान किया गया है। (घ) खान नदी व्यपवर्तन की प्रशासकीय स्वीकृति दिनाँक 25.09.2014 को राशि रूपये 90 करोड़ की दी गयी है और निर्माण एजेंसी को टर्नकी आधार पर राशि रू.75 करोड़ का ठेका दिया गया है। जी हाँ। खुली नहर खोदने में 3 से 4 वर्ष का समय लगने के साथ-साथ लागत लगभग पांच गुना से अधिक अनुमानित थी।

देशी शराब की दुकान पर अंग्रेजी शराब के विक्रय की अनुमति

149. (क्र. 5316) श्री यादवेन्द्र सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्ष 2014 के प्रारंभ में केबिनेट बैठक में देशी शराब की दुकान पर अंग्रेजी शराब के विक्रय की अनुमति देने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था? यदि हाँ, तो उस केबिनेट बैठक का दिनाँक उपस्थित मंत्रियों के नाम बतावें उस बैठक में किन-किन मंत्रियों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया था? बैठक की कार्यवाही की प्रतिलिपि उपलब्ध करावें? (ख) क्या माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ दिनों बाद ही यह कहकर इस प्रस्ताव को निरस्त करने की घोषणा कर दी? यदि हाँ, तो मा. मुख्यमंत्री जी की घोषणा की वह दिनाँक बतावें तथा यह प्रस्ताव केबिनेट में किस दिनाँक को रखकर निरस्त किया गया? (ग) पिछले 3 साल में देशी और विदेशी शराब की बिक्री एवं प्राप्त राजस्व के मासिक आंकड़े उपलब्ध कराये तथा बतावें कि क्या शासन की यह मंशा है कि प्रदेश शराब की बिक्री अधिक से अधिक बढ़े तथा उसके राजस्व में वृद्धि हो? (घ) प्रदेश में जिलेवार देशी और विदेशी शराब दुकान की संख्या की जानकारी पिछले 5 वर्ष की वर्ष अनुसार जिलेवार उपलब्ध करावें किस-किस वर्ष में दुकानों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई? वृद्धि क्यों की गई इसकी जानकारी दें?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) से (घ) "जानकारी एकत्रित की जा रही है।"

म.प्र. सरकार द्वारा बाजार से लिए कर्ज की राशि

150. (क्र. 5330) श्री शैलेन्द्र पटेल : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) चालू वित्त वर्ष में प्रदेश सरकार ने बाजार से कब-कब और कितनी-कितनी राशि उधार ली? (ख) सरकार को उधार लेने की आवश्यकता क्यों पड़ी? (ग) खर्च रोकने के लिये सरकार ने क्या-क्या कदम उठाये? (घ) नयी योजनाओं में आने वाले खर्चो का इंतजाम कैसे किया जाएगा?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) जानकारी निम्नानुसार हैं:-

दिनाँक	राशि (राशि करोड रूपये में)
27.05.2014	1000
24.06.2014	350
08.07.2014	1200

22.07.2014	1000
23.09.2014	1050
14.10.2014	1000
25.11.2014	750
23.12.2014	750
13.01.2015	1000
18.02.2015	1000
10.03.2015	1200
कुल	10300

(ख) राज्य की विकास योजनाओं को क्रियान्वित करने हेतु उधार लेने की आवश्यकता रहती है। (ग) राज्य बजट में आवश्यक व्ययों का ही प्रावधान किया गया है। आयोजनेत्तर स्वरूप के कुछ मदों में व्यय/आहरण को नियंत्रित करने के लिए वित्त विभाग की अनुमति आवश्यक की गई है। (घ) उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के आधार पर ही नवीन योजनाएं स्वीकृत की जाती हैं।

पुनासा व नर्मदानगर में कार्यरत अमीन

151. (क्र. 5364) श्री लोकेन्द्र सिंह तोमर : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या इंदिरा सागर परियोजना (नहरें) सनावद के अंतर्गत कार्यालय, नर्मदाघाटी विकास संभाग क्र. 25, नर्मदानगर एवं नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 28, पुनासा एवं नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 19 भीकनगांव के अंतर्गत कितने दै.वे.भो. कर्मचारी अमीन का प्रशिक्षण प्राप्त कर अमीन पद का कार्य कर रहे हैं? (ख) क्या प्रश्न (क) में उल्लेखित तीनो संभागों में से नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 19, भीकनगांव के प्रशिक्षित अमीनों को कुशल श्रेणी का वेतन दिया जा रहा है? यदि हाँ तो न.घा.वि.संभाग 28 पुनासा एवं न.घा.वि.सं. क्रमांक 25 नर्मदानगर के प्रशिक्षण प्राप्त अमीनों को कुशल श्रेणी का वेतन क्यों नहीं दिया जा रहा है? (ग) क्या न.घा.वि.संभाग 28 पुनासा व न.घा.वि. संभाग 25 नर्मदानगर के प्रशिक्षण प्राप्त अमीनों को कुशल श्रेणी का वेतन दिया जाएगा? यदि हाँ तो कब तक इसके आदेश करेंगे और किसके द्वारा ये आदेश जारी किये जाएंगे? यदि नहीं तो इसका क्या कारण है?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) जी नहीं, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 19 भीकनगाँव में प्रशिक्षित अमीनों को कुशल श्रेणी का वेतन नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि असाधारण राजपत्र क्रमांक एफ-20-1-2005-पीआई-इकतीस दिनाँक 20 अगस्त 2009 में जल संसाधन विभाग से संबंधित अमीनों के सेवा भरती नियमों में किये गये संशोधन के अनुसार नियुक्ति के पश्चात् जल संसाधन विभाग द्वारा 6 माह अमीन का प्रशिक्षण दिये जाने का प्रावधान है। उत्तरांश ''क'' में उल्लेखित संभागों में दै.वे.भो. कर्मचारियों द्वारा केवल 03 दिवस का प्रशिक्षण लिया गया है। अत: इन्हें अमीन के पद के वेतन की पात्रता नहीं है। (ग) जी नहीं। उत्तरांश ''ख'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - ''सत्ताईस''

फीडर सेपरेशन योजना अंतर्गत फीडरों का कार्य

152. (क्र. 5366) श्री गोवर्धन उपाध्याय : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) फीडर सेपरेशन योजना अंतर्गत विदिशा जिले में स्वीकृत कौन-कौन से फीडरों का कार्य अपूर्ण एवं अप्रारंभ है नाम सहित बतावें? उक्त अपूर्ण तथा अप्रारंभ कार्य कब तक पूर्ण होंगे निश्चित समयावधि बताये? (ख) विदिशा जिले में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत चिन्हित कितने ग्रामों के सघन विद्युतीकरण के कार्य अपूर्ण हैं इनकों पूर्ण करने हेतु शासन की क्या योजना है? (ग) 1 जनवरी 2013 से 31 दिसम्बर 2014 तक विदिशा जिले में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना में किन-किन ग्रामों का विद्युतीकरण एवं सघन विद्युतीकरण किया गया है तथा विदिशा जिले में उक्त कार्य किन-किन निविदाकार फर्मों द्वारा किया गया है? उक्त कार्य के निरीक्षण की क्या प्रक्रिया निर्धारित की गई है? (घ) प्रश्नांश (ग) के कार्यों में घटिया निर्माण अनियमितताओं के संबंध की गई शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई पूर्ण विवरण दें?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) विदिशा जिले में फीडर सेपरेशन योजनांतर्गत 96 फीडरों के विभक्तिकरण का कार्य चिन्हित किया गया है, जिनमें से 72 फीडरों का कार्य पूर्ण किया जा चुका है, 22 फीडरों का कार्य प्रगति पर है एवं 2 फीडरों का कार्य अप्रारंभ है। उक्तानुसार शेष एवं अप्रारंभ कार्य वाले फीडरों की नामवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। उपरोक्त फीडरों का कार्य ठेकेदार एजेंसी से जून-2015 तक पूर्ण कराने के प्रयास किये जा रहे हैं। (ख) विदिशा जिले में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनांतर्गत चिन्हित ग्रामों में से 355 ग्रामों के सघन विद्युतीकरण का कार्य शेष है। उक्त शेष कार्य टर्न-की ठेकेदार से माह जून 2015 तक पूर्ण कराने के प्रयास किये जा रहे हैं। (ग) विदिशा जिले में 1 जनवरी 2013 से 31 दिसम्बर 2014 तक राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनांतर्गत पूर्ण किये गये सघन विद्युतीकरण के कार्य का ग्रामवार विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** है। उक्त कार्य ठेकेदार एजेंसी मेसर्स जी.एन.जी.लिमिटेड गुडगांव द्वारा किए जा रहे हैं। विदिशा जिले में उक्त योजनांतर्गत किये गये कार्यों की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप सुनिश्चित करने हेतु थर्ड पार्टी निरीक्षण एजेंसी मेसर्स बीकोलॉरी लिमिटेड लखनऊ, जो कि भारत सरकार का उपक्रम है, को अनुबंधित किया गया है, जिसके द्वारा विधिवत निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण का कार्य किया जा रहा है। साथ ही विद्युत वितरण कंपनी की ओर से नियुक्त नोडल अधिकारी के द्वारा भी कार्यों का निरीक्षण किया जाता है। (घ) उत्तरांश 'ग' के कार्यों में निर्माण की गुणवत्ता एवं अनियमितताओं के संबंध में कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, अत: प्रश्न नहीं उठता।

<u>विदिशा जिले में 11 के.बी.ए. लाइन ट्रांसफार्मर का कार्य</u>

153. (क्र. 5367) श्री गोवर्धन उपाध्याय : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विदिशा जिले के सिरोंज विधान सभा क्षेत्र में कितने-कितने 11 के.वी.ए. लाइन ट्रांसफार्मर एल.टी.लाइन एवं एक बत्ती वी.पी.एल. कनेक्शन जारी करने का प्रावधान राजीव गांधी ग्राम विद्युतीकरण योजना के तहत था? यदि हाँ, तो योजना प्रारंभ दिनाँक से आज दिनाँक तक कितना-कितना कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा कितना कार्य किया जाना लंबित है? (ख) प्रश्नांश (क) योजना में से लंबित कार्य कब तक पूर्ण कर लिये जावेंगे? समय सीमा बतायें? (ग) यदि ठेकेदार कंपनी द्वारा कार्य नहीं किया जा रहा है तो उस कार्य को पूर्ण कराने हेतु कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई है? नहीं तो क्यों?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) विदिशा जिले के सिरोंज विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में 585.09 कि.मी. 11 के.व्ही. लाईन, 446 नं. 25 के.व्ही.ए. वितरण ट्रांसफार्मर, 144.81 कि.मी. एल.टी. लाईन (ए.बी.केबिल पर) एवं 17059 नि:शुल्क बी.पी.एल. कनेक्शन देने का प्रावधान है। योजना प्रारंभ से प्रश्न दिनाँक तक 312.68 कि.मी. 11 के.व्ही. लाईन, 217 नं. 25 के.व्ही.ए. वितरण ट्रांसफार्मर, 89.07 कि.मी. एल.टी. लाईन (ए.बी.केबिल पर) एवं 7369 नि:शुल्क बी.पी.एल. कनेक्शन प्रदान किये जा चुके हैं तथा शेष कार्य प्रगति पर है। (ख) प्रश्नाधीन समस्त लंबित कार्य जून 2015 तक पूर्ण किया जाना संभावित है। (ग) प्रश्नाधीन शेष कार्य ठेकेदार एजेन्सी द्वारा ही किए जा रहे हैं, अत: वैकल्पिक व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है।

पथरिया नगर के समीप तालाब का निर्माण

154. (क्र. 5370) श्री लखन पटेल : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पथरिया नगर से लगे हुए ग्रामीण क्षेत्र गायत्री मंदिर पहाड़ी से लगे हुए पानी भरने योग्य स्थान पर तालाब निर्माण हेतु प्रस्तावित है? (ख) निर्माण कार्य की लागत कितनी है? (ग) निर्माण कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा? (घ) क्या दमोह विकासखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत हिरदेपुर में तालाब गहरीकरण हेतु प्रस्तावित किया गया है? यदि हाँ तो कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) से (ग) जी नहीं,सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। शेष प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होते हैं। (घ) जी नहीं,विभाग द्वारा तालाब गहरीकरण का कार्य नहीं किया जाता है। तालाब गहरीकरण का कोई प्रस्ताव स्वीकृति हेतु विचाराधीन नहीं है। प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होता है।

दमोह जिले हेतु सिंचाई का लक्ष्य

155. (क्र. 5371) श्री लखन पटेल : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में कितने हेक्टेयर सिंचाई के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है एवं दमोह, पथरिया, बटियागढ़ तहसीलों में सुनार नदी, कोपरा नदी, ताजली नदी एवं जूडी नदी पर कितने व कौन-कौन स्थान (ग्रामों) में रपटा/ स्टापडेम निर्माण हेतु प्रस्तावित है? (ख) प्रस्तावित एवं स्वीकृत रपटा/ स्टापडेम की पृथक क्या स्थिति है? स्वीकृत निर्माण कार्य कब तक पूर्ण किए जावेंगे? (ग) अपूर्ण रपटा/ स्टाप डेम के अतिरिक्त प्रस्तावित करने योग्य कौन-कौन स्थान (ग्राम) चिन्हित किए जावेंगे?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) वर्ष 2014-15 में प्रदेश में रबी सिंचाई के लिए 23.50 लाख हेक्टर का लक्ष्य निर्धारित किया गया। प्रश्नाधीन क्षेत्र में स्टापडेम निर्माण का कोई प्रस्ताव स्वीकृति हेतु विचाराधीन नहीं है। (ख) एवं (ग) स्वीकृत परियोजनाओं की जानकारी **संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। उपलब्ध वित्तीय संसाधन विभाग की स्वीकृत एवं निर्माणाधीन परियोजनाओं के लिए आबद्ध होने से नई सिंचाई परियोजनाओं की स्वीकृति विचाराधीन नहीं है। निर्माण कार्यो की पूर्णता नदी में जल का बहाव बंद अथवा न्यून होने, निर्माण एजेन्सी नियत होने एवं निर्माण एजेन्सी की क्षमता पर निर्भर होने से कार्य पूर्ण करनेकी तिथि बताई जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "अट्ठाईस"

महिदपुर क्षेत्र में ग्रिड की स्थापना

156. (क्र. 5393) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वि.स. क्षेत्र महिदपुर में ऐसे कितने स्थान हैं जहाँ पर 33/11 K.V.A. का ग्रिड स्थापित करना अनिवार्य है? समस्त स्थानों की जानकारी देवें? जहाँ आवश्यकता है वहाँ कब तक सर्वे करवाया जावेगा? (ख) ओव्हर लोड ट्रांसफार्मर के स्थान पर नवीन ट्रांसफार्मर या अतिरिक्त ट्रांसफार्मर स्थापित कर संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र महिदपुर के ट्रांसफार्मर को अनलोड कर लिया जावेगा? (ग) क्या विभाग इनका संपूर्ण सर्वे कर किसी योजना के तहत 31.12.15 तक इस योजना को पूर्ण कर लेगा?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) विधानसभा क्षेत्र महिदपुर में दो स्थानों यथा ग्राम पेटलावद एवं ग्राम कछालिया सय्यद में नवीन 33/11 केव्ही उपकेन्द्रों की स्थापना आवश्यक है। सर्वे किया जा चुका है एवं प्रारंभिक सर्वे के आधार पर ही उक्त विद्युत उपकेन्द्रों की स्थापना हेतु प्रस्ताव विचाराधीन है। (ख) विधानसभा क्षेत्र महिदपुर में **संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** 33/11 केव्ही के अतिभारित पावर ट्रांसफार्मर वाले 6 उपकेन्द्रों पर क्षमतावृद्धि अथवा अतिरिक्त पॉवर ट्रांसफार्मर लगाने का कार्य मई-2015 तक पूर्ण करना संभावित है। इनके अतिरिक्त **संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** 33/11 के.व्ही. के 8 उपकेन्द्रों पर क्षमता वृद्धि अथवा अतिरिक्त पॉवर ट्रांसफार्मर लगाने के कार्य विचाराधीन है। स्वीकृति उपरांत वित्तीय उपलब्धता के अनुरूप आगामी वर्षों में उक्त कार्य पूर्ण किये जा सकेंगे। (ग) जो कार्य पूर्व से स्वीकृत है, वे सभी कार्य दिनाँक 31.12.2015 के पूर्व पूर्ण कर लिये जावेंगे। इसके अतिरिक्त वे कार्य जो विचाराधीन है, उनको दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना अथवा प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना के अन्तर्गत केन्द्र शासन से स्वीकृति एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता होने पर क्रियान्वित किया जा सकेगा, अत: वर्तमान में समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

<u>परिशिष्ट - "उनतीस</u>"

<u>महिदपुर के जलाशय से सिंचाई</u>

157. (क्र. 5394) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महिदपुर वि.स. क्षेत्र के अरनिया बहादुरपुर जलाशय से कितने हेक्टेयर पर सिंचाई होती है? (ख) इसकी जलग्रहण क्षमता कम होने से अन्य निकटवर्ती जल स्त्रोतों से नहरों द्वारा वर्षाजल मिलाने का सर्वे कब तक कर लिया जावेगा? (ग) क्या क्षिप्रा एवं कालीसिंध नदियां जो इसके निकट से बहती हैं क्या (ख) अनुसार सर्वे विभाग द्वारा करवाया जाएगा? क्या इसमें बैराज बनाकर गेट लगाए जा सकते हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) अरनिया बहादुरपुर परियोजना का रूपांकित सैच्य क्षेत्र 2753 हेक्टर है। वर्ष 2013-14 में परियोजना से 3785 हेक्टर में रबी सिंचाई की गयी। (ख) प्रश्नाधीन जलाशय में जल की आवक बढ़ाने के लिए ग्राम बैद्यनाथ के पास स्थित नाले को व्यपवर्तित करने के लिए सर्वेक्षण पर व्यपवर्तन तकनीकी रूप से साध्य नहीं पाया गया। (ग) क्षिप्रा नदी तथा कालीसिंध नदी से अरनिया बहादुरपुर जलाशय में जल व्यपवर्तित करना तकनीकी रूप से साध्य नहीं है। प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होता है।

<u>ट्रांसफार्मर की खरीदी</u>

158. (क्र. 5401) श्री चन्द्रशेखर देशमुख : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के स्टोरों में ऐसे कितने ट्रांसफार्मर हैं जो नये खरीदे गये थे और जिनकी ग्यारंटी अवधि स्टोर में रखे रखे ही खत्म हो गयी हैं अधिक खरीदी के लिए कौन अधिकारी दोषी है और क्या उनके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी? (ख) ऐसे क्या कारण हैं कि स्टोरों में आवश्यकता से ज्यादा ट्रांसफार्मरों का स्टाक होने के बावजूद भी मध्यक्षेत्र कंपनी द्वारा ट्रांसफार्मर रिपेयर करवाने हेतु प्रदेश के बाहर की फर्मों से ट्रांसफार्मर सुधरवाये जा रहे हैं और अधिक भाड़े का भुगतान किया जा रहा है? करीब 50 से 60 प्रतिशत कर्य प्रदेश के बाहर की फर्मो से कराया जा रहा है? (ग) म.प्र. की विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा विभागीय स्तर पर एम.टी.आर.यू.एस.टी.आर.यू के द्वारा वर्ष 2011-12, 2012-13,2013-14 में कितने ट्रांसफार्मर सुधरवाये गये, सुधार कार्य में प्रति ट्रांसफार्मर लागत कितनी आयी (लागत में समस्त खर्चों जिसमें कर्मचारियों अधिकारियों का वेतन भाड़ा इत्यादि सभी व्यय जोड़कर बताया जाये) एम.टी.आर.यू. एवं एस.टी.आर.यू द्वारा रिपेयर्ड ट्रांसफार्मर की ग्यारंटी कितने समय की ली जाती हैं? (घ) एम.टी.आर.यू. एवं एस.टी.आर.यू. रिपेयर्ड ट्रांसफार्मर यदि ग्यारंटी अवधि में फेल होते हैं और फिर सुधारे जाते हैं तो उसमें लगने वाले मटेरियल का भार कौन वहन करता है यदि विभाग वहन करता है तो क्या उसे भी रिपेयर की लागत में जोड़ा जाता है या नहीं, क्योंकि फर्मों द्वारा सुधारे गये ट्रांसफार्मर मुफ्त रिपेयर किये जाते हैं, जिससे कंपनियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं पड़ता?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. के स्टोरों में ऐसे कोई भी ट्रांसफार्मर नहीं है, जो नये खरीदे गये थे एवं उनकी गांरटी अवधि स्टोर में रखे-रखे ही समाप्त हो गई है, अत: प्रश्न नहीं उठता। (ख) उपभोक्ताओं को सतत रूप से विद्युत प्रदाय सुनिश्चित करने के लिये ट्रांसफार्मरों का स्टाक रखा जाना एवं फेल/खराब ट्रांसफार्मरों को उनकी उपयोगिता एवं वित्तीय साध्यता के अनुरूप रिपेयर कराया जाना आवश्यक है, ताकि स्थापित ट्रांसफार्मर के फेल होने पर उसे त्वरित रूप से निर्धारित समयसीमा में बदला जा सके। म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि.द्वारा रेट कांट्रेक्ट निविदा की शर्त के अनुसार योग्य पायी गई फर्मों को अवार्ड जारी कर, उनसे ट्रांसफार्मर सुधरवाये जा रहे हैं, जिनमें प्रदेश के बाहर के साथ-साथ मध्य प्रदेश की फर्में भी हैं। भाड़े का भुगतान रेट कांट्रेक्ट अवार्ड की दरों के अनुरूप नियमानुसार किया जा रहा है। (ग) म.प्र. की विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा कंपनी स्तर पर एम.टी.आर.यू/एस.टी.आर.यू. में वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14 में सुधरवायें गये ट्रांसफार्मरों की संख्या, सुधार कार्य में प्रति ट्रांसफार्मर लागत एवं एम.टी.आर.यू./ एस.टी.आर.यू. द्वारा रिपेयर ट्रांसफार्मरों की गारंटी अवधि का वितरण कंपनीवार विवरण **संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (घ) एम.टी.आर.यू/एस.टी.आर.यू. में सुधारे गये ट्रांसफार्मर गारंटी अवधि में फेल होने पर सुधार कार्य में लगने वाले मटेरियल का भार संबंधित वितरण कंपनी द्वारा वहन किया जाता है तथा उसे रिपेयर की लागत में जोड़ा जाता है। विभिन्न फर्मों द्वारा सुधारे गये ट्रांसफार्मरों में से गारंटी अवधि में फेल ट्रांसफार्मर में संबंधित फर्म को ही सुधार कार्य का वित्तीय भार वहन करना होता है।

परिशिष्ट - "तीस"

प्रदेश की ट्रांसफार्मर रिपेयर फर्मों द्वारा किए गए कार्य

159. (क्र. 5402) श्री चन्द्रशेखर देशमुख : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा जारी टी.एस. क्रमांक 216 के तहत म.प्र. की किन-किन फर्मों ने कार्य किया तथा कितना कितना कार्य किया कान्ट्रेक्ट की समयावधि के बीच में ही प्रदेश के बाहर की किन-किन फर्मों को कार्य दिया गया तथा प्रदेश के बाहर की फर्मों का परफारॅमेंस उनके गृह राज्य से क्यों नहीं मंगाया गया? (ख) मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा सिंतम्बर 2014 में ट्रांसफार्मर रिपेयर हेतु निविदा क्रमांक 356 बुलाई गयी थी जिसे अपरिहार्य कारणोवंश निरस्त कर दिया गया तत्पश्चात 15 दिन बाद उसी कार्य हेतु निविदा क्रमांक 365 दिनाँक 14.10.2014 को खोली गई ऐसे क्या कारण थे कि प्रदेश की जो फर्में निविदा क्रमांक 356 में योग्य थी वह निविदा क्रमांक 365 में 15-20 दिन के अतंराल में अयोग्य हो गयी इसके पीछे कंपनी के अधिकारियों की क्यां मंशा हैं? (ग) माननीय मंत्री जी ने सदन में आश्वासन दिया था कि ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग का कार्य सिर्फ प्रदेश की फर्मों से करवाया जायेगा, जिसके लिए दिशा निर्देश भी जारी हुये थे फिर क्या कारण है कि म.प्र. मध्यक्षेत्र एवं म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कपनियां अधिकांश कार्य प्रदेश के बाहर की फर्मों से करवा रही हैं जबकि प्रदेश के बाहर की फर्मों से करवा रही है? जबकि प्रदेश में पर्याप्त फैक्ट्रियां है और काम न मिलने के कारण बंद होने के कगार पर हैं?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) म.प्र.मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड द्वारा जारी टी.एस. क्रमांक 216 के अन्तर्गत कार्य करने वाली मध्य प्रदेश की फर्मों तथा इन फर्मों द्वारा किये गये कार्य का विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है। कान्ट्रेक्ट की समयावधि के बीच में मध्य प्रदेश के बाहर की जिन फर्मों को कार्य दिया गया उसका विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' के अनुसार** है। टी.एस. क्रमांक 216 के अन्तर्गत अवार्ड दिए जाने हेतु योग्य फर्मों के चयन की अहर्ता तथा वितरण कंपनी द्वारा नई फर्मों को रेट कांट्रेक्ट अवार्ड दिए जाने संबंधी दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप प्रदेश के बाहर की फर्मों को रेट कान्ट्रेक्ट अवार्ड नियमानुसार दिए गए हैं। (ख) जी हाँ। पूर्व में आमंत्रित निविदा में, भारत सरकार द्वारा बी.आई.एस.मापदंड अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर (क्वालिटी कंट्रोल) आदेश 2014 के लिए जारी गजट नोटिफिकेशन क्रमांक 216 दिनाँक 27.01.2014 के अनुसार, ट्रांसफार्मर सुधार हेतु बी.आई.एस. प्रमाणित होने की शर्त का समावेश किया गया था। उक्त निविदा क्रमांक 356 के अन्तर्गत फर्मों की योग्यता का निर्धारण भारत सरकार द्वारा निर्धारित बी.आई.एस. प्रमाण पत्र के आधार पर किया जाना था। प्राप्त निविदाओं की जाँच के उपरांत कार्य आदेश जारी करने की प्रक्रिया के दौरान भारी उद्योग मंत्रालय एवं लोक उद्यम भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर (क्वालिटी कंट्रोल) आदेश 2014 में संशोधन, दिनाँक 29.08.2014 को प्राप्त हुये जिसके आधार पर ट्रांसफार्मर सुधार के लिए बी.आई.एस. प्रमाण पत्र की अनिवार्यता समाप्त कर दी गईं। तदानुसार कंपनी द्वारा निविदा क्रमांक 356 को निरस्त कर नवीन निविदा क्रमांक 365 से जारी की गई, जिसमें ट्रांसफार्मर सुधार कार्य की गुणवत्ता निर्धारण हेतु मापदंडों के अनुसार कुछ फर्म अयोग्य पाई गई है। (ग) मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी एवं म.प्र.पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कपंनी द्वारा ट्रांसफार्मर रिपेयिंग हेतु जारी रेट कान्ट्रेक्ट के अन्तर्गत मध्य प्रदेश की ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग करने वाली जिन योग्य फर्मों ने ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग करने हेतु सहमति दी है, उन सभी फर्मों को उनकी योग्यता के अनुसार वितरण कंपनियों द्वारा रिपेयरिंग करने की आवंटित संख्या के अनुसार लगातार आर्डर दिये जा रहे हैं फिर भी प्रश्नाधीन अवधि में फेल ट्रांसफार्मरों की अधिक

संख्या को देखते हुये निश्चित समयावधि में ट्रांसफार्मरों की रिपेयरिंग कराने हेतु प्रदेश के बाहर की वे योग्य फर्में जिन्हें निविदा की शर्तों के अनुसार रेट कान्ट्रेक्ट जारी किया गया है, को भी नियमानुसार ट्रांसफार्मर रिपेयर करने के आदेश दिये गये हैं।

मलकोटा जलाशय की नहर की मरम्मत

160. (क्र. 5403) श्री हेमन्त विजय खण्डेलवाल : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या बैतूल जिले की मलकोटा जलाशय की नहर जल संसाधन विभाग की नहर है? (ख) यदि हाँ तो नहर की मरम्मत का कार्य जल संसाधन विभाग अथवा जल उपभोक्ता समिति द्वारा किया जाना चाहिए? (ग) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा विधायक निधि से रूपये 40,000/- नहर की मरम्मत कराए जाने हेतु पत्र लिखा है? (घ) यदि हाँ तो क्या कार्यपालन यंत्री जल संसाधन मुलताई द्वारा नहर मरम्मत कार्य को गैर विभागीय कार्य माना जाकर विधायक निधि के कार्य को कराए जाने हेतु मना किया है यदि हाँ तो क्यों? यदि नहर का कार्य विभागीय नहीं है तो फिर कौन से कार्य विभागीय होंगे स्पष्ट करें?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) एवं (ख) जी हाँ। (ग) एवं (घ) मा. प्रश्नकर्ता विधायक द्वारा लिखे जाने वाले पत्रों की जानकारी विभाग संधारित नहीं करता है। विभाग को शासन स्तर पर कोई पत्र प्राप्त नहीं है। विभागीय बजट से भिन्न स्त्रोतों से धनराशि प्राप्त कर कार्य करने के लिए शासन की पूर्वानुमति आवश्यक है। प्रश्नाधीन नहर के रखरखाव के लिए जल उपभोक्ता संस्था को वर्ष 2014-15 में अनुदान राशि प्रदाय की गई है जिससे नहर का संचालन एवं संधारण कराया जाना प्रतिवेदित है।

कटनी जिलान्तर्गत संचालित विद्युत वितरण केन्द्र

161. (क्र. 5422) श्री संजय पाठक : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कटनी जिले के विजयराघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कितने विद्युत वितरण केन्द्र संचालित हैं? (ख) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा पूर्व में विजयराघवगढ़ विधान सभा क्षेत्र में नये वितरण केन्द्र खोले जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं? यदि हाँ तो किन-किन स्थानों में विवरण दें? क्या विजयराघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र में नवीन वितरण केन्द्र खोला जाना प्रस्तावित हैं? (ग) विजयराघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र के व्यापक क्षेत्रफल को देखते हुए ग्राम पिपरियां कला, खितौली,सिनगौडी एवं कांटी में नवीन वितरण केन्द्र खोले जायेंगे? यदि हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) कटनी जिले के विजयराघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 3 विद्युत वितरण केन्द्र संचालित हैं। (ख) जी नहीं। वर्तमान में विजयराघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र में नवीन वितरण केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। (ग) जी नहीं, वर्तमान में विजयराघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र में तीन वितरण केन्द्र-खलवारा (कैमोर), बरही एवं विजयराघवगढ़ में संचालित हैं, अत: नये वितरण केन्द्र खोले जाने की वर्तमान में आवश्यकता नहीं है।

ग्राम चौरी से चौरा कनेरा मार्ग पर पुल निर्माण

162. (क्र. 5423) श्री संजय पाठक : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के तारांकित प्रश्न संख्या 6 (क्र. 313) दिनाँक 20 फरवरी, 15 के प्रश्नांश (घ) में तत्कालिक सहायता हेतु ग्राम चौरी से चौरा कनेरा मार्ग पर पुल निर्माण कर आवागमन बहाल कर

दिये जाने के संबंध में विभाग द्वारा वर्षा ऋतु के पूर्व पुलिया निर्माण कराने का निर्देश गये है, उत्तर दिया गया है? तो क्या विभाग द्वारा उक्त निर्देश प्रश्नाधीन प्रश्न लगाये जाने के बाद दिये हैं? हाँ, तो कब एवं कितनी लागत से आदेश की प्रति सहित स्वीकृत राशि का पूर्ण ब्यौरा दें? (ख) प्रश्नांश (क) यदि नहीं तो क्या विभाग द्वारा चौरी से पिपरा विजयराघवगढ़ मार्ग पर निर्माणाधीन पुलिया को ही चौरी से चौरा कनेरा मार्ग पर बताकर सदन एवं विभागीय मंत्री को भ्रमित करने वाले अधिकारियों विरूद्ध क्या अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी? नहीं तो क्यों? (ग) क्या प्रश्नाधीन के उत्तर में माननीय मंत्री महोदय द्वारा सदन में चर्चा के दौरान दिये गये पुल निर्माण हेतु स्वीकृत राशि के आश्वासन के अनुसार प्रश्नाधीन प्रश्न के प्रश्नांश (ख) मार्ग पर पुल एवं सड़क का निर्माण कराया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक? नहीं तो क्यों?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) एवं (ख) जी हाँ। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होते है। (ग) जी हाँ। वर्षा ऋतु तक। शेष प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होता है।

<u>परिशिष्ट - "इकत्तीस</u>"

<u>कन्या महाविद्यालय धार में परीक्षा सह.अध्ययन केन्द्र की स्वीकृति</u>

163. (क्र. 5438) श्रीमती नीना वर्मा : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला मुख्यालय के शासकीय महाविद्यालयों में भोज मुक्त विश्वविद्यालय के परीक्षा सह-अध्ययन केन्द्र बनाये जाने हेतु विधान सभा क्षेत्र विकास निधि से 1 लाख रूपये की राशि लिये जाने का प्रावधान हैं? (ख) यदि हाँ, तो कन्या महाविद्यालय धार में परीक्षा सह-अध्ययन केन्द्र स्वीकृत किये जाने हेतु विधान सभा क्षेत्र विकास निधि से मार्च 2011 में कलेक्टर धार द्वारा उक्त राशि भोज मुक्त विश्वविद्यालय को उपलब्ध करवाई थी? (ग) क्या चार वर्ष के लंबे अंतराल में परीक्षा सह अध्ययन केन्द्र स्वीकृत नहीं किया जाना विधान सभा क्षेत्र विकास निधि का दुरूपयोग नहीं हैं? (घ) यदि हाँ तो उक्त राशि मय ब्याज के कलेक्टर धार को पुन: समायोजित की जावेगी?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) एवं (ख) जी हाँ। (ग) जी नहीं, यूजीसी के पत्र दिनाँक 28.05.2013 अनुसार नये अध्ययन केंद्र स्थापना पर रोक लगाई जाने के कारण अध्ययन केंद्र स्थापित नहीं किया गया है। (घ) "ग" के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

<u>जले-खराब ट्रांसफार्मर को बदला जाना</u>

164. (क्र. 5444) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र दिमनी 07 जिला मुरैना में वर्ष जनवरी 2014 से जनवरी 15 तक कितने-कितने विद्युत ट्रांसफार्मर जले या खराब हुए? जानकारी ग्राम वाइज एवं विद्युत विवरण उपकेंद्र वाइज बताया जावें? (ख) विभाग द्वारा जले या खराब ट्रांसफार्मरों को बदलने हेतु कितनी समयावधि निर्धारित है? क्या जले या खराब ट्रांसफार्मर समयावधि में ही बदल दिये गये? यदि नहीं तो कितने ट्रांसफार्मर समयावधि पश्चात् बदले गये उनकी भी जानकारी ग्राम वाइज व विद्युत वितरण केंद्र वाइज दी जावें? (ग) समयावधि के पश्चात् बदले गये ट्रांसफार्मरों हेतु कौन अधिकारी / कर्मचारी जिम्मेदार/ जबावदार है? उनके नाम पद बताये जावें?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) मुरैना जिले के विधानसभा क्षेत्र दिमनी के अंतर्गत जनवरी 2014 से जनवरी 2015 तक कुल 138 वितरण ट्रांसफार्मर जले/खराब हुए हैं। उक्त जले/खराब हुये

वितरण ट्रांसफार्मरों की ग्रामवार एवं विद्युत वितरण केन्द्रवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) म.प्र. विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी वितरण अनुपालन मापदण्ड (पुनरीक्षित) में, ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण ट्रांसफार्मर बदले जाने की अवधि-शुष्क मौसम के दौरान 72 घंटे के अंदर तथा मानसून के मौसम (माह जुलाई से सितम्बर तक) के दौरान सात दिवस के अंदर, निर्धारित की गई है। दिमनी विधानसभा क्षेत्र में प्रश्नाधीन अवधि में फेल हुए 138 ट्रांसफार्मरों में से 117 ट्रांसफार्मर निर्धारित समयावधि में बदले गये हैं, 17 ट्रांसफार्मर पहुंच मार्ग सुगम नहीं होने के कारण निर्धारित समयावधि में नहीं बदले जा सके हैं तथा शेष 4 ट्रांसफार्मरों से संबद्ध उपभोक्ताओं द्वारा नियमानुसार विद्युत बिल की राशि जमा नहीं करने के कारण उन्हें नहीं बदला जा सका हैं। जले/खराब हुये ट्रांसफार्मरों की प्रश्नाधीन चाही गई ग्रामवार एवं विद्युत वितरण केन्द्रवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। (ग) उत्तरांश (ख) में दर्शाए अनुसार निर्धारित समयावधि के पश्चात बदले गये ट्रांसफार्मरों हेतु कोई भी अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है।

माइनर व कुलावों के अंतिम छोर पर सिंचाई

165. (क्र. 5445) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सिंचाई परियोजना के कमाण्ड क्षेत्र में माइनर नहरों के कुलावों के अंतिम छोर के खेतों में पानी पहुंचाने हेतु नालियों के निर्माण का प्रावधान रखा गया है? यदि हाँ तो इस हेतु शासन ने विभाग को निर्माण कार्यो हेतु क्या नीति / निर्देश जारी किए हैं? (ख) प्रश्नाशं (क) में उल्लेखित विधानसभा क्षेत्र दिमनी 07 जिला मुरैना में स्थित माइनर के कुलावों में किये गये कार्य की जानकारी नाम कुलावें व माइनर/लागत राशि/क्रियान्वयन एजेंसी/कार्यादेश/कार्य पूर्ण होने की अवधि आदि सहित दी जावें? (ग) क्या उपरोक्त सभी कार्य समयावधि में पूर्ण होकर माइनर व कुलावों के अंतिम छोर तक पानी पहंचाया जा चुका है? यदि नहीं तो क्यों? इस हेतु कौन जिम्मेदार/जबावदार है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) जिन सिंचाई परियोजनाओं के लिए कमाण्ड क्षेत्र विकास परियोजनाएं स्वीकृत हुई है उनमें पक्की नाली निर्माण के लिए प्रमुख अभियंता द्वारा जारी निर्देश की प्रति **संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-"1" अनुसार** है। (ख) एवं (ग) प्रश्नाधीन क्षेत्र में उप नहरों में कुलाबे लगाए जाने संबंधी **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-"2" अनुसार** है। कुलाबों से कृषकों के खेतों में सिंचाई जल दिया गया है। शेष प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होते है।

परिशिष्ट - "बत्तीस"

उड़नदस्तों के द्वारा नियम विपरीत कार्य किया जाना

166. (क्र. 5455) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सत्य है कि विश्वविद्यालय स्तर पर क्या जिले के चिन्हित महाविद्यालय को यह अधिकार दिया गया है कि वे परीक्षाओं के दौरान जिले के समस्त कालेजो का उड़नदस्तों के रूप में निरीक्षण कर नकल पर अंकुश लगायेंगे? यदि हाँ तो नियमों से संबंधित आदेश की एक प्रति उपलब्ध करायें? क्या जिले के चिन्हित महाविद्यालय के उड़नदस्ते में प्राध्यपकों के अतिरिक्त लिपिक, तकनीशियन को लिया जा सकता हैं? (ख) जीवाजी विश्वविद्यालय से संबंधित जिले के चिन्हित महाविद्यालयों ने सत्र 2012/13 एवं 2013/14 के दौरान किन-किन महाविद्यालयों में कब-

कब निरीक्षण किया एवं कितने प्रकरण बनाये गये? (ग) जीवाजी विश्वविद्यालय से संबंधित भिण्ड जिले के चिन्हित महाविद्यालय ने सत्र 2012/13 एवं 2013/14 में किन-किन अधिकारी/कर्मचारी ने कब-कब किन कालेजों का उड़नदस्ते की टीम के रूप में निरीक्षण कर कितना भुगतान मानदेय के रूप में एवं कितना भुगतान वाहन किराये के रूप में भुगतान किया? (घ) क्या भिण्ड के चिन्हित महाविद्यालय ने इस कार्य के लिए जीवाजी विश्वविद्यालय से अनुमति ली? जीवाजी विश्वविद्यालय ने सत्र 2012/13 एवं 2013/14 के लिये उड़नदस्ता गठन हेतु पत्र जारी किया? यदि हाँ तो उसकी प्रति दें?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

नियमों के विपरीत स्टांप जारी किया जाना

167. (क्र. 5456) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सत्य है कि कार्यालय कलेक्टर (पंजीयन शाखा) जिला सतना म.प्र. क्रमांक-166/जि.पं./2013 सतना दिनाँक 13.03.2013 से एवं कार्यालय कलेक्टर जिला सतना म.प्र. क्रमांक-357/कले.पंजी./स्टा/94 सतना दिनाँक 16.05.94 से आदेश जारी किये गये थे? (ख) क्या यह सत्य है कि पहले आदेश में मार्च माह के प्रत्येक दिन कोषालय अधिकारी को स्टांप जारी करने एवं दूसरे आदेश में कोषालय अधिकारी सप्ताह में तीन दिन मंगल गुरूवार एवं शनिवार को स्टांप इश्यू करेंगे? (ग) 01.01.2014 से प्रश्नतिथि तक जिला कोषालय अधिकारी द्वारा किस-किस नाम को कितने कितने रूपयों के स्टांप जारी किये? वर्षवार/माहवार/दिनाँकवार/स्टांप वेंडरवार/स्टांप की राशिवार जानकारी दें? (घ) प्रश्नांश (ग) में वर्णित समयानुसार किस-किस दिनाँक को स्टांप वेंडरों द्वारा चालान जिला कोषालय में जमा किये? कब-कब चालान इश्यू किये गये? वर्षवार/माहवार/दिनाँकवार जमा किये चालानवार/इश्यू हुये स्टाम्पवार जानकारी दें? नियम विरूद्ध कार्य करने वाले जिला कोषालय अधिकारी के विरूद्ध राज्य शासन क्या कार्यवाही करेगा?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) से (घ) की जानकारी एकत्रित की जा रही है।

बैरसिंया विधानसभा क्षेत्र में ग्रामों का विद्युतीकरण

168. (क्र. 5465) श्री विष्णु खत्री : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत वर्षों में बैरसिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कितने ग्रामों का राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना में लाभ दिया जा चुका है ग्रामों एवं पंचायतों के नाम एवं किये गये कार्यो का विवरण बताये? (ख) ऐसे कितने और ग्राम हैं जो विद्युतीकरण से छूट गये हैं और उर्जा विभाग आगामी समय में इन ग्रामों में विद्युत पहुंचाने के लिये प्रयासरत है संख्या बताये यह कार्य कब तक किये जाने का विभाग विचार रखता है स्पष्ट करे?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनान्तर्गत बैरसिया विधानसभा क्षेत्र में टर्न-की आधार पर कार्य किये जाने हेतु अनुबंधित ठेकेदार एजेंसी मेसर्स ईरा-इन्फ्रा, नोयडा द्वारा 32 ग्रामों में बी.पी.एल. आवासों को विद्युत कनेक्शन देने का कार्य किया गया है प्रश्नाधीन किये गये कार्य का ग्राम पंचायत वार एवं ग्रामवार विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार** है। (ख) बैरसिया विधानसभा क्षेत्र के 313 ग्रामों में ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत स्वीकृत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में ठेकेदार एजेंसी मेसर्स ईरा-इन्फ्रा,

नोयडा द्वारा सघन विद्युतीकरण का कार्य किया जाना है, जिनकी सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब' अनुसार** है। कार्य दिसम्बर 2015 तक पूर्ण कराने के प्रयास किये जा रहे हैं।

———————

अतारांकित प्रश्नोत्तर

खदानों के संचालन का जिम्मा

1. (क्र. 1466) श्री भारत सिंह कुशवाह : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खनिज विभाग की रेत खदानें जिला-ग्वालियर-दतिया की माइनिंग कॉरपोरेशन को कौन-कौन सी खदानों के संचालन का जिम्मा दिया गया है? नाम सहित बतायें? मारइनिंग कॉरपोरेशन द्वारा भिण्ड, ग्वालियर, दतिया की खदानों का संचालन किस-किस फर्म को कौन-कौन सी खदान किस दिनाँक से किस दिनाँक तक आवंटित की गई? अनुबंध निष्पादन की अंतिम तारीख के बाद किस-किस फर्म के समय में कितने समय के लिये संचालन हेतु वृद्धि की गई? (ख) क्या खनिज विभाग के रेत खदानों की आकसन बोली जिला मुख्यालय पर होती है? क्या बोली लगने के बाद संबंधित ठेकेदार को खदान संचालन के लिये समस्त औपचारिकतायें पूरी करने के लिये 6 महीने का समय दिया जाता है? (ग) क्या नवीन ठेकेदार को छः माह का समय दिया जाता है इसलिये छः माह खदान संचालित संचालन बंद रखा जाता है? क्या छः माह में शासन को राजस्व का घाटा नहीं होता? क्या पूर्व के ठेकेदार को इस अवधि में समय वृद्धि कर संचालन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती? यदि दी जाती है तो बतायें?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

तालाब, नहरों के माध्यम से फसलों की सिंचाई

2. (क्र. 1719) श्री प्रताप सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दमोह जिले के जबेरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कौन-कौन से तालाब हैं, जिनसे नहरों के माध्यम से फसलों की सिंचाई की जाती है? (ख) इन तालाबों से निकलने वाली नहरों की वर्ष 2013 से अभी तक कितनी-कितनी राशि कितनी बार मरम्मत हेतु स्वीकृत की गई है? (ग) कृषकों से प्रश्नांश (ख) में दर्शायी अवधि के दौरान कितना सिंचाई कर वसूल किया गया है, तथा कितनी वसूली हेतु राशि शेष हैं? (घ) तालाबों में रबी मौसम की सिंचाई हेतु कितना जल संचय है? कृषकों को सिंचाई हेतु कब-कब, कितना-कितना पानी दिया जा रहा है, तालाबवार बतलावें?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) से (घ) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'क' एवं 'ख' अनुसार** है।

खिन्हा जलाशय के घटिया निर्माण की जाँच

3. (क्र. 1985) श्रीमती नंदनी मरावी : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के पत्र क्रमांक 572 दिनाँक 09.09.2012 में विकास खण्ड कुण्डम अंतर्गत खिन्हा जलाशय का निर्माण घटिया होने एवं शासन की राशि का दुरूपयोग होने में जिम्मेदार अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही करने एवं राशि वसूली करने की मांग की गई थी? (ख) कंडिका (क) अनुसार खिन्हा जलाशय के घटिया निर्माण की जाँच किस अधिकारी द्वारा कराई गई? जाँच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध करायें तथा जिम्मेदार अधिकारी कौन-कौन हैं, उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? नहीं की गई तो कारण बतायें?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) एवं (ख) प्रश्नकर्ता का प्रश्नाधीन पत्र शासन को प्राप्त होना प्रतिवेदित नहीं है। खिन्हा जलाशय के निर्माण के संबंध में सम्पन्न विभागीय जाँच में तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी श्रीआर.एस.भदौरिया एवं श्री एस.एम.एस.ठाकुर और तत्कालीन उपयंत्री श्री डी.एन.दुबे को मुख्य अभियंता, चंबल बेतवा कछार, भोपाल के आदेश क्रं. 468/क्यू./स्था./न.ता.92 दिनाँक 30-01-1996 से परिनिंदा की शास्ति से दण्डित किया गया है। विभागीय जाँच का प्रकरण 20 वर्ष पुराना होने से जाँच प्रतिवेदित की प्रति उपलब्ध नहीं है। दण्डादेश की छायाप्रति अपठनीय है। जिसकी टंकित प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है।

<u>जल संसाधन विभाग द्वारा कराये जा रहे कार्यों की जानकारी</u>

4. (क्र. 1989) श्रीमती नंदनी मरावी : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जल संसाधन विभाग सिहोरा एवं कुण्डम विकास खण्ड अंतर्गत 1 अप्रैल 2009 से प्रश्नांश दिनाँक तक कौन-कौन से कार्य स्वीकृत किये गये? वर्षवार सूची उपलब्ध करावें? (ख) प्रश्नांश (क) सूची अनुसार कार्यों के आरंभ करने की एवं पूर्ण होने की क्या समय सीमा निर्धारित की गई है? कितने निर्माण कार्य पूर्ण हैं, एवं कितने अपूर्ण हैं, सूची उपलब्ध करावें? अपूर्ण कार्य कब तक पूर्ण कर लिये जावेंगे?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) एवं (ख) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। कार्यों को पूर्ण करना निर्माण एजेंसी की क्षमता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर होने से कार्य पूर्ण करने के लिए समयसीमा बताई जाना संभव नहीं है।

<u>परिशिष्ट</u> - **"<u>तैंतीस</u>"**

<u>सौर ऊर्जा के उपकरणों की लागत तथा अनुदान</u>

5. (क्र. 2049) श्री चम्पालाल देवड़ा : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सौर ऊर्जा को प्रोत्साहन दिये जाने हेतु कौन-कौन सी योजनाएं संचालित हैं? सौर ऊर्जा के उपकरणों की लागत अनुदान तथा उपकरणों की दरें निर्धारित करने की क्या प्रक्रिया है? (ख) रायसेन एवं देवास जिले में कहाँ-कहाँ, कौन-कौन से ऊर्जा विकास केन्द्र, गोबर गैस प्लांट स्थापित किये जाने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं, इस हेतु क्या-क्या मापदण्ड/शर्तें हैं? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के सौर ऊर्जा के उपकरणों एवं गोबर गैस प्लांट की स्थापना के विधायक निधि के राशि स्वीकृति के प्रस्ताव किस स्तर पर एवं क्यों लंबित हैं? (घ) उक्त योजनाओं के प्रचार-प्रसार हेतु विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की जा रही है, पूर्ण विवरण दें?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) सौर ऊर्जा परियोजना क्रियान्वयन नीति-2012 के प्रावधान के अंतर्गत सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना हेतु निजी इकाईयों को नीति के तहत प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। विभाग के अंतर्गत सोलर स्ट्रीट लाईट, सोलर होम लाईट, सोलर पॉवर प्लांट, सोलर जल पंप एवं सौर गर्मजल संयंत्र, अक्षय ऊर्जा शॉप की योजनाएं संचालित है। एम.एन.आर.ई. के प्रतिवर्ष जारी होने वाले दिशा-निर्देशों के अनुरूप अनुदान दिया जाता है। सौर ऊर्जा उपकरणों की दरें खुली ऑनलाईन निविदा पद्धति के माध्यम से निर्धारित की जाती है। (ख) जी नहीं। (ग) कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुये। अत: प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) म.प्र. ऊर्जा विकास निगम के जिला

कार्यालय एवं निजी अक्षय ऊर्जा शॉप द्वारा अक्षय ऊर्जा एवं ऊर्जा दक्ष उपकरणों के प्रचार प्रसार, विपणन एवं रख-रखाव का कार्य किया जा रहा है।

पूर्व सांसदों के पत्रों के उत्तर प्रदाय कराने संबंधी

6. (क्र. 2198) श्री गिरीश भंडारी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन ने लोकसभा के पूर्व सांसदों द्वारा शासकीय विभागों को लिखे गये पत्रों के उत्तर देने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं? यदि हाँ, तो आदेश की प्रति उपलब्ध कराएं? (ख) यदि प्रश्न की कंडिका (क) का पालन कोई शासकीय अधिकारी नहीं करता है, तो उक्त अधिकारी के विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही करने का नियम है? यदि कोई नियम है, तो नियम की प्रति उपलब्ध करायें?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) जी नहीं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) उत्तरांश ''क'' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

रिक्त अधीक्षण यंत्री के पदों पर पदोन्नति

7. (क्र. 2231) सुश्री उषा ठाकुर : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. विद्युत वितरण कम्पनी पूर्व/पश्चिम में नियमित अधीक्षण यंत्री के कितने पद स्वीकृत/रिक्त हैं? सूची देवें? (ख) अधीक्षण यंत्री के रिक्त पदों पर कितने वर्ष से कार्यपालन यंत्रियों को पदोन्नत नहीं किया गया? यदि पदोन्नति प्रकिया बाधित है तो क्यों? पदोन्नति प्रक्रिया कब प्रारंभ की जावेगी? (ग) कितने कार्यपालन यंत्रियों को अधीक्षण यंत्री का करंट चार्ज दिया जाकर कार्य लिया जा रहा है, सूची देवें?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर में नियमित अधीक्षण अभियंता के कुल 42 पद स्वीकृत हैं तथा वर्तमान में 8 अधीक्षण अभियंता के पद रिक्त है। सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार** है। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इंदौर में नियमित अधीक्षण अभियंता के कुल 38 पद स्वीकृत हैं तथा वर्तमान में 05 अधीक्षण अभियंता के पद रिक्त है। सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब' अनुसार** है। (ख) मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर के अंतर्गत अंतिम बार माह दिसंबर 2014 में कार्यपालन यंत्रियों को अधीक्षण यंत्री के पद पर पदोन्नति दी गई है। अत: पदोन्नति प्रक्रिया बाधित नहीं है। वर्ष 2015 में की जाने वाली पदोन्नति की कार्यवाही वर्तमान में प्रक्रियाधीन है। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इंदौर के अंतर्गत विगत ढाई वर्षों से कार्यपालन यंत्रियों को अधीक्षण यंत्री के पद पर पदोन्नत नहीं किया गया है। चयन प्रक्रिया बाधित नहीं है। वर्तमान में रिक्त पदों के लिए चयन समिति की बैठक आयोजित करने हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ग) मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर के अंतर्गत कुल 03 कार्यपालन यंत्रियों को अधीक्षण यंत्री का चालू प्रभार दिया गया है। सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -'स' अनुसार** है। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इंदौर के अंतर्गत कुल 12 कार्यपालन यंत्रियों को अधीक्षण यंत्री का चालू प्रभार सौंपा गया है। सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-' स' अनुसार** है।

अधिमान्यता प्रदान किए जाने के मापदण्ड

8. (क्र. 2428) डॉ. मोहन यादव : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग द्वारा राज्यस्तरीय अधिमान्यता (स्नातक पत्रकार) दिये जाने हेतु क्या मापदण्ड है? अर्हताएं हैं?

उज्जैन जिले में कितने वरिष्ठ पत्रकारों द्वारा राज्य स्तरीय अधिमान्यता (स्वतंत्र पत्रकार) प्रदान किये जाने हेतु आवेदन (नवीन/नवीनीकरण) प्राप्त हुये उनमें से कितने पत्रकारों को अधिमान्यता प्रदान की गई शेष आवेदनों की क्या स्थिति है? (ख) क्या वर्तमान में अधिमान्यता हेतु आवेदन विचाराधीन है? यदि हाँ, तो उन्हें कब तक अधिमान्यता दी जावेगी?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) राजपत्र में प्रकाशित अधिमान्यता नियम **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। उज्जैन जिले में 14 आवेदन प्राप्त हुए। उनमें 06 का वर्ष 2015 के लिए नवीनीकरण किये गये। शेष में आवेदकों से नियमानुसार जानकारियाँ मांगी गई है। प्रक्रियाधीन है। (ख) जी हाँ। वांछित जानकारी संबंधित से प्राप्त होने पर शासन द्वारा गठित पत्रकारों की अधिमान्यता समिति द्वारा निर्णय किया जायेगा।

शासकीय महाविद्यालय में स्नातकोत्तर कक्षाओं का संचालन

9. (क्र. 2429) डॉ. मोहन यादव : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन जिले में शासकीय महाविद्यालयों में कौन-कौन विषय की स्नातकोत्तर कक्षाएं संचालित हैं? (ख) क्या शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय दशहरा मैदान, उज्जैन में भूगोल व दर्शनशास्त्र की स्नातकोत्तर कक्षाएं नहीं हैं? इन्हें कब तक प्रारम्भ कर दिया जाऐगा? (ग) स्नातकोत्तर के विभिन्न विषयों में अध्ययन कराने हेतु स्वीकृत पदों की संख्या बताते हुए, इसमें से कितने पद रिक्त हैं एवं रिक्त पदों को कब तक भरा जावेगा, जानकारी प्रस्तुत करें?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) जी नहीं। वर्तमान में शासन द्वारा पूर्व से संचालित महाविद्यालयों में गुणवत्ता विकास एवं सुदृढ़ीकरण किये जाने का कार्य किया जा रहा है। अतः शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, दशहरा मैदान, उज्जैन में भूगोल व दर्शनशास्त्र की स्नातकोत्तर कक्षायें प्रारम्भ करने में कठिनाई है। समय-सीमा बताना संभव नहीं है। (ग) उज्जैन जिले में स्नातकोत्तर के विभिन्न विषयों में कुल 153 पद स्वीकृत है जिसमें 37 पद रिक्त है। सहायक-प्राध्यापक के समग्र रिक्त पदों की पूर्ति हेतु लोक सेवा आयोग द्वारा दिनाँक 09.07.2014 को विज्ञापन जारी किया जा चुका है। निश्चित समय सीमा बताना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "चौंतीस"

लोकायुक्त को की गई शिकायत की जाँच

10. (क्र. 2609) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेडा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोकायुक्त भोपाल को सिरनाम सिंह यादव, ग्राम कोहरवास, तहसील इसागढ़, जिला अशोकनगर, द्वारा माह जुलाई, 2013 में राव देशराज सिंह यादव, मुंगावली, जिला अशोकनगर के विरूद्ध अवैध सम्पत्ति अर्जित करने व शासकीय भूमि पर परिवार के सदस्यों व बेनामी कब्जे करने की शिकायत शपथ पत्र व फोटो के साथ की थी? कृपया बतावें कि उस पर क्या कार्यवाही हो रही है? (ख) माह जुलाई, 2013 में राव देशराज सिंह यादव, मुंगावली, जिला अशोकनगर के विरूद्ध कितनी शिकायतें कलेक्टर अशोक नगर एवं कितनी शिकायतें एस.पी., अशोकनगर को की गई है, तथा इन पर क्या कार्यवाही हुई?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

विभागीय निर्माण कार्य के संबंध में

11. (क्र. 2657) श्री विजय सिंह सोलंकी : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जल संसाधन विभाग द्वारा खरगौन जिले में कितने तालाब/ डेम वर्ष, 2010 से वर्तमान तक बनवाये गये हैं? इन तालाबों की वर्तमान स्थिति क्या है? (ख) क्या सिंचाई के लिए बने तालाब/डेम का उपयोग अन्य कार्य के लिए किया जा सकता है? यदि हाँ, तो किस कार्य के लिए पानी दिया जा सकता है? (ग) खारक परियोजना में कुल कितनी निविदा, किन शर्तों पर दी गईं? क्या सभी कार्य निविदा आधार पर किया जा रहा है या विभागीय कार्य भी हो रहे हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) विभाग द्वारा खरगोन जिले में प्रश्नाधीन अवधि में 23 जलाशय बनाए गए हैं। कुण्डीया जलाशय में सीपेज की समस्या है। शेष समस्त जलाशय ठीक हैं। (ख) जलाशयों का रूपांकन केवल सिंचाई के लिए किया गया है। सिंचाई उपरान्त बचे शेष जल का निस्तार के लिए उपयोग संभव है। (ग) खारक परियोजना के निर्माण कार्यों के लिए निविदाएं आमंत्रित कर 3 निर्माण एजेन्सियों से अनुबंध किए गए हैं। निविदाएं और अनुबंध लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित दस्तावेज/प्रपत्र में किए गए हैं। जी नहीं,परियोजना की नहरों की खुदाई एवं मिट्टी का कार्य विभाग की विद्युत यांत्रिकी इकाई को दिया गया है।

सिरमौर में औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया जाना

12. (क्र. 2673) श्री दिव्यराज सिंह : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिरमौर विधानसभा क्षेत्रांतर्गत-सिरमौर में औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र एवं डभौरा में महाविद्यालय तथा अतरैला में कन्या महाविद्यालय स्थापित किये जाने हेतु विगत कई वर्षों से आम जनता एवं प्रतिनिधियों द्वारा मांग की जा रही है? क्या युक्त संस्थानों को स्थापित करने हेतु शीघ्र स्वीकृति प्रदान की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक? (ख) प्रश्नांश (क) के ही संदर्भ में- सिरमौर विधानसभा क्षेत्र, में तकनीकी संस्थान स्थापित किये जाने की कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कृपया समयसीमा बतावे?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

अवैध खनन रोकने के संबंध में

13. (क्र. 2799) श्री कमलेश शाह : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अमरवाड़ा वि.स. क्षेत्र के सिंगोडी में संचालित रेत खदान गत वर्ष कितने में विक्रय हुई थी? (ख) विगत 1 वर्ष में कितनी रायल्टी राशि इनसे प्राप्त हुई? वाहन संख्या, रायल्टी राशि माहवार बतावें? (ग) इसमें रेत के अवैध खनन को रोकने के लिए शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जावेगी, व कब तक?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के सिंगोड़ी में रेत खदान गत वर्ष विक्रय नहीं की गई है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) प्रश्नांश "क" के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) समय-समय पर जाँच की जाती है। जाँच के दौरान अवैध खनन पाये जाने पर अवैध उत्खननकर्ता के विरूद्ध नियमानुसार अवैध उत्खनन का प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जाती है।

प्रदेश के विद्युत ताप गृहों से उत्पादन में गिरावट

14. (क्र. 2853) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के सभी ताप गृहों का विद्युत उत्पादन वित्तीय वर्ष 2010-11 से जनवरी 2015 तक विद्युत गृहवार माहवार एवं वित्तीय वर्षवार मिलियन यूनिट में बतावे साथ ही वित्तीय वर्षवार पी.यू.एफ एवं वार्षिक औसत विशिष्ट कोयला खपत बतायें? (ख) म.प्र. पावर जनरेटिंग कंपनी के जल विद्युत गृह एवं राज्य शासन के सभी जल विद्युत गृहों का विद्युत गृहवार माहवार वित्तीय वर्षवार वर्ष 2009-10 से जनवरी 2015 तक बतावें? (ग) म.प्र.पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के विद्युत गृहों से उत्पादित बिजली मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड को किस दर पर बेची जा रही है वर्ष 2009-10 से जनवरी 2015 तक की जानकारी वित्तीय वर्षवार बतायें? (घ) क्या राज्य शासन की इकाइयों में केन्द्र का भी हिस्सा है? यदि हाँ, तो कितना - कितना? क्या केन्द्र ही इन इकाइयों का संचालन करता है? साथ ही क्या सारी बिजली राज्य सरकार को मिलती है या अन्य राज्य को भी देना पड़ती है?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) म.प्र.पा.ज.कं.लि. के सभी ताप गृहों का वित्तीय वर्ष 2010-11 से जनवरी 2015 तक विद्युत गृहवार, माहवार एवं वित्तीय वर्षवार विद्युत उत्पादन (मिलियन यूनिट में) की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। म.प्र.पा.ज.कं.लि. के ताप विद्युत गृहों का वित्तीय वर्षवार, वर्ष 2010-11 से जनवरी 2015 तक पी.यू.एफ. एवं वार्षिक औसत विशिष्ट कोयला खपत का विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** है। (ख) म.प्र.पावर जनरेटिंग कंपनी के जल विद्युत गृहों एवं राज्य शासन के सभी जल विद्युत गृहों के विद्युत उत्पादन विद्युत गृहवार, माहवार, वित्तीय वर्षवार वर्ष 2009-10 से जनवरी 2015 तक, की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार** है। (ग) म.प्र.पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के विद्युत गृहों से वित्तीय वर्ष 2009-10 से जनवरी 2015 तक उत्पादित बिजली म.प्र.पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड को जिस दर पर बेची जा रही है, की वित्तीय वर्षवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'द' के अनुसार** है। (घ) जी नहीं। राज्य शासन की विद्युत इकाईयों में केन्द्र का कोई हिस्सा नहीं है। अपितु राज्य शासन एवं केन्द्र के उपक्रम एन.एच.पी.सी. के संयुक्त उपक्रम, एन.एच.डी.सी. की जल विद्युत इकाईयों में एन.एच.पी.सी. का 51 प्रतिशत एवं राज्य शासन का 49 प्रतिशत हिस्सा है। इन जल विद्युत इकाईयों का संचालन एन.एच.डी.सी. द्वारा किया जाता है। राज्य शासन की इकाईयों का संचालन केन्द्र द्वारा नहीं किया जाता है। राज्य शासन एवं संयुक्त उपक्रम (एन.एच.डी.सी.) की विद्युत इकाईयों से उत्पादित बिजली राज्य शासन को ही मिलती है। राज्य शासन की जिन इकाईयों में अन्य राज्यों का अंश है उन्हीं इकाईयों से उत्पादित बिजली का अंश जितना होता है उस राज्य को दिया जाता है।

बरगी हिल्स कॉलोनी स्थित भवनों का रख-रखाव

15. (क्र. 2949) श्रीमती प्रतिभा सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) न.धा.वि.प्रा. के कटंगा कालोनी अनुविभाग, बरगी हिल्स के अंतर्गत आने वाले आवासीय एवं कार्या. भवनों, रेस्ट हाउस सड़कों आदि के रख-रखाव हेतु वर्ष 2012-13 से अब तक कितनी राशि व्यय की गयी? (ख) उक्त कार्यों हेतु उपरोक्त अवधि में राशिवार कितने निविदा, पीस वर्क, सप्लाई आर्डर जारी किये गये? (ग) व्यय की गयी राशि से कहाँ-कहाँ, कितनी-कितनी राशि के आयटमवार कार्य कराये

गये? म.प्र.वि.म. सीमा से बरगी हिल्स तक की सड़क जर्जर क्यों है? उक्त सड़क का पुर्ननिर्माण कब तक कराया जावेगा?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) जबलपुर में स्थित कटंगा कालोनी अनुविभाग जबलपुर के अंतर्गत आवासीय एवं कार्यालय भवनों, रेस्ट हाउस तथा सड़कों आदि के रखरखाव पर वर्ष 2012-13 से अब तक रूपयें 57.15 लाख राशि व्यय की गई है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार** है। (ख) उक्त कार्यों हेतु उपरोक्त अवधि में निविदा के माध्यम से रूपये 37.34 लाख पीसवर्क के माध्यम से रूपये 1.07 लाख सप्लाई आर्डर के माध्यम से रूपये 18.74 लाख की राशि व्यय की गई है। वर्षवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब' अनुसार** है। (ग) व्यय की गई राशि का विवरण **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब' अनुसार** है। मध्यप्रदेश विद्युत मंडल सीमा से बरगी हिल्स तक की सडक का सुधार कार्य माह फरवरी 2015 में हो चुका है। वर्तमान में सड़क की स्थिति जर्जर नहीं है एवं सड़क आवागमन हेतु सामान्य हो गयी है। अत: सड़क का पुर्ननिर्माण करना आवश्यक नहीं है।

चिकित्सालय का हस्तांतरण

16. (क्र. 2950) श्रीमती प्रतिभा सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रा.अ.बा. सागर परि. के बरगी नगर स्थित चिकित्सालय में चिकित्सक एवं अन्य पैरा मेडिकल स्टाफ के पद कब से रिक्त हैं? क्या चिकित्सक नहीं होने से इस हास्पिटल का लाभ कर्मचारियों एवं अन्य नागरिकों को नहीं मिल पा रहा है? (ख) यदि हाँ, तो क्या नर्मदा घाटी विकास विभाग उक्त चिकित्सालय लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को हस्तांतरित करने की कार्यवाही करेगा ताकि कर्म. के साथ आस-पास के ग्रामीणों को भी स्वास्थ्य लाभ मिल सके? (ग) यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) रानी अवंती बाई लोधी सागर परियोजना के अंतर्गत शासकीय अस्पताल बरगी नगर में सहायक शल्य चिकित्सक का पद दिनाँक 30/09/2009 से रिक्त है एवं दिनाँक 29/02/2012 से सर्वलेंस वर्कर का पद रिक्त है। जी हाँ। (ख) नर्मदा घाटी विकास विभाग के पत्र क्रमांक एफ-31-27/2008/27-1 दिनाँक 31/12/2008 द्वारा लोक स्वास्थ्य एवं कल्याण विभाग से चिकित्साल्य को अमले सहित अपने अधीन लिये जाने का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। (ग) उत्तरांश ''ख'' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

विधि महाविद्यालयों में कार्यरत स्टाफ

17. (क्र. 2983) श्री प्रहलाद भारती : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. विधि महाविद्यालयों हेतु बार कौंसिल ऑफ इंडिया के मानकों के अनुरूप स्टाफ की नियुक्ति की अद्यतन स्थिति क्या है व रिक्त पद भरे जाने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है? (ख) वर्ष, 2011 से प्रश्न दिनाँक तक ग्वालियर संभाग के किन-किन महाविद्यालयों में एल.एल.बी. त्रिवर्षीय एवं पांच वर्षीय पाठ्यक्रम स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत विभाग द्वारा संचालित है एवं इन महाविद्यालयों में कार्यरत प्रवक्ताओं (फैकल्टी) की पदवार जानकारी उपलब्ध करावें?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) राज्य शासन के आदेश दिनाँक 05.08.2013 द्वारा बार कौंसिल ऑफ़ इंडिया के मानदण्डों के अनुसार 31 महाविद्यालयों में कुल 442 पदों के

निर्माण/पूर्ति की स्वीकृति प्रदान की गई है, पदों के चयन की कार्यवाही लोक सेवा आयोग में प्रक्रियाधीन है। (ख) ग्वालियर संभाग के शासकीय एम.एल.बी. उत्कृष्ट महाविद्यालय एवं शासकीय के.आर.जी. महाविद्यालय ग्वालियर में पंचवर्षीय विधि पाठ्यक्रम स्ववित्तीय योजना के अन्तर्गत विभाग द्वारा संचालित है। क्रमशः 09 एवं 10 अतिथि विद्वान अध्यापन कार्य कर रहे हैं।

राजीव गांधी परियोजना का कार्य

18. (क्र. 3068) श्री राजेश सोनकर : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वित्त वर्ष, 2011-12 से 2014-15 वित्त वर्षवार सॉवेर विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी परियोजनांतर्गत कौन-कौन से कार्य करवाये गये, उनकी लागत बतावें? (ख) क्या 2011-12 और इसके एक-दो वर्ष पूर्व के प्रस्तावित राजीव गांधी परियोजना के कार्य समयावधि में पूर्ण नहीं हुये, वे कौन-कौन से हैं? (ग) सॉवेर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में कितने गांवों में सघन विद्युतीकरण करना शेष है। इस योजना अंतर्गत कितने ट्रांसफार्मर लगाना प्रस्तावित थे? कितने ट्रांसफार्मर दिनाँक 31.01.2015 तक लगा दिये गये एवं लगाये जाना शेष कितने हैं, संख्या बतावें? इस योजना अंतर्गत ट्रांसफार्मर की गुणवत्ता की जाँच किस एजेंसी द्वारा की जाती है? (घ) इंदौर जिला अंतर्गत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत किन-किन फर्मों को कार्यादेश दिये गये हैं, एवं उन्हें जनवरी 2015 तक कितनी राशि चुकाई गई है।

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2014-15 तक की अवधि में सॉवेर विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत कोई भी कार्य संपादित नहीं किया गया है। (ख) वर्ष 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12, में भी सॉवेर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत कोई भी नया कार्य प्रस्तावित नहीं किया गया था। (ग) सॉवेर विधानसभा क्षेत्र में पूर्व में 10वीं पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत कोई भी कार्य किया जाना शेष नहीं है। 12वीं पंचवर्षीय योजना में सॉवेर विधानसभा क्षेत्र के लिए स्वीकृत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत कुल 157 ग्रामों के सघन विद्युतीकरण एवं 127 वितरण ट्रांसफार्मरों की स्थापना का कार्य प्रस्तावित है। योजना के प्रावधानों के अनुसार उक्त कार्य टर्न-की आधार पर किये जाने हेतु मेसर्स केट स्किल इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा.लिमिटेड, पूना को दिनाँक 22.11.2014 को कार्यादेश जारी किया गया है तथा वर्तमान में सर्वे कार्य प्रगति पर है। दिनाँक 31.01.2015 तक लगाये गये ट्रांसफार्मरों की संख्या निरंक है तथा प्रस्तावानुसार सभी ट्रांसफार्मर लगाया जाना शेष है। कार्य में उपयोग किये गये वितरण ट्रांसफार्मर की गुणवत्ता भारतीय मानक स्तर के अनुरूप सुनिश्चित करने हेतु निर्माता के कार्य स्थल पर, वितरण कंपनी अधिकारी द्वारा परीक्षण/जाँच की जाती है। तदुपरांत ट्रांसफार्मर ठेकेदार के स्टोर में आने के बाद औचक रूप से नमूना लेकर एन.ए.बी.एल. प्रमाणित लैब में टेस्ट हेतु भेजा जाता है एवं संतोषजनक जाँच रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही ट्रांसफार्मर उपयोग में लाया जाता है। (घ) इन्दौर जिले के अन्तर्गत पूर्व में 10वीं पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना हेतु मेसर्स नेशनल स्टील एण्ड एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इन्दौर को कार्यादेश दिया गया था एवं उक्त फर्म को कुल रू.31.18 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया है। इन्दौर जिले के अन्तर्गत 12वीं पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना हेतु

मेसर्स केट स्किल इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा.लिमिटेड, पूना को कार्यादेश जारी किया गया है तथा उक्त फर्म को जनवरी 2015 तक किसी भी राशि का भुगतान नहीं किया गया है।

गणतंत्र दिवस पर पुरस्कृत होने वाले कर्मचारियों के नामों में हेराफेरी

19. (क्र. 3073) श्री राजेश सोनकर : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या 26 जनवरी गणतंत्र दिवस 2015 के लिये सम्मानित होने वाले इंदौर जिले के कर्मचारियों के नाम जो विभागों द्वारा भेजे गये उनमें परिवर्तन जिलाधीश कार्यालय द्वारा कर दिया गया, कारण बतावें? (ख) क्या कर्मचारी की जानकारी संबंधित विभाग को ज्यादा रहती है बजाय अन्य विभाग के? (ग) इंदौर जिले में जिन-जिन विभागों से कर्मचारियों के नाम आये उनके नाम विभागवार बतावें साथ ही यह भी बतावें कि किन-किन को सम्मानित किया गया? जिलाधीश द्वारा अपने स्तर पर जोड़े घटाये नाम भी बतावें कारण सहित? (घ) क्या शिक्षा विभाग इंदौर कार्यालय द्वारा जिन-जिन के नाम भेजे गये उनमें फेरबदल कर के जो व्यक्ति जिलाधीश कार्यालय में आसंजित है अथवा कार्य कर रहे है उनको सम्मानित कर दिया गया जबकि शिक्षण व्यवस्था से उनका महिनों से संबंध नहीं रहा। जिलाधीश के विभिन्न विभागीय कार्यालयों में आसंजित शिक्षक के नाम बतावें?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) से (घ) की जानकारी एकत्रित की जा रही है।

विधानसभा क्षेत्र केवलारी के गांवों में जले हुये ट्रांसफार्मरों को बदला जाना

20. (क्र. 3099) श्री रजनीश हरवंश सिंह : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनाँक 01-04-2014 से प्रश्न दिनाँक तक सिवनी जिले के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र केवलारी के किन-किन गांवो के ट्रांसफार्मर जले होने की सूचना ग्रामीण जनता एवं जन प्रतिनिधियों द्वारा दी गई है? (ख) क्या विभाग द्वारा इन जले हुये ट्रांसफार्मरों को बदलने या सुधार करने का प्रयास किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? इसके लिए कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी है? (ग) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा भी अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री सिवनी को कई बार लिखित/मौखिक सूचना देने के बावजूद भी ट्रांसफार्मर नहीं बदले गये? क्यों कारण सहित बताएं? कब तक ट्रांसफार्मर बदलने की कार्यवाही की जावेगी?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) सिवनी जिले के केवलारी विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत दिनाँक 01.04.2014 से प्रश्न दिनाँक तक 18 जले/खराब वितरण ट्रांसफार्मरों की सूचना ग्रामीण जनता एवं जनप्रतिनिधियों से प्राप्त हुई है। ग्रामवार सूची **संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) जी हाँ। उत्तरांश (क) में उल्लेखित सभी जले/खराब वितरण ट्रांसफार्मरों को निर्धारित समय-सीमा के अन्दर ही बदल दिया गया है। (ग) विधानसभा क्षेत्र केवलारी के ग्रामों के जले/खराब हुए ट्रांसफार्मरों को बदलने के संबंध में अधीक्षण अभियंता/कार्यलपान अभियंता सिवनी को कोई लिखित अथवा मौखिक सूचना प्राप्त नहीं हुई है। तथापि उत्तरांश 'ख' में दर्शाए अनुसार प्रश्नाधीन क्षेत्र में सभी जले/खराब ट्रांसफार्मर बदल दिए गए हैं।

परिशिष्ट - "पैंतीस"

महाविद्यालय केवलारी एवं छपारा में संचालित संकाय

21. (क्र. 3100) श्री रजनीश हरवंश सिंह : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासकीय महाविद्यालय केवलारी एवं छपारा में कितने संकाय संचालित है? (ख) क्या

शासकीय महाविद्यालय केवलारी एवं छपारा में विज्ञान संकाय प्रस्तावित है? यदि हाँ, तो कब तक संकाय संचालित होगें? यदि नहीं तो क्या प्रावधान है? (ग) यदि हाँ, तो म.प्र. शासन द्वारा उसकी प्रति उपलब्ध करावें?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) शासकीय महाविद्यालय, केवलारी में कला एवं वाणिज्य संकाय तथा शासकीय महाविद्यालय, छपारा में कला संकाय संचालित है। (ख) जी नहीं। वर्तमान में शासन द्वारा पूर्व से संचालित पाठयक्रमों में गुणवत्ता विकास एवं सुद्दढ़ीकरण का कार्य किया जा रहा हैं, अतः शासकीय महाविद्यालय, केवलारी एवं शासकीय महाविद्यालय, छपारा में विज्ञान संकाय प्रारंभ किये जाने में कठिनाई हैं। (ग) "ख" के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

वि.वि. निधि की राशि पर ग्राम पंचायत के एकाउन्ट मांगना

22. (क्र. 3116) श्री मोती कश्यप : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कार्यालय जिला योजना एवं सांख्यिकी कटनी ने अपने पत्र दिनाँक 15-01-2015 द्वारा प्रश्नकर्ता से किसी संबंध में कोई जानकारी मांगी है? (ख) क्या प्रश्नकर्ता ने विधायक विकास निधि, जनसम्पर्क निधि और स्वेच्छानुदान निधि के प्रस्ताव किन्हीं तिथियों में प्रश्नांक (क) को प्रस्तुत किये हैं और उन प्रस्तावों के दिनाँक से अब तक कितनी अवधि व्यतीत हो गई है? (ग) क्या प्रश्नांश (क) कार्यालय द्वारा प्रश्नकर्ता से जानकारी मांगना कितना औचित्यपूर्ण है और क्या जिला/जनपद पंचायतों से प्राप्त नहीं की जा सकती है? (घ) क्या प्रश्नांश (ख) का किसी के द्वारा कभी प्रशासकीय अनुमोदन प्रदान कर राशि का ट्रांसफर संबंधितों के खाते में कर दिया गया है? (ड.) क्या प्रश्नांश (ख) के अनुमोदन में विलम्ब के संबंध में जाँच कर कोई कार्यवाही की गई है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) जी नहीं। (ख) जी हाँ। प्रस्ताव माह जुलाई एवं अगस्त, 2014 में प्राप्त हुए है। (ग) जानकारी नहीं मांगी गई है। केवल सुविधा हेतु सूचित किया गया है। (घ) जी हाँ। विधायक निधि में 83 कार्यों में से 34 कार्यों की स्वीकृति/राशि रू. 42.00 लाख सितम्बर, 2014 में जारी की गई। शेष 49 कार्यों की कार्यवाही प्रचलन में है। स्वैच्छा निधि 210 हितग्राहियों को रू. 2.40 लाख एवं जनसम्पर्क निधि 133 हितग्राहियों को राशि रू. 2.00 लाख माह सितम्बर, 2014 में जारी की गई। राशि संबंधित जनपद पंचायत को दी गई है एवं जनपद पंचायत द्वारा उक्त राशि का ट्रांसफर सतत रूप से ग्राम पंचायतों को किया जा रहा है। (ड.) आचार संहिता समाप्त होने के उपरांत सतत रूप से कार्यों का अनुमोदन किया जा रहा है। विलंब नहीं हुआ है।

स्थायी जाति प्रमाण पत्रधारी की पदोन्नति की वैधता

23. (क्र. 3117) श्री मोती कश्यप : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कार्यपालन यंत्री (सं/सं) म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. मण्डला ने अपने आदेश दिनाँक 13.02.2012 द्वारा किन्हीं को किन्हीं पद पर पदोन्नति प्रदान की है और उनमें से किसी को स्थायी जाति प्रमाणपत्र हेतु कभी कोई लेख किया है? संल्गन करें? (ख) क्या प्रश्नांश (क) कर्मी ने अपने पत्र दिनाँक 15.02.2012 द्वारा किन्हीं दस्तावेजों एवं तथ्यों का उल्लेख करते हुये किसी को कोई स्पष्टीकरणयुक्त लेख प्रस्तुत किया गया है? संल्गन करें? (ग) क्या सामान्य प्रशासन विभाग के स्थायी व अस्थायी जाति प्रमाणपत्रों को जारी किये जाने हेतु परिपत्र दिनाँक 01.08.1996 में प्रश्नांश (क), (ख) कर्मी जाति

प्रमाण पत्र दिनाँक के पूर्व और पश्चात में जारी हुये जाति प्रमाण पत्रों को किसी के द्वारा निरस्त किया गया है और किन्हीं प्रकार के नये जाति प्रमाणपत्र किया जाना निर्देशित किया है? (घ) क्या प्रश्नांश (क) (ख) जाति प्रमाणपत्र में प्रश्नांश (ग) दिनाँक के पूर्व किसी दिनाँक को तहसीलदार मण्डला ने अपनी लिखावट में कोई विशेष टीप लिखकर अपने हस्ताक्षर से जाति प्रमाणपत्र जारी किये जाने पर सेवा में वैध मानकर नियुक्ति प्रदान कर किन कारणों से अवैध माना जा रहा है? (ड.) क्या मा. उच्चतम न्यायालय के किसी निर्णय के परिप्रेक्ष्य में सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा वर्ष 2013 से 2014 में माझी जनजाति के जाति प्रमाण पत्र धारियों के संबंध में किन्हीं प्रकार की कार्यवाही विभाग सहित किन्हीं को निर्देशित की है और क्या प्रश्नांश (क), (ख) अधिकारी को किन आधारों पर निर्देश मान्य नहीं है?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जी हाँ, पदेन प्रबंध संचालक/कार्यपालन यंत्री (संचा./संधा.) संभाग, म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि., मण्डला के आदेश दिनाँक 13.02.2012 द्वारा 09 कार्यालय सहायक श्रेणी-तीन को कार्यालय सहायक श्रेणी-दो के पद पर पदोन्नति प्रदान की है। उक्त आदेश में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पदोन्नत कर्मचारियों को स्थायी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति एवं नोटरी द्वारा सत्यापित शपथपत्र प्रस्तुत करने हेतु लेख किया गया है। आदेश की छायाप्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -'अ' अनुसार** है। (ख) जी हाँ, उक्त पदोन्नति आदेश दिनाँक 13.02.2012 के सरल क्रमांक-7 में अंकित कर्मचारी श्री चन्द्रशेखर सिंधिया, आत्मज श्री झाड़ूलाल ने पत्र दिनाँक 15.02.2012 के साथ कार्यालय सहायक श्रेणी-दो के पद पर उपस्थिति, शपथपत्र एवं जाति प्रमाणपत्र की छायाप्रति प्रस्तुत की है। उक्त पत्र दिनाँक 15.02.2012 की छायाप्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब' अनुसार** है। (ग) जी नहीं। (घ) तहसीलदार मण्डला द्वारा श्री चन्द्रशेखर सिंधिया आत्मज श्री झाड़ूलाल को दिनाँक 12.09.1989 को जाति/वर्ग का प्रमाण पत्र जारी कर यह टीप- ''आपके द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र एवं नजूल सर्वेयर की रिपोर्ट के आधार पर जारी किया गया'' अंकित की गई है तथा उक्त प्रमाण पत्र को अवैध नहीं माना गया है। (ड.) जी हाँ। निर्देश मान्य हैं।

बगैर बिजली प्रदाय के विद्युत बिल दिया जाना

24. (क्र. 3316) श्री कालुसिंह ठाकुर : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासन की समस्त ग्रामों को फिडर सेपरेशन से जोड़ने की कार्यवाही के तहत धरमपुरी विधानसभा क्षेत्र के किन-किन ग्रामों में कार्य शेष है? (ख) क्षेत्र के मानबयडा आदि ग्रामों में काफी समय से बिजली प्रदाय नहीं होने के बावजूद वहाँ के ग्रामीण उपभोक्ताओं को किस आधार पर 3000-4000 के बकाया बिजली बिल दिये जा रहे हैं, कारण बतावें तथा फिडर सेपरेशन से वंचित ग्रामों को कब तक जोड़कर नियमित विद्युत प्रदाय प्रारंभ कर दिया जावेगा, बतावें?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) धरमपुरी विधानसभा क्षेत्र के **संलग्न परिशिष्ट में दर्शाए अनुसार** 99 ग्रामों में फीडर सेपरेशन योजना के अन्तर्गत कार्य शेष है। (ख) धरमपुरी विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत धामनोद शहर वितरण केन्द्र से सम्बद्ध मानबयड़ा एवं अन्य 04 ग्रामों (पलासिया, देहेबार, निमरानि एवं बैगंदा) में फीडर सेपरेशन का कार्य पूर्ण किया जा कर ग्रामों में गैर-कृषि उपयोग हेतु 24:00 घण्टे बिजली प्रदाय की जा रही है। उपभोक्ताओं द्वारा विद्युत देयकों की राशि जमा नहीं करने के कारण, बकाया राशि बिलों में परिलक्षित हो रही है। प्रश्नाधीन क्षेत्र में फीडर

सेपरेशन में अपूर्ण कार्यों वाले ग्रामों के कार्य जून-2015 तक पूर्ण किया जाना संभावित है तथापि इन ग्रामों को वर्तमान में 24:00 घण्टे नियमित विद्युत प्रदाय किया जा रहा है।

परिशिष्ट - "छत्तीस"

महाविद्यालयों में रिक्त पदों की पूर्ति

25. (क्र. 3344) श्री अनिल फिरोजिया : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन संभाग के महाविद्यालयों में कौन-कौन से एवं कितने-कितने पद कब से रिक्त है? (ख) रिक्त पदों की पूर्ति के अभाव में क्या शैक्षणिक कार्य प्रभावित नहीं हो रहा है? (ग) रिक्त पदों की पूर्ति हेतु शासन क्या कार्यवाही कर रहा है? (घ) उक्त रिक्त पद कब तक भरे जावेंगे?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) विषयवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) जी नहीं, महाविद्यालय का अध्यापन कार्य अतिथि विद्वानों से कराया जा रहा है। (ग) सहायक प्राध्यापक के समग्र रिक्त पदो की पूर्ति हेतु लोक सेवा आयोग द्वारा दिनाँक 09.07.2014 को विज्ञापन जारी किया जा चुका है। (घ) पूर्ति हेतु निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

टोककलॉ में चल रही अवैध खनन की जांचें

26. (क्र. 3354) श्री राजेन्द्र फूलचन्द वर्मा : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सोनकच्छ विधानसभा के ग्राम टोंककला में भू-माफियों द्वारा अवैध रूप से खदानों से खनन किया जा रहा है? (ख) क्या ऐसे व्यक्तियों की जाँच कर दोषियों के खिलाफ कोई ठोस कार्यवाही की गई या नहीं? यदि हाँ, तो विगत दो वर्ष में किन-किन के खिलाफ कितने प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की गई है? (ग) क्या सोनकच्छ विधानसभा में हो रहे खदानों में अवैध उत्खनन पर रोक लगाने तथा भू-माफिया व उनके साथ लिप्त दोषी अधिकारियों की जाँच कर उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जायेगी या नहीं?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) सोनकच्छ विधानसभा के ग्राम टोककला में भू-माफियों द्वारा अवैध रूप से खनन किये जाने संबंधी कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है। (ख) टोककला में कोई शिकायत नहीं है किन्तु सोनकच्छ विधानसभा के अन्य क्षेत्रों में अवैध खनन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 247 (7) के तहत नियमानुसार प्रकरण कायम किये गये हैं जिसका विवरण **संलग्न परिशिष्ट** पर है। (ग) कोई अधिकारी दोषी नहीं है, अत: कार्यवाही का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

परिशिष्ट - "सैंतीस"

अस्थायी पम्प कनेक्शन को स्थायी में बदलना

27. (क्र. 3420) श्री चम्पालाल देवड़ा : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने 11 अस्थायी पम्प कनेक्शन को स्थायी पम्प कनेक्शन में बदलने का अभियान शुरू किया है यदि हाँ, तो इसमें क्या-क्या प्रावधान है किसानों को क्या-क्या कार्यवाही करना पड़ेगी? (ख) फरवरी 2015 की स्थिति में रायसेन जिले में अस्थायी पम्प कनेक्शन धारियों की तहसीलवार संख्या बतायें उक्त योजना के प्रचार-प्रसार हेतु क्या-क्या कार्यवाही की जा रही है? (ग) रायसेन जिले में विभाग में कार्यरत कर्मचारियों के नाम-निवास का पता-पद सहित सूची

दे उनमें से ऐसे कितने कर्मचारी है जो विगत 15 वर्ष से जिले में पदस्थ है? (घ) कंपनी/विभाग में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा सम्पत्ति का ब्यौरा देने के संबंध में क्या-क्या निर्देश है उनकी प्रति दें?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जी हाँ। अस्थाई पंप कनेक्शन को स्थाई में परिवर्तित करने हेतु उपभोक्ताओं को आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज यथा-खसरा/खतौनी, टेस्ट रिपोर्ट एवं जल उपलब्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना है। सर्वे के उपरांत अगर विद्यमान एल.टी. लाईन से पंप की दूरी 150 फीट तक है तो उपभोक्ता द्वारा आवश्यक राशि जमा करने सहित समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण करने पर स्थायी पंप कनेक्शन प्रदान किया जाता है। यदि यह दूरी 150 फीट से अधिक होती है तो कृषकों को अनुदान योजना के अंतर्गत लाईन विस्तार कर, विद्युत कनेक्शन देने की कार्यवाही की जाती है। (ख) फरवरी 2015 की स्थिति में रायसेन जिले में अस्थायी पंप कनेक्शनों की तहसीलवार संख्या निम्नानुसार है :-

क्रमांक	तहसील का नाम	अस्थाई पंप कनेक्शनों की संख्या
1	रायसेन	2868
2	गौहरगंज	2982
3	बेगमगंज	909
4	गैरतगंज	1400
5	सिलवानी	1328
6	बरेली	1574
7	उदयपुरा	2544
8	बाड़ी	464
9	सुल्तानपुर	821

उक्त योजना के प्रचार-प्रसार हेतु वितरण केन्द्र कार्यालय सहित ग्रामीण क्षेत्र स्तर तक पम्पलेट छपवाकर लगाये गये हैं, साथ ही अधिकारियों/लाईन कर्मचारियों द्वारा किसानों को योजना की व्यक्तिगत रूप से भी जानकारी दी जा रही है तथा वितरण केन्द्र स्तर पर शिविर लगाकर भी जानकारी दी जा रही है। (ग) रायसेन जिले में म.प्र.मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कुल 515 कर्मचारी कार्यरत हैं जिनके नाम, निवास का पता एवं पद सहित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार** है। उक्त में से 238 कर्मचारी 15 वर्षों से रायसेन जिले में पदस्थ हैं, जिनका विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब' अनुसार** है। (घ) मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा संपत्ति का ब्यौरा देने के संबंध में म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल द्वारा पत्र क्रमांक सी- 5,1/2010/3/एक/दिनाँक 29.12.2010 द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जाती है, साथ ही म.प्र.शासन ऊर्जा विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-3/25/2015/13/902 दिनाँक 02.02.2015 द्वारा जारी निर्देशों का

भी पालन किया जाता है। उक्त निर्देशों की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'स' एवं 'द' अनुसार** है।

<u>महाविद्यालय में पृथक प्राचार्य एवं प्राध्यापक तथा अन्य कर्मियों की नियुक्ति</u>

28. (क्र. 3461) श्रीमती ममता मीना : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गुना जिले में शासकीय एवं प्रायवेट कितने उच्च शिक्षा के महाविद्यालय हैं कितने विधि महाविद्यालय है उनमें कितने प्राचार्य एवं प्राध्यापकों को एवं कर्मचारी के पद स्वीकृत एवं कितने रिक्त है कब तक भरे जायेंगे? (ख) क्या गुना के विधि महाविद्यालय में पृथक प्राचार्य का कोई पद स्वीकृत हुआ है यदि हाँ, तो उस पर किसकी नियुक्ति की है छात्रों के हित में पृथक प्राचार्य एवं स्वीकृत प्राध्यापक की नियुक्ति कब और कैसे करेंगे? (ग) क्या गुना जिले में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कोई नवीन महाविद्यालय खोलने का प्रस्ताव है क्या आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में उच्च शिक्षा के लिए कोई कार्य योजना हैं? (घ) क्या उच्च शिक्षा मंत्रालय के आदेश क्र. एफ-21-1/2013/38-2 दिनाँक 5/8/13 एवं जीवाजी विश्वविद्यालय की अधिसूचना क्र. एफ/सम्बद्धता/2014/1532 दिनाँक 28/1/2014 को विधि महाविद्यालय गुना के स्थाई पृथक प्राचार्य नियुक्ति के आदेश हुए थे यदि हाँ, तो कब तक नियुक्ति होगी अभी तक क्यों नहीं हुई कौन दोषी है?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) गुना जिले में 07 शासकीय, 06 अशासकीय तथा 01 विधि महाविद्यालय संचालित है। शेष **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) जी हाँ। पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही प्रचलन में हैं। समय-सीमा बताना संभव नहीं हैं, विधि महाविद्यालय गुना के प्राचार्य का प्रभार, प्राचार्य, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गुना के पास है। (ग) जी नहीं। वर्तमान में पूर्व से संचालित महाविद्यालयों के सुदृढ़ीकरण करने एवं उनके विकास का कार्य किया जा रहा है। अतः गुना जिले में आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में नवीन महाविद्यालय खोले जाने में कठिनाई है। (घ) जी हाँ। प्रश्नांश "ख" के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>उद्योगों के बकाया बिजली बिल</u>

29. (क्र. 3599) श्री यशपालसिंह सिसौदिया : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इंदौर, उज्जैन राजस्व संभाग में ऐसे कितने औद्योगिक विद्युत कनेक्शन है, जिन पर माह दिसंबर 2014 की स्थिति में रूपये 10 लाख अथवा अधिक की राशि बकाया है? सूची जिलेवार उपभोक्तावार प्रस्तुत करें? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित औद्योगिक कनेक्शनों पर बिजली का बिल बकाया होने के बावजूद भी किस-किस उद्योग का विद्युत संयोजन चालू है? यदि हाँ, तो उद्योग द्वारा बिजली बिल बकाया होने के कितने दिनों पश्चात विद्युत कनेक्शन विच्छेद किये जाने का प्रावधान है? नियमों की प्रतिलिपि उपलब्ध कराएं? (ग) वित्तीय वर्ष 2014-15 (जनवरी-2015) में उज्जैन राजस्व संभाग में कितने औद्योगिक श्रेणी के विद्युत कनेक्शनों में विद्युत चोरी के प्रकरण बनाये गये हैं? ऐसे चोरी के प्रकरणों की सूची उपलब्ध कराते हुए प्रकरण की अद्यतन स्थिति की जानकारी दें तथा बताएं कि क्या प्रकरण पुलिस को सौंप दिये गये हैं? क्या विद्युत कंपनी के अधिकारियों की मिली भगत से कंपनी को चूना लगाकर उद्योगों को विद्युत प्रदाय को लेकर फायदा पहुंचाया जा रहा है? यदि नहीं तो एक ही अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र से संबद्ध वितरण कंपनी के संभागीय कार्यालय में जनवरी-2015 की स्थिति में दो वर्ष से अधिक समय से पदस्थ प्रथम श्रेणी के अधिकारियों की सूची प्रस्तुत करें? (घ) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित संभागों में प्रश्न दिनाँक तक कितने

अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्रों में 24.00 घण्टे विद्युत प्रदाय किया जाता है? औद्योगिक क्षेत्रवार सूची प्रस्तुत करें?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) इन्दौर एवं उज्जैन राजस्व संभाग में स्थित ऐसे औद्योगिक विद्युत कनेक्शन जिन पर माह दिसम्बर-2014 की स्थिति में रू.10 लाख अथवा अधिक की राशि बकाया है, की इन्दौर राजस्व संभाग एवं उज्जैन राजस्व संभाग की जिलेवार एवं उपभोक्तावार सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ-1' एवं 'अ-2' अनुसार** है। (ख) प्रश्नांश ''क'' में उल्लेखित औद्योगिक कनेक्शनों पर बिजली बिल का बकाया होने के बाद भी जिन उद्योगों का विद्युत संयोजन चालू है, से संबंधित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ-1' एवं 'अ-2' अनुसार** है। विद्युत प्रदाय संहिता-2013 के अध्याय-9 (पेमेंट एण्ड डिस्कनेक्शन) की कंडिका 9.14 के तहत् लिखित में 15 दिन की सूचना नोटिस की अवधि के उपरांत कनेक्शन विच्छेद किये जाने का प्रावधान है, नियम की छायाप्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** है। (ग) वित्तीय वर्ष 2014-15 (जनवरी-2015 तक) में उज्जैन राजस्व संभाग के अन्तर्गत 42 औद्योगिक श्रेणी के विद्युत कनेक्शनों में विद्युत चोरी के प्रकरण पकड़े गये हैं, उक्त चोरी के प्रकरणों की अद्यतन स्थिति सहित सूची एवं प्रकरण पुलिस को सौंपे जाने संबंधी जानकारी सहित विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'स' अनुसार** है। जी नहीं, नियमानुसार विद्युत प्रदाय किया जा रहा है। इन्दौर एवं उज्जैन राजस्व संभाग में अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र से सम्बद्ध वितरण कंपनी के संभागीय कार्यालय में जनवरी-2015 की स्थिति में 02 वर्ष से अधिक समय से पदस्थ प्रथम-श्रेणी के अधिकारियों की सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'द-1' एवं प्रपत्र-'द-2' अनुसार** है। (घ) इन्दौर एवं उज्जैन राजस्व संभाग में प्रश्न दिनाँक तक राज्य शासन द्वारा अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्रों में 24:00 घण्टे विद्युत प्रदाय किया गया है। औद्योगिक क्षेत्रवार सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'ई'** में है।

राजीव गांधी विद्युतीकरण योजनांतर्गत विद्युत कनेक्शन का प्रदाय

30. (क्र. 3604) श्री यशपालसिंह सिसौदिया : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राजीव गांधी ग्राम विद्युतीकरण योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को नि:शुल्क विद्युत कनेक्शन दिए जा रहे हैं? यदि हाँ, तो रतलाम, मंदसौर, नीमच जिले में कितना लक्ष्य रखा गया था तथा कितने परिवार लाभान्वित हुए तथा कितनो की पूर्ति कर ली गई है? (ख) क्या उक्त नि:शुल्क योजना में ठेकेदार (निजी) द्वारा हितग्राहियों से पैसा वसूलने की शिकायत प्राप्त हुई? यदि हाँ, तो कितनी शिकायते प्राप्त हुई उस पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? (ग) ठेकेदार द्वारा घटिया सामग्री एवं पोल को लेकर कितनी शिकायते कहाँ-कहाँ पर दर्ज की गई तथा क्या अधिकारियों से सांठ-गांठ कर उक्त नि:शुल्क विद्युत कनेक्शन में ठेकेदार को फायदा पहुंचाया जा रहा है? यदि नहीं तो इस कार्य का किस-किस उच्च अधिकारी ने सत्यापन किया?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जी हाँ। रतलाम, मंदसौर एवं नीमच जिलों हेतु स्वीकृत योजनाओं में क्रमश: 36199, 20580 एवं 8558 नि:शुल्क बी.पी.एल. विद्युत कनेक्शन देने का प्रावधान है जिसके विरूद्ध दिनाँक 31.01.2015 की स्थिति में रतलाम जिले में 33550, मंदसौर जिले में 1580 एवं नीमच जिले में 985 बी.पी.एल हितग्राहियों को नि:शुल्क विद्युत कनेक्शन दिये जा

चुके हैं। (ख) जी नहीं, अत: प्रश्न नहीं उठता। (ग) ठेकेदार द्वारा घटिया सामग्री एवं पोल का उपयोग करने से संबंधित कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। जी नहीं, योजनांतर्गत नियमानुसार कार्य किया जा रहा है, अत: किसी व्यक्ति विशेष के लाभान्वित होने का प्रश्न नहीं उठता। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में उपयोग की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता की जाँच वितरण कंपनी के अधिकारियों द्वारा सामग्री निर्माता की फैक्ट्री में की जाती है तथा सामग्री की गुणवत्ता भारतीय मानकों के अनुरूप होना सुनिश्चित की जाती है। तदुपरांत सामग्री ठेकेदार के मैदानी स्टोर में प्राप्त होने पर वितरण कंपनी के अधिकारियों द्वारा औचक नमूना लेकर एन.ए.बी.एल. प्रमाणित लैब में जाँच कराई जाती है तथा निर्धारित मानकों के अनुरूप पाये जाने पर ही सामग्री का उपयोग किया जाता है। प्रश्नाधीन क्षेत्र में कार्यों की गुण्वत्ता सुनिश्चित करने हेतु तृतीय पक्ष निरीक्षण एजेंसी मेसर्स इलेक्ट्रिकल रिसर्च एण्ड डेव्हलपमेंट एसोसिएशन, बड़ौदा को अनुबंधित किया गया है।

मुख्यमंत्री की विदेश यात्रा

31. (क्र. 3648) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जन. 2014 से फर. 2015 तक मुख्यमंत्री द्वारा किस-किस देश की यात्रा, किस-किस अवधि तक की गई? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित यात्रा में मुख्यमंत्री के साथ कौन-कौन अधिकारी, कर्मचारी, मीडियाकर्मी, मंत्री गये थे? उनकी यात्रा अनुसार सूची देवें? (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित यात्रा के संदर्भ में शासन को प्रस्तुत रिपोर्ट की जानकारी उपलब्ध करावें? (घ) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित यात्रा में आये खर्च की यात्रा अनुसार बतावें?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

कृषि उत्पादन में गिरावट

32. (क्र. 3734) श्री मुकेश नायक : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सही है कि 2004-05 से 2015 तक राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का अंशदान लगातार कम हो रहा है? यदि हाँ, तो इसके कारण क्या है? (ख) वर्ष 2004-05 में कृषि विकास दर शून्य प्रतिशत, 2007-2008 में ऋणात्मक -2.44 प्रतिशत और 2010-2011 में ऋणात्मक -1.59 प्रतिशत रही? यदि हाँ, तो इसके क्या कारण है? (ग) राज्य में हाल ही के कुछ वर्षों में कृषि विकास दर में उछाल के क्या कारण है? (घ) राज्य में पिछले तीन वर्षों में किन मुख्य फसलों के उत्पादन में कमी आयी है और इसके क्या कारण है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) वर्ष 2006-07 से वर्ष 2010-11 तक कृषि क्षेत्र के अंशदान में कमी परिलक्षित हुई है तथा वर्ष 2011-12 से वर्ष 2014-15 (अग्रिम) अनुमानों के अनुसार कृषि क्षेत्र के अंशदान में लगातार वृद्धि अनुमानित है। (ख) आधार वर्ष 2004-05 होने के कारण उक्त वर्षा से प्रतिशत वृद्धि आंकलित नहीं की जाती है। वर्ष 2007-08 में विकास दर-1.77 प्रतिशत एवं वर्ष 2010-11 में 0.17 प्रतिशत रही है। केवल वर्ष 2007-2008 में विकास दर ऋणात्मक होने का कारण उत्पादन में कमी होना है। (ग) प्रमुख फसलों के उत्पादन में वृद्धि होना है। (घ) वर्ष, 2013-14 में चना एवं सोयाबीन की फसल के उत्पादन में कमी प्रतिकूल मौसम के कारण परिलक्षित हुई है।

एन.जी.टी (ग्रीन बैल्ट) द्वारा उत्खननों में अनुमति

33. (क्र. 3736) श्री मुकेश नायक : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या एन.जी.टी (ग्रीन बैल्ट) द्वारा सभी तरह के उत्खननों में सिया की अनुमति प्राप्त किये जाने के निर्देश दिये हैं? (ख) यदि हाँ, तो लोक निर्माण विभाग, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क द्वारा जो निर्माण कार्य कराये जा रहे हैं में जो खनिजों का उपयोग किया जाता है, के लिये निमयानुसार स्वीकृति प्राप्त की गई है अथवा नहीं? (ग) यदि स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई है और निर्माण कार्यों में अवैध रूप से जो खनिजों का उपयोग किया गया है ऐसे ठेकेदारों से रायल्टी ली गई है अथवा नहीं? यदि हाँ, तो अवैध रूप से उत्खनन कर जो खनिजों का उपयोग किया गया है में क्या रायल्टी लेने का प्रावधान हैं? (घ) यदि रायल्टी लेने का प्रावधान नहीं है तो किस आधार पर रायल्टी ली गई है और ऐसे ठेकेदारों के अन्तिम भुगतान के पूर्व क्या संबंधित विभाग से बकाया रहित प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है? यदि नहीं तो क्यों? इसके लिये कौन उत्तरदायी है?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>निर्माण कार्यों में खनिजों का उपयोग</u>

34. (क्र. 3737) श्री मुकेश नायक : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन द्वारा खनिज नियमों में जो खनिजों का उपयोग निर्माण कार्यों में किया जाता है, तथा जो खनिज स्वीकृत खदानों से अथवा बाजार से क्रय किया जाता है? क्रय खनिजों के बिल संबंधित विभाग में प्रस्तुत किये जाते हैं, उसके सत्यापन कराने का प्रावधान किया है? (ख) यदि हाँ, तो जल संसाधन, वन मण्डलाधिकारी उत्तर/दक्षिण द्वारा निर्माण कार्यों में जो खनिजों का उपयोग किया गया है, उनके बिलों का सत्यापन संबंधित विभाग से करवाया गया है अथवा नहीं? (ग) यदि सत्यापन कराये बिना भुगतान किया गया है, तो शासन को राजस्व की हानि नहीं हुई है, तथा नियमों के विरूद्ध बिलों का बिना सत्यापन कराये/बकाया रहित प्रमाण पत्र लिये बिना भुगतान करने वालों के विरूद्ध शासन कार्यवाही करेगी? यदि हाँ, तो कब तक?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>उद्वहन सिंचाई योजना का प्रारम्भ</u>

35. (क्र. 3738) श्री मुकेश नायक : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पन्ना जिले में जल संसाधन विभाग द्वारा बुंदेलखण्ड पैकेज एवं अन्य मदों से राशि का व्यय कर क्या जिले के अंतर्गत निर्मित जल उद्वहन योजना को प्रारंभ करने की कोई कार्यवाही की गई है? यदि हाँ, तो किस उद्वहन योजना में कब तथा कितनी राशि का उपयोग कर सिंचाई के उपयोग में लाया जा रहा है? (ख) क्या पन्ना जिले में स्थापित जल उद्वहन की सिंचाई योजनाओं में शासन की राशि खर्च होने के बावजूद भी जनता को इसका कोई लाभ नहीं मिला? यदि हाँ, तो शासन की दुरूपयोग की गई राशि के लिये किसे जिम्मेदार माना जाएगा? (ग) क्या जिले में स्थापित जल उद् वहन योजनाओं में प्रत्येक उद्वहन योजनाओं में कीमती मशीनरी अनुपयोगी रूप में पड़ी हुई है? यदि हाँ, तो बतायें कि किस उद् वहन योजना में कितनी लागत से क्रय की गई कौन-कौन सी मशीनें स्थापित हैं, तथा इनको उपयोग में लाने के लिये अथवा इन उद्वहन योजनाओं को उपयोगी बनाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है? (घ) क्या रीवा जिले तथा दमोह जिले में संचालित इन उद् वहन योजनाओं को शासन द्वारा इनके विद्युत देयकों का भुगतान कर चालू कर दिया गया है? यदि

हाँ, तो पन्ना जिले की सिंचाई उद्वहन योजनाओं को चालू करने के लिए यह कार्यवाही क्यों नहीं की गई?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) पन्ना जिले में निर्मित उद्वहन सिंचाई परियोजनाओं को प्रारंभ करने के लिए विगत 3 वर्षों में व्यय नहीं किया गया है। प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होता है। (ख) कृषकों द्वारा विद्युत शुल्क के अंशदान का भुगतान नहीं करने के कारण उद्वहन सिंचाई परियोजनाएं संचालित करना संभव नहीं हुआ है। (ग) जी हाँ, **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। परियोजनाओं का संचालन कृषकों द्वारा विद्युत शुल्क के अंशदान के भुगतान करने पर निर्भर है। (घ) प्रदेश की जिन उद्वहन सिंचाई परियोजनाओं में लाभान्वित कृषकों द्वारा विद्युत शुल्क का अंशदान जमा कराया गया उन्हें चालू करने के लिए अनुमति दी गयी है। कृषकों द्वारा विद्युत शुल्क का अंशदान जमा करने पर परियोजना चालू करने की नीति सम्पूर्ण प्रदेश के लिए है।

<u>परिशिष्ट - "अड़तीस</u>"

<u>जिला कोषालय में प्राप्त शिकायत</u>

36. (क्र. 3770) श्री सज्जन सिंह उईके : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या गत एक माह में जिला कोषालय बैतूल को श्री राजेश ओझा के द्वारा जिला पंचायत बैतूल में वित्तीय अधिकारों के दुरूपयोग एवं संविदा कर्मियों को किए गए भुगतान की लिखित शिकायत प्राप्त हुई हैं? (ख) यदि हाँ, तो किस दिनाँक को क्या-क्या वित्तीय अनियमितता किए जाने की शिकायत जिला कोषालय को प्राप्त हुई, उस शिकायत की जाँच किस दिनाँक को किसे दी गई? (ग) जिला पंचायत के कौन-कौन से वित्तीय अधिकार अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी को एवं कौन से अधिकार संविदाकर्मियों को दिए जाने के प्रावधान हैं, किस नियम में संविदाकर्मी को संविदा अवधि में वृद्धि किए बिना मानदेय भुगतान के प्रावधान हैं? (घ) राजेश ओझा की शिकायत की जाँच कोषालय कब तक कर कार्यवाही करेगा?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) जी नहीं। जिला कोषालय बैतूल में लिखित शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। (ख) प्रश्नांश क के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) एवं (घ) प्रश्नांश "क" के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>सारनी पावर हाऊस को आवंटित भूमि</u>

37. (क्र. 3771) श्री सज्जन सिंह उईके : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सारनी पावर हाऊस के लिए प्रदान की गई भूमि पर राजपत्र में आल राइट्स की अधिसूचना का प्रकाशन किए बिना एवं शासन से भूमि का आवंटन आदेश प्राप्त किए बिना ही पावर हाऊस प्रबंधन की अनापत्ति के आधार पर तवा वन खदान का संचालन किया जा रहा हैं? (ख) यदि हाँ, तो किस दिनाँक को तवा वन खदान हेतु कितनी जमीन की अनापत्ति किन-किन शर्तो पर प्रदाय की गई थी? इस भूमि पर कितने आवासों के निर्माण की अनापत्ति किस दिनाँक को पावर हाऊस प्रबंधन या विद्युत मंडल मुख्यालय के द्वारा दी गई? तवा वन के संबंध में राजपत्र में सी.बी.ए एक्ट के तहत आल राइट्स की अधिसूचना का किस दिनाँक को प्रकाशन किया गया? (ग) तवा वन विभाग खदान हेतु दी गई अनापत्ति के बाद तवा खदान कब प्रारम्भ की गई इस भूमि पर कितने आवासों के निर्माण का कार्य आदेश किस दिनाँक को दिया गया? यह भूमि कोयला कंपनी को किस आदेश से किस दिनाँक को पावर हाऊस प्रबंधन या राज्य शासन ने आवंटित की? (घ) तवा वन खदान एवं

आवासीय परिसर हेतु प्रश्नांकित तिथि तक भी भूमि का विधिवत आवंटन आदेश जारी न किए जाने का क्या कारण हैं? कब तक भूमि का कोयला कंपनी को आवंटन आदेश प्रदान कर दिया जावेगा?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र दिनाँक 05.01.1968 के द्वारा अनारक्षित घोषित कर पूर्ववर्ती म.प्र.वि.मंडल को सतपुड़ा ताप विद्युत गृह सारनी के निर्माण हेतु स्थाई रूप से हस्तांतरित की गई भूमि में से कुछ भूमि वेस्टर्न कोल फील्डस लिमिटेड को लीज पर हस्तांतरित करने हेतु औपचारिकताएँ पूर्ण करने तक व सतपुड़ा ताप विद्युत गृह को कोयला प्रदान करने हेतु तवा भूमिगत खदान परियोजना प्रारंभ करने बावत् अनापत्ति जारी की गई थी, जिस पर तवा खदान का संचालन वेस्टर्न कोल फील्ड द्वारा किया जा रहा है। (ख) पूर्ववर्ती म.प्र.विद्युत मंडल के पत्र दिनाँक 11.02.1992 के द्वारा 4.656 हेक्टेयर भूमि एवं पत्र दिनाँक 10.10.1995 के द्वारा 5.534 हेक्टेयर भूमि की अनापत्ति, मेसर्स वेस्टर्न कोल फील्डस लिमिटेड को लीज पर हस्तांतरित करने हेतु औपचारिकताएँ पूर्ण करने तक एवं सतपुडा ताप विद्युत गृह, सारनी को कोयला प्रदान करने हेतु तवा भूमिगत खदान परियोजना चालू करने हेतु दी गई थी। अनापत्ति में आवास निर्माण का पृथक से कोई उल्लेख नहीं किया गया था। उक्त भूमि पूर्ववर्ती म.प्र.विद्युत मंडल के पक्ष में स्थाई रूप से हस्तांतरित भूमि है। म.प्र.शासन के राजपत्र दिनाँक 05.01.1968 के द्वारा अनारक्षित घोषित कर म.प्र.वि.मंडल को सतपुडा ताप विद्युत गृह सारनी के निर्माण हेतु हस्तांतरित है एवं व्यपवर्तन के पश्चात् भूमि को स्वरूप बदलने के कारण उक्त भूमि, वन में नहीं है। तवा वन के संबंध में राजपत्र में सीबीए एक्ट के तहत् आलराइट की अधिसूचना प्रकाशित नहीं की गई है। (ग) तवा वन खदान हेतु दी गई अनापत्ति के बाद तवा खदान वर्ष 1992 से संचालित है। मेसर्स वेस्टर्न कोल फील्डस लिमिटेड को लीज पर हस्तांतरित अनापत्ति में आवास निर्माण का कोई उल्लेख नहीं किया गया था। मेसर्स वेस्टर्न कोल फील्डस लिमिटेड, बैतूल द्वारा सूचित किया गया है कि इस भूमि पर 133 आवासों के निर्माण हेतु कार्यादेश दिनाँक 13.11.1996 को दिया गया था, किन्तु विविध कारणों से आवासों का निर्माण नहीं हुआ। (घ) सारनी पावर हाऊस हेतु वन विभाग द्वारा डिनोटिफाईड कर अंतरित की गई भूमि मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र दिनाँक 05.01.1968 के द्वारा अनारक्षित घोषित कर पूर्ववर्ती म.प्र.विद्युत मंडल को सतपुड़ा ताप विद्युत गृह, सारनी के निर्माण हेतु स्थाई रूप से हस्तांतरित भूमि है, जिसमें उक्त भूमि का अनापत्ति प्रमाणपत्र केवल तवा भूमिगत खदान परियोजना चालू करने हेतु किया गया था। कोयला कंपनी को भूमि का आवंटन प्रक्रियाधीन है।

अवैध रेत का भण्डारण

38. (क्र. 3817) प्रो. संजीव छोटेलाल उइके : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मण्डला जिले के विकासखण्ड बिछिया के ग्राम बरबसपुर में खनिज विभाग द्वारा अवैध रेत का भण्डारण जब्त किया गया था, यह कितने घनमीटर थी और किसकी अभिरक्षा में रखा गया? (ख) यह भण्डारण किसके द्वारा किया गया था, नाम पता सहित बतायें एवं वर्तमान समय में जब्त रेत की भौतिक स्थिति क्या है? (ग) उक्त जब्त रेत का कहाँ और कैसे उपयोग किया जायेगा?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

आई.टी.आई. में रिक्त पदों को पूर्ति

39. (क्र. 3849) श्रीमती पारूल साहू केशरी : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर जिले के अंतर्गत कुल कितने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई.टी.आई.) एवं कौशल विकास केन्द्र कहाँ-कहाँ संचालित हैं, और इनमें कौन-कौन से ट्रेड स्वीकृत हैं और प्रत्येक संस्थान में कितने-कितने और कौन-कौन से संवर्ग के पद स्वीकृत कार्यरत एवं रिक्त हैं, तथा कितने प्रशिक्षक अथवा अनुदेशक संविदा के आधार पर एवं अतिथि के रूप में पदस्थ है? संस्थावार जानकारी देवें? (ख) इन आई.टी.आई. में स्वीकृत ट्रेडों में से कौन-कौन से ट्रेड संचालित हैं और कौन-कौन से ट्रेड अनुदेशक एवं प्रशिक्षक के पद रिक्त रहने से बंद पड़े हुये हैं? ट्रेड कब से बंद हैं? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में किस-किस आई.टी.आई. एवं कौशल विकास केन्द्रों में संचालित ट्रेडों में से किस-किस ट्रेड में कितने-कितने छात्र एवं छात्रायें प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे है? (घ) जिले के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में रिक्त पदों की पूर्ति कब तक करायी जावेगी?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क), (ख) एवं (ग) कुल 05 शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एवं 04 कौशल विकास केन्द्र संचालित है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट एक, दो, तीन एवं चार अनुसार** है। (घ) समय सीमा बताई जाना संभव नहीं है।

शासकीय सेवकों को तृतीय समयमान वेतनमान का प्रदाय

40. (क्र. 3850) श्रीमती पारूल साहू केशरी : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के द्वारा लिपिक संवर्ग के शासकीय सेवकों के लिये 1 जुलाई 2014 से तृतीय समयमान वेतनमान दिये जाने के आदेश जारी कर दिये हैं? आदेश की प्रति बतायें? (ख) यदि हाँ, तो आदेश के परिपालन में अब तक मध्यप्रदेश के किन-किन विभागों ने अपने विभाग अंतर्गत लिपिकों को तृतीय समयमान वेतनमान का लाभ दे दिया है और किन-किन विभागों के द्वारा अपने अधीनस्थ लिपिकों को तृतीय समयमान वेतनमान का लाभ नहीं दिया गया है? (ग) प्रश्नांश कंडिका (ख) के परिप्रेक्ष्य में शेष लिपिक संवर्ग के कर्म. को कब तक तृतीय समयमान वेतनमान का लाभ दिया जावेगा?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) जी हाँ। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) आदेश के पालन में निर्धारित मापदण्ड अनुसार विभाग अपने अंतर्गत आने वाले लिपिको को तृतीय समयमान का लाभ देना अथवा नहीं देना सुनिश्चित करते है। (ग) निर्धारित मापदण्ड/ योग्यता की पूर्ति करने वाले लिपिक संवर्ग को लाभ प्राप्त है। अत: प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "उनतालीस"

गाडरवारा में पालिटेक्निक महाविद्यालय खोलने के मापदण्ड

41. (क्र. 3924) श्री गोविन्द सिंह पटेल : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पालिटेक्निक महाविद्यालय खोले जाने के संबंध में शासन के क्या मापदण्ड है? (ख) गाडरवारा क्षेत्र में बढ़ते हुये उद्योगों को दृष्टिगत रखते हुये विभाग कोई पालिटेक्निक महाविद्यालय खोलने पर विचार करेगा?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली द्वारा प्रत्येक वर्ष जारी किए जाने वाली अप्रूवल प्रोसेस हेण्ड बुक में शासकीय/निजी क्षेत्र में

पोलीटेकनिक खोलने के मापदण्ड निर्धारित है। राज्य शासन के पृथक से मापदण्ड नहीं है। (ख) वर्तमान में राज्य शासन की गाडरवारा क्षेत्र में पोलीटेकनिक महाविद्यालय खोलने की कोई योजना नहीं है।

विद्युत शिकायतों कि जानकारी

42. (क्र. 4000) श्री मधु भगत : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बालाघाट जिले के ग्रामीण विद्युत उपभोक्ताओं से विद्युत खपत से कई गुना अधिक के विद्युत देयक देने की कितनी शिकायतें विभाग को 01.04.2014 से प्रश्न दिनाँक तक प्राप्त हुई है? वितरण केन्द्रवार जानकारी देवें? (ख) क्या बालाघाट जिले के घरेलु विद्युत उपभोक्ताओं से कई गुना अधिक राशि के विद्युत देयक विभाग द्वारा दिये एवं वसूले जा रहे है? (ग) क्या खपत से अधिक के विद्युत देयक के वितरण वसूली पर रोक लगाने के लिए शासन स्तर से पहल की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक कार्यवाही की जावेगी?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) बालाघाट जिले में ग्रामीण विद्युत उपभोक्ताओं से दिनाँक 01.04.2014 से प्रश्न दिनाँक तक गलत रीडिंग, गलत पंचिग एवं अन्य कारणों से त्रुटिपूर्ण बिजली के बिल दिये जाने की कुल 3539 शिकायतें प्राप्त हुयीं हैं, जिनका समय-सीमा में निराकरण कर उपभोक्ताओं को संशोधित विद्युत देयक दिये गये हैं। उक्तानुसार प्राप्त शिकायतों का वितरण केन्द्रवार विवरण **संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) जी नहीं, उपभोक्ताओं को म.प्र.विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी दर आदेश के अनुसार ही विद्युत देयक दिए जा रहे हैं तथा तदनुसार ही देयक की राशि जमा कराई जा रही है। (ग) उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता।

परिशिष्ट - "चालीस"

सम्पत्ति की जानकारी

43. (क्र. 4001) श्री मधु भगत : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बालाघाट जिले में जल संसाधन विभाग की कौन-कौन सी अचल सम्पत्ति अर्थात् भवन भूमि है जहाँ पर विभाग के कार्यालय या शासकीय क्वार्टर इत्यादि है? स्थान का नाम, रकबा, संख्या, कब्जेदार का नाम और कब्जा कब से है तिथि बताये? (ख) उक्त संपत्ति के मैंटेनेंस मद में पिछले तीन वर्षों में कब-कब कितनी राशि व्यय की गई? जिस संपत्ति पर राशि व्यय की गई उसका नाम, स्थान, राशि बताये?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) एवं (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है।

जल संसाधन विभाग द्वारा निर्मित योजना

44. (क्र. 4009) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ विधान सभा क्षेत्र में विगत 3 वर्षों में जल संसाधन विभाग द्वारा निर्मित योजनाओं से सिंचाई का क्या प्रतिशत था (कुल क्षेत्रफल का) तथा जनवरी 2013 से प्रश्न दिनाँक तक शासन द्वारा इस क्षेत्र में कितनी योजनाओं के निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई, योजना निर्माण की राशि तथा योजना से सिचिंत होने वाले रकवा सहित बतायें? (ख) जनवरी 2013 के पूर्व प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त जलाशयों के निर्माण की वर्तमान में क्या स्थिति है अगर इनका कोई कार्य प्रगति पर है तो उसकी क्या स्थिति हैं कब तक यह योजनायें पूर्ण हो जायेंगी योजनावार जानकारी दें? (ग) बंद एवं अधूरी पड़ी योजनाओं को प्रांरभ करने हेतु शासन अथवा विभागाध्यक्ष स्तर पर क्या समीक्षा की गई एवं अंतिम निर्णय क्या लिया गया?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) प्रश्नाधीन क्षेत्र में विगत 3 वर्षों में 3 सिंचाई परियोजनाएं निर्माणाधीन रही जिनकी **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार** है। सिंचाई परियोजनाओं से सिंचित क्षेत्र की जानकारी परियोजनावार संधारित की जाती है,विधानसभा क्षेत्रावार नहीं। निरंक। (ख) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब' अनुसार** है। वर्ष 2015-16 में। (ग) विभाग के प्रमुख सचिव, प्रमुख अभियंता एवं कछार के मुख्य अभियन्ता द्वारा नियमित समीक्षाएं की गयी हैं।

परिशिष्ट – "इकतालीस"

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना

45. (क्र. 4011) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना अतंर्गत पुष्पराजगढ़ विधान सभा क्षेत्र में रा.गा.ग्रा.वि. योजना के फेस-2 का कार्य किया जाना है कार्य का विवरण ग्राम सहित दें? (ख) प्रश्नांश (क) अतंर्गत कितने कार्य योग्य अविद्युतीकृत ग्रामों को विद्युतीकरण हेतु सम्मिलित किया गया है, कितने अविद्युतीकृत ग्रामों को अभी तक शामिल नहीं किया गया है पृथक ग्राम की जानकारी दें? (ग) ऐसे गांव जो विद्युतीकरण योजना के तहत शामिल नहीं किये गये हैं क्या उन ग्रामों में भी योजना के अतंर्गत विद्युतीकरण कराये जाने का प्रावधान है? यदि हाँ, तो कब तक विद्युतीकरण कर दिया जायेगा? (घ) क्या उक्त योजना में विद्युत सब स्टेशन भी स्वीकृत किये गये है? यदि हाँ, तो कितने व किन स्थानों पर, ग्राम स्थान की सूची दें कब तक इन सब-स्टेशनों को स्थापित कर दिया जायेगा?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) अनूपपुर जिले हेतु 12 वीं पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण विद्युतीकरण के कार्य भी सम्मिलित हैं। कार्य का ग्रामवार विवरण **संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार** है। विद्युतीकरण के कार्यों हेतु मे0 बजाज इलेक्ट्रिकल, मुम्बई को कार्य आदेश जारी किया गया है। कार्य प्रारंभ की प्रभावी तिथि 12.01.15 है। कार्य पूर्ण करने की अवधि कार्य प्रारंभ की प्रभावी तिथि से 2 वर्ष है। (ख) उत्तरांश (क) में दर्शाए अनुसार 10 कार्य योग्य अविद्युतीकृत ग्रामों की उक्त योजना में विद्युतीकरण हेतु सम्मिलित कर लिया गया है, ग्रामवार सूची **संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार** है। 25 अविद्युतीकृत ग्रामों को उक्त योजनांतर्गत शामिल नहीं किया गया है क्योकि ये सभी ग्राम वनबाधित हैं तथा परंपरागत रूप से लाईन विस्तार कर इनका विद्युतीकरण किया जाना संभव नहीं है, ग्रामवार सूची **संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब' अनुसार** है। (ग) जी नहीं। (घ) जी नहीं तथापि प्रश्नांश (क) के उत्तर में उल्लेखित योजनांतर्गत पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में क्षमता वृद्धि हेतु दो सबस्टेशनों को शामिल किया गया है। राजेन्द्रग्राम सब-स्टेशन में 1.6 एम.व्ही.ए. से 3.15 एम.व्ही.ए. की क्षमता वृद्धि एवं बिजौरी सब-स्टेशन में 3.15 एम.व्ही.ए. से 5 एम.व्ही.ए. की क्षमता वृद्धि किया जाना है। वर्तमान में इन सब-स्टेशनों के क्षमता वृद्धि के कार्य पूर्ण होने की निश्चित समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "बयालीस"

मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं की पूर्ति

46. (क्र. 4012) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अनूपपुर जिले में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जनवरी 2013 से प्रश्न दिनाँक तक कौन-कौन सी घोषणायें की गई, उनमें से कौन-कौन सी घोषणाओं को पूर्ण कर लिया गया है? (ख) शेष घोषणाओं का कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं का क्रियान्वयन एक सतत प्रक्रिया है घोषणाओं की पूर्ति की निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "तैंतालीस"

नरसिंहगढ़ महाविद्यालय में रिक्त पदों की पूर्ति

47. (क्र. 4017) श्री गिरीश भंडारी : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नरसिंहगढ़ स्थित महाविद्यालयों में कुल कितने पद प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापकों के स्वीकृत है? स्वीकृत पदों के विरूद्ध कुल कितने पद रिक्त है? (ख) प्रश्नांश (क) की उपलब्ध जानकारी अनुसार रिक्त पदों पर कब तक नियुक्ति की जावेगी?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) नरसिंहगढ स्थित महाविद्यालय में प्राध्यापक/सहायक-प्राध्यापक के विषयवार स्वीकृत/रिक्त पदों की सूची **संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) सहायक-प्राध्यापक के समग्र रिक्त पदों की पूर्ति हेतु लोक सेवा आयोग द्वारा दिनाँक 9.7.2014 को विज्ञापन जारी किया जा चुका है। निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "चौवालीस"

सोलर पावर विद्युत व्यवस्था

48. (क्र. 4073) श्री कमलेश्वर पटेल : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के किन-किन वनग्रामों में गैरपरम्परागत ऊर्जा से सोलर पावर के रूप में विद्युत की व्यवस्था की गई? उन ग्रामों की सूची तहसील एवं जिलेवार उपलब्ध कराई जावे? (ख) सोलर ऊर्जा से जिन ग्रामों को विद्युतीकृत किया गया है वास्तविक रूप से उनकी देख रेख एवं संधारण का कार्य किसे सौंपा गया है? नियम एवं शर्तों के अनुरूप संबंधितों के द्वारा क्या वास्तविक रूप से संधारण का कार्य किया जा रहा है? (ग) यदि उक्त सभी सोलर ऊर्जा से विद्युत प्राप्त नहीं हो रही है तो संबंधित प्रदायकर्ताओं के विरूद्ध क्या कोई कार्यवाही की जावेगी यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं तो क्यो? (घ) सीधी एवं सिंगरौली जिले में संचालित योजना के अतंर्गत लाभांवित ग्रामों की सूची दें?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) डीसेन्ट्रलाईज डिस्ट्रीव्यूटेड जनरेशन कार्यक्रम अंतर्गत सोलर पॉवर संयंत्रों के माध्यम से सीधी जिले के अंतर्गत 02 वन ग्राम-ज्वारी टोला एवं हर्रई का विद्युतीकरण कार्य किया जा चुका है। (ख) स्थापित संयंत्रों के पांच वर्ष तक संचालन का कार्य स्थापनाकर्ता इकाईयों द्वारा किया जा रहा है। (ग) उत्तरांश "क" के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) सीधी जिले में संचालित योजना के अतंर्गत लाभांवित ग्राम-ज्वारी टोला एवं हर्रई है। सिंगरौली जिले के अंतर्गत जानकारी निरंक है।

स्वतंत्र पत्रकारिता के संबंध में

49. (क्र. 4074) श्री कमलेश्वर पटेल : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) स्वतंत्र पत्रकार की परिभाषा क्या है? प्रदेश में कितने ऐसे पत्रकार है जो राज्य अधिमान्यता प्राप्त है? (ख) जनसंपर्क विभाग द्वारा अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों को कौन-कौन सी सुविधायें उपलब्ध है विवरण दें?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) स्वतंत्र पत्रकार के संबंध में नियम में प्रावधान इस प्रकार है :- (घ) संचार माध्यमों के ऐसे प्रतिनिधि स्वतंत्र पत्रकार के रूप में अधिमान्यता के लिए आवेदन कर सकेंगे जो कम से कम 20 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुए हों तथा जिन्हें पूर्व में भी अधिमान्यता प्राप्त रही हो। आवेदन के साथ सेवानिवृत्ति के बाद भी सक्रिय पत्रकार होने का प्रमाण-पत्र अंकित किया जाना चाहिए। (ज) स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए आवेदक पत्रकारों के प्रत्येक माह के औसतन न्यूनतम दो समाचार/आलेख/फीचर प्रतिष्ठित पत्र-पत्रिकाओं मे प्रकाशित होना वांछनीय होगा। इसी प्रकार प्रतिवर्ष नवीनीकरण के लिए भी यह जानकारी प्रस्तुत करना चाहिए। दिनाँक 28.02.2015 तक 876, राज्यस्तरीय अधिमान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। (ख) 1. मध्यप्रदेश के 62 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे पत्रकारों को जो दस वर्ष तक अधिस्वीकृति प्राप्त हो, और आयकर दाता नहीं हों, उन्हें रूपये 5,000/- प्रतिमाह श्रद्धानिधि। 2. स्वयं एवं आश्रितों के उपचार के लिए पत्रकार कल्याण कोष से आर्थिक सहायता। 3.राज्यस्तरीय अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों को लैपटाप देने की योजना। 4. रेल किराये में 50% की छूट के लिये प्रमाण-पत्र जारी करना।

प्राध्यापकों को यूजीसी वेतनमान

50. (क्र. 4075) श्री कमलेश्वर पटेल : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों के प्राध्यापकों एवं प्राचार्यो को यूजीसी वेतनमान का लाभ दिनाँक 01.01.2006 से दिये जाने के निर्णय के पालन में इसका क्रियान्वयन 01 अप्रैल 2010 से किया गया है किन्तु 01.01.2006 से 31.03.2010 तक की अवधि का बड़ा हुआ वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है? (ख) दिनाँक 01.01.2006 से 31.03.2010 तक की अवधि में उच्च शिक्षा विभाग के ऐसे प्राचार्य एवं प्राध्यापक जो सेवा निवृत्त हो गये है उन्हें भी उक्त अवधि का यूजीसी वेतनमान का लाभ नहीं दिया जा रहा है जबकि अन्य शासकीय कर्मचारियों को छठवें वेतनमान में सेवा निवृत्त के साथ ही लाभ देने के निर्देश है? (ग) प्रश्नांक ख अवधि के सेवानिवृत्त प्राचार्य एवं प्राध्यापकों को स्वीकृति यूजीसी का वेतनमान का लाभ देने हेतु भारत सरकार से वित्त विभाग द्वारा राशि प्राप्त कर ली है इसके बाद भी संबंधितों को राज्य सरकार के द्वारा उक्त लाभ से वंचित रखा जा रहा है? यदि हाँ, तो शासन कब तक संबंधितों के लंबित वेतन एरियर का भुगतान करने के आदेश प्रसारित करेगा?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) जी नहीं। प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों एवं शिक्षकों को दिनाँक 01.01.2006 से दिनाँक 31.03.2010 तक में बढ़े हुए वेतन का नियमित भुगतान जारी है, किन्तु वेतनमान के एरियर की प्रथम किश्त का ही भुगतान किया गया है। आगामी किश्त का भुगतान भारत सरकार से 80 प्रतिशत राशि प्राप्त होने के पश्चात नियमानुसार किया जावेगा। (ख) जी नहीं। प्रश्नांश "क" में उल्लेखित एरियर राशि अवधि में सेवानिवृत हुये यूजीसी वेतनमान प्राप्त प्राचार्यों एवं प्राध्यापकों को भी कार्यरत शिक्षकों के समान

प्रथम किश्त की राशि का भुगतान नियमानुसार किया गया है। (ग) जी नहीं। एरियर राशि अवधि की शेष द्वितीय एवं तृतीय किश्त की राशि भारत सरकार से प्राप्त नहीं होने से शेष प्रश्नांश की कार्यवाही का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

<u>132 के.व्ही. उपकेन्द्र बड़ोदा का कार्य पूर्ण कराया जाना</u>

51. (क्र. 4138) श्री दुर्गालाल विजय : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) श्योपुर विधान सभा क्षेत्रातंर्गत वर्तमान की स्थिति में बड़ौदा 132 के.व्ही. उपकेन्द्र बड़ौदा का कितना व क्या-क्या निर्माण कार्य पूर्ण/शेष रह गया है इसे पूर्ण कराने हेतु क्या प्रयास अब तक किये गये कार्य कब तक पूर्ण करा लिया जावेगा? (ख) प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या-11 (क्रमांक 822) दिनाँक 08.07.2014 के प्रश्नांश "ख" के उत्तर में बताया हैं कि उक्त केन्द्र का कार्य अक्टूबर 2014 तक पूर्ण करा लिया जाने की योजना हैं तथा लाईन निर्माण कार्य कार्यादेश की शर्तों के अनुसार दिसम्बर 2014 में पूर्ण किया जाना हैं एवं लाईन निर्माण का कार्य भी अक्टूबर 2014 तक पूर्ण कराने का प्रयास किया जा रहा हैं ताकि अक्टूबर 2014 तक उक्त केन्द्र ऊर्जीकृत किया जा सके? तो बतावे कि उक्त तिथि के पश्चात भी कार्य पूर्ण न होने व उक्त केन्द्र के ऊर्जीकृत न होने के कारण क्या है इस हेतु कौन दोषी हैं के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई अथवा की जावेगी यदि नहीं तो क्यों बतावें? (ग) अब कब तक उक्त केन्द्र के कार्य को पूर्ण करवाकर उक्त केन्द्र को प्रांरभ करा दिया जावेगा?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) श्योपुर विधानसभा क्षेत्रांतर्गत वर्तमान में 132 के.व्ही. उपकेंद्र बड़ौदा का 95 प्रतिशत निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। उपकेन्द्र में स्ट्रक्चर एवं उपकरण इरेक्शन का 5 प्रतिशत कार्य शेष है। उक्त उपकेन्द्र को ऊर्जीकृत करने के लिए 132 के.व्ही. उपकेन्द्र श्योपुर से 132 के.व्ही.बड़ौदा लाईन का निर्माण कार्य प्रगति पर है। उपकेन्द्र का शेष 5 प्रतिशत कार्य लाईन को उपकेन्द्र से जोड़ने उपरांत ऊर्जीकरण करने से पूर्व किया जाना है, जिसे उक्त लाईन का कार्य पूर्ण होने के पश्चात यथाशीघ्र पूर्ण कर लिया जायेगा किंतु वर्तमान में समयसीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ख) उक्त उपकेन्द्र का निर्माण कार्य अक्टूबर 2014 तक पूर्ण किये जाने के प्रयास किये जा रहे थे किंतु स्थानीय व्यवधान एवं ठेकेदार द्वारा पर्याप्त गति से कार्य नहीं करने के कारण कार्य पूर्ण करने में विलंब हुआ है जिसके लिए ठेकेदार भी दोषी है। समयावधि में कार्य पूर्ण नहीं करने के कारण कार्यादेश की शर्तों के अनुसार ठेकेदार फर्म पर नियामानुसार शास्ति अधिरोपित करते हुए अर्थदंड वसूल किया गया है एवं आगे भी विलम्ब पर नियमानुसार अर्थदंड वसूल किया जायेगा। उक्त उपकेन्द्र को ऊर्जीकृत करने के लिए 132 के.व्ही. श्योपुर-बड़ौदा लाईन का निर्माण कार्य प्रगति पर है किन्तु कृषकों द्वारा न्यायालय से निषेधाज्ञा (स्टे) प्राप्त करने के कारण लाईन का निर्माण कार्य प्रभावित हो रहा है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय उपरांत आगामी कार्यवाही किया जाना संभव हो सकेगा। (ग) उक्त उपकेन्द्र को ऊर्जीकृत करने के लिए निर्माणाधीन 132 के.व्ही. श्योपुर बड़ौदा लाईन का निर्माण कार्य प्रगति पर है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय उपरांत आगामी कार्यवाही किया जाना संभव हो सकेगा, अत: वर्तमान में समयसीमा बताया जाना संभव नहीं है।

<u>एल.एल.बी. की कक्षाएं प्रारंभ की जाए</u>

52. (क्र. 4140) श्री दुर्गालाल विजय : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या श्योपुर महाविद्यालय में एल.एल.बी. की कक्षाएं केवल बारकौंसिल ऑफ इण्डिया नई दिल्ली की अनुमति न मिलने के कारण ही प्रांरभ नहीं हो पा रही हैं। (ख) क्या उक्त कारण से ही

माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा वर्ष 2008 में श्योपुर प्रवास के दौरान उक्त कक्षाएं प्रारंभ कराने की घोषणा का क्रियान्वयन वर्तमान तक संभव नहीं हो पा रहा है? (ग) क्या उक्त कारण से ही वर्तमान में भी श्योपुर जिले के एल.एल.बी. की शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक विद्यार्थियों को शिवपुरी, ग्वालियर अथवा अन्यत्र स्थानों पर जाने को विवश होना पड़ रहा हैं? (घ) यदि हाँ, तो क्या शासन श्योपुर जिले के विद्यार्थियों के हित को दृष्टिगत रखते हुए बार कौंसिल ऑफ इण्डिया नई दिल्ली से अनुमति प्राप्त करके श्योपुर में आगामी शिक्षा सत्र से एल.एल.बी. की कक्षायें प्रारंभ करवायेगा यदि नहीं तो क्यो?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) से (ग) जी हाँ। (घ) कार्यालयीन पत्र दिनाँक 19.08.2014 द्वारा सचिव, बार कौसिल ऑफ़ इण्डिया, नई दिल्ली से निवेदन किया है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।

विद्युत वितरण केन्द्र की स्थापना

53. (क्र. 4185) श्री रामलाल रौतेल : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अनूपपुर जिले में नवीन विद्युत वितरण उप केन्द्र संचालित करने की योजना है? यदि हाँ, तो कहाँ-कहाँ? (ख) क्या वित्तीय वर्ष 2015-16 में संचालित कर दिया जाएगा? यदि हाँ, तो कब तक?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जी हाँ, अनूपपुर जिले में 33/11 के.व्ही. के 2 विद्युत उपकेन्द्रों के कार्य प्रस्तावित है, जिनका स्थानवार विवरण निम्नानुसार है :-

क्रमांक	स्थान	उपकेन्द्र का नाम	क्षमता
1	अनूपपुर	पोड़की	5 एम.व्ही.ए.
2	अनूपपुर	पिपरहा टोला (लीला टोला)	3.15 एम.व्ही.ए.

(ख) जी हाँ, वर्ष 2015-16 में उक्त विद्युत उपकेन्द्रों का कार्य पूर्ण किया जाना संभावित है किन्तु वर्तमान में निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

पटन विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत खराब एवं बिगड़े ट्रांसफार्मर

54. (क्र. 4368) श्री नीलेश अवस्थी : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पाटन विधानसभा क्षेत्रांतर्गत 01-04-2014 से प्रश्न दिनाँक तक किस-किस गांव में कितने-कितने, कितनी-कितनी शक्ति के विद्युत ट्रांसफार्मर कब-कब खराब हुये/जले? उक्त जले या खराब ट्रांसफार्मर कितनी अवधि में बदले गये? विभाग द्वारा जले/खराब ट्रांसफार्मरों को बदलने हेतु कितनी समयावधि निर्धारित है एवं जले या खराब ट्रांसफार्मर कितने दिन के विलंब से बदले गये? विलंब से बदलने का क्या कारण है? (ख) प्रश्नांश (क) में दर्शायी गई अवधि में जले या खराब ट्रांसफार्मरों पर कृषि पंप/घरेलू कनेक्शन धारियों/हितग्राहियों की कितनी-कितनी राशि बकाया है? सूची देवें एवं यह भी बतलावें की पाटन विधानसभा अंतर्गत ऐसे कितने ट्रांसफार्मर विभाग द्वारा उठवा लिये गये, जिन पर वसूली हेतु राशि बकाया है? ट्रांसफार्मर वार बकाया राशि का विवरण देवें? (ग) ट्रांसफार्मरों में ऑईल की कमी होने पर कंपनी में उसकी पूर्ति की क्या प्रक्रिया है? (घ) शासन द्वारा सिंचाई हेतु एवं घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति दिवस कितने समय विद्युत प्रदाय तय किया गया है एवं इसके परिप्रेक्ष्य में पाटन विधानसभा क्षेत्र में प्रश्नांकित अवधि में प्रदाय विद्युत का संपूर्ण विवरण देवें?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) पाटन विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत दिनाँक 01.04.2014 से प्रश्न दिनाँक तक 366 वितरण ट्रांसफार्मर जले/खराब हुए हैं जिनकी, ग्रामवार, ट्रांसफार्मर की क्षमता, फेल/खराब होने की दिनाँक, बदलने की दिनाँक, विलम्ब से बदले जाने का कारण तथा ट्रांसफार्मर बदलने में लगे समय की जानकारी सहित सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार** है। ग्रामीण क्षेत्रों में जले/खराब वितरण ट्रांसफार्मर बदलने की समय-सीमा सूखे मौसम में 3 दिन तथा वर्षाकाल (माह जुलाई से सितम्बर) में 7 दिवस निर्धारित हैं। अधिकांश वितरण ट्रांसफार्मर समय-सीमा में बदल दिये गये हैं, तथापि ट्रांसफार्मर जलने एवं बदले जाने की दिनाँक **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार** है। जले/खराब ट्रांसफार्मर से संबद्ध उपभोक्ताओं द्वारा नियमानुसार विद्युत बिल की राशि जमा नहीं करने तथा खेतों में फसल खड़ी होने के कारण पहुँच मार्ग सुगम नहीं होने के कारण ट्रांसफार्मर बदलने में विलंब हुआ है। (ख) विधानसभा क्षेत्र पाटन में प्रश्नाधीन अवधि में जले/खराब हुए 69 ट्रांसफार्मरों से संबद्ध उपभोक्ताओं के विद्युत बिलों की रू.30.927 लाख की राशि बकाया थी जिसका ट्रांसफार्मरवार विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार** है। नियमानुसार बकाया राशि के भुगतान उपरांत उक्त 69 ट्रांसफार्मर बदल दिये गये हैं, जिसका विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार** है। पाटन विधानसभा क्षेत्र में 2 वितरण ट्रांसफार्मरों पर बकाया राशि रू. 1.10 लाख होने से ट्रांसफार्मरों को निकाला गया था। उपभोक्ताओं द्वारा बकाया राशि रू. 0.94 लाख के भुगतान उपरांत उक्त ट्रांसफार्मरों को पुन: स्थापित कर चालू कर दिया गया है, जिनकी उपभोक्तावार, ग्रामवार, बकाया राशि, राशि जमा करने की दिनाँक तथा खराब/फेल वितरण ट्रांसफार्मर को बदलने की दिनाँक सहित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब' अनुसार** है। (ग) वितरण कम्पनी द्वारा वितरण ट्रांसफार्मरों की ऑईल की कमी की पूर्ति हेतु कंपनी मुख्यालय से निविदा आमंत्रित कर आईल क्रय किया जाता है। आवश्यकता अनुसार ऑईल क्षेत्रीय भण्डारों के माध्यम से संबंधित एस.टी.एम./संचा.-संधा. संभागों को उपलब्ध कराया जाता है तथा एस.टी.एम./संचा.-संधा. संभागों द्वारा आवश्कतानुसार ट्रांसफार्मरों में ऑईल की पूर्ति की जाती है। (घ) राज्य शासन द्वारा कृषि फीडरों पर 10 घण्टे तथा गैर-कृषि फीडरों पर 24 घण्टे विद्युत प्रदाय किया जाना निर्धारित किया गया है। तदनुसार पाटन विधानसभा क्षेत्र में भी विद्युत प्रदाय किया जा रहा है तथापि कतिपय अवसरों पर खराब/जले वितरण ट्रांसफार्मरों को बदलने की प्रक्रिया में विलंब होने, मेन्टेनेंस का कार्य किये जाने पर विद्युत बंद किया जाना आवश्यक होने, आंधी/तूफान के कारण पोल/तार के टूट जाने आदि विभिन्न कारणों से विद्युत व्यवधान होता है, जिसे तत्काल आवश्यक कार्यवाही कर पुन: सुचारू रूप से विद्युत प्रदाय किया जाता है। जबलपुर जिले के पाटन विधानसभा क्षेत्र में माहवार विद्युत प्रदाय की औसत अवधि (घंटे : मिनिट) में निम्नानुसार है :-

फीडर का प्रकार	अप्रैल-14	मई-14	जून-14	जुलाई-14	अगस्त-14	सितंबर-14	अक्टूबर-14	नवंबर-14	दिसंबर-14	जनवरी-15
घरेलू उपभोक्ता फीडर	23:52	23:16	23:40	23:41	22:07	24:00	24:00	23:08	23:11	23:09
कृषि उपभोक्ता फीडर	10:28	10:25	10:26	10:27	10:19	10:28	10:27	10:27	10:25	10:22

क्रियाशील खदानें

55. (क्र. 4369) श्री नीलेश अवस्थी : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्राम मोहला हरदुऑ, डुन्डी, धनगवॉ, बरगी, दिनारी खम्हरिया, गौरहा मिटोनी छपरा अंतर्गत किन-किन खसरा नंबरों पर कौन-कौन सी खदानें किस-किस खनिज हेतु कब से क्रियाशील है? सूची देवें? (ख) प्रश्नांक (क) में उल्लेखित खदानों द्वारा वित्त वर्ष 2012-13 से प्रश्न दिनाँक तक कौन-कौन सा, कितना खनिज उत्खनित किया गया एवं उससे राज्य शासन को कितना-कितना राजस्व प्राप्त हुआ सूची देवें? (ग) प्रश्नांक (क) में उल्लेखित खदानों का बेस्ट मटेरियल कहाँ-कहाँ पर, कब से, किन खसरा नंबरों पर, किसकी अनुमति से संग्रहित किया जा रहा है? इन खदानों के वाहनों का राज्य मार्ग से आवागमन हेतु किन-किन ग्रामीण मार्गों का उपयोग किया जाता है? सूची देवें? क्रियाशील खदानों की राज्य मार्गों से दूरी बतलावें? (घ) प्रश्नांक (ग) में उल्लेखित पंचायत मार्गों का निर्माण किस एजेंसी से, कब, कितनी लागत से करवाया गया बतलावें एवं यह भी बतलावें की इन मार्गो पर भारी वाहनों के परिवहन की अनुमति किसके द्वारा दी गई है एवं वर्तमान समय में ये मार्ग किस स्थिति में है? इनके रख रखाव की जिम्मेदारी किसकी है? क्या इन मार्गों की मरम्मत खदान संचालकों से करवाई जावेगी बतलावें?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) प्रश्नाधीन ग्राम में स्वीकृत खनि रियायतों का विवरण एवं प्रश्नांश में वांछित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"अ" पर** है। (ख) प्रश्नाधीन अवधि में उत्खनित खनिज एवं प्राप्त राजस्व का विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"ब" पर** है। (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"स" पर** है। (घ) प्रश्नांश से संबंधित जानकारी महाप्रबंधक, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण तथा कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा से प्राप्त **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"ग" पर** दर्शित है। इन मार्गों के रख रखाव की जिम्मेदारी निर्माण एजेन्सी की है। मार्गों की मरम्मत खदान संचालकों से कराए जाने के प्रावधान प्रचलित खनिज नियम में नहीं है।

राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना

56. (क्र. 4389) श्री निशंक कुमार जैन : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भोपाल संभाग के किस जिले के कितने ग्रामों को राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत विद्युतीकरण हेतु शामिल किया गया? कितने ग्रामों को विद्युतीकरण की योजना में प्रश्नांकित तिथी तक भी शामिल नहीं किया गया? (ख) किस जिले के कितने ग्रामों के विद्युतीकरण हेतु प्रश्नांकित तिथी तक कितनी राशि प्राप्त हुई उससे कितने ग्रामों का विद्युतीकरण पूरा हो चुका है? कितने ग्रामों के विद्युतीकरण का कार्य चल रहा है यह कार्य कब तक पूरा होगा? (ग) ग्रामों के विद्युतीकरण का कार्य कब तक पूरा करवा लिया जावेगा?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) भोपाल राजस्व संभाग के भोपाल, रायसेन, सीहोर, विदिशा एवं राजगढ़ जिलों के राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत शामिल ग्रामों एवं उक्त योजना में प्रश्नांकित तिथी तक शामिल नहीं किये गये ग्रामों की जिलेवार **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार** है। (ख) योजनान्तर्गत जिलेवार प्राप्त राशि एवं विद्युतीकृत किये गये ग्रामों तथा ऐसे ग्रामों जहाँ कार्य चल रहा है, की जिलेवार संख्या **संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब' अनुसार** है। उक्त कार्य टर्न-की ठेकेदार से जून 2015 तक पूर्ण कराने के प्रयास किये जा रहे हैं। (ग)

प्रश्नाधीन ग्रामों के विद्युतीकरण का कार्य टर्न-की ठेकेदार से जून 2015 तक पूर्ण कराने का प्रयास किये जा रहे हैं।

परिशिष्ट - "पैंतालीस"

महाविद्यालय खोले जाने की नीति

57. (क्र. 4390) श्री निशंक कुमार जैन : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भोपाल संभाग के अंतर्गत किस-किस तहसील मुख्यालय में शासकीय महाविद्यालय कार्यरत है किस मुख्यालय में शासकीय महाविद्यालय कार्यरत नहीं, तहसील मुख्यालय पर शासकीय महाविद्यालय खोले जाने की शासन की क्या नीति है? (ख) प्रश्नकर्ता द्वारा विदिशा जिले के त्यौंदा एवं ग्यारसपुर तहसील मुख्यालय पर शासकीय महाविद्यालय खोले जाने बावत माननीय मुख्यमंत्री जी को जुलाई 2014 में लिखे गये पत्र एवं माननीय सांसद विदिशा द्वारा लिखे गए पत्रों पर शासन ने महाविद्यालय खोले जाने बावत क्या कार्यवाही की है? (ग) तहसील मुख्यालय त्यौंदा एवं ग्यारसपुर में शासकीय महाविद्यालय खोले जाने के संबंध में शासन क्या कार्यवाही कब तक करेगा?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। शासकीय महाविद्यालय खोले जाने की नीति नहीं है। (ख) वर्तमान में शासन द्वारा पूर्व से संचालित महाविद्यालयों के सुदृढीकरण एवं गुणवत्ता विकास के कार्य किये जा रहे हैं। अतः विदिशा जिले के त्यौंदा एवं ग्यारसपुर तहसील मुख्यालय पर शासकीय महाविद्यालय प्रारंभ करनें में कठिनाई है इस बाबत माननीय विधायक जी द्वारा लिखे गये पत्रों के संदर्भ में कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1044/15/मुमं/आउशि/यो/14 दिनाँक 17.10.2014 एवं पत्र क्रमांक 1038/15/मुमं/आउशि/यो/14 दिनाँक 17.10.2014 द्वारा उपरोक्त वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया है। (ग) प्रश्नांश "क" एवं "ख" के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "छियालीस"

स्थायी प्रोफेसरों की कमी की पूर्ति

58. (क्र. 4452) श्री वीरसिंह पंवार : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासकीय पोलिटेक्निक कॉलेजो में प्रोफेसरों की कमी है और शासन द्वारा पद नाम बदलकर गेस्ट फैकल्टी प्रोफेसर से काम चलाया जा रहा है? (ख) यदि प्रोफेसरों की कमी है तो शासन द्वारा उन पदों पर पूर्ति क्यों नहीं की जा रही है अथवा पूर्ति की कार्यवाही किस स्तर पर चल रही है? (ग) क्या गेस्ट फैकल्टी प्रोफेसरों से उच्च स्तरीय शिक्षा की आशा की जा सकती है? यदि हाँ, तो उनको गेस्ट क्यों बनाया गया? यदि हाँ, तो सरकार उनको स्थायी क्यों नहीं कर रहा है? (घ) स्थायी प्रोफेसरों की कमी की पूर्ति के लिये सरकार कब तक कार्य पूर्ण कर सकेगी?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) जी नहीं। पोलिटेक्निक महाविद्यालयों में प्रोफेसर्स के पद स्वीकृत नहीं है। अत: शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (ख) 'क' के प्रकाश में जानकारी निरंक है। (ग) एवं (घ) 'क' के प्रकाश में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

आम जनता के लिये जनरंजन जैसे कार्यक्रमों का आयोजन

59. (क्र. 4454) श्री वीरसिंह पंवार : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन द्वारा आम जनता को सांस्कृतिक और मनोरंजन हेतु जनरंजन जैसे रामलीला, रासलीला, कवि सम्मेलन आदि कार्यक्रम तहसील स्तर तक चलाने की योजना है? (ख) यदि हाँ, तो विगत 5 वर्षों में ग्रामीण जनता के लिए इस तरह के कितने कार्यक्रम किस-किस जगह आयोजित किये गये? (ग) यह कार्यक्रम एक ही जगह पर कितने बार कराये गये है और क्यों तथा जो तहसीले रह गई उसका कारण क्या है? (घ) यह कि प्रदेश की और जिले की जो तहसीले और कस्बा आदि स्थान इन कार्यक्रमों से वंचित रह गये है उनके लिये आगे क्या योजना विचाराधीन है?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) जी नहीं. (ख) से (घ) प्रश्नांश ''क'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता.

इन्द्रासागर परियोजना अंतर्गत मुआवजा राशि का भुगतान

60. (क्र. 4465) डॉ. रामकिशोर दोगने : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इन्द्रा सागर परियोजना अंतर्गत हरदा जिले के कुल कितने विस्थापित परिवारों को कुल कितनी राशि का भुगतान किया जा चुका है? (ख) प्रमुख सचिव नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण भोपाल को लिखे गये पत्र क्र. 172 दिनाँक 13.6.2014 पृ.पत्र क्र. 736 दि. 2.12.2014 एवं पत्र क्र. 745 दि. 5.12.14 जिसकी प्रतिलिपि मा.मंत्री महोदय नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण म.प्र. शासन भोपाल को एवं महाप्रबंधक भोपाल तथा कलेक्टर हरदा को भी प्रेषित की गई थी, पर क्या कार्यवाही की गई? (ग) क्या उक्त पत्रानुसार समुचित जाँच कराई जाकर पात्र विस्थापितों को मुआवजा राशि का भुगतान कराया जावेगा? (घ) यदि हाँ, तो समय सीमा बताएं?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) इंदिरा सागर परियोजना के अंतर्गत हरदा जिले के डूब प्रभावित ग्रामों के विस्थापितों को निम्नलिखित अनुसार राशि स्वीकृत कर भुगतान किया गया है, **जानकरी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार** है। विस्थापित परिवार द्वारा डूब क्षेत्र रिक्त करने के पश्चात आवेदन देने पर परिवहन राशि का भुगतान किया जाता है। विस्थापितों द्वारा आवेदन प्रस्तुत नहीं करने से परिवहन राशि का भुगतान शेष है। इंदिरा सागर परियोजना अंतर्गत हरदा जिले के प्रभवित कुल 712 मकानों की एक्सग्रेशिया राशि रूपये 101385903/- स्वीकृत कर 654 मकानों के टूटने के उपरांत राशि रूपये 93533018/- का भुगतान कर दिया गया है। 58 मकानों के नहीं टूटने से राशि रूपये 7852885/- भुगतान हेतु शेष है, **जानकरी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब' अनुसार** है। (ख) प्रश्नांश-ख में उल्लेखित पत्रों के संबंध में भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी इंदिरा सागर परियोजना, एन.एच.डी.सी. खंडवा-हरदा द्वारा पत्र पृष्ठांकन क्रमांक 21/भू-अर्जन/15 दिनाँक 23/01/2015 से माननीय विधायक महोदय को वस्तुस्थिति से अवगत करवाया गया है जानकरी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'स' अनुसार** है। (ग) हरदा जिले के शेष भुगतान हेतु एक बार पुन: परीक्षण करा लिया गया है। प्रस्तावक विभाग द्वारा सर्वेक्षण उपरांत पात्रता वाले प्रभावितों के प्रस्ताव अनुसार भुगतान किया गया है। डूब क्षेत्र में जिन विस्थापितों द्वारा निर्माण नहीं हटाया गया है, उनका भुगतान लंबित है। (घ) भुगतान हेतु शेष विस्थापितों द्वारा निर्माण हटाने के उपरांत पात्रता बनने पर भुगतान किया जा सकेगा। निश्चित समय सीमा बताना संभव नहीं है।

फीडर सेपरेशन में गुणवत्ताहीन कार्य

61. (क्र. 4479) श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. विद्युत वितरण कंपनी भिण्ड द्वारा फीडर सेपरेशन का कार्य कहाँ पर चल रहा है, कितना अपूर्ण है तथा कब तक पूर्ण होगा? फीडर सेपरेशन के अंतर्गत कौन से कार्य प्रस्तावित है? किस स्तर के अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है? प्रति देवें? (ख) भिण्ड विधान सभा के अंतर्गत शहरी/ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत फीडर सेपरेशन का कार्य कितने प्रतिशत पूर्ण है? क्या पोल के गड्ढे के अंदर ठोस सामग्री (वोल्डर) डाला जाता है? यदि नहीं तो क्यों? (ग) क्या जिला योजना समिति भिण्ड की दिनाँक 21 फरवरी 14, की बैठक में फीडर सेपरेशन कार्यों में गुणवत्ता पर सवाल उठाकर प्रश्नांश दिनाँक तक क्या कार्यवाही की गई? (घ) क्या प्रश्नांश (क) के अनुसार समयावधि में कार्य पूर्ण नहीं हुआ तथा शतप्रतिशत गुणवत्ताहीन कार्य हुआ है? दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कब तक क्या कार्यवाही की जावेगीं?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) म.प्र.मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी (म.क्षे.वि.वि.कं.लि.) के भिण्ड वृत्त के अन्तर्गत फीडर सेपरेशन का कार्य भिण्ड, मेहगांव एवं अटेर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत चल रहा है। प्रश्नाधीन क्षेत्र में योजनान्तर्गत 60 फीडरों से सम्बद्ध 525 ग्रामों में कार्य किया जाना प्रस्तावित है, इसमें से 23 फीडरों से सम्बद्ध 193 ग्रामों का कार्य पूर्ण कर दिया गया है, 07 फीडरों से सम्बद्ध 45 ग्रामों में कार्य प्रगति पर है तथा 30 फीडरों से सम्बद्ध 287 ग्रामों में कार्य प्रारम्भ किया जाना है। वर्तमान में कार्य पूर्ण करने की निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है। फीडर सेपरेशन योजनान्तर्गत 11 के.व्ही. लाईन खींचने, वितरण ट्रांसफार्मर लगाने, एल.टी.केबलिंग करना तथा नवीन घरेलू कनेक्शन प्रदान करने के कार्य प्रस्तावित हैं। म.प्र.मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कपंनी द्वारा नियुक्त प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कन्सलटेंट (पी.एम.सी.) एवं म.क्षे.वि.वि.कं.लि. के नोडल अधिकारी द्वारा प्रश्नाधीन कार्यों का निरीक्षण किया जा रहा है। उक्त निरीक्षण एजेंसी एवं नोडल अधिकारी के नियुक्ति आदेश की प्रति क्रमश: **संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' एवं प्रपत्र-'ब' अनुसार** है। (ख) भिण्ड विधानसभा क्षेत्र सहित प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में फीडर सेपरेशन का कार्य नहीं किया जा रहा है। भिण्ड विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत फीडर सेपरेशन का कार्य लगभग 46 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है। जी हाँ, बोल्डर डाला जा रहा है, अत: प्रश्न नहीं उठता। (ग) प्रश्नाधीन बैठक के तारतम्य में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसलटेंट (पी.एम.सी.) एवं म.क्षे.वि.वि.कं.लि. के नोडल अधिकारी द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया जिसमें ग्राम पांडरी, पुलावली, रतनपुरा, सुल्तानसिंहकापुरा, मोहनसिंहकापुरा एवं सरमनसिंहकापुरा में 14 पोल तिरछे/झुके हुए पाये गये थे, उक्त सभी पोलों को व्यवस्थित करवा दिया गया है। (घ) ठेकेदार एजेंसी द्वारा प्रश्नाधीन कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण नहीं किया गया है। तथापि कार्य निर्धारित मानकों एवं गुणवत्ता के अनुरूप सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसलटेंट नियुक्त किया गया है तथा मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के नोडल अधिकारी द्वारा भी ठेकेदार एजेंसी के कार्यों का सतत् निरीक्षण किया जाता है। उक्त निरीक्षण एजेंसी/नोडल अधिकारी द्वारा कार्य में पाई गई त्रुटियों/कमियों का निराकरण टर्न-की ठेकेदार एजेंसी से कराने के बाद ही उसके बिलों का भुगतान किया जाता है। कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु की जा रही उक्त कार्यवाही के परिप्रेक्ष्य में किसी के दोषी होने का प्रश्न नहीं उठता।

परिशिष्ट -"सैंतालीस"

बनेरा माइनर के समीप अतिक्रमण

62. (क्र. 4487) डॉ. योगेन्द्र निर्मल : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जल संसाधन विभाग के वैनगंगा संभाग बालाघाट के उपसंभाग तिरोड़ी के जमुनिया जलाशय के अंतर्गत बनेरा माइनर के चैन क्रं. 17.00 से कोसमी माइनर तक के दाये एवं बाएं ओर विभाग की भूमि पर किस-किस के द्वारा कितने-कितने भू-भाग पर अतिक्रमण किया गया हैं? अतिक्रमणकर्ताओं के नाम एवं क्षेत्रफल सहित पूर्ण जानकारी देवें? (ख) क्या उक्त माइनर के दोनों ओर अतिक्रमण किये जाने से माइनर क्षतिग्रस्त हुआ हैं? यदि हाँ, तो उक्त अतिक्रमणकर्ताओं को विभाग द्वारा कब-कब, किस-किसको नोटिस दिया गया? (ग) क्या अतिक्रमणकर्ताओं द्वारा नोटिस प्राप्ति के बाद संबंधित भू-भाग से अपना-अपना अतिक्रमण हटा लिया गया है? यदि नहीं हटाये गये हैं, तो विभागीय अधिकारियों द्वारा अतिक्रमणकर्ताओं के विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई? (घ) उक्त माईनर से अतिक्रमित भूमि को अतिक्रमणकर्ताओं से विभाग द्वारा कब तक अतिक्रमण से मुक्त कर लिया जावेगा?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) प्रश्नाधीन भूमि पर अतिक्रमण होना प्रतिवेदित नहीं है। (ख) से (घ) जी नहीं। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होते है।

आई.टी.आई/कौशल विकास केंद्र की जानकारी

63. (क्र. 4497) श्री प्रदीप अग्रवाल : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्वालियर संभाग में कुल कितने आई.टी.आई. या कौशल विकास केन्द्र हैं इनमें कौन-कौन सी ट्रेंड हैं? (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित संस्थाओं में कौन-कौन सी संस्था शासकीय भवन मे तथा कौन सी किराये के भवन में संचालित हो रही हैं? क्या कुछ संस्थायें ऐसी भी हैं जिन्हें शासकीय भवन उपलब्ध होने के बावजूद भी वे किराये के भवन में संचालित हो रही हैं? यदि हाँ, तो क्यों? कारण सहित जानकारी उपलब्ध कराई जावें। (ग) क्या इन संस्थाओं में कर्मचारियों को शासन से समय-समय से मिलने वाली सभी सुविधाओं का लाभ दिया जा रहा है कि नहीं? यदि हाँ, तो दतिया आई.टी.आई. के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 10 वर्षों में मिलने वाला सिलेक्शन ग्रेड का लाभ क्यों नहीं दिया गया है? (घ) क्या भविष्य में शासन द्वारा और आई.टी.आई. खोले जाने की कोई योजना है? यदि हाँ, तो क्या सेवढ़ा विधान सभा में भी आई.टी.आई. खोले जाने की कोई योजना है?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

रजेगांव-आमगांव मार्ग की जाँच मुख्य तकनीकी परीक्षक से करायी जाना

64. (क्र. 4543) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा प्रमुख सचिव को विषयांकित रोड़ जिसका निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा किया गया हैं की जाँच मुख्य तकनीकी परीक्षक से कराये जाने हेतु पत्र लिखा था? (ख) यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) जी हाँ। (ख) शिकायत की जाँच मुख्य तकनीकी परीक्षक (सतर्कता) संगठन से कराये जाने हेतु लोक निर्माण विभाग से दिनाँक 27/02/2015 को प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। लोक निर्माण विभाग से प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण किया जा रहा है।

प्रदेश के विभिन्न संचालनालय कौशल विकास मध्यप्रदेश द्वारा खरीदी

65. (क्र. 4544) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के विषयांकित संचालनालय द्वारा विगत तीन वर्षों में कितनी खरीदी की गयी है? खरीदे गये उपकरणों (मशीनों) के नाम तथा खरीदी हेतु क्या प्रक्रिया अपनायी गयी? कृपया वर्षवार जानकारी दें? (ख) प्रश्नांश (क) वर्णित खरीदी गयी मशीनों को किस-किस ।T। में भेजा गया?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) एवं (ख) मध्यप्रदेश भण्डार क्रय नियम तथा विश्व बैंक परियोजना अंतर्गत वोकेशनल ट्रेनिंग इम्प्रूमेंट प्रोजेक्ट के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार क्रय की कार्यवाही की गई है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है।

शासकीय महाविद्यालय सिवनी में प्राध्यापकों के पदों की पूर्ति

66. (क्र. 4660) श्री दिनेश राय (मुनमुन) : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी जिले में संचालित शासकीय महाविद्यालयों में चालू शिक्षा सत्र में स्नातक कक्षाओं एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में किन-किन संकायों में कितने-कितने छात्र अध्ययनरत् है महाविद्यालयवार, कक्षावार एवं संकायवार जानकारी देवें? (ख) विधान सभा क्षेत्र सिवनी में संचालित शासकीय महाविद्यालय सिवनी में स्नातक कक्षाओं एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु संकायवार प्राध्यापकों/फैकल्टी एवं अन्य प्रकार के कितने-कितने पद स्वीकृत है? कितने पद भरे एवं कितने पद कब से रिक्त है? क्या इन रिक्त पदों को आगामी शिक्षा सत्र के प्रारंभ होने के समय तक भर लिया जायेगा? यदि नहीं तो कब तक भरा जायेगा। (ग) शासकीय महाविद्यालय सिवनी में सहायक प्राध्यापकों के वर्तमान में स्वीकृत पद इस महाविद्यालय के विभिन्न संकायों में अध्ययनरत छात्रों की संख्या के अनुपात में क्या पर्याप्त? यदि नहीं तो आवश्यक पद सृजित किये जाना क्या शासन के विचाराधीन है और इन पदों का सृजन कब तक हो सकेगा?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) सिवनी जिले में 07 शासकीय महाविद्यालय संचालित हैं। स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में संकायवार अध्ययनरत विद्यार्थियों की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-'एक' अनुसार** है। (ख) विधानसभा क्षेत्र सिवनी में संचालित शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सिवनी एवं शासकीय कन्या महाविद्यालय, सिवनी में स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु संकायवार प्राध्यापक/सहायक-प्राध्यापक/फैकल्टी एवं अन्य के स्वीकृत, कार्यरत और रिक्त पदों का विवरण **संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-'दो' अनुसार** है। सहायक-प्राध्यापक के रिक्त पदों की समग्र पूर्ति हेतु लोक सेवा आयोग द्वारा दिनाँक 09.07.2014 को विज्ञापन जारी किया जा चुका है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) जी नहीं। "ख" के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "अड़तालीस"

खपत से अधिक के विद्युत देयक जारी करना

67. (क्र. 4661) श्री दिनेश राय (मुनमुन) : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी जिले के ग्रामीण विद्युत उपभोक्ताओं से विद्युत खपत से कई गुना अधिक के विद्युत देयक देने की कितनी शिकायतें दिनाँक 01.04.2014 से प्रश्न दिनाँक तक प्राप्त हुई है? वितरण केन्द्रवार संख्या देवें? (ख) क्या सिवनी जिले के घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं से कई गुना अधिक राशि के विद्युत देयक विभाग द्वारा दिये एवं वसूले जा रहे है? (ग) क्या खपत से अधिक के विद्युत देयक के वितरण वसूली पर रोक लगाने के लिये शासन स्तर से पहल की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक कार्यवाही की जावेगी। (घ) क्या पंचायत चुनाव के दौरान विभाग द्वारा जिन अभ्यार्थियों के विद्युत कनेक्शन स्वयं के नाम नहीं थे। उन्हें अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने में आना-कानी की गई और जबरन नवीन विद्युत कनेक्शन लिये जाने हेतु बाध्य किया जाकर अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिया गया? यदि हाँ, तो क्यों? कारण बतावें।

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) सिवनी जिले के ग्रामीण विद्युत उपभोक्ताओं से दिनाँक 01.04.2014 से प्रश्न दिनाँक तक गलत रीडिंग, गलत पंचिग एवं अन्य कारणों से त्रुटिपूर्ण बिजली के बिल दिये जाने की कुल 1248 शिकायत प्राप्त हुयीं हैं, जिनका समय-सीमा में निराकरण कर उपभोक्ताओं को संशोधित विद्युत देयक दिये गये हैं। उक्तानुसार प्राप्त शिकायतों का वितरण केन्द्रवार विवरण **संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) जी नहीं, उपभोक्ताओं को म.प्र.विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी टैरिफ आदेश के अनुसार ही विद्युत देयक दिए जा रहे हैं तथा तदनुसार ही देयक की राशि जमा कराई जा रही है। (ग) उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता। (घ) जी नहीं। जिला सिवनी क्षेत्रान्तर्गत वर्ष 2014-15 के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विद्युत देयकों के संबंध में अनापत्ति प्रमाणपत्र लेना अनिवार्य किया था। यह सही नहीं है कि जिन अभ्यर्थियों के स्वयं के नाम विद्युत कनेक्शन विद्यमान नहीं थे उन अभ्यर्थियों से कनेक्शन हेतु राशि जमा कराने के बाद ही अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं। बल्कि सभी आवेदकों को, जिन पर विद्युत बिल की बकाया राशि नहीं थी, को विद्युत बिल की बकाया राशि नहीं होने का प्रमाण पत्र जारी किया गया है। किसी को भी कनेक्शन लेने हेतु बाध्य नहीं किया गया है।

<u>परिशिष्ट - "उन्चास</u>"

<u>सड़क निर्माण की अनुमति</u>

68. (क्र. 4705) श्रीमती रेखा यादव : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बैतूल एवं छिंदवाड़ा जिले में सड़क निर्माण के लिये मिट्टी, मुरम, पत्थर, गिट्टी, रेत, कोपरा की गत पांच वर्षों में किस-किस एजेंसी को, किस दिनाँक को, किस ग्राम के किस खसरा नंबर क्रमांक के, कितने रकबें पर, कितने क्यूबीक मीटर खनन एवं कितने क्यूबीक मीटर परिवहन की अनुमति प्रदान की गई किस दिनाँक को किस स्थान पर भंडारण की अनुमति दी गई? (ख) उपरोक्त अवधि में सड़क का निर्माण कर रही किस एजेंसी के विरूद्ध किस दिनाँक को कितने क्यूबीक मीटर गौण खनिज के अवैध खनन एवं अवैध परिवहन का प्रकरण बनाया गया उस पर किस दिनाँक को दिए आदेश के तहत कितना अर्थदण्ड किया, किस प्रकरण को बिना अर्थदण्ड के ही निरस्त या नस्तीबद्ध कर दिया? (ग) बिना अर्थदण्ड के नस्तीबद्ध किए गए प्रकरण की अपील किस दिनाँक को प्रस्तुत की गई? यदि अपील प्रस्तुत नहीं की गई हो तो उसका कारण बतावें? अपील प्रस्तुत न किए जाने के

लिए कौन जिम्मेदार हैं नाम बतावें? (घ) सड़क निर्माण में गौण खनिज के उपयोग से संबंधित शिकायतों की जाँच के लिए संचालक खनिकर्म द्वारा बनाई गई जाँच समिति ने किस दिनाँक को किस शिकायत की जाँच की यदि नहीं की तो समिति कब तक जाँच करेगी?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>उप पंजीयक कार्यालय कोलारस में वर्ष 2014-15 में पंजीकृत विक्रय पत्रों की जानकारी</u>

69. (क्र. 4734) श्री रामसिंह यादव : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोलारस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत उप पंजीयक कार्यालय कोलारस में वर्ष 2014-15 में प्रश्न दिनाँक तक किन-किन के विक्रय पत्र कब-कब पंजीकृत किए गए? (ख) क्या उक्त विक्रय पत्र में वर्णित भूमि/भूखण्ड आदि का भौतिक सत्यापन पंजीयन कार्यालय के अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किया गया था? (ग) बदरवास तहसील क्षेत्र के कौन-कौन से भूमि विक्रय पत्र उप पंजीयक कार्यालय कोलारस में माह अक्टूबर, नवम्बर एवं दिसम्बर 2014 में पंजीकृत किए गए? (घ) प्रश्नाधीन वर्णित विक्रय पत्रों में से कितने विक्रय पत्रों का मूल्य कम दर्शाकर पंजीयन शुल्क कम लिया गया? विक्रय पत्र में दर्शायी गई राशि एवं गाइडलाईन आदि का मिलान/सत्यापन विक्रय पत्रवार किन-किन के द्वारा किया गया?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) प्रश्नाधीन **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार** है। (ख) जी हाँ। शहरी क्षेत्र के स्थल निरीक्षण योग्य कुल 100 विक्रय पत्रों का स्थल निरीक्षण उप पंजीयक, कोलारस द्वारा किया गया था। (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब' अनुसार** है। (घ) किसी भी विक्रय पत्र का पंजीयन गाईडलाईन से कम दर पर नहीं किया गया है। गाईडलाईन अनुसार गणना उप पंजीयक, कोलारस द्वारा की गई।

<u>निलंबित किए गए प्रोफेसरों की जानकारी</u>

70. (क्र. 4736) श्री रामसिंह यादव : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश में 01 जनवरी 2010 से 31 दिसम्बर 2012 तक कितने प्रोफेसर एवं कितने असिस्टेंट प्रोफेसरों को निलंबित किया गया? (ख) इनमें से कितनों की विभागीय जाँच संस्थित की गई और उनके क्या परिणाम रहे? उक्त निलंबितों में से कितनों को बहाल किया गया और कितनों के निलंबन अवधि के प्रकरणों को सुलझाकर उन्हें निलंबन अवधि का भुगतान किया गया? (ग) जिन प्रोफेसरों/असिस्टेंट प्रोफेसरों को निलंबन अवधि का भुगतान नहीं किया गया उनकी संख्या कितनी हैं? इन्हें किन कारणों से भुगतान नहीं किया गया है? इन्हें कब तक भुगतान कर दिया जाएगा? (घ) उक्त प्रभावितों को उनके स्वत्वों का कब तक भुगतान कर दिया जाएगा?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) 01.01.2010 से 31.12.12 तक 11 प्राध्यापक एवं 07 सहायक प्राध्यापकों को निलंबित किया गया है। (ख) 05 प्राध्यापक एवं 01 सहायक प्राध्यापक के विरूद्ध विभागीय जाँच संस्थित की गई, जिसमे से 01 सहायक प्राध्यापक के विरूद्ध 02 वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने की लघुशास्ति अधिरोपित की गई है। निलंबित सभी प्राध्यापकों को बहाल कर दिया गया है। 06 प्राध्यापकों तथा 05 सहायक प्राध्यापकों की निलंबन अवधि के प्रकरणों को निराकृत किया जाकर नियमानुसार भुगतान पूर्ण हो चुका है। (ग) 05 प्राध्यापकों एवं 02 सहायक-

प्राध्यापकों को निलंबन अवधि का भुगतान नहीं किया गया है। प्रकरण प्रक्रियाधीन होने के कारण भुगतान नहीं किया गया है, प्रक्रिया पूर्ण होते ही भुगतान यथासमय हो सकेगा। वस्तुस्थिति के संदर्भ मे निश्चित समयावधि का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। (घ) प्रश्नांश (ग) के उत्तर के संदर्भ मे प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

ईको पर्यटन विकास की योजनाएं

71. (क्र. 4749) श्री अंचल सोनकर : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जबलपुर जिले के किस-किस पर्यटन स्थलों के विकास की ईको टूरिज्म बोर्ड ने कब कितनी-कितनी राशि की कौन-कौन सी योजनाएं / डी.पी.आर. तैयार कर स्वीकृति हेतु शासन को कब भेजी है तथा शासन ने इस योजनायें पर क्या कार्यवाही की है? कौन-कौन सी योजनाओं स्वीकृति हेतु किस स्तर पर लंबित है? (ख) प्रश्नांश (क) में मदन महल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने व बरगी हिल्स में ईको पर्यटन विकास की कब कितनी राशि की क्या योजना बनाई गई है तथा वर्तमान में इसकी क्या प्रगति है? (ग) प्रश्नांकित किन-किन पर्यटन योजनाओं को मूर्तरूप प्रदान करने हेतु वन मण्डलाधिकारी जबलपुर ने कब क्या कार्यवाही की है? प्रदेश शासन ने किन-किन योजनाओं/प्रोजेक्ट्स को स्वीकृति हेतु केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय नई दिल्ली को कब भेजा? इन पर स्वीकृति हेतु क्या प्रयास किये गये? (घ) प्रश्नांश (क) में 13 वें वित्त आयोग के अंतर्गत ईको पर्यटन अधोसरंचना विकास के लिए कितनी राशि प्रस्तावित / प्रावधानित है?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

ग्रेनाईट पत्थर की लीज

72. (क्र. 4758) श्री अनिल जैन : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन द्वारा स्टोन क्रेशर में प्रयुक्त होने वाले ग्रेनाइट पत्थर के उत्खनन करने हेतु भूमि लीज पर दी जाती है? यदि हाँ, तो विधानसभा क्षेत्र निवाडी में किन-किन ग्रामों के किन-किन खसरा नंबरों में कितने-कितने रकबा की किन व्यक्तियों अथवा फर्मों अथवा कंपनियों को ग्रेनाइट पत्थर के उत्खनन करने हेतु भूमि कब से कब तक के लिये लीज प्रदत्त की गई हैं, किन-किन के लीज रकबा का कब-कब सीमांकन या पत्थर गडडी की गई है? किन-किन के द्वारा इन्हीं सीमाओं में ही खनन किया जा रहा है? (ख) प्रश्नांश (क) के लीज प्राप्तकर्ताओं में से किन-किन के द्वारा अपने स्टोन क्रेशर प्लांट इकाइयां भी स्थापित की गई हैं ग्रामवार स्थापित इकाई का नाम, स्थापना वर्ष, वर्तमान में इकाई की चालू रहने की स्थिति, उद्यमी के नाम, पता सहित उपलब्ध करावें? (ग) क्या उक्त के अलावा अन्य क्रेशर प्लांट भी विधानसभा क्षेत्र निवाड़ी में संचालित है जिनके मालिकों के पास अपनी स्वयं की लीज नहीं हैं? ऐसे प्लांट की जानकारी ग्रामवार, खसरा नंबर का नाम तथा संचालन अवधि, विद्युत कनेक्शन नंबर, पर्यावरण एन.ओ.सी. दिनाँक सहित बतावें? (घ) प्रश्नांक (ख) और (ग) के क्रेशर प्लांट से विगत् वर्ष एवं चालू वर्ष में कितना उत्पादन किया गया तथा उससे कितना राजस्व प्राप्त हुआ? प्लांट बार राशि बताई जावे? क्या इन प्लांट का विभागीय अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया है? यदि हाँ, तो वर्ष 2013-14 से अब तक की जानकारी निरीक्षण दिनाँकवार देवें?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

सामुदायिक भवन/चबूतरा निर्माण

73. (क्र. 4790) श्रीमती ऊषा चौधरी : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. के राजगढ़ जिले के अन्तर्गत विभिन्न जनपद पंचायतों में विधायक निधि से वर्ष 2014-15 में सामुदायिक भवन/चबूतरा निर्माण कितने स्वीकृत हुए एवं इन स्वीकृत कार्यों हेतु कितनी राशि स्वीकृत की गई? पृथक-पृथक कार्यवार राशि बतायें तथा जनपदवार जानकारी देवें? (ख) क्या सामुदायिक भवन एवं चबूतरा निर्माण के नाम से राशि स्वीकृत कराकर स्वीकृत राशि मंदिरों को बनाने में खर्च की जाती है? यदि हाँ, तो जानकारी देवें एवं पूर्ण विवरण सहित स्वीकृत कार्यों के आदेश की प्रति उपलब्ध करावें? (ग) प्रश्नांश (ख) का उत्तर यदि हाँ, तो बतायें कि क्या ऐसा प्रावधान है कि उक्त मदों से स्वीकृत सामुदायिक भवन/चबूतरा निर्माण के स्थान पर मंदिरों का निर्माण कराया जावें? (घ) यदि प्रश्नांश (ग) का उत्तर नहीं तो स्वीकृतकर्ता अधिकारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी? क्या निर्माण एजेन्सियों से स्वीकृत राशि की वसूली की जावेगी? क्या इस सम्पूर्ण प्रकरणों का भौतिक सत्यापन कराकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट** पर है। (ख) से (घ) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "पचास"

अनुकंपा नियुक्ति

74. (क्र. 4791) श्रीमती ऊषा चौधरी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सेवाकाल के दौरान मृत्यु हो जाने पर अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने का क्या प्रावधान है? आदेश की प्रति उपलब्ध करायें? (ख) क्या प्रश्नांश (क) अनुसार आदेश में उल्लेख है कि नियमित पद उपलब्ध न होने की स्थिति में संविदा शिक्षक के पद पर व्यापम परीक्षा उत्तीर्ण करना और बारहवीं में 50 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण करने पर अनुकम्पा नियुक्ति दी जायेगी? (ग) यदि हाँ, तो क्या संविदा शिक्षक वर्ग-3 हेतु डी.एड. एवं वर्ग-1 एवं 2 हेतु बी.एड. के साथ-साथ व्यापम की पात्रता परीक्षा एवं बारहवीं में 50 प्रतिशत अहर्ता की शर्त को विलोपित करते हुए पूर्व की भाँति योग्यता के आधार पर नियमित नियुक्ति संबंधी आदेश प्रसारित किए जायेगें? यदि हाँ, तो कब तक? क्या आदेश में संशोधन किया जाऐगा?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) अनुकंपा नियुक्ति के निर्देश दिनाँक 29.09.2014 की छायाप्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) एवं (ग) प्रश्नांश 'क' अनुसार अनुकंपा नियुक्ति आदेश में उल्लेखित नियमित पद उपलब्ध न होने की स्थिति में आवेदक की सहमति से संविदा शिक्षक के पद पर अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकती है। किन्तु भारत सरकार के नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अनुसार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एन.सी.टी.ई) द्वारा निर्धारित शैक्षणिक अर्हता, शिक्षण प्रशिक्षण योग्यता एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य की गई है। अब (संविदा शाला शिक्षक वर्ग-2 व वर्ग-3 के पद पर) अधिनियम द्वारा निर्धारित अर्हता की पूर्ति के बिना नियुक्ति/अनुकंपा नियुक्ति नहीं की जा सकती है। भारत सरकार के अधिनियम के प्रावधानों में छूट राज्य शासन द्वारा नहीं दी जा सकती। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

क्षेत्रीय नोडल कार्यालय खोले जाना

75. (क्र. 4845) इन्जी. प्रदीप लारिया : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल द्वारा म.प्र. में कितने क्षेत्रीय कार्यालय/नोडल कार्यालय शुरू किया जाना प्रस्तावित है? (ख) वर्तमान में कितने क्षेत्रीय कार्यालय/नोडल कार्यालय प्रोद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा शुरू कर दिये गये हैं? (ग) सागर जिले में क्षेत्रीय कार्यालय/नोडल कार्यालय राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल द्वारा कब शुरू किया जावेगा? जानकारी देवें।

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

मुख्यमंत्री की विदेश यात्रा

76. (क्र. 4846) श्रीमती इमरती देवी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनवरी 2014 से 15 फरवरी 2015 तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने किन-किन देशों की यात्रा की देश का नाम, यात्रा की अवधि, साथ गये सभी व्यक्तियों के नाम उस पर हुए व्यय की जानकारी देवें? (ख) मुख्यमंत्री के साथ प्रश्नांश (क) में उल्लेखित यात्राओं में गये व्यक्तियों का चयन किस आधार पर किया गया?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

फार्मासिस्ट ग्रेड-2 के वेतन सम्बंधी

77. (क्र. 4869) श्री राजेश सोनकर : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सच है, कि राज्य वेतन आयोग (अग्रवाल वेतन आयोग) ने अपनी रिपोर्ट दिनाँक 30.03.2010 में राज्य शासन के फार्मासिस्ट ग्रेड-2 को वेतन मान 4000-6000 किए जाने की अनुशंसा के संबंध में वित्त विभाग द्वारा परीक्षण किए जाने संबंधी उत्तर विधानसभा सत्र परि. अतारांकित प्रश्न क्रमांक 3826 दिनाँक 22.07.14 के माध्यम से दिया गया था? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में यदि नहीं तो राज्य वेतन आयोग द्वारा घोषित अनुशंसाओं पर वित्त विभाग द्वारा परीक्षण की अवधि बताइए? (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में तारतम्य में फार्मासिस्ट ग्रेड-2 का वेतनमान 4000-6000 कब तक लागू किया जाएगा?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) जी हाँ। (ख) वित्त विभाग स्तर पर कार्यवाही पूर्ण की गई है। राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया जाना शेष है। (ग) प्रश्नांश "ख" के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

नदियों पर स्टाप डेम निर्माण

78. (क्र. 4895) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सुमावली विधान सभा मुरैना की क्वारी नदी व अन्य नदियों पर स्टापडेम कम रपटा, स्टाप डेम के कितने प्रस्ताव (प्रकरण) शासन को प्राप्त हुए हैं? वर्तमान स्थिति की पूर्ण जानकारी दी जावे? (ख) उक्त प्रस्तावों पर शासन द्वारा कब तक स्वीकृति प्रदान की जावेगी? प्रत्येक प्रस्ताव की अलग-अलग जानकारी तथ्यों सहित दी जावे? (ग) क्या जिले के कुछ स्थानों पर पूर्व में निर्मित स्टाप डेमों पर कार्य अपूर्ण है, क्यों? कहाँ-कहाँ स्टाप डेम बनाये गये हैं? निर्माण वर्ष सहित पूर्ण जानकारी दी जावे?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) एवं (ख) प्रश्नाधीन क्षेत्र में वर्तमान में स्टाप डेम निर्माण का कोई प्रस्ताव स्वीकृति हेतु विचाराधीन नहीं है। (ग) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है।

परिशिष्ट - "इक्यावन"

जिले में कौशल प्रशिक्षण की जानकारी

79. (क्र. 4902) श्री रामलाल रौतेल : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अनूपपुर जिले में तकनीक शिक्षा विभाग द्वारा कौशल प्रशिक्षण की कुल कितनी संस्थाएं संचालित हैं? विवरण सहित जानकारी प्रदान करें? (ख) सबल में किस-किस प्रकार के प्रशिक्षण प्रदान किए जाते हैं? वर्तमान में प्रशिक्षार्थी किस-किस प्रांत के निवासी हैं, तथा संचालनकर्ता का नाम, स्थान, पंजीकृत संस्था का विवरण प्रदान करें?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) कौशल प्रशिक्षण के लिये 04 शासकीय आई.टी.आई. 06 प्रायवेट आई.टी.आई.एवं 01 कौशल विकास केन्द्र संचालित है। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) अनूपपुर जिले में किसी भी शासकीय व प्रायवेट आई.टी.आई.एवं कौशल विकास केन्द्रों में सबल योजना संचालित नहीं हैं।

अनूपपुर जिले में संचालित महाविद्यालय

80. (क्र. 4903) श्री रामलाल रौतेल : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अनूपपुर जिले में कुल कितने शासकीय, गैर शासकीय महाविद्यालय संचालित हैं? महाविद्यालय का नाम, स्थान, विवरण सहित प्रदान करें? (ख) क्या जिले में कोई ऐसा भी महाविद्यालय है, जिनका अपना भवन नहीं है? यदि हाँ, तो शासन भवन कब तक स्वीकृत कर देगी?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) अनूपपुर जिले में कुल 05 शासकीय एवं 06 अशासकीय महाविद्यालय हैं। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) जी हाँ। अनूपपुर जिले में शासकीय महाविद्यालय बिजुरी एवं शासकीय महाविद्यालय जैतहरी के पास स्वयं का भवन नहीं हैं। शासकीय महाविद्यालय बिजुरी को भूमि आवंटन कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। शासकीय महाविद्यालय जैतहरी को भूमि आवंटित हो चुकी है, भवन निर्माण संबंधी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "बावन"

उर्दू अकेडमी का संस्कृति विभाग में संविलियन

81. (क्र. 4927) श्री आरिफ अकील : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश उर्दू अकेडमी का संस्कृति विभाग में संविलियन से पूर्व बड़े पैमाने पर साहित्यिक गतिविधियों का संचालन होता रहा है? यदि हाँ, तो संस्कृति विभाग में संविलियन होने के पश्चात साहित्यिक गतिविधियों पर विराम किन कारणों से लगाया गया? यदि नहीं, तो संविलियन के एक वर्ष पूर्व एवं बाद में साहित्यिक गतिविधियां आयोजित की गई? साहित्यिक गतिविधियों की तुलनात्मक जानकारी से अवगत करावें? (ख) उर्दू अकेडमी को संस्कृति विभाग में संविलियन करने के क्या उद्देश्य है और उर्दू अकेडमी के बजट एवं स्टाफ का किस प्रकार उपयोग किया जावेगा? (ग) प्रश्नांश

"क", "ख" के परिप्रेक्ष्य में उर्दू अदब से जुड़े लोगों की भावनाएं प्रभावित न हो इस दृष्टि से क्या शासन उर्दू अकेडमी के संस्कृति विभाग के संविलियन को निरस्त करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? कारण सहित बतावें।

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) उर्दू अकादमी संस्कृति विभाग में संविलियन से उसकी गतिविधियों में और वृद्धि हुई है. कार्यक्रम का संचालन यथावत हो रहे है. वित्त वर्ष 2013-14 में चुनाव आचार संहिता लागू होने की वजह से प्रस्तावित गतिविधियॉ सम्पन्न नहीं हो सकी है. संस्कृति विभाग में संविलियन के पश्चात् अन्य अकादमियों की तरह गतिविधियों में विस्तार हुआ है. आगामी वित्त वर्ष से उर्दू अकादमी के लिए संस्कृति परिषद की अन्य अकादमियों की तरह वर्ष भर कार्यक्रम आयोजित करने के लिए गतिविधियॉ सुनिश्चित कर ली गई है. (ख) संस्कृति विभाग में संविलियन से उर्दू अकादमी की गतिविधियों में विस्तार होगा। उर्दू साहित्य एवं कला से जुड़े लोगों को वृहत पैमाने पर अवसर प्राप्त होगा. विभाग में कार्यरत हिन्दी, सिन्धी, लोक कला संगीत, मराठी, भोजपुरी एवं पंजाबी अकादमियों की भांति ही उर्दू अकादमी के उद्देश्य :- साहित्य/कला एवं संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन एवं प्रोत्साहन और विस्तार देने का उद्देश्य है. (ग) प्रश्नांश ''क'' एवं ''ख'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है.

बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय के अधिकारियों को पी.एच.डी.की अनुमति

82. (क्र. 4928) श्री आरिफ अकील : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राज्य शासन द्वारा बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय सेवा के अधिकारियों को वर्ष 2014 में पी.एच.डी. करने की अनुमति दी गई है? (ख) यदि हाँ, तो कितने अधिकारियों ने आवेदन किये थे और कितने अधिकारियों को अनुमति दी गई एवं किन-किन को किन-किन कारणों से नहीं दी गई? (ग) प्रश्नांश (क) - (ख) के परिप्रेक्ष्य में नियम विरूद्ध कार्यवाही के लिए कौन-कौन दोषी हैं? उनके विरूद्ध शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? कारण सहित बतावे।

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) जी नहीं। (ख) केवल एक अधिकारी (उपकुलसचिव) द्वारा पीएच.डी. अध्ययन की अनुमति हेतु आवेदन दिया गया था। विश्वविद्यालय में अधिकारियों की कमी होने के कारण अनुमति नहीं दी गई। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में कोई दोषी नहीं होने से कार्यवाही आवश्यक नहीं हैं।

मण्डला जिले के पर्यटन स्थल का विकास

83. (क्र. 4991) प्रो. संजीव छोटेलाल उइके : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मण्डला जिले में कितने पर्यटन स्थल है स्थान का नाम बताये क्या इन्हें पर्यटन रूट से जोड़ा गया है यदि नहीं तो क्यों? क्या पर्यटन संबंधी टूरिज्म काउंसिल का गठन म.प्र. शासन के दिशा निर्देश के आधार पर वैधानिक प्रक्रिया का पालन कर लिया गया है? (ख) वर्ष 2011-12 से प्रश्न दिनाँक तक मण्डला जिले में पर्यटन विभाग द्वारा कौन-कौन से कार्य कहाँ-कहाँ, कितनी-कितनी राशि से कराये गये? (ग) उक्त कार्यों का मापन मूल्यांकन सत्यापन किस-किस अधिकारी कर्मचारी द्वारा किया गया नाम, पदनाम सहित बताये? (घ) मण्डला जिले में गौड़ राजाओं के शासन कालीन अवशेष किला, बुर्ज, रामनगर का किला आदि ऐतिहासिक एवं पुरात्ताविक धरोहर है आदिवासी जन भावनाओं

के अनुरूप इन स्थलों को विकसित किया जायेगा एवं पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये भविष्य की क्या योजना है?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

पैनल लायर की नियुक्ति

84. (क्र. 5045) श्री आशीष गोविंद शर्मा : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. में विद्युत मण्डल के अतंर्गत पैनल लायर की नियुक्ति संबंधी क्या क्या अर्हताएं है? (ख) देवास जिले के अन्तर्गत कन्नौद विकास खण्ड में म.प्र.विद्युत मंडल के अन्तर्गत पैनल लायर की नियुक्ति क्या अर्हताओं के आधार पर की गई है? (ग) क्या कन्नौद विकासखण्ड के अन्तर्गत म.प्र.विद्युत मण्डल में अधिवक्ता की नियुक्ति कर दी गई है अगर नहीं तो कब तक की जावेगी?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) म.प्र.राज्य विद्युत मण्डल के पुनर्गठन के उपरांत गठित मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड में वर्तमान में विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अन्तर्गत गठित विशेष न्यायालयों हेतु ही पेनल लॉयर की नियुक्ति के लिए अहर्ताएँ निर्धारित की गयी हैं जो कि निम्नानुसार हैं :- इंपेनलमेंट सामान्यत: दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधानों के अनुसार होगा किन्तु संहिता की धारा 24 (7) का पालन आवश्यक है तथा व्यक्ति को निम्न अहर्ताएँ पूर्ण करना चाहिये :- (1) आयकर विवरणी के अनुसार विधि व्यवसाय से वार्षिक आय रू.3.00 लाख से कम नहीं होनी चाहिये या उसके द्वारा मंडल/कंपनी का सत्र न्यायालय/उच्च न्यायालय में पिछले तीन वर्षों से उच्च सफलता की दर से प्रतिनिधित्व किया गया हो। (2) सिविल या आपराधिक न्यायालयों में प्रतिवर्ष स्वतंत्र रूप से कम से कम 10 प्रकरणों में पैरवी की गयी हो। (ख) देवास जिले के अन्तर्गत कन्नौद विकास खण्ड में म.प्र.पश्चिम क्षेत्र वि.वि.कं.लि., इन्दौर के अन्तर्गत विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अन्तर्गत गठित विशेष न्यायालय कन्नौद हेतु पेनल लॉयर की नियुक्ति भी उत्तरांश "क" में उल्लेखित अहर्ताओं के आधार पर ही की गयी हैं। (ग) जी हाँ, म.प्र.पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के अन्तर्गत नियुक्ति कर दी गयी हैं।

खिलचीपुर तहसील कोटरा बैराज के निर्माण की जाँच

85. (क्र. 5068) डॉ. योगेन्द्र निर्मल : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है जल संसाधन संभाग राजगढ़ अंतर्गत खिलचीपुर तहसील कोटरा बैराज का निर्माण कार्य अत्यंत घटिया स्तर का होने से वर्षाकाल में पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है? (ख) यदि हाँ, तो उक्त बैराज निर्माण कितनी लागत से, किस ठेकेदार से, किस-किस उपयंत्री/अनुविभागीय अधिकारी/कार्यपालन यंत्री की देखरेख में कराया गया? (ग) उक्त प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में संबंधित ठेकेदार एवं जिम्मेदार अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो क्यों? (घ) उक्त बैराज के निर्माण कार्य हेतु टेण्डर की शर्तों के अनुसार कार्य के विभिन्न आयटमों की मात्राएं जो ठेकेदार को करनी थी और ठेकेदार द्वारा जो कार्य किया गया उस हेतु कितना भुगतान किया गया? किये गये भुगतान की प्रति उपलब्ध कराये?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) जी नहीं, अगस्त 2014 में अतिवृष्टि से कोटड़ा बैराज की डाउन स्ट्रीम की वाल क्षतिग्रस्त हुई है। (ख) कोटड़ा बैराज के निर्माण में रूपये 77.61 लाख का

निवेश किया गया। निर्माण एजेन्सी श्री कैलाशचन्द्र सरावत, सारंगपुर थी। निर्माण कार्य के प्रभारी कार्यपालन यंत्री श्री अनिल सिंह, अनुविभागीय अधिकारी श्री गजेन्द्र सिंह, एवं उपयंत्री श्री मूल सिंह थे। (ग) निर्माण एजेन्सी के साथ निष्पादित अनुबंध के तहत सुधार कार्य के लिए निर्माण एजेन्सी जिम्मेदार है। निर्माण एजेन्सी की राशि रोकी गई है और सुधार कार्य प्रगति पर है। अतिवृष्टि के कारण हुई क्षति के लिए किसी अधिकारी के दोषी होने की स्थिति नहीं है। प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होता है। (घ) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है।

परिशिष्ट - "तिरेपन"

जल संसाधन में प्राप्त शिकायतें

86. (क्र. 5069) डॉ. योगेन्द्र निर्मल : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनाँक 1-1-2011 से प्रश्न दिनाँक तक जल संसाधन संभाग राजगढ़ अंतर्गत कर्मचारियों से कार्यपालन यंत्री स्तर तक किस-किस कार्य की वरिष्ठ कार्यालयों से शासन स्तर तक शिकायतें प्राप्त हुई? शिकायतकर्ता का नाम सहित समस्त शिकायतों का विवरण दें? (ख) क्या उक्त प्राप्त शिकायतों पर संबंधित कर्मचारियों/विभाग द्वारा क्या जवाब भेजे गए? विवरण दें? (ग) उक्त शिकायतों के परिप्रेक्ष्य में किस-किस कर्मचारी/अधिकारी पर क्या कार्यवाही की गई?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) से (ग) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है।

परिशिष्ट - "चउवन"

म.प्र.वि.उ.क. की निविदा प्रक्रिया

87. (क्र. 5086) श्री रामेश्वर शर्मा : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. विद्युत उत्पादन कंपनी से जारी निविदओं को म.प्र. लो.नि.वि. के टेंडर्स मैन्युल के अनुसार जारी किया जाना चाहिए। (ख) यदि नहीं तो कृपया बताएं कि म.प्र.वि.उ.कं.लि. द्वारा किस मैन्यूल के अनुसार निविदाएं आंमत्रित की जाती हैं। (ग) म.प्र. लोक निर्माण विभाग के आदेश क्र. एफ-52/1/10/यो/19-53 दिनाँक 03.01.2011 अनुसार निविदा आमंत्रण सूचनाओं के साथ अनावश्यक रूप से विशेष शर्तें संलग्न करने के संबंध में प्रतिबंधित किया गया है, तो (सतपुड़ा ताप विद्युत गृह) सताविगृ. सारनी की सभी निविदाओं में उक्त आदेश का उल्लंघन कर विशेष शर्तें (पीक्यूआर) जोड़ कर निविदाएं क्यों आंमत्रित की जा रही है? (घ) यदि म.प्र.वि.उ.कं.लि. एवं सताविगृ. (सतपुड़ा ताप विद्युत गृह) सारनी द्वारा जारी 2 लाख रूपये से उपर की सभी निविदाओं में पीक्यूआर जोड़ा जाना नियमानुसार है तो कृपया नियम बतावें।

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जी नहीं। (ख) म.प्र.पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा जारी निविदाओं को म.प्र.पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड में लागू प्रोक्योरमेंट मेनुअल के नियमों एवं प्रावधानों के अनुसार आमंत्रित किया जाता है। (ग) सतपुडा ताप विद्युत गृह सारनी में समस्त निविदाएँ, म.प्र.पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा जारी प्रोक्योरमेंट मेनुअल के तहत ही आमंत्रित की जाती हैं तथा इसमें वर्णित पी.क्यू.आर. (न्यूनतम अहर्ताएँ) के अनुरूप ही निविदा में पी.क्यू.आर. की शर्तें रखी जाती हैं। म.प्र.पावर जनरेटिंग कपंनी लिमिटेड के प्रोक्योरमेंट मेनुअल के अनुसार निविदा हेतु निविदाकर्ताओं की पात्रता एवं अहर्ता की कसौटी आवश्यक है। (घ) म.प्र.पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड एवं सतपुडा ताप विद्युत गृह, सारनी द्वारा जारी 2 लाख रूपये से अधिक की समस्त निविदाएँ म.प्र.पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के प्रोक्योरमेंट मेनुअल की कंडिका क्रमांक 5.3

में, निविदा प्रपत्र में समाविष्ट करने के लिये आवश्यक शर्तें निर्दिष्ट हैं, जिसकी कंडिका क्रमांक 5.3.1 में उल्लेखित निविदाकर्ताओं की पात्रता एवं अहर्ता के मापदंड निम्नानुसार हैं :- "निविदाकर्ताओं के लिये, पात्रता एवं अहर्ता मापदंड, संबंधित निविदा हेतु आवश्यक विशिष्ट योग्यता मापदंड के अनुसार निर्दिष्ट किये जाने चाहिये" उपरोक्त कंडिका के अनुसार म.प्र.पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड में निविदाएँ पात्रता एवं अहर्ता मापदंड के साथ जारी की जाती हैं। अत: 2 लाख रूपये से अधिक की सभी निविदाओं में पात्रता एवं अहर्ता का मापदंड (पी.क्यू.आर.) जोड़ा जाना नियमानुसार है।

अधूरे कार्यों को पूर्ण किया जाना

88. (क्र. 5099) श्री दीवानसिंह विट्ठल पटेल : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पानसेमल विधानसभा क्षेत्र में दिनाँक 01.01.2010 से 31.12.2014 तक कितने निर्माण कार्य स्वीकृत किए गए? उनकी लागत, स्वीकृति दिनाँक, कार्य, पूर्णता दिनाँक सहित बतायें? (ख) कितने कार्य अपूर्ण है उनकी सूची आहरित राशि सहित देवें? (ग) अपूर्ण कार्य कब तक पूर्ण होगें समय सीमा बतायें? (घ) इसके दोषी अधिकारियों पर कब तक कार्यवाही होगी?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) से (घ) विभाग द्वारा प्रश्नाधीन अवधि में स्वीकृत कार्यों की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। भूमि की उपलब्धता एवं वन भूमि की अनुमति संबंधी कारणों से निर्माण कार्य पूर्ण करने में विलंब हुआ है। निर्माण कार्यों को पूर्ण करना भूमि की उपलब्धता एवं वन भूमि के उपयोग की अनुमति पर निर्भर होने के कारण कार्य पूरा करने के लिए समय-सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है। किसी अधिकारी के दोषी होने की स्थिति नहीं है।

परिशिष्ट - "पचपन"

महाविद्यालयीन भवनों का निर्माण

89. (क्र. 5102) श्री दीवानसिंह विट्ठल पटेल : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बड़वानी जिले में कुल कितने महाविद्यालय संचालित है, तथा किन-किन महाविद्यालयों के भवन निर्मित है? (ख) क्या निवाली में महाविद्यालय लंबे समय से संचालित होने के बावजूद भी आज तक भवन निर्मित नहीं हुआ है? कब तक भवन निर्माण की स्वीकृति हो जावेगी? (ग) क्या पानसेमल में भूमि उपलब्ध होने के बावजूद भी भवन निर्मित नहीं हो रहा है? क्या कारण है क्या विभाग उक्त दोनों महाविद्यालयों के भवन निर्माण करवायेगा? यदि हाँ, तो कब तक और नहीं तो छात्रों के साथ अन्याय नहीं हो रहा है?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) बड़वानी जिले में कुल 07 शासकीय महाविद्यालय संचालित हैं। जिनमें से 05 शासकीय महाविद्यालय क्रमश :- 1. शा. पीजी महा. बड़वानी, 2. शा. कन्या महा. बड़वानी, 3. शा. महा. अंजड़, 4. शा. महा. राजपुर, 5. शा. महा. सेंधवा के भवन निर्मित हैं। (ख) विभाग द्वारा शासकीय महाविद्यालय निवाली के भवन निर्माण हेतु म.प्र. गृहनिर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल को निर्माण एजेन्सी बनाया गया हैं। निक्षेप योजना के अंतर्गत महाविद्यालय के भवन निर्माण संबंधी कार्यवाही कार्य एजेन्सी म.प्र. गृहनिर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल द्वारा प्रक्रियाधीन है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) शासकीय महाविद्यालय पानसेमल के भवन निर्माण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। शासकीय

महाविद्यालय निवाली का भवन निक्षेप योजना के अंतर्गत प्रक्रियाधीन है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

आधार कार्ड बनाने में अनियमितता

90. (क्र. 5133) श्री हर्ष यादव : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सागर जिले में आधार कार्ड पंजीकरण का कार्य कई एजेंसियों द्वारा कराया जा रहा है? यदि हाँ, तो सागर शहर में कितने केन्द्र इसके बनाये गये है, स्थान सहित पंजीकरण एजेंसी का नाम सहित बतायें? (ख) प्रश्नांश (क) स्थान में कितने केंद्र नि-शुल्क आधार कार्ड पंजीयन करते है? कितने केन्द्र शुल्क लेकर आधार कार्ड पंजीयन करते हैं? उनके नाम स्थान सहित बताये तथा इनके द्वारा लिया जाने वाला शुल्क भी बताये? (ग) क्या आधार कार्ड पंजीयन केन्द्रों पर सूचना फलक नहीं लगा है? केन्द्र में नि:शुल्क पंजीयन होता है या सशुल्क पंजीयन होता है? क्या शासन ऐसे सूचना फलक केन्द्रों को लगाना उचित समझेगा? यदि नहीं तो आमजन को इस ठगी से बचाने के लिये क्या उपाय किये जावेंगे? (घ) क्या आधार कार्ड पंजीयन केन्द्रों द्वारा जनता से सैकड़ों रूपये लेकर आधार पंजीयन करने की शिकायत एवं इसका समाचार, समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है? तथा इसकी जाँच कलेक्टर द्वारा कराई गई है? क्या शासन इस ठगी को रोकने के लिये प्रभावी कदम उठायेगा?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) म.प्र. यू.आई.डी. सोसायटी के द्वारा सागर जिले में मेट्रिक ऐजेन्सी को कार्य आदेश दिया गया था जिसने अभी तक कार्य प्रारम्भ नहीं किया है। यू.आई.डी. ए.आई. द्वारा अपने स्तर से जो अनुमतियाँ एन.एस.आर. को दी गई हैं की जानकारी निम्नानुसार है :- 1. आईसेक्ट (परमानेंट सेन्टर) 2. कार्वी (परमानेंट सेन्टर) 3. डाटा सोफट कम्प्युटर सर्विस प्रायवेट लिमिटेड केन्द्रों की **सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर** है। (ख) सभी केन्द्र निशुल्क आधार कार्ड पंजीयन करते हैं। (ग) आधार पंजीयन निशुल्क होगा। सूचना फलक लगाने हेतु निर्देश हैं। फलक नहीं लगाने की सूचना प्राप्त होने पर उचित कार्यवाही की जा सकती है। (घ) जी हाँ। जी हाँ। जी हाँ।

रतलाम जिला अंतर्गत कार्यरत अतिथि विद्वान

91. (क्र. 5179) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रतलाम जिला अंतर्गत कुल कितने शासकीय महाविद्यालय तथा कुल कितने कन्या महाविद्यालय होकर उनमें कुल कितने अतिथि विद्वानों (प्राध्यापक) के माध्यम से शैक्षणिक कार्य किया जाता है? (ख) उपरोक्त महाविद्यालयों में अतिथि विद्वान प्राध्यापक रखे जाकर शैक्षणिक संपादित किये जाने का कार्य किस वर्ष से प्रारंभ होकर प्रश्न दिनाँक तक किया जा रहा है? (ग) क्या स्थाई, प्राध्यापकों के पद रिक्त होने के कारण इन्हें प्रतिवर्ष लगातार विषयवार नियुक्ति प्रदान की जाकर शैक्षणिक कार्य पूर्ण किया जा रहा है? (घ) यदि हाँ, तो, क्या शासन/विभाग उपरोक्त आशय के विषयवयार अतिथि विद्वानों को नियमानुसार संविदा भर्ती की प्रक्रिया कर नियुक्ति प्रदान किये जाने पर विचार कर रहा है?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) रतलाम जिले में कुल 07 शासकीय महाविद्यालय हैं एवं 01 कन्या महाविद्यालय है जिसमें आवश्यकतानुसार आमंत्रित 61 अतिथि विद्वानों से शैक्षणिक कार्य सुचारू रूप से कराया जा रहा है। (ख) वर्ष 2003-2004 से वर्तमान तक। (ग) जी हाँ। (घ) सहायक प्राध्यापक के पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही लोक सेवा आयोग के माध्यम

से की जाती है, अतिथि विद्वानों को नियमानुसार लोकसेवक मान्य नहीं होने से, नियुक्ति दिये जाने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान की सहायता राशि

92. (क्र. 5180) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या रतलाम जिला अंतर्गत शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों से आवेदकों एवं जन प्रतिनिधियों के माध्यम से अत्यंत गरीब परिवारों के विभिन्न कार्यों हेतु स्वेच्छानुदान सहायता राशि प्रदाय किये जाने के आवेदन प्राप्त हो रहे हैं? (ख) यदि हाँ, तो वर्ष 2013 नवम्बर से लेकर प्रश्न दिनाँक तक शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों से आवेदकों एवं जनप्रतिनिधियों के माध्यम से कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए? (ग) उपरोक्त समयावधि में प्राप्त आवेदनों पर कितनी राशि स्वीकृत की जाकर कितने प्रकरण स्वीकृत किये गये? (घ) साथ ही रतलाम जिला अंतर्गत कुल प्राप्त आवेदनों सहित स्वीकृत प्रकरणों की राशि की जानकारी से अवगत कराएं?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) जी हाँ। (ख) वर्ष 2013 प्रश्नांश अवधि से प्रश्न दिनाँक तक 40 आवेदन प्राप्त हुए हैं। (ग) प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित अवधि में प्राप्त 40 प्रकरणों में कुल रूपये 24,10,000/- (चौबीस लाख दस हजार) की राशि स्वीकृत की गई है। (घ) रतलाम जिले में कुल प्राप्त 40 आवेदनों में से 17 ग्रामीण प्रकरणों में रूपये 7,55,000/- (सात लाख पचपन हजार) एवं 23 नगरीय प्रकरणों में कुल राशि रूपये 16,55,000/- (सोलह लाख पचपन हजार) की राशि स्वीकृत की गई है।

जीवाजी विश्वविद्यालय में नियुक्तियों की जाँच

93. (क्र. 5191) श्री रामनिवास रावत : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या-3 (क्र. 203) दि. 08.07.14 के प्रश्नांश (क) में जानकारी दी गई थी कि संबंधित नियुक्तियों के पदाधिकारी संबंधी ए.पी.आई. अनुपलब्ध हैं? तो क्या बगैर ए.पी.आई. के की गई नियुक्तियां अवैध है? यदि हाँ, तो क्या उक्त नियुक्तियां निरस्त की जावेंगी? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार नियम विरूद्ध हुई नियुक्तियों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की जाँच किस अधिकारी/ संस्था द्वारा की जा रही है? क्या जाँच पूर्ण हो चुकी है? यदि हाँ, तो जाँच में क्या तथ्य पाए गए? जाँच प्रतिवेदन के आधार पर अभी तक क्या कार्यवाही की गई है? (ग) यदि नहीं तो क्या शासन जीवाजी अध्ययनशाला में विगत तीन वर्ष में प्रश्नांश (क) अनुसार नियम विरूद्ध हुई नियुक्तियों की उच्च स्तरीय जाँच के निर्देश प्रदान करेगा?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) जी हाँ। जी नहीं। विश्वविद्यालय के फार्मेसी संस्थान में प्राचार्य-01, प्रोफेसर-01 एवं एसोसिएट प्रोफेसर-03 पदों पर नियुक्ति से पूर्व गठित समिति द्वारा अभिलेखों के अनुसार ए.पी.आई. स्कोर चार्ट तैयार किया गया किन्तु कुछ आवेदकों के अभिलेख उपलब्ध न होने के कारण साक्षात्कार के पूर्व उनसे प्राप्त अभिलेखों के आधार पर ए.पी.आई. स्कोर की गणना की गई। अतः पूर्व एवं उसके पश्चात् प्राप्त अभिलेखों के अनुसार तैयार ए.पी.आई. स्कोर अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति की गई है, जो अवैध नहीं है। (ख) नियुक्तियों के संबंध में अपराध अनुसंधान विभाग, ग्वालियर से जाँच किए जाने हेतु विश्वविद्यालय को पत्र प्राप्त हुआ था, जिसके आधार पर अपराध अनुसंधान विभाग को जानकारी उपलब्ध करा दी गई थी। किन्तु राजभवन भोपाल से प्राप्त पत्र दिनाँक 18.09.14 को अपराध अनुसंधान विभाग को मार्गदर्शन हेतु भेजा गया है। मार्गदर्शन प्राप्त होने के उपरांत राजभवन के निर्देशानुसार शेष जानकारी अपराध

अनुसंधान विभाग को भेजी जा सकेगी। (ग) प्रकरण में कार्यवाही अपराध अनुसंधान विभाग एवं राजभवन, भोपाल स्तर पर प्रक्रियाधीन है। अतः शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।

<u>पावर जनरेटिंग/ट्रांसमीशन एवं विद्युत वितरण कंपनियों का ऑडिट</u>

94. (क्र. 5204) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. पावर जनरेटिंग, मेनेजमेंट, ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड जबलपुर एवं मध्यप्रदेश पूर्व/ पश्चिम/ मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के ऑडिट किये जाने के क्या नियम/ प्रावधान है? (ख) यदि ऑडिट के प्रावधान है तो वर्ष 2011-12, 12-13, 13-14 एवं 14-15 में क्या उक्त कंपनियों के वित्तीय लेखों का ऑडिट प्रदेश के महालेखाकार कार्यालय द्वारा कराया गया था? यदि हाँ, तो वित्तीय लेखों पर प्रदेश के महालेखाकार कार्यालय की ऑडिट रिपोर्ट में किन-किन कंपनियों की अनियमितताएं घोटाले आदि प्रकाश में आए? (ग) उपरोक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में उक्त कंपनियों की सम्बद्धता (फ्रैंचाइजी) कंपनियों के ऑडिट कराएं जाने के क्या प्रावधान/ नियम है? (घ) यदि प्रावधान नहीं है तो क्या इन सम्बद्ध कंपनियों के द्वारा की जा रही अनियमितताएं घोटाले आदि पर अंकुश लगाने के लिए इनका भी ऑडिट कराया जाएगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) म.प्र.पावर जनरेटिंग, म.प्र.पावर मेनेजमेंट, म.प्र.पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड एवं मध्यप्रदेश पूर्व/पश्चिम/मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2014-15 के पूर्व के ऑडिट, कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधान अनुसार तथा वर्ष 2014-15 से, कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों अनुसार किये जाने का नियम है। इन नियमों के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक कार्यालय द्वारा वैधानिक लेखा परीक्षकों को अंकेक्षण हेतु नियुक्त किया जाता है। वैधानिक लेखा परीक्षक द्वारा अंकेक्षण किये जाने के उपरांत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक कार्यालय द्वारा भी समय-समय पर पूरक लेखा परीक्षण किया जाता है। (ख) उक्त कंपनियों द्वारा प्रावधानों के अनुरूप वर्ष 2011-12, 12-13 एवं 13-14 में वित्तीय लेखों का अंकेक्षण कार्य (ऑडिट) महालेखाकार कार्यालय द्वारा कराया गया था। वर्णित वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट में वित्तीय लेखों पर महालेखाकार कार्यालय द्वारा किसी भी कंपनी से संबंधित ऑडिट में वित्तीय अनियमितताएँ/घोटाले प्रकाश में नहीं आये है। वित्तीय वर्ष 2014-15 की समाप्ति पश्चात वित्तीय वर्ष 2014-15 का अंकेक्षण नियमानुसार कराया जायेगा। (ग) म.प्र.पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत सागर शहर में एक वितरण फ्रेंचाईजी कंपनी कार्यरत है। इस कंपनी की ऑडिट हेतु कंपनी अधिनियम 1956 (संशोधनों सहित) प्रावधान लागू होते हैं। फ्रेंचाईजी कंपनी के क्षेत्र में विद्युत वितरण गतिविधियों के त्रैमासिक एवं वार्षिक ऑडिट हेतु निश्चित अवधि के लिये नियुक्त स्वतंत्र ऑडिटर के माध्यम से सम्पन्न कराने के प्रावधान वितरण फ्रेंचाईजी अनुबंध में किये गये हैं। म.प्र.पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इन्दौर के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत एक वितरण फ्रेंचाईजी कंपनी, उज्जैन शहर में नियुक्त है। उक्त फ्रेंचाईजी कंपनी के विद्युत वितरण से संबंधित लेखों का ऑडिट कराये जाने हेतु वितरण फ्रेंचाईजी अनुबंध की कंडिका 26 में प्रावधान है। तदानुसार एक स्वतंत्र ऑडिटर द्वारा वितरण फ्रेंचाईजी के समस्त अभिलेखों एवं विवरणों का ऑडिट किया जाना है। सागर एवं उज्जैन फ्रेंचाईजी के अनुबंध की कंडिका 26 की छायाप्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' एवं 'ब' के अनुसार** है। म.प्र.पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड/म.प्र.पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड/म.प्र.पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड/ म.प्र.मध्य क्षेत्र

विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड की कोई भी सम्बद्धता (फ्रैंचाइजी) कंपनी अस्तित्व में नहीं है। (घ) उपरोक्त उत्तरांश के परिप्रेक्ष्य में जानकारी अपेक्षित नहीं है।

फीडर सेपरेशन अपूर्ण के कार्य

95. (क्र. 5205) इन्जी. प्रदीप लारिया : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल द्वारा सागर जिले में फीडर सेपरेशन का कार्य किया जा रहा है। यदि हाँ, तो कार्य की टेंडर की प्रक्रिया क्या थी, कार्य कब आरंभ किया था, कार्य पूर्णता की तिथि क्या थी। क्या कार्य पूर्ण कर लिया गया है? यदि पूर्ण नहीं किया गया तो कार्य की भौतिक जानकारी दें। (ख) सागर जिले सहित नरयावली विधानसभा में कार्य पूर्ण एवं अपूर्ण की जानकारी दें यदि कार्य अपूर्ण है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? यदि इसके लिए विभाग के अधिकारी एवं ठेकेदार जिम्मेदार हैं तो उनके ऊपर क्या कार्यवाही की गई है। अपूर्ण कार्य कब तक पूर्ण कर लिये जावेंगे? (ग) क्या उक्त कार्य के संदर्भ में प्रगति एवं भौतिक जानकारी जनप्रतिनिथियों को भविष्य में उपलब्ध कराते रहेंगे?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जी हाँ, म.प्र.पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर के क्षेत्रान्तर्गत सागर जिले में फीडर सेपरेशन का कार्य किया जा रहा है। उक्त कार्य के लिए पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निविदाएं, एशियन विकास बैंक के दिशा निर्देशानुसार आमंत्रित की गई थीं। निविदा का प्रकाशन राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में करवाने के अलावा वितरण कंपनी एवं एशियन विकास बैंक की वेबसाईट पर भी निविदा उपलब्ध करायी गई। निर्धारित तिथि एवं समय पर प्राप्त निविदाओं की तकनीकी एवं वाणिज्यिक जाँच उपरांत निर्धारित नियमों एवं शर्तों को पूर्ण करने वाली निविदाकर्ता फर्मों की प्राइज बिड निर्धारित तिथि/समय पर खोली गई। निविदा में समस्त कार्य हेतु न्यूनतम स्वीकृत दर वाली निविदाकर्ता फर्म को कॉन्ट्रेक्ट जारी किये गये। जारी किये गये कार्यादेशों, क्रियाशील तिथि एवं कार्यपूर्णता संबंधी जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	जिले का नाम	योजना का नाम	टर्न-की ठेकेदार का नाम	क्रियाशील तिथि	कार्यपूर्णता हेतु तिथि	कार्य की वर्तमान स्थिति
1.	सागर	सागर/बीना संभाग फीडर विभक्तिकरण	एस्टर प्रा.लि., हैदराबाद	14.09.11	13.03.13	कार्य अपूर्ण
2.	सागर	रहली/बंडा संभाग फीडर विभक्तिकरण	एस्टर प्रा.लि., हैदराबाद	29.08.11	28.02.13	कार्य अपूर्ण
3.	सागर	एशियन विकास बैंक, सागर जिला	विजय इलेक्ट्रिकल्स, हैदराबाद	20.07.08	30.06.12	कार्य पूर्ण
4.	सागर	एशियन विकास बैंक, सागर जिला	एस.पी.एम.एल.इन्फ्रा, गुडगांव	03.06.10	06.02.12	कार्य अपूर्ण

कार्य की भौतिक प्रगति की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार** है। (ख) सागर जिले के नरयावली विधानसभा क्षेत्र में किये गये कार्य तथा अपूर्ण कार्य की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब' अनुसार** है तथा सागर जिले की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार** है। अपूर्ण

कार्य के लिए जिम्मेदार ठेकेदार मेसर्स एस्टर प्रा.लि., हैदराबाद के कार्यादेशों को निरस्त कर, नई निविदा जारी की जा चुकी है जो अभी प्रक्रिया में है। फीडर विभक्तिकरण के कार्यों में समय-समय पर किसानों द्वारा बाधा उत्पन्न करने एवं खेतों में फसल होने के कारण लाईनों के कार्यों में विलंब हुआ है तथापि शेष कार्य शीघ्र पूर्ण कराने के प्रयास किये जा रहे हैं। चूंकि नई निविदा अभी प्रक्रिया में है अत: शेष कार्य पूर्ण करने की समय सीमा बताया जाना वर्तमान में संभव नहीं है। (ग) जी हाँ, कार्य के सन्दर्भ में प्रगति एवं भौतिक जानकारी प्रश्नकर्ता विधायक महोदय को समय-समय पर अवश्य उपलब्ध करायी जायेगी।

<u>परिशिष्ट - "छप्पन"</u>

<u>राजपत्रित सेवा श्रेणी-2 के अधिकारियों को एक समान वेतनमान की स्वीकृति</u>

96. (क्र. 5213) एडवोकेट सत्यप्रकाश सखवार : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन के राजपत्रित सेवा श्रेणी-दो के उन अधिकारियों को जो पूर्णत: या अंशत: लोक सेवा आयोग से सीधी भर्ती से पद भरे जाते हैं उनका वेतनमान 8000-13500 एवं शत प्रतिशत पदोन्नति प्राप्त राजपत्रित सेवा श्रेणी-दो के अधिकारियों को वेतनमान 6500-10500 अलग-अलग हैं? यदि हाँ, तो कब से? (ख) क्या इसके पूर्व राजपत्रित सेवा श्रेणी-दो के सभी अधिकारियों का वेतनमान एक समान था? यदि हाँ, तो फिर बाद में भेदभाव क्यों? क्या उनके साथ अन्याय नहीं है? (ग) क्या जिन विभागों में सीधी भर्ती एवं पदोन्नति दोनों का प्रावधान है वहाँ पदोन्नति प्राप्त राजपत्रित सेवा श्रेणी-दो के अधिकारियों को भी सीधी भर्ती के अधिकारियों के समान एक समान वेतनमान शासन द्वारा दिया जा रहा है? (घ) यदि हाँ, तो जिन राजपत्रित सेवा श्रेणी-दो के अधिकारियों की पदोन्नति शत प्रतिशत लोक सेवा आयोग के अनुमोदन पश्चात् होती है? क्या शासन उन्हें भी वेतनमान रू. 8000-13500 स्वीकृत करेगी?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) जी हाँ। म.प्र.वेतन पुनरीक्षण नियम 1990 से। (ख) जी नहीं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) म.प्र.वेतन पुनरीक्षण नियम 1990 में 8000-13500 का वेतन उन श्रेणी दो के राजपत्रित पदों के लिये लागू है जो लोक सेवा आयोग के माध्यम से पूर्णत: अथवा अंशत: सीधी भर्ती द्वारा भरे जाते है तथा विभागीय भर्ती नियम अनुसार शतप्रतिशत तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों से द्वितीय श्रेणी के पद पर पदोन्नति पर वेतनमान 6500-10500 दिया जाता है। (घ) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>चोरी के प्रकरण एवं सैटलमेण्ट</u>

97. (क्र. 5226) श्री जितू पटवारी : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इन्दौर जिले में विगत तीन वित्तीय वर्षों में बिजली चोरी के कितने प्रकरण पकड़े गये हैं? वित्तीय वर्षवार संख्या बतावें? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित अवधि में इन्दौर जिले में कितने विद्युत चोरी के प्रकरणों में पंचनामें बनाये गये एवं कितने में पुलिस में रिपोर्ट दर्ज की गई? संख्या बतावें इन प्रकरणों में संबंधित पर न्यायालय द्वारा कितना जुर्माना लगाया गया? (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित क्षेत्र एवं अवधि में बिजली चोरी के कितने प्रकरणों में कम्पाउण्डिग (शमन राशि वसूली) किया गया है एवं कितने प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किये गये?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) इन्दौर जिले में विगत तीन वित्तीय वर्षों में पकडे गये बिजली चोरी के प्रकरणों की वित्तीय वर्षवार **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार** है। (ख) इन्दौर जिले में विगत तीन वित्तीय वर्षों में बिजली चोरी के प्रकरणों में बनाये गये पंचनामों, पुलिस में दर्ज रिपोर्ट एवं इन प्रकरणों में संबंधित पर न्यायालय द्वारा किये गये जुर्माने की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब' अनुसार** है। (ग) इन्दौर जिले में विगत तीन वित्तीय वर्षों में बिजली चोरी के प्रकरणों में कम्पाउण्डिंग एवं न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरणों की वित्तीय वर्षवार **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-'स' अनुसार** है।

परिशिष्ट - "सत्तावन"

न्यायालयीन प्रकरणों में अधिवक्ताओं को भुगतान

98. (क्र. 5228) श्री हर्ष यादव : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय, भोपाल द्वारा न्यायालयीन प्रकरणों में अधिवक्ता नियुक्त किये जाने की क्या प्रक्रिया है? (ख) वर्ष 2011 से जनवरी 2015 तक बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय, भोपाल द्वारा कितने न्यायालयीन प्रकरणों में किन-किन अधिवक्ताओं की नियुक्ति की गई? कृपया वर्षवार विवरण दें? (ग) उक्त अवधि में अधिवक्ताओं को विश्वविद्यालय द्वारा कितने T.A./D.A. व फीस का भुगतान किया गया? (घ) विश्वविद्यालय से संबंधित कितने प्रकरण अभी विचाराधीन हैं?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा माननीय उच्च न्यायालयों एवं जिला न्यायालयों से माननीय रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश हाई कोर्ट से अधिवक्ताओं के नाम मंगाये जाकर (विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा) कार्यपरिषद के समक्ष पटल पर रखा जाता है तथा कार्यपरिषद के द्वारा जिन अधिवक्ताओं का नाम (टिक किए जाकर पैनल) अनुमोदित किया जाता है, उन अधिवक्ताओं को प्रकरण पैरवी करने हेतु दिया जाता है। (विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा समय-समय में अधिवक्ताओं की जरूरत पड़ने पर नये अधिवक्ता नियुक्ति किये जाते हैं) (ख) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ग) वर्षवार टी.ए./डी.ए. व फीस भुगतान का विवरण निम्नानुसार है :-

वर्ष	राशि
2010-11	11,37,497.00
2011-12	10,55,788.00
2012-13	10,74,919.00
2013-14	7,21,927.00
अप्रैल 14 से जनवरी 15	38,02,354.00

(घ) विश्वविद्यालय के लगभग 240 प्रकरण विचाराधीन हैं।

परिशिष्ट - "अट्ठावन"

राजगढ़ जिले में खनिज की स्वीकृत खदानें

99. (क्र. 5231) श्री अमर सिंह यादव : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिले की विधानसभा क्षेत्र राजगढ़ में खनिज विभाग द्वारा कहाँ-कहाँ, किन-किन खदानों की स्वीकृति 1 जनवरी 2012 से प्रश्न दिनाँक तक की गई? (ख) क्या विभाग द्वारा खदानों की स्वीकृति देने के बाद भी अवैध खदानें संचालित हैं? यदि है तो कहाँ-कहाँ बतायें? क्या अवैध खदानों को बंद किया जावेगा? (ग) विभाग द्वारा स्वीकृत खदानों की राशि कितनी है? कितने के आदेश जारी किये गये हैं? स्थान की जानकारी वर्षवार बतावें?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>राजगढ़ विधानसभा में विद्युत वितरण कार्य</u>

100. (क्र. 5236) श्री अमर सिंह यादव : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिले की विधानसभा क्षेत्र राजगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों चाटूखेड़ा, घोड़ाखेड़ा, कालीपीठ एवं लिम्बौदा आदि ग्रामों में कौन सी योजना से विद्युत वितरण का कार्य करवाया गया है? (ख) क्या उक्त ग्रामों में विभाग द्वारा योजना का कार्य पूर्ण किया गया है? यदि हाँ, तो उक्त ग्रामों में कब से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को विद्युत प्रदाय की जा रही है? (ग) क्या उक्त ग्रामों में विगत 2 वर्षों में विद्युत सप्लाई बन्द है? यदि हाँ, तो कब तक चालू की जावेगी? (घ) राजगढ़ जिले की विधानसभा क्षेत्र के ऐसे कुल कितने ग्राम है जहाँ पर आज दिनाँक तक लाईट नहीं है? उन ग्रामों में लाईट पहुंचाने के लिये क्या व्यवस्था की जा रही है?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) राजगढ़ जिले के विधानसभा क्षेत्र राजगढ़ के ग्राम चाटूखेड़ा, घोड़ाखेड़ा एवं लिम्बोदा में विद्युत लाईन का कार्य फीडर विभक्तिकरण योजना में किया गया है तथा ग्राम कालीपीठ में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत विद्युतीकरण का कार्य किया गया है। (ख) जी हाँ उत्तरांश "क" में उल्लेखित योजनाओं के अंतर्गत उक्त ग्रामों का कार्य पूर्ण किया गया है। ग्राम कालीपीठ में दिनाँक 21.01.14 ग्राम चाटूखेड़ा एवं ग्राम घोड़ाखेड़ा में दिनाँक 26.04.13 तथा ग्राम लिम्बोदा में दिनाँक 24.01.2013 से विद्युत प्रदाय किया जा रहा है। (ग) जी नहीं, उक्त ग्रामों में सतत् रूप से विद्युत प्रदाय किया जा रहा है। (घ) राजगढ़ जिले के राजगढ विधानसभा क्षेत्र में 14 ग्राम ऐसे हैं, जो पूर्व से विद्युतीकृत थे किन्तु आंधी-तूफान के कारण लाईनें टूटने एवं विद्युत तारों के चोरी होने के कारण उक्त ग्राम डी-इलेक्ट्रिफाईड (पुन: अविद्युतीकृत) हो गये हैं तथा इन ग्रामों के पुन: विद्युतीकरण का कार्य **संलग्न परिशिष्ट में दर्शाए अनुसार** योजनाओं के अंतर्गत किया जा रहा है। प्रश्नाधीन क्षेत्र में एक ग्राम यथा- हनुमानपुरा वीरान है, जिसके विद्युतीकरण की आवश्यकता नहीं है।

<u>परिशिष्ट - "उनसठ"</u>

<u>राजगढ़ विधान सभा क्षेत्र में तालाब निर्माण</u>

101. (क्र. 5237) श्री अमर सिंह यादव : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राजगढ़ जिले की विधानसभा क्षेत्र राजगढ़ के ग्राम गोकुलपुरा, देहरीकराड़, बांसखेड़ा में तालाब निर्माण किया गया है? (ख) यदि हाँ, तो उक्त तालाब निर्माण कब स्वीकृत किया गया? दिनाँक, स्वीकृत राशि/निर्माण एजेन्सी का नाम सहित बतावें? (ग) क्या गोकुलपुरा से देहरी कराड़ के मध्य नहर निर्माण की गई है? यदि हाँ, तो कितनी राशि व्यय की गई है? निर्माण एजेन्सी, स्वीकृत राशि,

निर्माण की दिनाँक सहित बतावें? (घ) वर्तमान में राजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में किन-किन स्थानों पर तालाब निर्माण किया जाना प्रस्तावित है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) जी नहीं, केवल गोकुलपुरा एवं बांसखेड़ा में जलाशय का निर्माण किया गया है। (ख) गोकुलपुरा परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति दिनाँक 09.06.2006 को राशि रू.568.76 लाख की दी गई। जलाशय का निर्माण में. दुर्गा एसोसियेट्स ग्वालियर द्वारा किया गया। बांसखेड़ा परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति दिनाँक 20.08.2001 को राशि रू. 386.40 लाख की दी गई। जलाशय का निर्माण मे. ए.के.शिवहरे, ब्यावरा द्वारा किया गया। (ग) जी नहीं। प्रश्नाधीन नहर का निर्माण दिसंबर-2011 में किया गया। नहर निर्माण में रू.55.54 लाख का निवेश किया गया। निर्माण एजेंसी गजेन्द्र सिंह चौहान,चाचौड़ा थी। (घ) प्रश्नाधीन क्षेत्र में स्वीकृति हेतु कोई सिंचाई परियोजना विचाराधीन नहीं है।

पेंच व्यपवर्तन चौरई के ठेकेदारों की जानकारी

102. (क्र. 5247) पं. रमेश दुबे : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पेंच व्यपवर्तन चौरई जिला छिंदवाड़ा में कौन-कौन सी एजेंसी किस तिथि से कार्य कर रही है? एजेंसीज का नाम, एजेंसी प्रमुख का नाम व पूर्ण पता, कार्य का नाम, कार्य की लागत राशि, कार्य की अवधि, कार्य प्रांरभ होने की तिथि, कार्य पूर्ण होने की तिथि अभी तक कराये गये कार्य की प्रगति की जानकारी दें? (ख) प्रश्नांश (क) के प्रकाश में संबंधित एजेंसीज द्वारा अभी तक कराये गये कार्यों की गुणवत्ता की जाँच किन अधिकारियों के द्वारा की गई कार्यों का सत्यापन व मूल्यांकन किन अधिकारियों द्वारा किया गया? (ग) क्या यह एजेंसीज स्वयं के गिट्टी व रेत उत्खनन की लीज प्राप्त कर वहाँ से खत्खनन कर रही है यदि हो तो लीज भूमि के खसरा नं. रकबा व ग्राम व लीज अवधि की जानकारी दे और यदि अन्य से प्राप्त कर रही है तो किससे? नाम पता सहित प्राप्त की गई उक्त सामग्री की संबंधित को भुगतान की गयी राशि की जानकारी दें?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) पेंच जलाशय के निर्माण से संबंधित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'1' अनुसार** है। कार्य की पूर्णता निर्माण एजेंसियों की क्षमता निर्माण के लिए खनिज सामग्री की उपलब्धता एवं भू-अर्जन और पुनर्वास की प्रगति पर निर्भर होने से कार्य पूर्ण करने की तिथि बताई जाना संभव नहीं है। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'2' अनुसार** है। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता का सतत पर्यवेक्षण परियोजना के अधीक्षण यंत्री,कार्यपालन यंत्री एवं सहायक यंत्रियों द्वारा किया गया है। प्रमुख अभियंता एवं मुख्य अभियंता, बोधी द्वारा भी समय-समय पर निरीक्षण किया गया है। गुण नियंत्रण इकाई द्वारा सामग्री की गुणवत्ता का निरीक्षण किया गया है। निर्माण कार्य के मापन का सत्यापन और मूल्यांकन संबंधित अनुविभागीय अधिकारी और कार्यपालन यंत्री द्वारा किया गया है। निर्माण एजेसिंयों को किए गए भुगतान की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'3' अनुसार** है। भुगतान संबंधित कार्यपालन यंत्री द्वारा किया जाता है। (ग) निर्माण कार्य के लिए खनन पदार्थ की व्यवस्था निर्माण एजेंसी की जिम्मेदारी होने से खनन स्थल, अनुज्ञप्ति एवं रायल्टी भुगतान संबंधी जानकारी विभाग संकलित एवं संग्रहित नहीं करता है।

विधानसभा क्षेत्र चौरई में स्वीकृत जलाशय

103. (क्र. 5248) पं. रमेश दुबे : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छिन्दवाड़ा जिले के विधानसभा क्षेत्र चौरई में कुल कितने जलाशय स्वीकृत है कितने जलाशय निविदा के अधीन है कितने जलाशय कब से निर्माणाधीन हैं? कितने जलाशय निर्माण हेतु प्रस्तावित हैं? जलाशय का नाम व स्थान, स्वीकृति तिथि स्वीकृत राशि, निर्माणाधीन में से निर्माण कार्य प्रांरभ होने की तिथि पूर्ण होने की तिथि, लागत राशि, कार्य की प्रगति सहित तथा प्रस्तावित जलाशयों के नाम, स्थान व लागत राशि की जानकारी सहित यह भी बतावें कि प्रस्तावित जलाशय कब से किस स्तर पर किन कारणों से लंबित हैं? (ख) जल संसाधन विभाग के द्वारा विधान सभा क्षेत्र चौराई के दोनों विकासखण्डों में जलाशय निर्माण कराने की संभावनाएं तलाशने के दृष्टिकोण से जनवरी 2014 से वर्तमान तक क्या-क्या प्रयास किये गये है? (ग) विधानसभा क्षेत्र चौरई का निर्वाचित जनप्रतिनिधि होने के नाते जल संसाधन विभाग छिदवाड़ा में पदस्थ अधिकारियों के द्वारा विकास खण्ड चौरई एवं बिछुवा में जल स्तर बढ़ाने अथवा क्षेत्र के किसानों की फसलों को सिंचाई की सुविधा मुहैया कराने हेतु संभावनाएं तलाशने की दृष्टिकोण से प्रश्नकर्ता से चर्चा करने की क्या कभी कोई पहल की गई है यदि नहीं तो क्यों? (घ) क्या प्रश्नकर्ता ने जनवरी 2014 से प्रश्न दिनाँक के मध्य विधानसभा क्षेत्र चौरई के विकास खण्ड चौरई व बिछुआ में जलाशयों के निर्माण के संबंध में कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग छिंदवाड़ा मुख्य अभियंता सिवनी प्रमुख अभियंता जल संसाधन, माननीय मंत्री जी जल संसाधन मध्यप्रदेश शासन को पत्र प्रेषित किया है? यदि हाँ, तो प्रस्तुत पत्रों के क्रमांक व दिनाँक की जानकारी देते हुए पत्रों में उल्लेखित जलाशयों के निर्माण के संबंध में किस स्तर से क्या कार्यवाही की गई है किस स्तर पर किस हेतु लंबित है की जानकारी दें?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। स्वीकृति हेतु कोई परियोजना प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। (ख) से (घ) उपलब्ध वित्तीय संसाधन प्रदेश में पूर्व से स्वीकृत और निर्माणाधीन परियोजनाओं के लिए आबद्ध है। वर्तमान में नई परियोजनाओं के लिए वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं होने से नई परियोजनाएं स्वीकृत करने की दशा में कार्यवाही की जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "साठ"

प्रदेश सरकार पर कर्ज की स्थिति

104. (क्र. 5270) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गत 5 वित्तीय वर्षों में राज्य शासन द्वारा कितना-कितना ऋण किस-किस उद्देश्य व कौन-कौन सी संस्थाओं से किस ब्याज दर पर लिया गया? वर्षवार, उद्देश्यवार जानकारी प्रदान करें? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में, शासन द्वारा कितनी राशि का भुगतान प्राप्त ऋण के विरूद्ध कर दिया एवं कितना शेष है? वर्षवार जानकारी प्रदान करें? (ग) बकाया ऋण के भुगतान के लिए शासन की क्या योजना है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) गत 5 वित्तीय वर्षों में राज्य शासन द्वारा प्राप्त लोक ऋण की स्थिति निम्नानुसार है :-

(राशि करोड़ में)

संस्था	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
बाजार ऋण	5821.00	3900.00	4000.00	4500.00	5000.00
वित्तीय संस्थाओं (नाबार्ड)	626.97	425.04	1276.62	1294.61	1331.98
केन्द्र सरकार के राष्ट्रीय अल्प बचत की विशेष प्रतिपूर्तियां	810.00	2038.41	441.03	1439.24	1996.40
केन्द्र सरकार	1344.54	1094.48	1032.60	1557.31	1212.44

राज्य के विकासीय कार्य हेतु आवश्यकता अनुसार ऋण प्राप्त किया जाता है। राज्य के द्वारा सामान्यत: नाबार्ड तथा खुले बाजार से ऋण प्राप्त किया गया है। दोनों ही स्त्रोत से प्राप्त ऋण की ब्याज दरें परिवर्तनशील रहती है। (ख) ऋण के विरूद्ध वर्ष 2013-14 में रूपये 4004.64 करोड़ का भुगतान किया गया है तथा वर्ष 2013-14 के अन्त में रूपये 72113.31 करोड का ऋण शेष है। (ग) ऋण का पुनर्भुगतान राज्य के बजट के माध्यम से यथा समय किया जा रहा है।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य में अयजक सामग्री का इस्तेमाल

105. (क्र. 5271) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनान्तर्गत कुक्षी विधानसभा क्षेत्र में कितने ग्रामों में विद्युतीकरण का कार्य किया गया है? किये गये कार्यों का विवरण निम्नानुसार प्रदान करें : (अ) 11 के.व्ही.लाईन कि.मी.में। (ब) वितरण ट्रांसफार्मर संख्या। (स) निम्न दाब लाईन कि.मी। (द) जारी किये गये बीपीएल कनेक्शन की संख्या। कार्य में उपयोग किये गये पोल एवं तार की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु क्या प्रक्रिया निर्धारित की गई है बतावें? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित कार्यों के लिये क्या निविदा प्रक्रिया अपनाई गई थी? यदि हाँ, तो निविदाकार का नाम जिसे कार्यादेश जारी किये गये है, बतावें? यदि नहीं तो क्यों कारण स्पष्ट करें? (ग) क्या कुक्षी विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के कार्य में गुणवत्ताहीन सामग्री का प्रयोग किया गया एवं इस संबंध में प्रमुख समाचार पत्रों में शासन का ध्यान आकर्षित किया था? यदि हाँ, तो प्रश्न दिनाँक तक दोषियों पर क्या कार्यवाही की गई? यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई तो क्यों कारण स्पष्ट करें?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) कुक्षी विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत 152 ग्रामों के सघन विद्युतीकरण का कार्य किया गया है जिसका प्रश्नाधीन चाहा गया विवरण निम्नानुसार है :-

(अ)	11 के.व्ही. लाईन	- 154 कि.मी
(ब)	वितरण ट्रांसफार्मर संख्या	- 122 (16 के.व्ही.ए.के 108 तथा 25 के.व्ही.ए. के 14 ट्रांसफार्मर)

(स)	निम्न दाब लाईन,	- 161 कि.मी
(द)	जारी किये गये बीपीएल कनेक्शन की संख्या	- - 6035

कार्य में उपयोग किये गये पोल एवं तार की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु तार एवं पोल का परीक्षण निर्माता के कार्य स्थल पर वितरण कंपनी के संबंधित अधिकारी द्वारा किया जाता है तथा सामग्री की गुणवत्ता भारतीय मानक स्तर के अनुरूप होना सुनिश्चित की जाती है। तदुपरांत ठेकेदार के मैदानी स्टोर में तार प्राप्त होने के बाद औचक रूप से नमूना लेकर एन.ए.बी.एल.प्रमाणित लैब में टेस्टिंग हेतु भेजा जाता है एवं संतोषपूर्ण जॉच रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही उपयोग में लाया जाना सुनिश्चित किया जाता है। (ख) जी हाँ राष्ट्रीय स्तर पर निविदाएं आमंत्रित की गई थीं। प्रश्नाधीन कार्य टर्न-की आधार पर कराए जाने हेतु मेसर्स जी.ई.टी पॉवर प्रायवेट लिमिटेड चैन्नई को कार्यादेश जारी किया गया था। (ग) जी नहीं कुक्षी विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के कार्य में सामग्री की गुणवत्ता संबंधी कोई भी खबर प्रमुख समाचार पत्रों के माध्यम से संज्ञान में नहीं आई है। अत: किसी के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के शेष कार्य

106. (क्र. 5282) श्री नारायण सिंह पँवार : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत ग्राम/मजरे-टोलों में विद्युतीकरण कार्य कराये जाने का प्रावधान है? यदि हाँ, तो विधानसभा क्षेत्र ब्यावरा के अंतर्गत कितने ग्राम/मजरें-टोलों में विद्युतीकरण कार्य स्वीकृत है? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में स्वीकृत कार्यों में से कितने ग्राम/मजरे-टोलों मं विद्युतीकरण कार्य करा दिया गया है तथा कितने ग्राम/मजरे-टोलों में विद्युतीकरण कार्य किया जाना किन कारणों से शेष है? (ग) उपरोक्तानुसार मजरे-टोलों में विद्युतीकरण कार्य कराये जाने हेतु क्या समयावधि निर्धारित है तथा कब तक शेष मजरे-टोलों में विद्युतीकरण कार्य करा दिया जावेगा?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जी हाँ, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत ब्यावरा विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत 64 ग्रामों एवं 25 मजरों/टोलों के विद्युतीकरण का कार्य स्वीकृत है। (ख) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में स्वीकृत कार्यों में से 07 ग्रामों एवं 07 मजरों/टोलों में विद्युतीकरण का कार्य प्रगति पर है एवं शेष 57 ग्रामों एवं 18 मजरे टोलों में कार्य अभी प्रारंभ नहीं किया गया है, टर्न-की ठेकेदार मेसर्स सिम्पलेक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर, कोलकाता द्वारा यथा समय सामग्री एवं संसाधनों की व्यवस्था नहीं कर पाने के कारण कार्य अपूर्ण है। (ग) वर्तमान में योजनांतर्गत कार्य के पूर्ण किये जाने की अवधि 30.06.2015 तक निर्धारित की गई है। उक्त अवधि में प्रश्नाधीन शेष मजरों-टोलों के विद्युतीकरण का कार्य करवाये जाने के प्रयास किये जा रहे है।

शासकीय महाविद्यालय ब्यावरा की बाउण्ड्रीवाल का निर्माण

107. (क्र. 5283) श्री नारायण सिंह पँवार : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या दिनाँक 07.07.2007 में ब्यावरा नगर में आई भीषण बाढ़ में नेताजी सुभाषचन्द्र बोस शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ब्यावरा की बाउण्ड्रीवाल पूर्णत: क्षतिग्रस्त होकर ढह गई थी? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्या उक्त बाउण्ड्रीवाल का निर्माण नहीं होने से महाविद्यालय

का शैक्षणिक वातावरण दूषित हो रहा है तथा असामजिक तत्वों द्वारा महाविद्यालय की संपत्ति को लगातार क्षति पहुंचाई जा रही है एवं छात्राएं भी अपने आप को असहज महसूस करती है? (ग) उपरोक्तानुसार यदि हाँ, तो क्या शासन उक्त महाविद्यालय की बाउण्ड्रीवाल इसी वित्तीय वर्ष में स्वीकृत करेगा? यदि नहीं तो क्यों?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) जी हाँ। (ख) बाउण्ड्रीवाल निर्माण नहीं होने से महाविद्यालय का शैक्षणिक वातावरण आंशिक रूप से प्रभावित हो रहा है। असामाजिक तत्वों द्वारा संपत्ति को नुकसान न पहुंचाने एवं छात्र-छात्राओं के हितों को ध्यान में रखते हुए महाविद्यालय द्वारा समय-समय पर रोकने के प्रयास किये जाते हैं। (ग) जी नहीं। महाविद्यालय द्वारा बाउण्ड्रीवाल निर्माण हेतु विधिवत प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार आगामी कार्यवाही की जायेंगी।

<u>विद्युत बिलों की बकाया राशि</u>

108. (क्र. 5289) श्री प्रदीप अग्रवाल : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र सेवढ़ा के ग्राम भगुवापुरा, रामपुरा में कुल कितने घरेलु व कितने कमर्शियल विद्युत मीटर लगे है? इनमें से कितने मीटरों पर विद्युत बिल बकाया है? ऐसे कितने कमर्शियल विद्युत उपभोक्ता है जिस पर 6 माह से अधिक का बिल बकाया है उपभोक्ता का नाम/ बकाया राशि सहित जानकारी उपलब्ध करायें? (ख) उक्त दोनों ग्रामों से वर्ष 2013-14 व 2014-15 में कुल कितनी राशि विद्युत विभाग को बिलों के रूप में प्राप्त हुई? क्या विभाग द्वारा ऐसा प्रावधान है कि 80% उपभोक्ताओं के बिल जमा होने के बाद भी मात्र कुछ उपभोक्ताओं द्वारा बिल जमा न करने के कारण सभी उपभोक्ताओं की विद्युत सप्लाई रोक दी जाये? यदि नहीं तो ऐसा क्यों किया जा रहा है इसकी जाँच कराई जावेंगी? (ग) क्या लगभग 6 माह पूर्व भगुवापुरा रामपुरा के मुख्यालयों में एक 100 KV की डी.पी. स्वीकृत हुई थी एवं ठेकेदार द्वारा पोल भी लगा दिये गये थे? यदि हाँ, तो क्या वर्तमान में वह डी.पी. लगाई जा चुकी है या नहीं? यदि नहीं तो क्यों कारण बताए एवं नहीं लगाये जाने के लिये कौन-कौन दोषी है एवं उन पर क्या कार्यवाही की जायेगी?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) विधानसभा क्षेत्र सेवढा के ग्राम भगुवापुरा में 351 घरेलू एवं 22 गैर-घरेलू (कमर्शिलय) मीटर्ड एवं ग्राम रामपुरा में 233 घरेलू एवं 28 गैर घरेलू (कमर्शिलय) मीटर्ड विद्युत उपभोक्ता हैं जिनमें से ग्राम भगुवापुरा में 344 एवं ग्राम रामपुरा में 217 मीटर्ड उपभोक्ता बकायादार हैं। प्रश्नाधीन क्षेत्र में ऐसे 21 बकायादार गैर-घरेलू (कमर्शिलय) उपभोक्ता हैं जिन पर 6 माह से अधिक का बिल बकाया है, उपभोक्ताओं के नाम सहित बकाया राशि की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के अनुसार** है। (ख) वर्ष 2013-14 में ग्राम भगुवापुरा में राशि रू. 8.38 लाख एवं वर्ष 2014-15 में राशि रू. 7.72 लाख तथा ग्राम रामपुरा में वर्ष 2013-14 में राशि रू. 2.22 लाख एवं वर्ष 2014-15 में राशि रू. 2.05 लाख की वसूली हुई है। जी नहीं। प्रश्नाधीन ग्रामों में क्रमश 79.07 एवं 93.48 प्रतिशत विद्युत बिल की राशि बकाया है तथा उक्त दोनों ग्रामों से क्रमश: 20.93 एवं 6.52 प्रतिशत राशि की ही वसूली हुई है। उक्त परिप्रेक्ष्य में प्रश्नाधीन ग्रामों का विद्युत प्रदाय प्रभावित है, अत: कोई जॉच कराये जाने की आवश्यकता नहीं है। (ग) जी हाँ, प्रश्नाधीन 100 के.व्ही.ए. क्षमता का वितरण ट्रांसफार्मर स्थापित किया जा चुका है, किन्तु उपभोक्ताओं द्वारा विद्युत बिल की बकाया राशि जमा नहीं किये जाने के कारण वर्तमान में ट्रांसफार्मर ऊर्जीकृत नहीं किया गया है।

<u>परिशिष्ट - "इकसठ"</u>

अवैध रेत का उत्खनन

109. (क्र. 5290) श्री दिनेश कुमार अहिरवार : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जतारा विधानसभा क्षेत्र के जनपद-जतारा और जनपद-पलेरा के ग्रामों में रेत उत्खनन का पट्टा कितनों वर्षों के लिए दिया गया खनिज विभाग द्वारा किन-किन ग्रामों में पट्टा किस कंपनी (ठेकेदार) को कितने-कितने एकड़ में दिया गया? (ख) जिन ग्रामों में खनिज विभाग द्वारा रेत उत्खनन का पट्टा नहीं दिया तो वहाँ पर अवैध रेत खनन का कार्य क्यो हो रहा है? (ग) क्या रेत खदानों से ओवर लोड ट्रक जा रहे है खनिज विभाग के अधिकारी ओवर लोड, अवैध उत्खनन को रोक नहीं रहे है? (घ) क्या मंत्री जी अवैध उत्खनन को रूकवाने की कार्यवाही कर खनिज विभाग के जिले के अधिकारियो पर कार्यवाही करेंगे?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जनपद पंचायत जतारा एवं पलेरा में 39 रेत खनिज के उत्खनिपट्टे 10 वर्ष की अवधि हेतु वर्ष 2019 एवं 2021 तक म.प्र. राज्य खनिज निगम के पक्ष में स्वीकृत है। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) जी नहीं। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। वित्तीय वर्ष 2014-15 में वाहनों में उपलब्ध अभिवहन पास से अधिक मात्रा के परिवहन के 53 प्रकरण प्रकाश में आए थे जिस पर नियमानुसार राशि रूपये 15,96,120 का अर्थदण्ड वसूला गया है। (घ) वित्तीय वर्ष 2014-15 में खनिजों के अवैध परिवहन के 132 प्रकरण दर्ज कर रूपये 32,58,000 का अर्थदण्ड वसूला गया है। इसी प्रकार खनिजों के अवैध उत्खनन के 10 प्रकरण दर्ज किए गए है जिस पर नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही प्रचलित है। अत: विभाग द्वारा की गई कार्यवाही के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "बासठ"

तदर्थ अवधि की वरिष्ठता दिया जाना

110. (क्र. 5295) श्री विश्वास सारंग : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. सिविल सेवाएं (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 में संशोधन किए जाने हेतु म.प्र. असाधारण राजपत्र क्रमांक 159 दिनाँक 2.4.1198 प्रकाशित हुआ था? (ख) प्रश्नांश (क) के तहत क्या उच्च शिक्षा विभाग द्वारा तदर्थ रूप से कार्यरत कर्मचारियों को तदर्थ अवधि की गणना करते हुए क्या उच्च शिक्षा विभाग एवं संचालनालय के कर्मचारियों को वरिष्ठता प्रदान करने संबंधी आदेश जारी किए गए हैं? (ग) प्रश्नांश (ख) के तहत यदि नहीं तो राजपत्र की कण्डिका चार (ख) सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 में संशोधन का क्या औचित्य है?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) जी हाँ। (ख) एवं (ग) की जानकारी एकत्रित की जा रही है।

तहसील बरेली अंतर्गत फीडर सेपरेशन कार्य

111. (क्र. 5297) श्री विश्वास सारंग : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायसेन जिले के तहसील बरेली के ग्राम भगदेही-जामगढ़ में 1 जनवरी 2013 से प्रश्न दिनाँक तक सिंचाई हेतु कितने किसानों ने कितने-कितने हार्स पावर के स्थायी/अस्थायी कनेक्शन कितने-कितने समय के लिए लिये है? वर्षवार, किसान के नामवार, कनेक्शन के प्रकारवार, हार्स पावरवार, समयवार जानकारी दें? (ख) रायसेन जिले के कनिष्ठ यंत्री कार्यालय खरगौन के अंतर्गत फीडर सेपरेशन के

कार्यों का भुगतान किस-किस पदनाम/नाम के अधिकारी के निरीक्षण के बाद अनुमादेन के उपरांत किया गया है? क्या उक्त क्षेत्र में सम्पूर्ण कार्य निर्धारित प्राक्कलन के अनुसार ही हुए है? यदि नहीं तो कार्यों में क्या-क्या अनियमिततायें हुई है? (ग) रायसेन जिले के कनिष्ठ यंत्री कार्यालय खरगौन के अंतर्गत समस्त ग्रामों में 1 नवम्बर 14 से प्रश्न दिनाँक तक कितने-कितने घंटे बिजली की कटौती की गई? बिजली कटौती का समय-समय, क्या-क्या रहा?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) रायसेन जिले की तहसील बरेली के ग्राम भगदेई एवं जामगढ़ में 1 जनवरी, 2013 से दिनाँक 15.02.2015 तक प्रदाय किये गये स्थाई व अस्थाई पंप कनेक्शनों की प्रश्नाधीन चाही गई **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ', 'ब' एवं 'स' अनुसार** है। (ख) रायसेन जिले में कनिष्ठ यंत्री, कार्यालय खरगोन के अन्तर्गत फीडर सेपरेशन के कार्यों का पर्यवेक्षण, मापन एवं विद्युत देयकों का सत्यापन मेसर्स फीडबेक इन्फ्रा के माध्यम से उनके द्वारा नियुक्त इंजीनियर श्री विलास खले, उप टीम लीडर, श्री आलोक राय, रेजीडेण्ट इंजीनियर श्री रमेश प्रजापति, फील्ड इंजीनियर श्री सुनील पाण्डे, फील्ड इंजीनियर के द्वारा किया जा रहा है। इस कार्य हेतु वितरण कंपनी द्वारा वृत्त स्तर पर एक नोडल अधिकारी श्री संजय भदौरिया डी.जी.एम. को भी नियुक्त किया गया है। उपरोक्त क्षेत्र में फीडर सेपरेशन के कार्य स्वीकृत बी.ओ.क्यू. के अनुसार ही कराये जा रहे है। कार्यों में अनियमितताओं संबंधी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। (ग) रायसेन जिले सहित संपूर्ण प्रदेश में कृषि फीडरों पर 10 घंटे तथा गैर-कृषि फीडरों पर 24 घंटे विद्युत प्रदाय उपलब्ध कराने के निर्देश हैं। खरगोन वितरण केन्द्र (कनिष्ठ यंत्री कार्यालय) के अन्तर्गत प्रश्नाधीन अवधि में विभिन्न कारणों यथा विद्युत लाईन सुधार कार्य, फीडर विभक्तिकरण सहित विभिन्न निर्माण एवं अधोसंरचना विकास के कार्य तथा पावर ट्रांसफार्मर ओवरलोड होने आदि से विद्युत प्रदाय अवरूद्ध हुआ है, जिसका विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'द' अनुसार** है। उक्त के अतिरिक्त प्रश्नाधीन क्षेत्र में निर्देशों के अनुरूप ही विद्युत प्रदाय किया गया है। प्रश्नाधीन क्षेत्र में फीडर विभक्तिकरण के कार्य सहित विभिन्न अधोसंरचना विकास के कार्य पूर्ण होने पर विद्युत प्रदाय की स्थिति में सुधार परिलक्षित होगा।

चिकित्सा व्यय के देयक राशि का भुगतान

112. (क्र. 5298) श्री विश्वास सारंग : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत प्राध्यापकों/ सहायक प्राध्यापकों के चिकित्सा व्यय के देयक राशि का बजट उच्च शिक्षा विभाग के संचालनालय द्वारा निर्धारित किया जाता है? यदि हाँ, तो निर्धारण के मापदंड क्या हैं? मापदंड के नियम का एक सत्यापित प्रतिलिपि उपलब्ध करायें? (ख) प्रश्नांश (क) के तहत भोपाल जिले में स्थित शासकीय महाविद्यालय में वर्तमान में कितने-कितने चिकित्सा व्यय देयक भुगतान हेतु कब से लंबित हैं? कौन जिम्मेदार है? (ग) प्रदेश के उन 25 शासकीय महाविद्यालय के नाम बतायें जहाँ विगत पांच वर्षों में सबसे ज्यादा चिकित्सा व्यय देयक राशि का बजट आवंटन किया गया है? कारण बतायें क्यों?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) शासकीय महाविद्यलायों में कार्यरत प्राध्यापकों/सहायक प्राध्यापकों के चिकित्सा व्यय के देयक राशि का बजट उच्च शिक्षा विभाग के बजट प्रस्ताव पर वित्त विभाग द्वारा निर्धारित किया जाता है परन्तु चिकित्सा व्यय की स्वीकृति स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार चिकित्सा शिक्षा संचालनालय, संभागीय संयुक्त

संचालक स्वास्थ्य सेवायें, स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जाती है। (ख) भोपाल जिले में स्थित शासकीय हमीदिया महाविद्यालय में रूपये 15,000/-, शासकीय एम.व्ही.एम. भोपाल में रूपये 37,594/-, शासकीय एम.एल.बी. कन्या महाविद्यालय भोपाल में रूपये 3,82,734/- एवं शासकीय शासकीय गीतांजलि कन्या महाविद्यालय भोपाल में रूपये 23,256/-, इस प्रकार कुल राशि रूपये 4,58,584/- के चिकित्सा व्यय देयक लगभग दो वर्ष की अवधि के संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, चिकित्सा शिक्षा संचालनालय की स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण लंबित रहे। जिनमें स्वीकृति प्राप्त हो गई है उनके भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ग) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। चिकित्सा शिक्षा संचालनालय, संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, स्वास्थ्य विभाग की स्वीकृति के परिप्रेक्ष्य में जारी किया जाता है।

परिशिष्ट - "तिरेसठ"

क्षिप्रा नदी पर घाटों का निर्माण

113. (क्र. 5306) श्री इन्दर सिंह परमार : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या उज्जैन में क्षिप्रा नदी के दोनो किनारों को संरक्षित करने के लिये घाटों का निर्माण करने की योजना है यदि हाँ, तो कुल कितने किलोमीटर तक तथा कहाँ से कहाँ तक घाट निर्माण किये जावेंगे? (ख) प्रश्नांश (क) उल्लेखित घाटों के निर्माण पर कितना व्यय होगा? (ग) क्षिप्रा नदी पर उज्जैन आबादी क्षेत्र में दोनो ओर घाटों का निर्माण कितना हो चुका है शेष कार्य कब तक पूर्ण होगा?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) से (ग) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। निर्माण कार्य सामान्यत: प्रारंभ होने के 2 वर्ष में पूर्ण कराये जाने की व्यवस्था है।

परिशिष्ट - "चौंसठ"

अवैध देशी मदिरा दुकानों पर रोक

114. (क्र. 5307) श्री इन्दर सिंह परमार : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शाजापुर जिले में देशी मदिरा की कितनी अधिकृत दुकाने है, कहाँ-कहाँ पर है? कुल आय कितनी है? (ख) क्या देशी मदिरा को अधिकृत दुकानों के अलावा भी विक्रय करने की छुट दी गई यदि नहीं तो कालापीपल, शुजालपुर ब्लॉक में चौराहे-चौराहे पर देशी मदिरा कैसे विक्रय हो रही है? (ग) क्या शाजापुर जिले में आबकारी विभाग के अधिकारी मिल कर अवैध दुकानों का संचालन करवा रहे है? (घ) क्या कालापीपल विधान सभा क्षेत्र में संचालित अवैध दुकानों पर प्रतिबंध लगाया जायेगा?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) शाजापुर जिले में वर्ष 2014-15 में कुल 54 देशी मदिरा दुकानें संचालित है। जिनके नाम एवं स्थान तथा प्राप्त राजस्व की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'एक' अनुसार** है। (ख) जी नहीं देशी मदिरा की अधिकृत दुकानों के अलावा अन्य स्थानों पर मदिरा विक्रय करने की छूट नहीं दी गई है। प्रश्न में पूछे गये स्थान कालापीपल, शुजालपुर ब्लॉक में अधिकृत दुकानों के अलावा मदिरा का अवैध धारण करने पर विभाग द्वारा माह अप्रैल 2014 से माह फरवरी 2015 तक 55 व्यक्तियों के विरूद्ध प्रकरण दर्ज किये जाकर चालान माननीय न्यायालय में पेश किये गये है, जिसकी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'दो' अनुसार** है। (ग) जी नहीं शाजापुर जिले में आबकारी विभाग के अधिकारी मिल कर अवैध दुकानों का संचालन नहीं

करवा रहे हैं। (घ) कालापीपल विधान सभा क्षेत्र के साथ-साथ जिले के सभी क्षेत्रों में अवैध रूप से मदिरा के निर्माण, परिवहन, संग्रहण, धारण अथवा अवैध मदिरा दुकान पाये जाने पर विधिवत एवं नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

अधिवक्ताओं की नियुक्ति

115. (क्र. 5323) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो एवं केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधीकरण की ओर से उच्च न्यायालय जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर में किन-किन अधिवक्ताओं की नियुक्तियां की गई? (ख) वर्तमान में कौन-कौन किस दिनाँक तक नियुक्त है?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

बाबर बोह जलाशय का नहर निर्माण

116. (क्र. 5325) श्री चैतराम मानेकर : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आमला विकास खण्ड के बाबर बोह जलाशय के एवं मुख्य नहर के निर्माण कार्य कब शुरू किये गये? लागत दर्शायें। (ख) निर्माण कार्य के दौरान किस-किस अधिकारियों ने निरीक्षण किया दिनाँक सहित बताएं? (ग) निर्माण कार्य क्या निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप हो रहा है? यदि नहीं तो क्यों? (घ) मुख्य नहर में सिंचाई हेतु पानी कब तक छोड़ दिया जायेगा?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) बाबरबोह परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति दिनाँक 25.05.2012 को राशि रू.392 लाख की दी गई। परियोजना का निर्माण कार्य 10 सिंतबर 2012 को प्रारंभ हुआ। (ख) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ग) जी हाँ। शेष प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होता है। (घ) परियोजना की रूपांकित सिंचाई क्षमता 210 हेक्टर के विरूद्ध वर्ष 2014-15 में 230 हेक्टर में रबी सिंचाई की गई।

परिशिष्ट - "पैंसठ"

मोरखा जलाशय की नहर का निर्माण

117. (क्र. 5326) श्री चैतराम मानेकर : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मोरखा जलाशय की मुख्य नहर का निर्माण कार्य कब शुरू हुआ? लागत क्या थी? (ख) क्या नहर का कार्य पूर्ण हो गया? यदि हाँ, तो, क्या नहर से किसानों को सिंचाई हेतु पानी दिया गया? (ग) यदि नहीं तो नहर का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण कर किसानों को सिंचाई हेतु पानी दे दिया जायेगा?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) मोरखा परियोजना की मुख्य नहर का निर्माण कार्य दिनाँक 17 अगस्त, 2009 को प्रारंभ हुआ। निर्माण कार्य की अनुबंधित लागत रू.46.57 लाख थी। (ख) एवं (ग) जी हाँ। वर्ष 2014-15 में अल्प वर्षा के बावजूद परियोजना से 175 हेक्टर में रबी सिंचाई की गई।

मोरखा जलाशय के सम्बंध में

118. (क्र. 5327) श्री चैतराम मानेकर : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आमला विकास खण्ड के मोरखा जलाशय का निर्माण कार्य कब शुरू हुआ था उसकी लागत क्या

थी? कब पूर्ण हुआ, कब टूट गया? (ख) जलाशय के टूटने (क्षतिग्रस्त) के लिए किस-किस अधिकारी को दोषी पाया गया? उन पर कार्यवाही की गई? (ग) पुन: जलाशय ठीक करने के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई? (घ) जलाशय से सिंचाई हेतु नहर में कब पानी छोड़ा जायेगा?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) मोरखा लघु सिंचाई परियोजना का निर्माण कार्य फरवरी 2006 में प्रारंभ हुआ था। तत्समय परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति दिनाँक 08.02.2006 को रू.225 लाख की दी गई थी। परियोजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दिनाँक 13.01.2013 को रू.383.54 लाख की दी गई। परियोजना के जलाशय का निर्माण फरवरी 2015 में पूर्ण हुआ। निर्माण के दौरान परियोजना के स्लूस से लीकेज होने के कारण बांध स्लूस के पास से दिनाँक 21.09.2013 को टूटा। (ख) निर्माण एजेंसी मे. एस.के.लोखण्डे एवं अनुविभागीय अधिकारी श्री एस.एन.वर्मा और उपयंत्री श्री एम.पी.भूमरकर को दोषी पाया गया। निर्माण एजेंसी को पंजीयन के लिए ब्लेक लिस्ट किया गया है और अधिकारियों के विरूद्ध विभागीय जाँच संस्थित की गई है। (ग) मोरखा जलाशय को ठीक करने के लिए पुन: स्वीकृति नहीं दी गई है। मरम्मत में व्यय की गई राशि रू. 43.68 लाख की वसूली मे. एस.के.लोखण्डे से कार्यवाही प्रचलित है। (घ) परियोजना से वर्ष 2014-15 में 175 हेक्टर में रबी सिंचाई की गई है।

म.प्र. में बिजली का उत्पादन

119. (क्र. 5336) श्री शैलेन्द्र पटेल : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश में वर्ष 2014-2015 में बिजली की प्रति माह कितनी मांग थी? प्रदेश में बिजली की प्रतिमाह कितनी खपत हुई? (ख) मध्यप्रदेश में अपने स्वयं के संसाधनों से वर्ष 2014-2015 में कितनी बिजली उत्पादन की गई कितनी बिजली केन्द्र/अन्य राज्यों एवं प्रदेश के बाहर की कम्पनियों से खरीदी? (ग) क्या एम्.पी. पावर मैंनेजमेंट कंपनी लिमिटेड ने वर्श 2014-15 में प्रदेश के बाहर बिजली बेची? अगर हाँ तो कितनी और किस औसत दर पर? खरीदी गई बिजली की औसत दर क्या थी?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) प्रदेश में वर्ष 2014-2015 (माह जनवरी 2015 तक) में बिजली की प्रति माह मांग तथा खपत (आपूर्ति) की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट में दर्शायी गयी हैं**। (ख) मध्य प्रदेश में अपने स्वंय के संसाधनों से वर्ष 2014-2015 में अप्रैल 2014 से जनवरी 2015 में बिजली उत्पादन निम्नानुसार है:-

(आंकडे मिलियन यूनिट में)

क्रमांक	विवरण	वर्ष 2014-2015 में माह जनवरी 2015 तक उत्पादन
1	एम.पी.पावर जनरेटिंग कंपनी का ताप विद्युत उत्पादन	14136.14
2	एम.पी.पावर जनरेटिंग कंपनी का जल विद्युत उत्पादन (म.प्र.का अंश)	2282.82
3	इंदिरा सागर जल विद्युत गृह	2143.54
4	ओंकारेश्वर जल विद्युत गृह	937.58
5	इंदिरा सागर एन.वी.डी.ए.	6.86
6	बरगी एन.वी.डी.ए.	6.88

कुल	19513.82

वर्ष 2014-2015 में अप्रैल 2014 से जनवरी 2015 तक की अवधि में केन्द्रीय क्षेत्र/ अन्य राज्यों एवं प्रदेश के बाहर की कपंनियों से 21040.54 मिलियन यूनिट (प्रावधिक) बिजली खरीदी गई। (ग) जी हाँ वर्ष 2014-2015 में एम.पी. पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा प्रदेश के बाहर बिजली बेची गई है। उपरोक्त बेची गई बिजली की मात्रा अप्रैल 2014 से जनवरी 2015 तक की अवधि में 802 मिलियन यूनिट एवं औसत दर 2.91 रू.प्रतियूनिट है इसी अवधि में सभी स्त्रोतों (मध्य प्रदेश में स्थित तथा अन्य राज्यों में स्थित) से खरीदी गई बिजली की औसत दर 3.10 रू. प्रति यूनिट (प्रावधिक) है।

परिशिष्ट - "छियासठ"

तालाबों की मरम्मत एवं जीर्णोद्धार

120. (क्र. 5337) श्री शैलेन्द्र पटेल : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या इछावर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विभाग के तालाबो के ड्रिप योजना अंतर्गत मरम्मत एवं जीर्णोद्धार हेतु टी.एस. किया गया है? अगर हाँ, तो किन-किन तालाबो का टी.एस. किया गया है? (ख) प्रश्नांश (क) अंतर्गत कितना व्यय इस योजना में किया जाएगा? क्या-क्या कार्य इन तालाबो में किये जायेगें? (ग) प्रश्नांश (क) कार्य कब तक पूरा होगा? कार्य शुरू ना होने के कारण स्पष्ट करें?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) जी हाँ, कांकरखेड़ा परियोजना के लिए ड्रिप योजना के तहत रूपये 254.35 लाख की तकनीकी स्वीकृति दी गई है। (ख) एवं (ग) लगभग रू. 283.09 लाख व्यय अनुमानित है। जलाशय का सुदृढ़ीकरण एवं पहुँच मार्ग का सुधार कार्य पूर्णता पर है। प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होते है।

डिफाल्टर घोषित कंपनियों का खनन पट्टा निरस्त किया जाना

121. (क्र. 5341) श्री सुखेन्द्र सिंह (बन्ना) : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या डिफाल्टर घोषित लीजधारकों को खनन पट्टा दिये जाने का प्रावधान है? यदि नहीं तो आनंद माइनिंग एवं निर्मला माइनिंग जो कि खनिज विभाग के साथ-साथ वन विभाग से भी डिफाल्टर है, को नियम विरूद्ध खनन पट्टा क्यों प्रदाय किया गया? कारण सहित बतावें? क्या इनका खनन पट्टा निरस्त किय जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक समय-सीमा बतायें। (ख) दिनाँक 24/11/2014 एवं 25/11/2015 को समाचार पत्रों में प्रकाशित रायल्टी चोरी से आरोपित आनंद माइनिंग एवं निर्मला माइनिंग में क्यों कार्यवाही नहीं की जा रही है? साथ ही क्या कारण है कि इसके बाद भी प्रकारण क्रं. एफ-2-36/2008/12-2 के प्रकरण में फिर से सरकार द्वारा उन्हें खनन पट्टा पर सैद्धांतिक सहमति प्रदान की जा रही है? जबकि प्रकरण वन विभाग का है और ये वन विभाग के भी डिफाल्टर है? नियम विरूद्ध कार्य करने का क्या कारण है?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

अग्रवाल आयोग की अनुशंसा लागू की जाना

122. (क्र. 5342) श्री सुखेन्द्र सिंह (बन्ना) : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या 01-01-1972 पाण्डेय वेतनमान में लिपिकों एवं शिक्षकों के वेतन समान थे? (ख) चौधरी वेतनमान में लिपिकों एवं शिक्षकों के वेतनमानों की सापेक्षता विखण्डित होने का क्या कारण है? (ग) अग्रवाल वेतन आयोग का गठन किस वेतन आयोग की विसंगतियों के निराकरण के लिए किया गया था? क्या अग्रवाल वेतन आयोग द्वारा शासन को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा चुका है? यदि हाँ, तो शासन द्वारा अग्रवाल आयोग की अनुशंसाओं पर कब तक निर्णय लेकर लागू किया जावेगा? समय सीमा बतावें?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) जी हाँ। (ख) वेतनमानों से संबंधित निर्णय विशेष परिस्थितियों को दृष्टिगत रखा जाकर राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है। (ग) राज्य वेतन आयोग का गठन किसी वेतन आयोग की विसंगति के निराकरण हेतु नहीं था। जी हाँ। वेतन आयोग की वेतन विसंगति संबंधी अनुशंसाओं पर परीक्षण किया जा रहा है। समय सीमा बताना संभव नहीं है।

अपूर्ण निर्माण कार्यों को पूर्ण किया जाना

123. (क्र. 5389) श्री बाला बच्चन : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजपुर वि.स. क्षेत्र में दि. 01.01.13 से 30.01.15 तक कितने कार्य स्वीकृत किए गए? स्वीकृति दिनाँक, लागत, कार्यपूर्णता दिनाँक सहित बतावें? स्वीकृत स्थान का नाम भी बतावें? (ख) अपूर्ण कार्यों की जानकारी कार्य का नाम, आहरित राशि, आहरण दिनाँक, कार्य कितने प्रतिशत पूर्ण हुए के साथ पृथक-पृथक बतावें? ये कब तक पूर्ण होंगे समय सीमा बतावें? (ग) पानसेमल वि.स. क्षेत्र के धानापानी जलाशय का काम कितने प्रतिशत पूर्ण हुआ, कितनी राशि का 30.01.15 तक आहरण हुआ? यह कब तक पूर्ण होगा? (घ) (ख) व (ग) अनुसार अपूर्ण निर्माण पर दोषी अधिकारियों पर कब तक कार्यवाही होगी? समय सीमा बतावें?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) से (घ) विभाग द्वारा स्वीकृत एवं निर्माणाधीन परियोजनाओं की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। स्वीकृति के वर्ष को छोड़कर कार्य दो वर्ष में पूर्ण करने की व्यवस्था है। किसी अधिकारी के दोषी होने की स्थिति नहीं है।

परिशिष्ट - "सड़सठ"

राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की अनियमितता संदर्भ में

124. (क्र. 5390) श्री बाला बच्चन : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2010 से 2014 तक लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की गई परीक्षा में कितने अभयर्थी अमली परीक्षा तथा नियुक्ति के लिए सफल घोषित किए गए? पदवार जानकारी दें? (ख) (क) अनुसार उल्लेखित परीक्षाओं के संदर्भ में मान. उच्च न्यायालय में जो प्रकरण विचाराधीन हैं उनके प्रकरण क्र., दिनाँक, वादी का नाम तथा आयोग की ओर से नियुक्त अधिवक्ताओं के नाम तथा उन्हें भुगतान की गई कुल राशि की जानकारी देवें?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार** है। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'2' अनुसार** है।

महिदपुर वि.स. क्षेत्र के अवैध खनिजो के संबंध में

125. (क्र. 5400) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महिदपुर वि.स.क्षेत्र के दिनेश S/o मांगीलाल द्वारा खनिज का परिवहन किस-किस वाहन से कब-कब किया गया? दिनाँक सहित विक्रय किये खनिज से संबंधित बिलों का विवरण दि. 01-01-09 से 31-03-14 तक देवें? (ख) इनकी फर्म में शामिल सभी व्यक्तियों का P.A.H. कार्ड की छायाप्रति, इनका विगत 5 वर्ष का (क अनुसार) बैंक स्टेटमेंट एवं आयकर रिटर्न की छायाप्रति देवें?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जानकारी संधारित किए जाने का नियमों में प्रावधान नहीं है। अत: प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जानकारी संधारित किए जाने का नियमों में प्रावधान नहीं है। अत: प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

देपालपुर वि.स. क्षेत्र में बदले गए ट्रांसफार्मर

126. (क्र. 5414) श्री मनोज निर्भय सिंह पटेल : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) देपालपुर विधान सभा क्षेत्र के अतंर्गत पिछले वर्ष 2014-15 में कुल कितने ट्रांसफार्मर कब कब जले एवं उन्हें कब कब बदला गया एवं कितने अभी बदलना बाकी हैं? दिनाँक वार विवरण देंवे? (ख) प्रश्नांश (क) अवधि में किसानों द्वारा उनके निजी व्यय पर ट्रांसफार्मर हेतु कितनी मांग प्राप्त (आवेदन) हुए? दिनाँकवार व उपकेन्द्रवार जानकारी उपलब्ध करावे इनमें से कब कब ट्रांसफार्मर स्थापित किये गये? (ग) (ख) में प्राप्त आवेदनों में से कितने ट्रांसफार्मर किसानों को उपलब्ध कराये जाना शेष हैं? ये कब तक उपलब्ध करा दिये जायेंगे? (घ) क्या यह सही नहीं है कि ट्रांसफार्मर स्थापित करने में विलंब से फसलों की सिंचाई प्रभावित होकर कृषि उत्पादन प्रभावित होगा?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) देपालपुर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत वर्ष 2014-15 में कुल 485 ट्रांसफार्मर जले/खराब हुए जिन्हें निर्धारित समयावधि में बदल दिया गया है। वर्तमान में कोई भी जला/खराब ट्रांसफार्मर बदले जाने हेतु शेष नहीं है। वर्ष 2014-15 में प्रश्नाधीन क्षेत्र में जले/खराब हुए वितरण ट्रांसफार्मरों की बदले जाने की दिनाँक सहित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) विधानसभा क्षेत्र देपालपुर में वर्ष 2014-15 में किसानों के द्वारा उनके स्वयं के व्यय पर ट्रांसफार्मर लगवाये जाने हेतु कोई भी आवेदन प्राप्त नहीं हुआ। (ग) उत्तरांश "ख" के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता। (घ) प्रश्नाधीन सभी फेल ट्रांसफार्मरों के स्थान पर दूसरे ट्रांसफार्मर निर्धारित समयावधि में स्थापित कर दिये गये थे, अत: कृषि उत्पादन प्रभावित होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

इन्दौर जिले में 3 वर्ष से अधिक पदस्थ कर्मी

127. (क्र. 5415) श्री मनोज निर्भय सिंह पटेल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इंदौर जिले में समस्त शासकीय विभागो में प्रशासनिक पद पर पदस्थ ऐसे कितने अधिकारी/कर्मचारी है जिनका सेवाकाल एक ही स्थान पर 3 वर्ष से अधिक है? (ख) क्या एक ही स्थान पर 3 वर्ष से अधिक पदस्थापना के नियम का पालन हो रहा है नहीं तो क्या कारण है कि नियम विरूद्ध अधिकारी/कर्मचारी 3 वर्ष से अधिक समय तक पदस्थ है?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

वोल्टेज की समस्या का निराकरण

128. (क्र. 5424) श्री संजय पाठक : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कटनी जिले के विजयराघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र हेतु वोल्टेज की समस्या को दूर करने हेतु प्रश्नकर्ता द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 में कोई पत्र लिखा गया है? यदि हाँ, तो पत्र का विवरण उपलब्ध करावें? (ख) प्रश्नांश (क) के तारतम्य में विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? कार्यवाही हेतु जारी विभागीय पत्रों का विवरण दें? (ग) क्या प्रश्नांश (क) विधानसभा क्षेत्र में वोल्टेज की समस्या को दूर करने हेतु शीघ्र ट्रांसफार्मर स्थापित किये जायेंगे? यदि हाँ, तो कब तक? नहीं तो क्यों?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जी हाँ। माननीय विधायक महोदय का पत्र क्र. 2001 दिनाँक 24.9.2014 प्राप्त हुआ था, जिसमें विधायक महोदय द्वारा 33/11 के.व्ही. बडवारा उपकेन्द्र से निर्गमित 11 के.व्ही. बडवारा फीडर से संबद्ध 7 ग्रामों,132 के.व्ही. कैमोर उपकेन्द्र से निर्गमित 11 के.व्ही. कैमोर फीडर से संबद्ध 5 ग्रामों,132 के.व्ही. विजयराघवगढ़ उपकेन्द्र से निर्गमित 11 के.व्ही. विजयराघवगढ़ फीडर से संबद्ध 22 ग्रामों तथा 33/11 के.व्ही. विजयराघवगढ़ उपकेन्द्र से निर्गमित 11 के.व्ही. विजयराघवगढ़ फीडर से संबद्ध 38 ग्रामों में ओवर लोड की समस्या होने के संबंध में लेख किया गया है। (ख) एवं (ग) उत्तरांश (क) में उल्लेखित कार्यों हेतु अधीक्षण यंत्री (संचा.संधा.) कटनी द्वारा उनके पत्र क्रमांक 1847 दिनाँक 08.10.2014 के तहत् कार्यपालन यंत्री (संचा.संधा.) कटनी को सर्वे/परीक्षण करने हेतु लेख किया गया। उक्त के परिप्रेक्ष्य में कार्यपालन यंत्री (संचा.संधा.) कटनी ने उनके पत्र क्रमांक 5499-ए दिनाँक 21.02.2015 द्वारा माननीय विधायक महोदय को लेख कर उक्त सर्वे/परीक्षण के संबंध में अवगत कराया है। प्रांरभिक सर्वे अनुसार विजयराघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र के 44 ग्रामों में अतिरिक्त वितरण ट्रांसफार्मर/क्षमता वृद्धि के प्रस्ताव का परीक्षण किया जा रहा है। तकनीकी रूप से साध्य पाये जाने पर एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुरूप वर्ष 2015-16 में ट्रांसफार्मर स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की जा सकेगी। अत: वर्तमान में अतिरिक्त/क्षमता वृद्धि हेतु ट्रांसफार्मर स्थापित करने की समयसीमा बताया जाना संभव नहीं है।

सबस्टेशन की स्थापना

129. (क्र. 5425) श्री संजय पाठक : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कटनी जिले के विजयराघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत बरही में निर्माणाधीन 132 के.वी. सब स्टेशन का कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा? (ख) विजयराघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र की मांग के अनुरूप आगामी 5 वर्षों में क्या-क्या कार्य प्रस्तावित हैं? कितने 33 एवं 11 के.व्ही. के विद्युत उपकेन्द्र स्थापित किये जा रहे हैं?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) कटनी जिले के विजयराघवगढ़ विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत बरही में 132 के.व्ही. सब-स्टेशन के कार्य हेतु म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड जबलपुर द्वारा दिनाँक 14.5.13 को मेसर्स आइसोलक्स इंजीनीरिया गुडगॉव को कार्यादेश जारी किया गया है। उक्त कार्य दिनाँक 31.3.2016 तक पूर्ण किया जाना अनुमानित है। (ख) प्रश्नाधीन अवधि में विजयराघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना अंतर्गत कार्य योग्य अविद्युतीकृत ग्रामों के विद्युतीकरण तथा विद्युतीकृत ग्रामों के 100 एवं 100 से अधिक आबादी वाले अविद्युतीकृत क्षेत्रों/मजरों/टोलों के विद्युतीकरण सहित सघन विद्युतीकरण के कार्य तथा गरीबी रेखा के नीचे आने वाले समस्त हितग्राहियों को नि:शुल्क बी.पी.एल. कनेक्शन देना प्रस्तावित हैं।

इसके अतिरिक्त फीडर विभक्तिकरण योजनांतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के मिश्रित11 के.वी. फीडरों को कृषि तथा अन्य उपयोग के फीडरों में पृथक-पृथक किया जाना प्रस्तावित है। शहरी क्षेत्रों में आई.पी.डी.एस.योजनांतर्गत तथा ग्रामीण क्षेत्रों में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजनांतर्गत विद्युत प्रणाली सुदृढीकरण के अंतर्गत अधोसंरचना विकास/क्षमता वृद्धि के कार्य प्रस्तावित है। विद्युत की मांग/वर्तमान भार के अनुरूप तकनीकी रूप से साध्य नहीं पाये जाने पर वर्तमान में प्रश्नाधीन क्षेत्र में कोई भी नया 33/11 के.व्ही.विद्युत उपकेन्द्र स्थापित नहीं किया जा रहा है।

मजरों का विद्युतीकरण

130. (क्र. 5447) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के परि.अता. प्रश्न संख्या 61 (क्रमांक 718) दिनाँक 09 दिसम्बर 2014 के (क) के दिए गये उत्तर अनुसार कितने अविद्युतीकरण मजरों का विद्युतीकरण कर बी.पी.एल. आवासों को नि:शुल्क विद्युत कनेक्शन कर दिये गये हैं? (ख) विद्युतीकृत मजरे / टोलों के नाम, विद्युत प्रदाय दिनाँक की जानकारी दी जावें? (ग) संदर्भित प्रश्नांश के (ख) के उत्तर में विद्युतीकरण हेतु शेष कार्य विभागीय स्तर पर कराने हेतु विशेष प्रोजेक्ट संभाग का गठन किया गया है, बताया गया है तो गठन के उपरांत प्रश्न प्रस्तुत दिनाँक तक क्या-क्या कार्य किये गये है?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) तारांकित प्रश्न क्रमांक 718 दिनाँक 09.12.2014 के प्रश्नांश (क) के उत्तर में अविद्युतीकृत मजरों/टोलों के विद्युतीकरण के कार्य का उल्लेख न होकर ग्रामों के विद्युतीकरण की जानकारी दी गई थी। अद्यतन स्थिति में विधानसभा क्षेत्र दिमनी में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में दिनाँक 09.12.2014 के पश्चात अन्य किसी ग्राम में विद्युतीकरण का कार्य नहीं किया गया है। दिमनी विधानसभा क्षेत्र में 702 अविद्युतीकृत मजरों/टोलों के विद्युतीकरण का कार्य बारहवीं पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में सम्मिलित है। उक्त कार्य टर्न-की आधार पर कराए जाने हेतु मेसर्स बजाज इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, मुंबई को दिनाँक 10.09.2014 को कार्यादेश जारी किया गया है। सर्वे उपरांत ठेकेदार एजेंसी द्वारा उक्त कार्य आरंभ किया जायेगा। (ख) दिमनी विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत फीडर सेपरेशन योजना में किये गये 16 मजरों/टोलों के विद्युतीकरण कार्य की दिनाँक वार सूची **संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार** है। (ग) विशेष प्रोजेक्ट संभाग द्वारा संभाग के गठन के उपरांत दिमनी विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है, जिले में अन्यत्र 8 ग्रामों में विद्युतीकरण का कार्य किया गया है, जिसकी विकास खंडवार सूची **संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब' अनुसार** है।

परिशिष्ट - "अड़सठ"

सिंचाई का रकबा बढ़ाने हेतु प्रस्तावित कार्य

131. (क्र. 5464) श्री जय सिंह मरावी : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शहडोल जिले के तहसील जैतपुर, मुढ़ार,गोहपारू एवं सोहागपुर में कुल कृषि का रकबा कितना है तथा उसमें से सिंचित रकबा कितना है? (ख) असिंचित रकबा में से सिंचाई योग्य रकबा कितना है तथा ऐसे सिंचाई योग्य रकबा में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रस्तावित

कार्य योजना क्या है? (ग) प्रश्नाधीन तहसीलों के क्षेत्रफल अधूरी सिंचाई योजनाएं कौन-कौन है तथा प्रस्तावित नवीन योजनायें कौन-कौन है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) से (ग) विभाग द्वारा परियोजनावार सैच्य क्षेत्र की जानकारी रखी जाती है, तहसीलवार कृषि रकबे एवं सिंचित रकबे की जानकारी नहीं। जिला भू-अभिलेख शाखा, शहडोल से प्राप्त जानकारी के मुताबिक प्रश्नाधीन तहसीलों में कुल 1,41,174 हेक्टर कृषि भूमि है जिसमें से 14,365 हेक्टर भूमि सिंचित है। प्रश्नाधीन तहसीलों में विभाग की परियोजनाओं की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। प्रश्नाधीन क्षेत्र में सिंचाई परियोजना का कोई प्रस्ताव स्वीकृति हेतु विचाराधीन नहीं है।

परिशिष्ट - "उनहत्तर"